भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

R·B
Go 238
2·2·8

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति-संबंधी रिपोर्ट 1983-84

REPORT ON TREND AND PROGRESS OF BANKING IN INDIA 1983-84

R·B·I·
Go23816

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को पस्तुत 30 जून, 1984 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट

Report on Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1984. Submitted to the Central Government in terms of Section 36 (2) of the Banking Regulation Act, 1949.

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति-संबंधी रिपोर्ट 1983-84

REPORT ON TREND AND PROGRESS OF BANKING IN INDIA 1983-84

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र
LETTER OF TRANSMITTAL

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय,
बंबई

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
BOMBAY

19, दिसम्बर 1984
28, अग्रहायण, 1906 (शक)

सचिव,
भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
नई दिल्ली - 110 001.

महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के उपबंधों के अनुसरण में 30 जून, 1984 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट की दो प्रतियां मैं इसके साथ प्रेषित करता हूं।

भवदीय,

(मनमोहन सिंह)
गवर्नर

December 19, 1984
Agrahayana 28, 1906 (Saka)

The Secretary to
the Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
New Delhi - 110 001.

Dear Sir,

In pursuance of the provisions of Section 36 (2) of the Banking Regulation Act, 1949, I transmit herewith two copies of the Report on Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1984.

Yours faithfully,

(Manmohan Singh)
Governor.

विषय वस्तु

1. प्रस्तावना 1

2. वाणिज्य बैंक व्यवसाय

समग्र समीक्षा 9
जमा राशियों और ऋण की प्रवृत्तियां 10
निवेश और नकदी शेष की प्रवृत्तियां 15
बैंकों को रिज़र्व बैंक की सहायता 16
ऋण नीति 18
ऋण बजट 26
चयनात्मक ऋण नियंत्रण 27
अन्य नीतिगत उपाय 33

ऋण का वितरण 33
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 37
नये 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता 43
अनिवासी खाते 43
क्षेत्रवार और राज्यवार ऋण-जमा अनुपात 44
ग्रामीण और अर्द्धशहरी केन्द्रों में ऋण-जमा अनुपात 45
वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदत्त मीयादी ऋण 62
प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली 64
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 64

विशेष ऋण योजनाएं/सुविधाएं 69
विभेदक ब्याज दर योजना 69
ऋण प्राधिकरण योजना 70
रुग्ण औद्योगिक उपक्रम 74
जूट उद्योग को ऋण 75
चाय उद्योग को अग्रिम 76
आवास वित्त 77
बंबई में रुग्ण कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता 77
गुजरात में रुग्ण और बंद कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता 78

CONTENTS

1. INTRODUCTION 1

2. COMMERCIAL BANKING

Overall review 9
Trends in deposits and credit 10
Trends in investments and cash balances 15
RBI accommodation to banks 16
Credit policy 18
Credit budgets 26
Selective credit control 27
Other Policy Measures 33

Deployment of Credit 33
Priority sector advances 37
Financial assistance for implementation of the New 20-Point Programme 43
Non-resident accounts 43
Region-wise and State-wise credit deposit ratios 44
Credit-deposit ratios in rural & semi-urban centres 45
Term lending by commercial banks 62
Recovery of direct agricultural advances 64
Regional rural banks 64

Special Credit Schemes/facilities 69
Differential Rate of Interest Scheme 69
Credit Authorisation Scheme 70
Sick industrial undertakings 74
Credit to jute industry 75
Advances to tea industry 76
Housing finance 77
Financial assistance to sick textile mills in Bombay 77
Financial assistance to sick and closed textile mills in Gujarat 78

गुजरात में बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता 78
प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त उधारकर्ताओं को स्वर्ण आभूषणों और गहनों की जमानत पर अग्रिम 79
राष्ट्रीय बायो-गैस कार्यक्रम के लिए बैंक वित्त 79
पुस्तक प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं को ऋण सुविधाएं 80
"सामाजिक उद्देश्य योजना" के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटितियों को वित्तीय सहायता 81
जिला औद्योगिक केन्द्र 81
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 82
अग्रणी बैंक योजना 83
शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना 86
ग्राम अंगीकरण योजना 87
विभेदक ब्याज दर योजना की समीक्षा के लिए कार्यदल 87
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण सुविधाएं 87
अनु. जाति/अनु. जनजाति विकास निगम 89
सड़क परिवहन परिचालकों को अग्रिम 89
तार-अंतरण भुनाई सुविधा 90
निर्यात वित्त 90
शाखा विस्तार 93
1982-85 के लिए शाखा विस्तार नीति 93
भारतीय बैंकों का विदेशों में विस्तार 99
भारत में विदेशी बैंक 100
भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली 102
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यकारी परिणाम 102
आंतरिक मामले
धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण और रक्षोपाय 103
चेक समाशोधन 108

Bank assistance to the flood affected people in Gujarat 78
Advances against gold ornaments and jewellery to borrowers affected by natural calamities 79
Bank finance for national bio-gas Programme 79
Credit facilities to book publishers and book traders 80
Financial assistance to the allottees of Dealership/Distributionship by the public sector oil companies under "Social Objective Scheme" 81
District Industries Centres 81
Integrated Rural Development Programme 82
Lead Bank Scheme 83
Scheme for providing employment to the educated unemployed youth 86
Village Adoption Scheme 87
Task Force to Review DRI Scheme 87
Credit facilities to Scheduled Castes /Scheduled Tribes 87
SC/ST Development Corporations 89
Advances to road transport operators 89
T.T. discounting facility 90
Export Finance 90
Branch Expansion 93
Branch expansion policy for 1982-85 93
Overseas expansion of Indian banks 99
Overseas banks in India 100
Revised reporting system of overseas branches of Indian banks 102
Working results of scheduled commercial banks 102
Internal Matters
Internal control and safeguards for prevention of frauds and malpractices 103
Clearance of cheques 108

समाशोधन गृह समायोजन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण 109

समितियां, कार्यकारी दल, सेमिनार आदि 110

वाणिज्य बैंकों में मूल्य निर्धारण 110

बैंकों के प्रकाशित लेखों के फार्मेट, ऐसे लेखों के अधिक/पूर्णरूप से सामने रखे जाने आदि पर विचार करने से संबंधित समिति 110

स्थायी समन्वयन समिति 111

बैंकिंग विधि समिति की रिपोर्ट 111

पक्राम्य लिखत विधि पर रिपोर्ट 111

व्यक्तिगत संपति जमानत विधि पर रिपोर्ट 112

वास्तविक संपति जमानत विधि पर रिपोर्ट 112

दिशानिर्देश पर समिति 113

रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों के पुनर्वास के संबंध में समिति 113

निर्यात वित्त पर स्थायी समिति 114

निर्यात परामर्शदात्री समिति 114

तम्बाकू निर्यातों के संबंध में समिति 115

निर्यात ऋण के संबंध में सेमिनार 115

चयनित उद्योगों के लिए संस्थागत वित्त के समन्वयन के लिए स्थायी समिति 115

बैंककारी विधान और अन्य विनियम 118

बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 118

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल का गठन 119

विदेशी बैंकों के स्थानीय सलाहकार बोर्ड 120

बैंकों के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति 120

अन्य मामले

ऋण सूचना योजना 121

बैंकों का निरीक्षण 121

वाणिज्य बैंकों का लाइसेंस प्रदान करना 123

चंदे, विज्ञापन आदि 124

बैंक विलयन, परिसमापन और समामेलन 125

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना 127

Computerisation of Clearing House Settlement Operations 109

Committees, Working Groups, Seminars, etc. 110

Costing in Commercial Banks 110

Committee to consider format of published accounts of banks, greater/full disclosure in such accounts, etc. 110

Standing Co-ordination Committee 111

Banking Laws Committee's Reports 111

Report on Negotiable Instruments Law 111

Report on Personal Property Security Law 112

Report on Real Property Security Law 112

Committee of direction 113

Committee on rehabilitation of sick industrial undertakings 113

Standing Committee on Export Finance 114

Export Advisory Committee 114

Committee on Tobacco Exports 115

Seminars on Export Credit 115

Standing Committee for Co-ordination of Institutional Finance for selected industries 115

Banking Legislation and Other Regulations 118

Banking Laws (Amendment) Act, 1983 118

Composition of the Boards of Directors of Nationalised Banks 119

Local Advisory Boards of foreign banks 120

Appointment of auditors of banks 120

Other Matters

Credit Information Scheme 121

Inspection of banks 121

Licensing of commercial banks 123

Donations, advertisements, etc. 124

Bank mergers, liquidation and amalgamation 125

Promotion of use of Hindi in public sector banks 127

3. **सहकारी बैंक व्यवस्था**
विहगावलोकन 144
सहकारी ऋण संस्थाओं की प्रगति 145
ऋण नीति 149
अन्य नीतिगत उपाय 151
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को अग्रिम 151
उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए अग्रिम 151
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा अग्रिम 152
निधियों के स्रोत और उनका उपयोग 152
नाबार्ड के संसाधन 152
कृषि के लिए नाबार्ड की सहायता 159
अल्पावधि ऋण 159
मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त 159
उर्वरकों के वितरण के लिए ऋण सीमाएं 159
हथकरघा बुनकर समितियों को ऋण सीमायें 159
मध्यकालिक ऋण 159
ऋण सीमाएं 159
परिवर्तन ऋण 164
दीर्घकालिक ऋण 164
महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन 165
अल्पकालिक ऋण 165
नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कमजोर वर्गों का वित्त पोषण 165
प्राथमिक कृषि ऋण समिति के नये और चूक न करनेवाले सदस्यों का वित्तपोषण 165
कमान क्षेत्रों में चूककर्ताओं का वित्तपोषण 165
मध्यकालिक ऋण 166
दीर्घकालिक ऋण 167
भूमि विकास बैंकों में अतिदेय 167
भूमि विकास बैंकों द्वारा अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना 168
निवेशपूर्व लागत को ऋणघटक के रूप में शामिल करना 168
भूमि विकास बैंकों के ऋण कार्यक्रम और संसाधन 168
ग्रामीण डिबेंचर जारी करना 170

3. CO-OPERATIVE BANKING
Overview 144
Progress of credit co-operatives 145
Credit policy 149
Other Policy Measures 151
Advances to IRDP beneficiaries 151
Advances for purchase of consumer durables 151
Advances by Primary Agricultural Credit Societies 152
Sources and Uses of Funds 152
Resources of NABARD 152
NABARD's Assistance for Agriculture 159
Short-term Credit 159
Financing of seasonal agricultural operations 159
Credit limits for distribution of fertilisers 159
Credit limits to handloom weavers' societies 159
Medium-term Credit 159
Credit limits 159
Coversion loans 164
Long-term Credit 164
Important Policy Changes 165
Short-term Credit 165
Financing of weaker sections under the New 20-Point Programme 165
Financing of new and non-defaulting members of PACS 165
Financing of defaulters in Command Areas 165
Medium-term Credit 166
Long-term Credit 167
Overdues in LDBs 167
Writing off bad debts by LDBs 168
Inclusion of pre-investment cost as a loan component 168
Lending programme and resources of LDBs 168
Floatation of rural debentures 170

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वित्त सहायता 170
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वितरण 174
पुनर्वित्त सुविधाएं-नीतिगत परिवर्तन 175
औद्योगिक सहकारी संस्थायें-नीतिगत परिवर्तन 178
अन्य औद्योगिक सहकारी संस्थाएं 180
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक 183
ऋण प्राधिकरण योजना 187

सहकारी विन्यास को मजबूत करना और उसका भावी विकास 189
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पुनर्गठन 189
पुनर्गठित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का भावी विकास 189
मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों का पुनर्वास 190
राज्य भूमि विकास बैंकों/प्राथमिक भूमि विकास बैंकों का पुनर्वास 191
नाबार्ड की अनुसंधान और विकास निधि 191

अन्य गतिविधियां 192

सहकारी चीनी मिलों को कार्यकारी पूंजीगत सीमायें 193
सहकारी बैंकों को लाइसेंस देना 193
बैंकों का निरीक्षण 194
फसल बीमा 195

अध्ययन दल समितियां 196
शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी परामर्शदात्री समिति 196
राज्य हथकरघा विकास निगमों की समस्याओं के अध्ययन के लिए कार्यकारी दल 196
सहकारी संस्थाओं के जरिए मीयादी ऋण के संबंध में स्थायी समिति 197
कृषि ऋणों के लिए सहकारी बैंक संसाधनों के संबंध में अध्ययन दल 197

Refinance assistance under schematic lending 170
Disbursements under IRD Programme 174
Refinance Facilities – Policy Changes 175
Industrial Co-operatives – Policy Changes 178
Other Industrial Co-operatives 180
Primary (Urban) Co-operative Banks 183
Credit Authorisation Scheme 187

Strengthening and Future Development of Co-operative Structure 189
Re-organisation of PACS 189
Future Development of Re-organised PACS 189
Rehabilitation of CCBs/SCBs 190
Rehabilitation programme of SLDBs 191
R and D Fund of NABARD 191

Other Developments 192
Working capital limits to co-operative sugar factories 193
Licensing of co-operative banks 193
Inspection of banks 194
Crop insurance 195

Study Teams/Committees 196
Standing Advisory Committee for Urban Co-operative Banks 196
Working Group to Study the Problems of State Handloom Development Corporations 196
Standing Committee on Term Lending through Co-operatives (COTELCOOP) 197
Study Group on Co-operative Bank Resources for Agricultural Lending 197

राज्य भूमि विकास बैंकों का संगठन और प्रबंध अध्ययन	198
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में कार्यकारी दल	199
स्थिरीकरण निधि व्यवस्था के संबंध में अध्ययन	199
4. **अन्य वित्तीय संस्थाएं**	
वित्तीय संस्थाओं को रिज़र्व बैंक की सहायता	200
मीयादी ऋण संस्थाओं के कार्य	204
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	208
राज्य वित्तीय निगम	212
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	213
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	216
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	224

Organisation and Management Studies of SLDBS	198
Working Group on IRDP	199
Study Group on Stabilization Fund arrangements	199
4. OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS	
RBI assistance to financial institutions	200
Operations of term lending institutions	204
Industrial Development Bank of India	208
State Financial Corporations	212
Unit Trust of India	213
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation	216
Export-Import Bank of India	224

सारणियों की अनुक्रमणिका

सारणी संख्या		पृष्ठ सं.
	अध्याय 2	
2.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े	11
2.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिज़र्व बैंक की सहायता	19
2.3	सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण	34
2.4	सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण	38
2.5	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम	40
2.6	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों के अंतर्गत शेष	43
2.7	ऋण स्वीकृति तथा उपयोग के अनुसार ऋण-जमा अनुपात	46
2.8	जनसंख्या समूह के अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात	50
2.9	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का आवृत्तिवार वितरण	52
2.10	ग्रामीण केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण	54-56
2.11	अर्ध शहरी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण	58-60
2.12	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मीयादी ऋण	62
2.13	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्यवार कार्यालय	65
2.14	जून 1969, 1983 और मार्च 1984 के अंत में बैंक कार्यालयों का राज्यवार वितरण	94
2.15	1982-83 और जुलाई 83 से मार्च 1984 तक के दौरान खोले गये कार्यालयों का बैंक समूहवार वितरण	96
2.16	वाणिज्य बैंक कार्यालयों का जनसंख्या समूहवार वितरण	100
2.17	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यकारी परिणाम	104-106
परिशिष्ट		
	21 अक्तूबर, 1983 से लागू ब्याज-दर ढांचा	130
	रिज़र्व बैंक की प्रेषण-सुविधा-योजना के अंतर्गत तार अंतरण, बैंक ड्राफ्ट और डाक अंतरण की दरें	138
	अध्याय 3	
3.1	भारत में सहकारी ऋण आंदोलन की प्रगति	146
3.2	सहकारी ढांचे (अल्पावधि कृषि ऋण) के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें	154
3.3	सहकारी ढांचे (मध्यावधि कृषि ऋण) के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें	156
3.4	सहकारी संस्थाओं और सरकारों को नाबार्ड ऋण, 1982-83 और 1983-84	160-162
3.5	भूमि विकास बैंकों के संसाधन	169

INDEX TO TABLES

Table No.		Page No.
	Chapter 2	
2.1	Scheduled Commercial Banks' Data	12
2.2	R.B.I. Accommodation to Scheduled Commercial Banks	20
2.3	Sectoral Deployment of Gross Bank Credit	35
2.4	Industry-wise Deployment of Gross Bank Credit	39
2.5	Scheduled Commercial Banks' Advances to Priority Sectors	41
2.6	Balances under Non-Resident (External) Rupee Accounts and Foreign Currency (Non-Resident) Accounts	43
2.7	Credit-Deposit Ratios according to Sanction and Utilisation of Credit	47
2.8	State-wise Credit-Deposit Ratios of Offices of Public and Private Sector Scheduled Commercial Banks according to Population Group	51
2.9	Frequency Distribution of Districts based on Credit-Deposit Ratios of Scheduled Commercial Banks	53
2.10	State-wise Frequency Distribution of Districts based on Credit-Deposit Ratios of Offices of Scheduled Commercial Banks in Rural Centres	55-57
2.11	State-wise Frequency Distribution of Districts based on Credit-Deposit Ratios of Offices of Scheduled Commercial Banks in Semi-Urban Centres	59-61
2.12	Scheduled Commercial Banks' Term Loans	63
2.13	State-wise Offices of Regional Rural Banks	65
2.14	State-wise Distribution of Bank Offices as at the end of June 1969, 1983 and March 1984	95
2.15	Bank, Group-wise Distribution of Offices opened during 1982-83 and July 1983 upto March 1984	97
2.16	Population Group-wise Distribution of Commercial Bank Offices	101
2.17	Working Results of Scheduled Commercial Banks	105-107
Appendix		
I	Interest Rates Structure effective from October 21, 1983	131
II	Rates for Telegraphic Transfers, Bank Drafts and Mail Transfers under the Reserve Bank's Remittance Facilities Scheme	139
	Chapter 3	
3.1	Progress of Co-operative Credit Movement in India	147
3.2	Rates of Interest charged at various levels of the Co-operative Structure (Short-term Agricultural Loans)	155
3.3	Rates of Interest charged at various levels of the Co-operative Structure (Medium-term Agricultural Loans)	157
3.4	NABARD Credit to Co-operatives and Governments, 1982-83 — 1983-84	161-163
3.5	Resources of Land Development Banks	169

सारणियों की अनुक्रमणिका

सारणी संख्या		पृष्ठ सं.
3.6	1982-83 और 1983-84 के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रयोजनवार स्वीकृतियां और वितरण	170
3.7	नाबार्ड द्वारा एजेंसीवार स्वीकृति और वितरण - 1982-83 और 1984-84	172
3.8	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रवार वितरण	174
3.9	नाबार्ड द्वारा कम विकसित और/या बैंक रहित राज्यों में वितरण	176
	अध्याय 4	
4.1	वित्तीय संस्थाओं को भा. रि. बैं. द्वारा स्वीकृत सहायता-(जुलाई-जून) 1982-83 और 1983-84	202
4.2	1982-83 और 1983-84 (अप्रैल-मार्च) के दौरान-मीयादी ऋण संस्थाओं द्वारा सहायता	206
4.3	भा. औ. वि. बैं. द्वारा 1982-83 और 1983-84 (अप्रैल-मार्च) के दौरान और अपनी शुरूवात से स्वीकृत और सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उपयोग में लायी गयी वित्तीय सहायता	210
4.4	राज्य वित्तीय निगमों के परिचालन	213
4.5	भा. यूनिट ट्रस्ट की योजनावार बिक्रियां और पुनर्खरीद	214
4.6	नि. बि. प्र. गा. नि. के गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्रवार ब्यौरे	218
4.7	निर्यात-आयात बैंक के कार्य	225

टिप्पणी : सभी सारणियों में, जहां आवश्यक है आंकड़े उचित रूप से पूर्णांकित कर दिये गये हैं। इस पूर्णांकन के कारण कुछ मामलों में, घटक मदों और अनुरूपी जोड़ की राशि में मामूली भिन्नता दिखाई देगी। सारणि से इतर सामग्री में आंकड़े पूर्णांक में दिये गये हैं। लेकिन, तुलनात्मक प्रतिशत मूल आंकड़ों (अर्थात् पूर्णांकन से पहले) पर आधारित हैं।

Table No.		Page No.
3.6	Purpose-wise Sanctions/Disbursements by NABARD during 1982-83 and 1983-84	171
3.7	Agency-wise sanctions by NABARD during 1982-83 & 1983-84	173
3.8	Region-wise Disbursements by NABARD	175
3.9	Disbursements by NABARD to less developed and/or under-banked States	177
	Chapter 4	
4.1	Assistance sanctioned by R.B.I. to Financial Institutions (July-June) 1982-83 & 1983-84	203
4.2	Assistance by Term-lending Institutions during 1982-83 & 1983-84 (April-March)	207
4.3	Assistance sanctioned by the IDBI and utilised by the assisted concerns during 1982-83 & 1983-84 (April-March) and since inception	211
4.4	Operations of State Financial Corporations	213
4.5	Scheme-wise Sales and Repurchases by UTI	215
4.6	Sector-wise details of DICGC's Guaranteed Advances	219
4.7	Operations of EXIM Bank	226

Note: *In all the tables, wherever necessary, each figure has been suitably rounded off. Owing to this rounding off, an apparent slight discrepancy may be noted in some cases* between the sum of the constituent items and the corresponding total. Rounded figures are given in the running matter. The relative percentages are, however, based on the original figures (i.e., before rounding off).

ABBREVIATIONS

ARDC	—Agricultural Refinance and Development Corporation
AAP	—Annual Action Plan
BR Act	—Banking Regulation Act
CAS	—Credit Authorisation Scheme
CAD	—Command Area Development
CCB	—Central co-operative bank
C/D Ratios	—Credit-Deposit Ratios
COD	—Committee of Direction
CRAFICARD	—Committee to Review the Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development
CRR	—Cash Reserve Ratio
CRTS	—Charitable and religious trusts and registered societies
COTELCOOP	—The Committee on Term loan through Co-operatives
DCP	—District credit plan
DIC	—District Industries Centre
DICGC	—Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DLRMs	—District Level Review Meetings
DRI scheme	—Differential Rate of Interest Scheme
ECGC	—Export Credit and Guarantee Corporation
EOUs	—Export-Oriented Units
Exim Bank	—Export-Import Bank of India
FCI	—Food Corporation of India
FCNR Scheme	—Foreign Currency (Non-Resident) Accounts scheme
FEDAI	—Foreign Exchange Dealers' Association of India
FSS	—Farmers' service societies
GIC	—General Insurance Corporation
HUDCO	—Housing and Urban Development Corporation
IBRD	—International Bank for Reconstruction and Development
IBA	—Indian Banks Association
ICICI	—Industrial Credit and Investment Corporation of India
IDA	—International Development Association
IDBI	—Industrial Development Bank of India
IFCI	—Industrial Finance Corporation of India
IRDP	—Integrated Rural Development Programme
IRCI	—Industrial Reconstruction Corporation of India
ISB component	—Industries, services and business component
JCI	—Jute Corporation of India
KVIC	—Khadi and Village Industries Commission

LAMPS	—Large-size adivasi multipurpose society/societies
LC	—Letter of Credit
LDB	—Land development bank
LDOs	—Lead District Officers
LIC	—Life Insurance Corporation
NABARD	—National Bank for Agriculture and Rural Development
NIBM	—National Institute of Bank Management
NRE scheme	—Non-Resident (External) Rupee Accounts scheme
NRC (LTO)	—National Rural Credit (Long-term Operations) Fund
PACS	—Primary agricultural credit societies
NPBD	—National Project for Bio-Gas Development
PCB	—Primary (urban) co-operative banks
PEP Committee	—Working Group on Banking Costs, Operational Efficiency and Profitability of Banks
PLDB	—Primary land development bank
R and D Fund	—Research and Development Fund
RBI	—Reserve Bank of India
RRB	—Regional Rural Bank
SBI	—State Bank of India
SC/ST	—Scheduled castes/scheduled tribes
SCB	—State co-operative bank
SEB	—State Electricity Board
SFC	—State Financial Corporation
SLDB	—State land development bank
SRTC	—State Road Transport Corporation
SLR	—Statutory Liquidity Ratio
SLRMs	—State Level Review Meetings
SSI	—Small-scale industries
TT	—Telegraphic transfer
UTI	—Unit Trust of India

अध्याय 1

प्रस्तावना

वर्ष 1983-84 (जुलाई-जून) में वास्तविक राष्ट्रीय आय में असामान्य वृद्धि के बावजूद मुद्रास्फीतिकारी दबाव बने रहे। बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को इन दबावों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। वर्ष 1983-84 में बैंकिंग क्षेत्र की जमाराशियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वह पूरे वर्ष सामान्य की तुलना में अधिक बनी रही। इसी के साथ अधिक चलनिधि का निर्माण और वर्ष के दौरान ऋण नीति में परिवर्तन इन गतिविधियों के कारण ही हुए।

1.2 राजकोषीय वर्ष 1983-84 (अप्रैल-मार्च) के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आय में अनुमानतः 8.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 1.7 प्रतिशत थी। वास्तविक राष्ट्रीय आय में यह तीव्र वृद्धि विशेष रूप से कृषि उत्पादन में हुई रिकार्ड वृद्धि के कारण है। औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है, किंतु उसमें 5.4 प्रतिशत की साधारण वृद्धि हुई जो लक्ष्यगत वृद्धि से कम है। लेकिन मूल्य स्थिति वर्ष के अधिकांश दिनों में चिंताजनक बनी रही। मूल्य वृद्धि वर्ष 1982-83 में हुई 6.4 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर 9.3 प्रतिशत और हुई। उत्पादन में वृद्धि से मूल्यों में जो कमी की आशा की गयी थी, वह नहीं हुई। इस वजह से वर्ष के प्रारंभ में जमाराशियों में जो अधिक वृद्धि हुई, उससे बैंकिंग तंत्र की चलनिधि को नियमित करना आवश्यक हो गया, ताकि उसे अर्थतंत्र के उत्पादक क्षेत्र की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। तदनुसार, 1983-84 में ऋण नीति के संबंध में अपनाये गये उपायों का उद्देश्य अर्थतंत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन में रुकावट पैदा किये बिना, अर्थतंत्र में पहले से ही विद्यमान प्रारक्षित धन संचलन के माध्यम से ऋण को नियमित करना था। ऋण नीति के अन्य उद्देश्य थे नये 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए सोद्देश्य व्यवस्था और ऋण लेने वालों के चुने हुए वर्गों को ऋणों की ब्याज दरों को कम करके, ऋण नीति के

CHAPTER I

INTRODUCTION

Developments in the banking sector during 1983-84 (July-June) have to be viewed against the broader background of inflationary pressures which persisted notwithstanding an unusually high rise in the real national income. The banking scene in 1983-84 was marked by a relatively high deposit growth—which was spread more evenly over the year than is usual—and a build up of liquidity; and changes in credit policy during the year were largely a response to these developments.

1.2 During the fiscal year 1983-84 (April-March), real national income is estimated to have increased significantly by about 8.5 per cent as against a rise of only 1.7 per cent in the previous year. The sharp escalation in the growth in real national income was brought about mainly by the record increase in agricultural output. Industrial growth also picked up, but moderately by 5.4 per cent, which was lower than the targeted growth. The price situation, however, continued to cause concern through the major part of the year; prices recorded a rise of 9.3 per cent on top of the rise of 6.4 per cent in 1982-83. Against the background of the absence of the expected price response to the increase in output, a relatively strong deposit growth which set in in the early part of the year warranted regulation of the liquidity of the banking system in tune with the flow of genuine credit requirements of the productive sectors of the economy. Accordingly, the credit policy measures adopted during 1983-84 aimed at regulation of credit through immobilisation of some of the reserve money already existing in the economy without hindering production in the vital sectors of the economy. The other objectives of credit policy were provision of a more purposeful thrust to the implementation of the New 20-Point Programme and

पुनर्वितरण संबंधी प्रभाव को सुदृढ़ करना था। शाखाओं को लाइसेंस देने के लिए देश के उन केन्द्रों को बैंक सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिये जाने की नीति बनी रही जिन केन्द्रों पर बैंक सुविधाएं नहीं हैं।

strengthening the redistributive impact of credit policy by lowering interest rates on loans to selected categories of smaller borrowers. The branch-licensing policy continued to place emphasis on providing banking facilities in the hitherto unbanked centres of the country.

1.3 1983-84 (जुलाई-जून) में जमाराशियों में और अधिक वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों में, 1982-83 में 7,911 करोड़ रुपये अथवा 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस वर्ष उसमें, 9,813 करोड़ रुपये अथवा 18.2 प्रतिशत की और वृद्धि हुई। आलोच्य वर्ष के दौरान जमाराशियों में वृद्धि की एक विशेषता यह भी थी कि वह पूरी अवधि में बनी रही। 1983-84 की चारों तिमाहियों में जमाराशियों में वृद्धि हुई। आम तौर पर यह देखा जाता है कि जनवरी-मार्च की तिमाही में काफी गिरावट आ जाती है और उससे पहले की ही तिमाही में काफी वृद्धि होती है। जहां तक बैंक ऋण का संबंध हैं, 1983-84 में वृद्धि, 7,052 करोड़ रुपये थी, जो संपूर्ण अर्थ में 1982-83 की 5,826 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक थी। उसका मुख्य कारण 1983-84 में खाद्य ऋण में 1,644 करोड़ रुपये की वृद्धि था, जबकि पिछले वर्ष में यह वृद्धि 764 करोड़ रुपये ही थी। 1983-84 में खाद्येतर ऋण में वृद्धि 1982-83 में हुई 5,062 करोड़ रुपये की तुलना में कुछ अधिक अर्थात 5,408 करोड़ रुपये ही थी। इस प्रकार 1983-84 में कुल बैंक ऋण में वृद्धि दर 1982-83 की 19.3 प्रतिशत की तुलना में 19.6 प्रतिशत रही।

1.3 During 1983-84 (July-June), deposit growth gathered further momentum; the aggregate deposits of the scheduled commercial banks rose by Rs.9,813 crores or 18.2 per cent on top of the rise of Rs.7,911 crores or 17.2 per cent in 1982-83. A marked feature of the deposit growth during the year under review was its more even spread over the period: deposits increased in all the four quarters of 1983-84, whereas the normal pattern indicates a sizeable decline in the January-March quarter, on the heels of a big jump in the preceding quarter. As regards bank credit, the expansion during 1983-84 was larger in absolute terms at Rs.7,052 crores than that of Rs.5,826 crores during 1982-83 mainly due to the rise in food credit of Rs.1,644 crores in 1983-84 as compared to Rs.764 crores in the previous year. Growth in non-food credit in 1983-84 was also higher at Rs.5,408 crores than that of Rs.5,062 crores in 1982-83. Thus, during 1983-84, the growth rate in total bank credit worked out to 19.6 per cent as compared to 19.3 per cent recorded in 1982-83.

1.4 चूंकि प्रारक्षित धन में वृद्धि काफी अधिक थी और मूल्य स्थिति चिंता का कारण बनी हुई थी, अतः चलनिधि की वृद्धि पर नियंत्रण रखने के उपाय किये गये। अप्रैल 1983 में प्रारक्षित नकदी अनुपात 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया। यह वृद्धि दो चरणों में की गयी। 27 अगस्त 1983 से प्रारक्षित नकदी अनुपात में 1/2 प्रतिशत की और वृद्धि

1.4 As the expansion of reserve money was large and the price situation was causing concern, measures were taken to restrain the growth of liquidity. In April 1983, a one percentage point increase in the cash reserve ratio from 7 per cent to 8 per cent, in two phases, was announced. The cash reserve ratio was further raised by one half of one percentage point to 8.5 per cent with effect

की गयी और वह 8.5 प्रतिशत कर दिया गया, ताकि कम कामकाज के समय में बैंकों की बढ़ी हुई चलनिधि की प्रभावपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

from August 27, 1983 so as to ensure an effective management of excess liquidity of the banking system in the slack season.

1.5 1983-84 में अधिक कामकाज के समय में खरीफ की अच्छी फसल (खरीफ की अच्छी फसल का कारण अनुकूल मौसम था) के अवसर पर और कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि की आशा बंधने पर 1983-84 की दूसरी छमाही में औद्योगिक विकास की भी संभावनाएं बनीं। इन उत्साहवर्धक बातों के साथ-साथ कुछ प्रतिकूल बातें भी थीं, जैसे कि बैंकिंग तंत्र में समग्र चलनिधि में 1982-83 की तुलना में भारी वृद्धि और वर्ष भर में बनी रहनेवाली मुद्रास्फिति की उच्च दर। सितम्बर 1983 के अंत में मूल्य एक वर्ष पहले की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक थे जब कि सितंबर 1982 में सितम्बर 1981 की तुलना में मूल्य वृद्धि 2 प्रतिशत से भी कम थी। इसलिए 1983-84 के अधिक कामकाज के समय में ऋण नीति का मुख्य उद्देश्य समग्र चलनिधि की वृद्धि को कम करना और साथ ही वास्तविक उत्पादन और निवेश के लिए संपूर्ण ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना था। इन दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए खाद्य वसूली संबंधी पुनर्वित्त के लिए उच्चतम औसत ऋण सीमा, 25 नवंबर 1983 से बढ़ाकर, 3,300 करोड़ रुपये कर दी गयी। अन्य उपायों में (I) राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सड़क परिवहन निगमों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बिल पुनर्भुनाई सुविधा में वृद्धि करना और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए उसे जून 1984 तक के लिए बढ़ा देना, (II) नये 20 सूत्री कार्यक्रम के सोद्देश्य कार्यान्वियन के लिये कुछ प्रकार के ऋणों पर ब्याज कम करना और (III) छोटे सड़क परिवहन परिचालकों के मामले में रियायती ब्याज दर पर ऋण के लिए उनकी पात्रता को व्यापक बनाना शामिल थे।

1.5 On the eve of the 1983-84 busy season, bumper *kharif* crop was on the anvil, thanks to the favourable monsoon: a sharp increase in agricultural output was also expected to strengthen the industrial recovery in the second half of 1983-84. Alongside these encouraging developments, there were also certain unfavourable developments such as a higher growth in the overall liquidity of the banking system than in the corresponding period of 1982-83 and a higher rate of inflation over the year. At the end of September 1983, the prices were about 10 per cent higher than a year ago, as compared with the rise of less than 2 per cent in September 1982 over September 1981. The thrust of the 1983-84 busy season credit policy, therefore, was towards moderating the growth of overall liquidity, while ensuring that the credit demands for genuine production and investments were fully met. In pursuance of these twin objectives, the cut-off point for food procurement refinance was raised to Rs.3,300 crores effective November 25, 1983. Other measures included (i) an increase in the size of the IDBI bills rediscounting facility for SEBs and SRTCs and its extension upto end of June 1984 to stimulate investment in vital industrial sectors, (ii) a reduction of interest rates on certain types of loans with a view to providing a more purposeful thrust to the implementation of the New 20-Point Programme, and (iii) a widening of the eligibility for cerdit at a concessional rate of interest in the case of small road transport operators.

1.6 12 नवम्बर 1983 स प्रारंभ सप्ताह से 10 प्रतिशत का वृद्धिशील प्रारक्षित अनुपात निर्धारित

1.6 An incremental cash reserve ratio of 10 per cent was stipulated with effect from the

किया गया। 4 फरवरी 1984 से प्रारक्षित नकदी अनुपात में और वृद्धि करके उसे 8.5 से 9 प्रतिशत कर दिया गया।

1.7 1984 के कम कामकाज के समय के प्रारंभ होने पर यह स्पष्ट था कि 1983-84 (अप्रैल-मार्च) में चलनिधि में समग्र वृद्धि बहुत अधिक थी और प्रारक्षित धन में वृद्धि भी अधिक बनी रही। 1983-84 (अप्रैल मार्च) में मूल्य वृद्धि भी चिन्ताजनक थी। इसलिए 1984-85 में ऋण नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य समग्र चलनिधि में वृद्धि की गति और प्रारक्षित धन निर्माण को कम करना था। इसी के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना था कि उच्च प्राथमिकताप्राप्त उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश 1984-85 में सहज रूप से होते रहें (क्योंकि यह वर्ष छठी योजना का अंतिम वर्ष था) और प्रत्याशित औद्योगिक विस्तार के लिए कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकतायें और महत्वपूर्ण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की ऋण आवश्यकतायें भी ठीक से पूरी होती रहें। 30 अप्रैल 1984 को घोषित 1984-85 के लिए ऋण नीति में सांविधिक चलनिधि अनुपात में 1 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गयी, जो दो चरणों में थी- 28 जुलाई से 35.5 प्रतिशत और पहली सितम्बर 1984 से 36 प्रतिशत। चूंकि बैंकों के सामने वर्ष बीतने के साथ-साथ साधनों की अड़चन आ सकती थी और बैंकों को 1984-85 के व्यस्त मौसम की शुरूआत से पहले साधनों के प्रत्यायोजन की योजना भी बनानी थी, अतः यह तय किया गया कि जो नकदी शेष अवरुद्ध * रखा था, उसे 2 बराबर किस्तों में अर्थात 29 सितम्बर और 27 अक्तूबर 1984† को जारी कर दिया जाये।

* भा. रि. बैं. अधिनियम की धारा 42 (1क) के अन्तर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 14 जनवरी 1977 और 31 अक्तूबर 1980 के बीच बननेवाली अपनी वृद्धिशील मांग और मीयादी देयताओं का 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रारक्षित नकदी के रूप में रखना पड़ा था।

† अवरुद्ध नकदी शेष का जारी करना एक महीने के लिए स्थगित करके ये तारीखें 27 अक्तूबर 1984 और पहली दिसम्बर 1984 कर दी गयीं।

week beginning November 12, 1983. The cash reserve ratio was further raised with effect from February 4, 1984 from 8.5 per cent to 9 per cent.

1.7 At the commencement of the 1984 slack season, it was clear that the overall growth of liquidity during 1983-84 (April-March) was uncomfortably high and the increase in reserve money continued to be large. The rise in prices during 1983-84 (April-March) too was disturbing. An important objective of credit policy for 1984-85 had, therefore, to be to bring about a deceleration in the expansion of overall liquidity and in the reserve money creation. At the same time, it was necessary to ensure that public sector investment in high priority industry proceeded smoothly during 1984-85 (the last year of the Sixth Plan), and working capital requirements of the anticipated industrial expansion were provided for adequately, besides meeting the credit needs of the vital priority sector. The credit policy for 1984-85 announced on April 30, 1984, therefore, stipulated one percentage point higher statutory liquidity ratio in two phases i.e., 35.5 per cent with effect from July 28 and 36 per cent from September 1, 1984. Since the banks might face a resource constraint as the year progresses and to facilitate the planning of the banks' resources allocation in a smooth manner before the onset of 1984-85 busy season, it was decided to release one-fifth of the already impounded* cash balances in two equal instalments i.e., on September 29† and October 27, 1984†.

* Under Section 42 (1A) of the RBI Act, scheduled commercial banks were required to maintain additional cash reserve of 10 per cent of their incremental demand and time liabilities accruing between January 14, 1977 and October 31, 1980.

† The release of impounded cash balance was postponed by one month to October 27, 1984 and December 1, 1984.

1.8 मार्च 1984 के अंत में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को निवल बैंक ऋण का 38.0 प्रतिशत दिया गया जबकि एक वर्ष पहले यह 36.8 प्रतिशत था। जून-जुलाई 1983 में अलग-अलग प्रमुख बैंकों के साथ ऋण बजट चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि मार्च 1985 तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के लिए 40 प्रतिशत का समग्र लक्ष्य प्राप्त करने के साथ-ही-साथ कृषि (मार्च 1985 तक कुल ऋण का 15 प्रतिशत तथा मार्च 1987 तक 16 प्रतिशत प्राप्त किया जाना है) के लिए प्रत्यक्ष वित्त के संबंध में उप-लक्ष्यों की प्राप्ति और समाज के कमजोर वर्गों को अग्रिम (मार्च 1984 तक कुल ऋण का 10 प्रतिशत प्राप्त किया जाना है) दिये जाने के विषय में बैंकों को प्रयास करने की जरूरत है।

1.8 At the end of March 1984, priority sector advances constituted 38.0 per cent of net bank credit as against 36.8 per cent a year before. During the credit budget discussions with the individual major banks in June-July 1983, it was emphasized that the banks needed to strive to achieve the overall target of 40 per cent in respect of priority sectors by March 1985, as well as the sub-targets relating to direct finance to agriculture (15 per cent of total credit to be achieved by March 1985 and 16 per cent by March 1987), and advances to the weaker sections of the society (10 per cent of total credit to be attained by March 1985).

1.9 आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों एवं जनसंख्या समूहों के बीच ऋण-जमा अनुपातों में विद्यमान असमानताओं को कम करने के प्रयास जारी रहे। संपूर्ण बैंकिंग तंत्र के लिए अखिल भारतीय ऋण-जमा अनुपात जून 1983 के अंत तक 68.1 प्रतिशत था, यह अनुपात एक राज्य से दूसरे राज्य, और ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी कार्यालयों एवं शहरी/महानगरी कार्यालयों में अलग-अलग था। संपूर्ण बैंकिंग तंत्र के लिए ग्रामीण शाखाओं का ऋण-जमा अनुपात 30 जून 1983 को 59.9 प्रतिशत था, अर्थात 60 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से केवल मामूली-सा कम था। इसके विपरीत, अर्ध-शहरी शाखाओं का अनुपात केवल 50.8 प्रतिशत था– 60 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत कम। राज्यवार ऋण-जमा अनुपात ग्रामीण शाखाओं के विषय में 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक था। 10 राज्यों की ग्रामीण शाखाओं तथा 11 राज्यों के अर्धशहरी कार्यालयों में यह अनुपात 40 प्रतिशत से कम था।

1.9 During the year, efforts were continued to reduce disparities in the credit-deposit (CD) ratios as between different States and population groups. The All-India CD ratio for the banking system as a whole was 68.1 per cent at the end of June 1983; the ratio varied from State to State, and in respect of rural, and semi-urban offices, and urban/metropolitan offices. For the banking system as a whole, the credit-deposit ratio for rural branches was 59.9 per cent as on June 30, 1983 i.e., only fractionally lower than the stipulated target of 60 per cent. In contrast, the ratio for semi-urban branches was only 50.8 per cent – much short of the 60 per cent target. State-wise, the credit-deposit ratio was 60 per cent or more in 14 States/Union Territories in respect of rural branches. The ratio was below 40 per cent in rural branches of 10 States and semi-urban offices of 11 States.

1.10 रिज़र्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति का

1.10 The branch licensing policy of the

लक्ष्य भी निरंतर यही रहा कि ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधाओं में सुधार किया जाय तथा ऐसी सुविधाओं के विस्तार में अंतर-क्षेत्रीय असमानता कम की जाय। 1983-84 के दौरान सभी राज्यों और 6 संघशासित क्षेत्रों के संबंध में राज्य सरकारों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए शाखा विस्तार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। 1983-84 में 2,129 कार्यालय बैंक-सुविधारहित केन्द्रों पर खोले गये, जो वर्ष के दौरान खोली गयी नयी शाखाओं के 85.0 प्रतिशत थे। 19 जुलाई 1969 से मार्च 1984 के अंत तक खोले गये 36,261 कार्यालयों में से 22,766 या 62.8 प्रतिशत कार्यालय बैंक-सुविधारहित केन्द्रों पर खोले गये। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक कार्यालयों का अनुपात जून 1983 के अंत में 53.9 प्रतिशत था, जो बढ़कर मार्च 1984 के अंत तक 55.6 प्रतिशत हो गया। स्मरणीय है कि जून 1969 में यह प्रतिशत केवल 22.1 था।

Reserve Bank also continued to aim at improving banking facilities in rural and semi-urban areas and reducing inter-regional disparities in the spread of such facilities. During 1983-84, branch expansion programmes in respect of all States and 6 Union Territories were finalised in the light of the State Governments' recommendations. Unbanked centres covered during 1983-84 accounted for 2,129 offices or 85.0 per cent of the new branches opened during the year. Out of the 36,261 offices opened since July 19, 1969 upto end-March 1984, 22,766 offices or 62.8 per cent were at unbanked centres. The proportion of bank offices in rural areas, which was 53.9 per cent as at end-June 1983, increased to 55.6 per cent as at end-March 1984. It may be recalled that in June 1969, this percentage was only 22.1.

1.11 वर्ष के दौरान बैंकों से कहा गया कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों को अपने ऋण और बढ़ा दें और वे इस प्रयोजन के लिए उन राज्य स्तरीय निगमों का अधिक से अधिक फायदा उठायें, जो इस प्रकार के हिताधिकारियों के कल्याण के लिए स्थापित किये गये हैं।

1.11 During the year, banks were asked to step up their lending to SC/ST beneficiaries further and for this purpose make greater use of the State-level Corporations set up for the welfare of such beneficiaries.

1.12 सितंबर 1983 के दौरान भारत सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार की एक योजना बनायी थी। यह योजना देश के सभी क्षेत्रों में लागू है, केवल 10 लाख से अधिक जनसंख्यावाले शहरों में लागू नहीं है और इसका लक्ष्य 15 अगस्त 1984 तक 2.5 लाख शिक्षित बेरोजगार को स्वरोजगार प्रदान करना है। योजना के लिए बैंकिंग तंत्र की समग्र प्रतिबद्धता जून 1983 के अंत की 325 करोड़ रुपये अर्थात कुल बैंक ऋण का 1 प्रतिशत है। बैंक इस लक्ष्य की तारीख से पहले ही 2.5 लाख और ऋण

1.12 During September 1983, the Government of India formulated a scheme for Self-employment of Educated Unemployed Youth. The Scheme is extended to all areas of the country, excepting cities with more than one million population, and aims at providing self-employment to 2.5 lakh educated unemployed by August 15, 1984. The overall commitment of the banking system for this Scheme is placed at Rs.325 crores, that is, 1 per cent of total bank credit as at end-June 1983. Banks have sanctioned 2.5 lakh loans under the Scheme ahead of the

स्वीकृत कर चुके हैं और कुछ बैंक तो अपने निजी लक्ष्यों से भी आगे बढ़ चुके हैं।*

1.13 जुलाई 1969 में 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों की मूलभूत संरचना में उल्लेखनीय विकास हुआ है । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को समग्र रूप में अग्रिम देने के संबंध में बैंकों के सामने जो लक्ष्य रखे गये और कृषि तथा समाज के कमजोर वर्गों को ऋण देने के उपलक्ष्य निर्धारित किये गये, हैं उन्हें पूरा करने के लिए बैंक भरसक प्रयास कर रहे हैं। वर्ष के दौरान हुई प्रगति संतोषजनक है ।

1.14 बैंकों के सामने तुरंत पूरा किया जानेवाला कार्य है प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों के लिए समग्र लक्ष्य के अंतर्गत निर्धारित उपलक्ष्य प्राप्त करना । मध्यवर्ती कार्यों के रूप में निवेश योजनाओं और सहमत सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार ऋण विनियोजन के अलावा बैंकों के सामने सबसे बड़ी आवश्यकता है अपने कार्यों की लाभप्रदता में सुधार । बैंकों पर एक ओर तो सामाजिक बैंकिंग की जिम्मेदारी है और दूसरी और उन्हें अपनी ऋणयोग्य निधियों के बारे में सांविधिक तथा अन्य दायित्व पूरे करने हैं, इससे बैंकों को लाभ अर्जित करने में निःसंदेह कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । अतः यह आवश्यक है कि बैंक अपनी परिचालन संबंधी लागत कम करके और ऋण की गुणवत्ता में सुधार करके अपनी लाभप्रदता बढ़ायें । जिन बैंकों के कार्यालय विदेशों में हैं, उन्होंने दूसरों के मुकाबले बेहतर परिणाम दिखाये हैं । विदेश में कार्य जहां निश्चित रूप से लाभप्रदता में सुधार लाते हैं, वहीं बैंकों को विदेशों में कार्य करते समय जिन भारी स्पर्धात्मक और अस्थिर स्थितियों का सामना करना पड़ता है, उनमें निहित जोखिमों से सुरक्षा का ध्यान भी बैंकों को रखना होता है । इसलिए बैंकों को अपनी

* भारत सरकार ने इस योजना को वर्ष 1984-85 के दौरान भी जारी रखने का निर्णय किया है ।

target date and in fact some banks have exceeded their individual targets.*

1.13 Since the nationalisation of 14 major banks in July 1969, there has been a spectacular growth in the banking infrastructure. Banks have been making earnest efforts to achieve the targets stipulated in respect of their overall priority sector advances and also the sub-targets for lending to agriculture and weaker sections of the society. The progress achieved during the year has been satisfactory.

1.14 An immediate task before the banks is the attainment of the sub-targets within the overall target set for priority sector advances. As for the medium-term tasks, in addition to deploying credit in tune with the investment plans and agreed social objectives, there is the paramount need for the banks to improve the profitability of their operations. The onus of social banking on the one hand, and the statutory and other pre-emptions of the loanable funds of banks on the other, undoubtedly put constraint on the capability of banks to earn profits. It is important, therefore, that the banks should step up their profitability by reducing their operating costs and improving the quality of lending. Some banks with foreign branches have been able to show better working results than others. While foreign operations do improve the profitability, the banks have to guard against the possible risks inherent in the highly competitive and volatile conditions in which they have to operate abroad. Banks should, therefore, devise appropriate measures of control and regulation of the operations of their foreign branches. Another area of concern relates to the quality of credit to indus-

* The Government has decided to continue the scheme during the financial year 1984-85.

विदेश स्थित शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण और उनके नियमन के लिए भी उचित उपाय करने चाहिए। चिंता की अन्य बात कृषि और उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण की गुणवत्ता है। रुग्ण उद्योगों को दिये गये अग्रिम बहुत अधिक हैं और बढ़ रहे हैं। कृषि को दिये गये ऋण भी बहुत कम वसूली के कारण चिंता का कारण बने हुए हैं। आवश्यक यह है कि इन क्षेत्रों में निधियां फंस कर न रह जायें, बल्कि वे पुनः ऋण देने के लिए उपलब्ध हों, ताकि ऋण सुविधाओं का कारोबार बेहतर बन सके, अधिक उत्पादन हो और बैंकों की अर्जन क्षमता भी बढ़े।

try and agriculture. Advances to sick industrial units are high and rising. The lending to agriculture is also bedevilled with poor recovery position. It is imperative that funds are not inordinately locked up in these sectors but are available to banks for recycling so that the better turnover of credit facilitates larger production growth and also improves the earning capacity of the banks.

अध्याय 2
वाणिज्य बैंक व्यवसाय
समग्र समीक्षा

वर्ष 1982-83 (जुलाई-जून) में जमाराशियों की वृद्धि में जो गति देखने में आयी वह 1983-84 के दौरान भी जारी रही, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में 1982-83 की 17.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 18.2 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। अन्य बातों के अलावा, रिकार्ड कृषि उत्पादन तथा अनिवासी जमाराशियों के प्रेषणों में भारी वृद्धि के कारण राजकोषीय वर्ष 1983-84 के लिए सुधारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण अपनाने से वर्ष के दौरान जमाराशियों की भारी मात्रा में वृद्धि होने में सहायता मिली। ऋण में गत वर्ष की तुलना में समग्र और प्रतिशत दोनों की दृष्टियों से अधिक वृद्धि हुई।

2.2 अर्थव्यवस्था में समग्र चलनिधि में हुई भारी वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में 1983-84 के दौरान किये गए ऋण नीति उपायों का मूल उद्देश्य यह था कि प्रारक्षित नकदी अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात में परिवर्तन करके बैंकिंग तंत्र की चलनिधि को नियमित और सरल बनाया जाये तथा जमाराशियों की वृद्धि और ऋण जुटाने की प्रक्रिया के बीच इस प्रकार से बेहतर तालमेल बिठाया जाये कि उत्पादन संबंधी प्रयोजनों के लिए ऋण उपलब्ध कराने में कोई विशेष कठिनाई न आये।

2.3 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम देने के लिए रखे गये लक्ष्य का जहां तक सम्बन्ध है, मार्च 1985 तक 40 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। मार्च 1984 के अंत तक की स्थिति यह थी कि कुल निवल बैंक ऋण में इन अग्रिमों (50 प्रमुख बैंकों के) का अंश 38.0 प्रतिशत था। बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिए गए अग्रिम कुल निवल बैंक ऋण का 15.7 प्रतिशत थे, जबकि मार्च 1987 तक के लिए 16 प्रतिशत का

CHAPTER 2
COMMERCIAL BANKING
Overall Review

The momentum in deposit growth in evidence in 1982-83 (July-June) continued during 1983-84 with aggregate deposits of scheduled commercial banks showing a higher increase of 18.2 per cent on top of a rise of 17.2 per cent in 1982-83. Improved economic outlook for the fiscal year 1983-84 due to record agricultural production and larger inflow of non-resident deposits, among others, assisted the sizeable deposit accretion during the year. Credit expansion was larger both in absolute and percentage terms than in the previous year.

2.2 In the context of a sizeable growth in overall liquidity in the economy, the basic aim of credit policy measures taken during 1983-84 was to regulate and smoothen liquidity in the banking system through variations in CRR and SLR and to achieve a better alignment between deposit growth and credit deployment without at the same time hindering the flow of credit for productive purposes.

2.3 With regard to the target for priority sector advances of 40 per cent to be reached by March 1985, the position at end-March 1984 showed that these advances (of 50 major banks) accounted for 38.0 per cent of total net bank credit. Their advances to agriculture constituted 15.7 per cent of total net bank credit as against the sub-target of 16 per cent stipulated for March 1987. As regards public sector banks' assistance to

उप लक्ष्य था । नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा हिताधिकारियों को दी गयी सहायता का जहां तक संबंध है, सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि दिसम्बर 1983 के अन्त तक 85.86 लाख खातों के माध्यम से 3,908 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई ।

beneficiaries under the New 20-Point Programme, available data in respect of 28 public sector banks showed that Rs.3,908 crores were advanced in 85.86 lakh accounts by end-December 1983.

जमाराशियों और ऋण की प्रवृत्तिया

कुल जमाराशियों में वृद्धि

2.4 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में हुई वृद्धि, जो 9,813 करोड़ रुपये थी, 1982-83 7,911 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक थी (सारणी 2.1) । वर्ष के दौरान परिलक्षित वृद्धि दर गत वर्ष के 17.2 प्रतिशत की तुलना में 18.2 प्रतिशत थी । वर्ष 1983-84 में जमाराशियों में हुई वृद्धि की मुख्य बात यह थी कि चारों तिमाहियों में जमाराशियों में वृद्धि हुई जिसमें जनवरी-मार्च की वह तिमाही भी शामिल है जिसमें जमाराशियों में पूर्ववर्ती तिमाही (अक्तूबर-दिसम्बर) में पर्याप्त वृद्धि के बाद भारी मात्रा में गिरावट परिलक्षित हुआ करती थी ।

2.5 जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, 1982-83 की समान तिमाहियों की तुलना में वर्ष की सभी तिमाहियों में सम्पूर्ण दृष्टिकोण से जमाराशियों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई (अक्तूबर-दिसम्बर 1983 को छोड़कर) । इस वर्ष अक्तूबर-दिसम्बर 1983 के दौरान हुई वृद्धि 4,453 करोड़ रुपये या 7.9 प्रतिशत थी जो 1982 की समान तिमाही में हुई 4,512 करोड़ रुपये अथवा 9.5 प्रतिशत की तुलना में कम थी, सम्भवतया इसका कारण बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक की इस सलाह की ओर ध्यान देना था कि अंतिम समय पर दिखावे के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति को न अपनाया जाये । जनवरी- मार्च 1984 की तिमाही में हुई वृद्धि यद्यपि 49 करोड़ रुपये ही थी, फिर भी वह उल्लेखनीय थी, क्योंकि 1982-83 की समान

Trends in Deposits and Credit

Growth in Aggregate Deposits

2.4 During 1983-84 (July-June), accretion to aggregate deposits of scheduled commercial banks, at Rs.9,813 crores, was significantly larger than that of Rs.7,911 crores in 1982-83 (Table 2.1). The growth rate during the year worked out to 18.2 per cent which was higher than 17.2 per cent recorded during the previous year. A feature of deposit expansion in 1983-84 was that there was deposit accretion in all the four quarters, including the January-March quarter when deposits used to show a sizeable decline after a big jump in the preceding quarter (October-December).

2.5 As shown below, the deposit growth, in absolute terms, was much higher in all the quarters of the year compared to the corresponding quarters of 1982-83, excepting in October-December 1983. This year, the rise during October-December 1983 at Rs.4,453 crores or 7.9 per cent, was less pronounced than that of Rs.4,512 crores or 9.5 per cent in the corresponding quarter of 1982, presumably because the banks had heeded the advice of the Reserve Bank to avoid window dressing. The rise in the quarter January-March 1984, though marginal at Rs.49 crores, was noteworthy, as it was in contrast to a sizeable decline of Rs.719 crores recorded in the corresponding quarter of 1982-83. The last quarter of the year (April-June

सारणी 2.1 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े

(करोड़ रुपए)

मद	निम्नलिखित तारीखों को बकाया			निम्नलिखित वर्षों के दौरान हुई वृद्धि	
	25 जून 1982	24 जून 1983	29 जून 1984*	1982-83	1983-84
	1	2	3	4	5
1. कुल जमाराशियां	**46,128**	**54,039**	**63,852**	**+ 7,911**	**+ 9,813**
(क) मांग जमाराशियां	9,055	10,201	11,938	+ 1,146	+ 1,737
(ख) मीयादी जमा राशियां	37,073	43,838	51,914	+ 6,765	+ 8,076
2. कुल बैंक ऋण, जिनमें से–	**30,180**	**36,006**	**43,058**	**+ 5,826**	**+ 7,052**
(क) अनाजों की वसूली के लिए दिए गए ऋण	2,825	3,589	5,233	+ 764	+ 1,644
(ख) खाद्य अग्रिमों को छोड़कर बैंक ऋण	27,355	32,417	37,825	+ 5,062	+ 5,408
3. रिज़र्व बैंक में पुनः भुनाए गए बिल	–	–	–	–	–
4. सकल बैंक ऋण	**30,180**	**36,006**	**43,058**	**+ 5,826**	**+ 7,052**
5. सरकारी व अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	16,945	19,970	23,207	+ 3,025	+ 3,237
(क) सरकारी प्रतिभूतियां	11,617	13,533	15,208	+ 1,916	+ 1,675
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	5,328	6,437	7,999	+ 1 '00	+ 1,562
6. हाथ में नकदी और रिज़र्व बैंक के पास जमा रकम	5,770	6,155	9,284	+ 385	+ 3,129
7. रिज़र्व बैंक से लिए गए ऋण	5,720@	509	1,769	— 63	+ 1,260
8. ऋण-जमा अनुपात	65.4	66.6	67.4		
9. खाद्येतर-ऋण-जमा अनुपात	59.3	60.0	59.2		
10. निवेश-जमा-अनुपात	36.7	37.0	36.3		

* अंशतः संशोधित

@ 12 जुलाई, 1982 को नाबार्ड को अन्तरित किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण शामिल हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अधीन प्राप्त विवरणियां।

तिमाही की 719 करोड़ रुपये की भारी गिरावट के यह विपरीत थी। वर्ष की अंतिम तिमाही (अप्रैल-जून 1984) में भी जमाराशियों में 3,315 करोड़ रुपये की पर्याप्त वृद्धि हुई, जबकि 1982-83 की समान तिमाही में 2,681 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। जमाराशियों की वृद्धि-दर अप्रैल-जून 1983 में हुई 5.2 प्रतिशत की तुलना में कुछ अधिक अर्थात 5.5 प्रतिशत थी। 1983 के

1984) also witnessed a larger accretion of Rs.3,315 crores in deposits as compared to the rise of Rs.2,681 crores in the corresponding quarter of 1982-83. The rate of deposit growth in this quarter was also higher at 5.5 per cent compared to 5.2 per cent in April-June 1983. Deposit growth during the 1983 slack season (May-October), at Rs.4,942 crores, was substantially higher than that of

TABLE 2.1 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' DATA

(Rs. Crores)

Items	Outstanding as on			Increase during the year	
	June 25, 1982	June 24, 1983	June 29, 1984*	1982-83	1983-84
	1	2	3	4	5
1. **Aggregate Deposits**	**46,128**	**54,039**	**63,852**	**+7,911**	**+9,813**
(a) Demand Deposits	9,055	10,201	11,938	+1,146	+1,737
(b) Time Deposits	37,073	43,838	51,914	+6,765	+8,076
2. **Total Bank Credit**	**30,180**	**36,006**	**43,058**	**+5,826**	**+7,052**
Of which:					
(a) Food procurement advances	2,825	3,589	5,233	+ 764	+ 1,644
(b) Bank Credit excluding food advances	27,355	32,417	37,825	+5,062	+5,408
3. Bills rediscounted with the RBI	—	—	—	—	—
4. **Gross Bank Credit**	**30,180**	**36,006**	**43,058**	**+5,826**	**+7,052**
5. Investments in Government and other approved securities	16,945	19,970	23,207	+3,025	+3,237
(a) Government Securities	11,617	13,533	15,208	+1,916	+1,675
(b) Other approved securities	5,328	6,437	7,999	+1,109	+1,562
6. Cash in hand and balances with the RBI	5,770	6,155	9,284	+385	+3,129
7. Borrowings from the RBI	5,72@	509	1,769	—63	+1,260
8. Credit-Deposit Ratio	65.4	66.6	67.4		
9. Non-Food Credit-Deposit Ratio	59.3	60.0	59.2		
10. Investment-Deposit Ratio	36.7	37.0	36.3		

* Partially revised.

@ Include RRB's borrowings transferred to NABARD on July 12, 1982.

Source: Returns received under Section 42(2) of the RBI Act, 1934.

कम कामकाज के दौरान (मई-अक्तूबर) जमाराशियों में 4,942 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो 1982 के कम कामकाज की अवधि के दौरान 3,783 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक थी। अधिक कामकाज की अवधि (नवम्बर 1983-अप्रैल 1984) में कुल जमाराशियों में हुई वृद्धि 3,906 करोड़ रुपये थी, जो 1982-83 के अधिक कामकाज के समय के 3,768 करोड़ रुपये की अपेक्षा अधिक थी।

Rs.3,783 crores during the 1982 slack season. In the busy season (November 1983 - April 1984), accretion to aggregate deposits at Rs.3,906 crores was also higher than Rs.3,768 crores in the 1982-83 busy season.

कुल जमाराशियों में वृद्धि

	1982-83		1983-84	
	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिशत वृद्धि	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिशत वृद्धि
जुलाई-सितम्बर	1,437	3.1	1,996	3.7
अक्तूबर-दिसम्बर	4,512	9.5	4,453	7.9
जनवरी-मार्च	− 719	− 1.4	49	0.1
अप्रैल-जून	2,681	5.2	3,315	[illegible]
जोड़ (जुलाई-जून)	7,911	17.2	9,813	18.2

Growth in Aggregate Deposits

	1982-83		1983-84	
	Amount (Rs. Crores)	Percentage growth	Amount (Rs. Crores)	Percentage growth
July-September	1,437	3.1	1,996	3.7
October-December	4,512	9.5	4,453	7.9
January-March	-719	-1.4	49	0.1
April-June	2,681	5.2	3,315	5.5
Total (July-June)	**7,911**	**17.2**	**9,813**	**18.2**

मांग और मीयादी जमाराशियों में वृद्धि

2.6 जमावार कुल जमाराशियों में हुई वृद्धि के विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि मांग जमाराशियों में वृद्धि की दर 17.0 प्रतिशत थी, जो 1982-83 की 12.7 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक थी। फिर भी, जहां तक मीयादी जमाराशियों का संबंध है, 1982-83 की 18.2 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में कुछ अधिक अर्थात 18.4 प्रतिशत थी। मांग जमाराशियों में संपूर्ण वृद्धि 1983-84 में 1,737 करोड़ रुपये थी, जबकि 1982-83 में यह 1,146 करोड़ रुपये थी और मीयादी जमाराशियों की संपूर्ण वृद्धि एक वर्ष पहले के 6,765 करोड़ रुपये की तुलना में 8,076 करोड़ रुपये थी। मांग जमाराशियों में वृद्धि 1983-84 की चार तिमाहियों से तीन तिमाहियों में ही हुई और एक तिमाही (अर्थात् जनवरी-मार्च 1984) में कमी आयी, लेकिन यह गत वर्ष की इसी तिमाही की कमी की तुलना में कम थी। मीयादी जमाराशियों में वृद्धि दोनों वर्षों की चारों तिमाहियों में देखने में आयी, लेकिन 1983-84 में हुई वृद्धियां गत वर्ष की प्रत्येक समान तिमाहियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक थीं।

Growth in Demand and Time Deposits

2.6 Analysing the growth in aggregate deposits by type of deposits, it would be seen that the rate of growth in demand deposits at 17.0 per cent was markedly higher than that of 12.7 per cent in 1982-83. In regard to time deposits, however, there was a small increase in the rate of growth at 18.4 per cent compared to 18.2 per cent in 1982-83. The absolute increase in demand deposits was Rs.1,737 crores in 1983-84 as against Rs.1,146 crores in 1982-83 and in time deposits of Rs.8,076 crores as against Rs.6,765 crores a year ago. The rise in demand deposits occurred in three out of four quarters of 1983-84, while in one quarter (i.e. January-March 1984) there was a decline but this was significantly less than in the corresponding quarter of the previous year. The rise in time deposits was in evidence in all the four quarters of both the years, but the increases in 1983-84 were larger in comparison with each of the corresponding quarters of the preceding year.

मांग और मीयादी जमाराशियां

(करोड़ रुपये)

तिमाही	मांग जमाराशियों में वृद्धि		मीयादी जमाराशियों में वृद्धि	
	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84
जुलाई-सितम्बर	- 177	56	1,614	1,940
अक्तूबर-दिसम्बर	2,012	1,409	2,501	3,044
जनवरी-मार्च	-906	-312	186	360
अप्रैल-जून	217	584	2,464	2,732
जोड़ (जुलाई-जून)	1,146	1,737	6,765	8,076
	(12.7)	(17.0)	(18.2)	(18.4)

ऋण प्रवृत्तियां

2.7 वर्ष के दौरान बैंक ऋण में 1982-83 की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई। संपूर्ण वृद्धि की दृष्टि से बैंक ऋण में 1982-83 में हुए 5,826 करोड़ रुपये के विस्तार की तुलना में 7,052 करोड़ रुपये का विस्तार हुआ (सारणी 2.1)। इस संबंध में वर्ष के दौरान वृद्धि दर 19.6 प्रतिशत थी, जो गत वर्ष की 19.3 प्रतिशत की अपेक्षा अधिक थी। खाद्यान्नों में हुए रिकार्ड उत्पादन की वजह से खाद्यान्नों की वसूली के कार्यों में लायी गयी तेजी के परिप्रेक्ष्य में 29 जून 1984 को बकाया खाद्य ऋण अपनी एक नयी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, जो 5,233 करोड़ रुपये था। वर्ष के दौरान खाद्य ऋण में 1,644 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि गत वर्ष यह वृद्धि 764 करोड़ रुपये की थी। खाद्येतर ऋण में 5408 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो 1982-83 की 5,062 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में अधिक थी। तथापि, प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाये, तो वृद्धि दर 1982-83 के 18.5 प्रतिशत से घटकर 1983-84 में 16.7 प्रतिशत रह गयी। 1983 के पूरे कम कामकाज के समय (मई-अक्तूबर) में खाद्येतर ऋण में 1,627 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो कम कामकाज की

Demand and Time Deposits

(Rs. crores)

Quarter	Growth in demand deposits		Growth in time deposits	
	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84
July-September	–177	56	1,614	1,940
October-December	2,012	1,409	2,501	3,044
January-March	-906	-312	186	360
April-June	217	584	2,464	2,732
Total (July-June)	1,146	1,737	6,765	8,076
	(12.7)	(17.0)	(18.2)	(18.4)

Trends in Credit

2.7 The expansion in bank credit during the year was larger than in 1982-83. In absolute terms, bank credit expanded by Rs.7,052 crores as against Rs.5,826 crores in 1982-83 (Table 2.1); the growth rate of 19.6 per cent during the year was also marginally higher than 19.3 per cent in the previous year. Reflecting the momentum in food procurement operations in the wake of a record output of foodgrains, outstanding food credit touched a new high of Rs.5,233 crores as on June 29, 1984. The expansion in food credit during the year was Rs.1,644 crores as compared to Rs.764 crores in the previous year. The rise in non-food credit at Rs.5,408 crores was larger than that of Rs.5,062 crores in 1982-83. In percentage terms, however, its growth rate declined from 18.5 per cent in 1982-83 to 16.7 per cent in 1983-84. For the 1983 slack season (May-October) as a whole, non-food credit expansion at Rs.1,627 crores was higher than the growth of Rs.1,384 crores in the previous slack season. As the deposit growth during the 1983 slack season was also larger than that of the 1982 slack season, incre-

गत अवधि में हुई 1,384 करोड़ रुपये की वृद्धि की अपेक्षा अधिक थी । चूंकि1983 के कम कामकाज के समय के दौरान जमाराशियों में हुई वृद्धि भी 1982 के कम कामकाज के समय की अपेक्षा अधिक थी अतः 1983 के कम कामकाज के समय के दौरान वृद्धिशील खाद्येतर ऋण जमा राशि का अनुपात 32.9 प्रतिशत आंका गया, जो 1982 के कामकाज के समय 36.6 प्रतिशत की तुलना में काफी कम था । अधिक कामकाज के समय (नवम्बर 1983-अप्रैल 1984) के दौरान खाद्येतर ऋण में 3,422 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि गत वर्ष अधिक कामकाज के समय में 3,395 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । 1983-84 के अधिक कामकाज के समय वृद्धिशील खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात 87.6 प्रतिशत हुआ, जबकि गत वर्ष के अधिक काम्काज के दौरान यह अनुपात 90.1 प्रतिशत था । 1984 के कम कामकाज के समय के 2 महीनों मई-जून 1984 के दौरान खाद्येतर ऋणों में 446 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि 1983 के इन्हीं दो महीनों में 87 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । 29 जून 1984 को वृद्धिशील खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात 59.2 प्रतिशत था, जो एक साल पहले के अनुपात से 0.8 प्रतिशत कम था ।

mental non-food credit-deposit ratio during the 1983 slack season worked out to 32.9 per cent which was lower than that of 36.6 per cent in the 1982 slack season. During the busy season (November 1983 - April 1984), there was a marginally larger expansion of Rs.3,422 crores in non-food credit, compared to Rs.3,395 crores in the previous busy season. The incremental non-food credit-deposit ratio in the 1983-84 busy season came to 87.6 per cent as against 90.1 per cent in the busy season of last year. During the two months of the 1984 slack season (May-June 1984), there was a rise of Rs.446 crores in non-food credit as against an increase of Rs.87 crores in the corresponding two months of 1983. The non-food credit-deposit ratio as on June 29, 1984 at 59.2 per cent was lower by 0.8 percentage point than that a year ago.

निवेश और नकदी शेष की प्रवृत्तियां

2.8 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने 1983-84 में अपने निवेश संविभागों में 3,237 करोड़ रुपये (16.2 प्रतिशत) की वृद्धि की, जबकि 1982-83 के दौरान उनमें 3,025 करोड़ रुपये (17.9 प्रतिशत) की वृद्धि की गयी थी । उनकी हाथ में नकदी और रिज़र्व बैंक में जमाराशि में 3,129 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि गत वर्ष के दौरान उसमें 385 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । इसका मुख्य कारण यह था कि 1983-84 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को प्रारक्षित नकदी अनुपात का बढ़ा हुआ स्तर बनाये रखना था जो 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत (29 जुलाई 1983), फिर 8.5 प्रतिशत (27 अगस्त 1983) और

Trends in Investments and Cash Balances

2.8 Scheduled commercial banks augmented their investment portfolio by Rs.3,237 crores (16.2 per cent) in 1983-84 compared with Rs.3,025 crores (17.9 per cent) during 1982-83. Their cash in hand and balances with the Reserve Bank increased sharply by Rs.3,129 crores as against a rise of Rs.385 crores in the previous year. This was mainly due to the fact that during 1983-84, the scheduled commercial banks were required to comply with the enhanced level of Cash Reserve Ratio which was raised from 7.5 per cent to 8 per cent (July 29, 1983), to 8.5 per cent (August 27, 1983) and 9 per cent (February 4, 1984). In addition. banks were

फिर 9 प्रतिशत (4 फरवरी 1984) कर दिया गया था। इसके अलावा बैंकों द्वारा उनके 11 नवम्बर 1983 के स्तर से मांग और मीयादी देयताओं में हुई वृद्धि के 10 प्रतिशत का अतिरिक्त दैनिक औसत 12 नवम्बर 1983 से रिज़र्व बैंक के पास बनाये रखना था।

required to maintain with the Reserve Bank from November 12, 1983 an additional average daily balance of 10 per cent of the increase in their demand and time liabilities over the November 11, 1983 level.

बैंकों को रिज़र्व बैंक की सहायता

2.9 वर्ष के दौरान बैंकों को दी जानेवाली पुनर्वित्त सुविधाओं में रिज़र्व बैंक ने कुछ परिवर्तन किये। वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत खाद्य ऋण पुनर्वित्त के लिए अधिकतम सीमा दो बार बढ़ायी गयी। बैंकों को उनके निर्यात ऋण में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निर्यात ऋण पुनर्वित्त से संबंधित फार्मूले को उदार बनाया गया। इसके अलावा बैंकों को सूचित किया गया कि समय-समय पर प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं में वृद्धि करने के संदर्भ में अलग-अलग बैंकों द्वारा महसूस की जा रही चलनिधि समस्याओं के लिए गुणवत्ता के आधार पर अल्पावधि के लिए विवेकपूर्ण पुनर्वित्त की व्यवस्था की जायेगी। रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष के दौरान दी गई सहायता की प्रवृत्तियों की समीक्षा नीचे की गयी है।

2.10 **खाद्य ऋण पुनर्वित्त** : जून 1983 के अंतिम शुक्रवार को बैंक 1,087 करोड़ रुपये तक के खाद्य पुनर्वित्त के हकदार थे, जिसमें से केवल 113 करोड़ रुपये (या 10.4 प्रतिशत) का ही इस्तेमाल किया गया। 1983-84 के दौरान, 29 जून 1984 को खाद्य पुनर्वित्त सीमा 1,933 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंच गयी और उसी तारीख को बकाया उच्चतम पुनर्वित्त की राशि 885 करोड़ रुपये या सीमा की 46 प्रतिशत थी। 30 मार्च 1984 को इस्तेमाल की गई राशि की सीमाओं के अनुपात के रूप में यह 30 मार्च को सबसे अधिक थी, जबकि बैंकों द्वारा 66 प्रतिशत सीमाओं का इस्तेमाल किया गया

Reserve Bank Accommodation to Banks

2.9 During the year, certain changes were made by the Reserve Bank in the refinance facilities to banks. The cut-off point for providing 100 per cent food credit refinance was raised twice during the year. The formula in respect of export credit refinance was liberalised significantly with a view to providing incentives to the banks to increase their export credit. Besides, banks were advised that individual banks facing liquidity problems in the context of increased reserve requirements would be provided discretionary refinance on merits for short periods. The accommodation provided by the Reserve Bank during the year is reviewed below.

2.10 *Food Credit Refinance* : As on the last Friday of June 1983, banks were entitled to food refinance limits of Rs.1,087 crores, of which only Rs.113 crores (or 10.4 per cent) was utilised. During 1983-84, the banks' food refinance limits reached a peak level of Rs.1,933 crores on June 29, 1984 and the peak outstanding refinance amounted to Rs.885 crores or 46 per cent of the limits on the same date. Utilisation as a proportion of limits was at the peak level on March 30, 1984, when 66 per cent of the limits were utilised by banks.

1

अनुसूचित वाणिज्य बैंक-चुनी हुई मदें
SCHEDULED COMMERCIAL BANKS - SELECTED ITEMS

(अन्तिम शुक्रवार को) (AS ON LAST FRIDAY)

करोड़ रुपये
CROES OF RUPEES

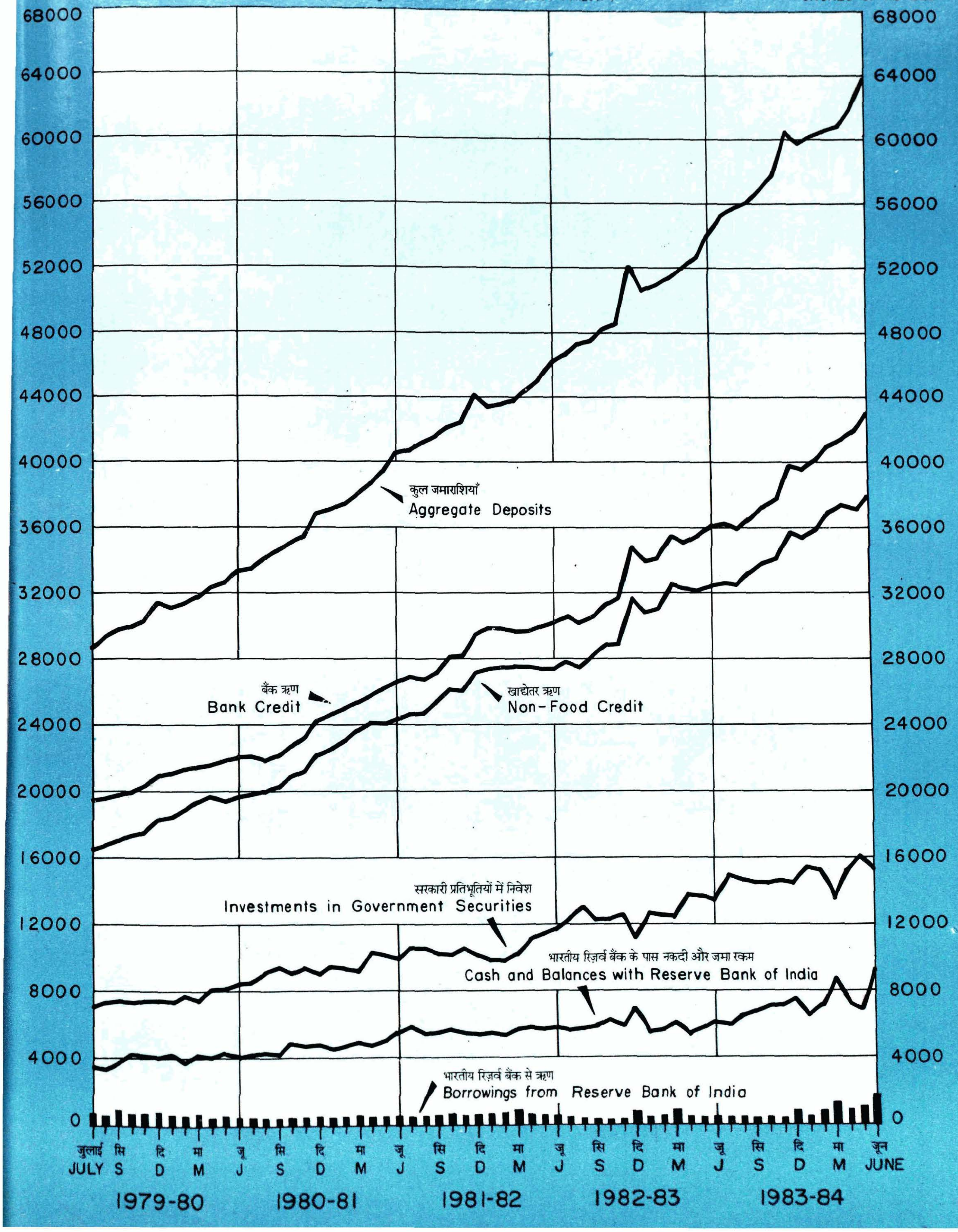

2

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नकदी, निवेश और ऋण-जमा अनुपात
SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' CASH, INVESTMENTS AND CREDIT-DEPOSIT RATIOS

(अन्तिम शुक्रवार को) (AS ON LAST FRIDAY)

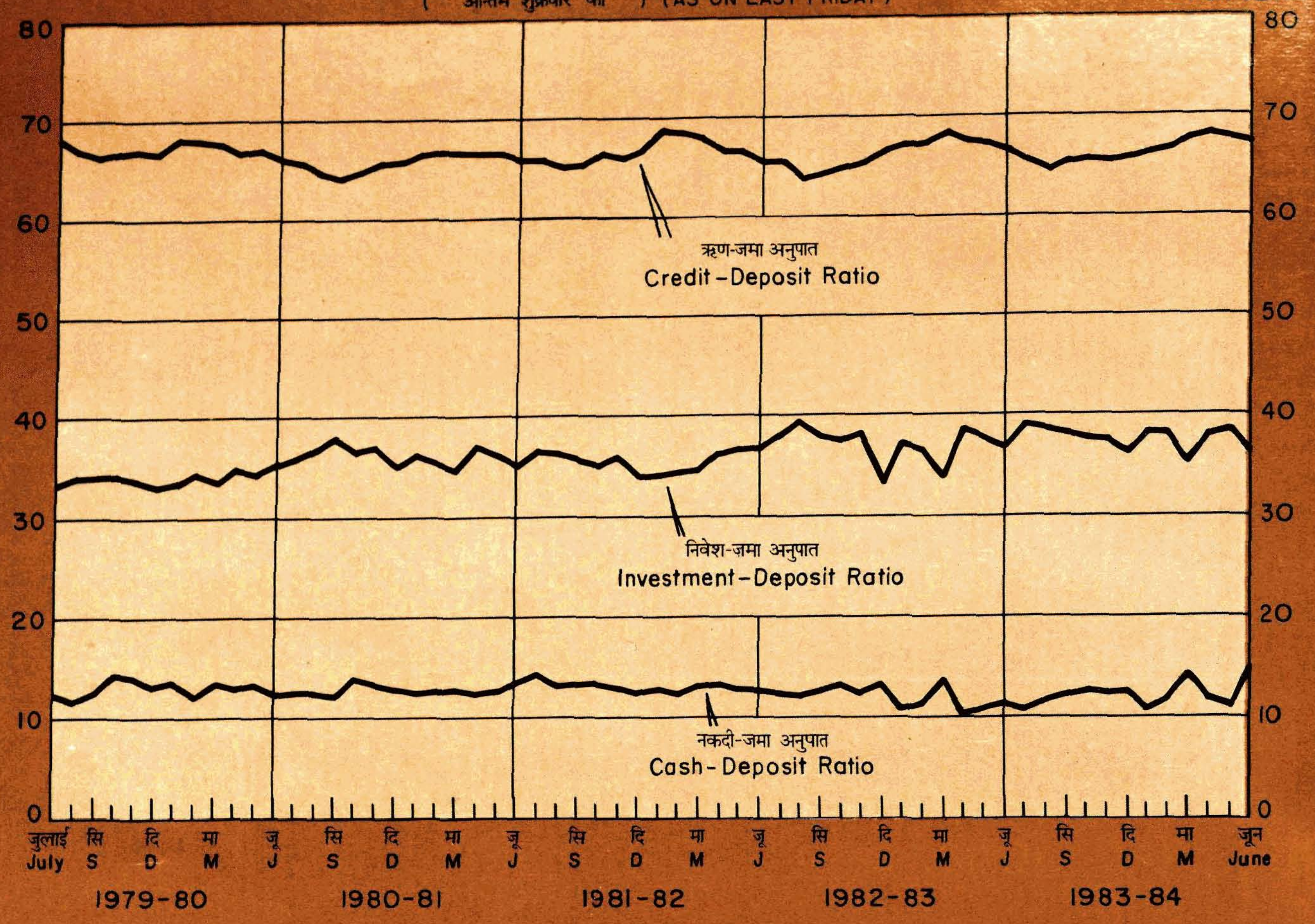

3

सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण 1982-83 और 1983-84 के दौरान घट-बढ़
SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT VARIATIONS DURING 1982-83 AND 1983-84

(अप्रैल — मार्च) (APRIL-MARCH)

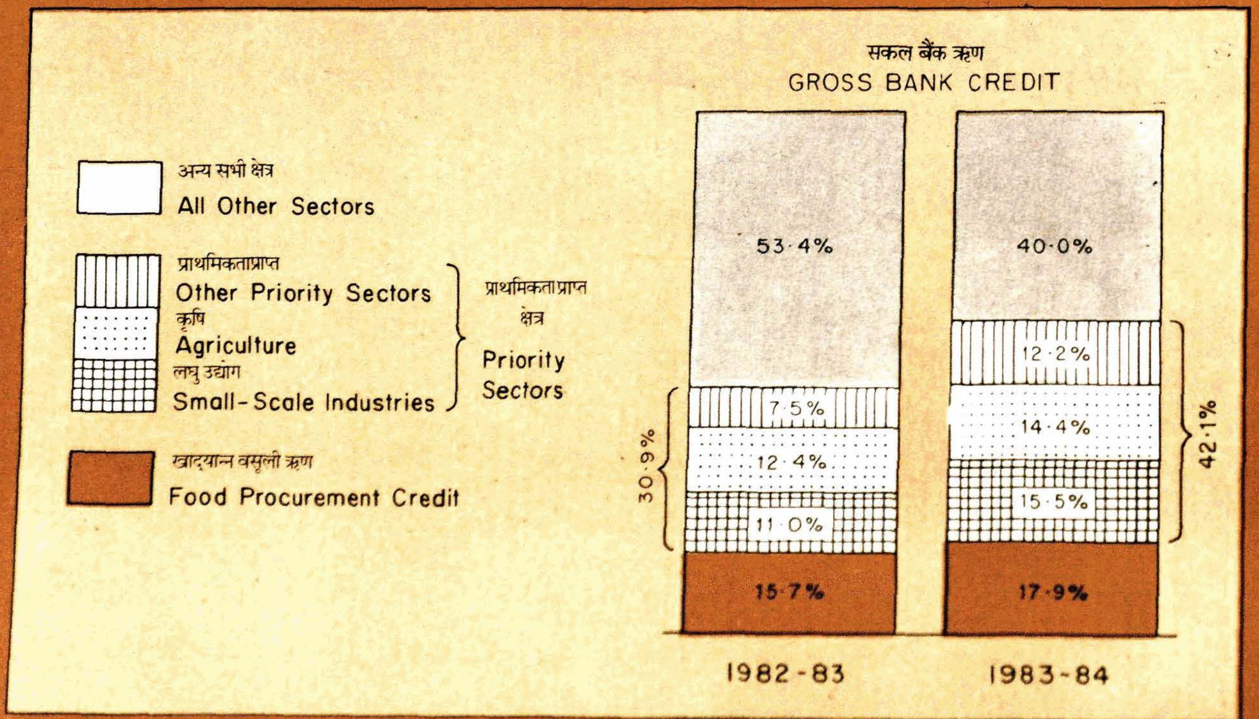

2.11 निर्यात ऋण पुनर्वित्त : 25 नवम्बर 1983 से टू-टीयर पुनर्वित्त फार्मूले के स्थान पर एक समान दर का फार्मूला अपनाया गया। तदनुसार बैंक 1982 के लिए मासिक औसत स्तर पर निर्यात ऋण में वृद्धि के 125 प्रतिशत की सीमा तक निर्यात पुनर्वित्त प्राप्त करने के हकदार थे। पुनर्वित्त फार्मूले को उदार बना दिये जाने से नवम्बर 1983 के अन्त से बैंकों की निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाएं बढ़ गयी। उच्चतम सीमाएं 22 जून 1984 को 680 करोड़ रुपये थीं। इस वर्ष बकाया राशि की उच्चतम सीमा 29 जून 1984 को 358 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान बैंकों की निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं में 517 करोड़ रुपये की तीव्र वृद्धि हुई और इस संबंध में बकाया राशि में 325 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

2.11 *Export Credit Refinance :* With effect from November 25, 1983, the two-tier refinance formula was replaced by a formula with a uniform rate. Accordingly, banks were entitled to export refinance to the extent of 125 per cent of the increase in export credit over the monthly average level for 1982. With the liberalisation of the refinance formula, banks' export credit refinance limits increased from the end of November 1983. The peak limits amounted to Rs.680 crores as on June 22, 1984. The peak level outstanding touched during the year was Rs.358 crores as on June 29, 1984. Over the year 1983-84 (July-June) banks' export credit refinance limits increased sharply by Rs.517 crores and the amount outstanding by Rs.325 crores.

2.12 **उद्यत पुनर्वित्त** : जून 1983 के अंतिम शुक्रवार को बैंकों को मंजूर की गई उद्यत पुनर्वित्त सीमाएं 20 करोड़ रुपये थीं जिसमें से उस तारीख तक कोई भी बकाया राशि नहीं थी। लेकिन उसके बाद सीमाओं की राशि में गिरावट आयी और अक्तूबर-दिसंबर 1983 की तिमाही के दौरान उद्यत पुनर्वित्त सीमाएं शून्य थीं। जनवरी 1984 के बाद बैंकों को एक बार फिर उद्यत पुनर्वित्त सीमायें मंजूर की गयीं और मंजूर की गई अधिकतम राशि 23 मार्च 1984 को 59 करोड़ रुपये थी। जहां तक उसके इस्तेमाल किए जाने का सम्बन्ध है, 16 मार्च, 1984 तक बैंकों ने अपनी 39 करोड़ रुपये की उद्यत पुर्नवित्त सीमाओं का पूर्णरूप से इस्तेमाल किया। 1983-84 के दौरान, बैंकों को मंजूर की गई उद्यत पुनर्वित्त सीमाएं जून 1983 के अंतिम शुक्रवार के 20 करोड़ रुपये से गिरकर जून 1984 के अन्तिम शुक्रवार को 5 करोड़ रुपये रह गई, और उस तारीख को किसी भी तरह की बकाया राशि नहीं थी।

2.12 *Stand-by Refinance :* The stand-by refinance limits sanctioned to banks as on the last Friday of June 1983, amounted to Rs.20 crores against which there were no outstandings as on that date. The amount of the limits declined thereafter and during the quarter October-December 1983, the stand-by refinance limits were nil. From January 1984 onwards banks were once again sanctioned stand-by refinance limits and the peak sanction amounted to Rs.59 crores as on March 23, 1984. As regards utilisation, the banks had fully utilised their stand-by refinance limits of Rs.39 crores as on March 16, 1984. During 1983-84, the amount of stand-by refinance limits sanctioned to the banks declined from Rs.20 crores as on the last Friday of June 1983 to Rs.5 crores as on the last Friday of June 1984, with no outstanding on that date.

2.13 **विवेकाधीन पुनर्वित्त** : विभिन्न अवसरों पर,

2.13 *Discretionary Refinance :* On the

जब प्रारक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि की गई, तो बैंकों को सूचित किया गया था कि किसी बैंक की जितनी चलनिधि समस्यायें होंगी, उसे उतनी सीमा तक गुणवत्ता के आधार पर अल्पावधि ऋण के लिए विवेकाधीन पुनर्वित्त दिया जाएगा। तदनुसार, जनवरी 1984 के मध्य से कुछ बैंकों को विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाएं मंजूर की गयीं। मंजूर की गई अधिकतम राशि 18 मई, 1984 को 187 करोड़ रुपये थी और उसमें से इस्तेमाल की गई अधिकतम राशि 11 मई 1984 को 137 करोड़ रुपये थी। 1983-84 के दौरान, विवेकाधीन पुनर्वित्त की राशि, जून 1983 के अंतिम शुक्रवार के 20 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1984 के अंतिम शुक्रवार को 128 करोड़ रुपये हो गई थी। अलबत्ता, वर्ष के दौरान, बकाया राशि शून्य से बढ़कर 122 करोड़ रुपये हो गयी।

occasions when the reserve requirements were raised, banks were advised that to the extent the individual banks faced liquidity problems, such banks would be provided, on merits, discretionary refinance for short periods. Accordingly, some banks were sanctioned discretionary refinance limits since the middle of January 1984. The maximum amount sanctioned was Rs.187 crores as on May 18, 1984 and the maximum amount of utilisation was Rs.137 crores as on May 11, 1984. During 1983-84, the amount of discretionary refinance increased from Rs.20 crores as on the last Friday of June 1983 to Rs.128 crores as on the last Friday of June 1984. Over the year, outstanding amount, however, increased from nil to Rs.122 crores.

2.14 **समग्र स्थिति :** अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त की विभिन्न सुविधाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कुल सीमाओं की राशि (जहाजरानी ऋण और शुल्क वापसी पर विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर) में 1983-84 के दौरान 1,457 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि गत वर्ष 1982-83 के दौरान 777 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी (सारणी 2.2 देखें)। जून 1984 के अन्त तक बकाया पुनर्वित्त की कुल राशि 1,365 करोड़ रुपये थी, जबकि एक वर्ष पूर्व यह राशि 146 करोड़ रुपये थी।

2.14 *Overall Position :* The total of limits available under various RBI refinance facilities to scheduled commercial banks (excluding special refinance against shipping loans and duty draw-back) increased by Rs.1,457 crores during 1983-84 as against an increase of Rs.777 crores during 1982-83 (vide Table 2.2). The total refinance outstanding as at end-June 1984 aggregated Rs.1,365 crores as compared with Rs.146 crores a year before.

ऋण नीति

2.15 **समग्र दृष्टि कोण :** 1983-84 के दौरान ऋण नीति के अन्तर्गत इन बातों पर मुख्य बल देना जारी रखा गया – सभी उत्पादन कार्यकलापों को पूरा समर्थन देना और चलनिधि की वृद्धि को नियमित रखना। यद्यपि, 1983 के कम कामकाज के समय के दौरान प्रारक्षित नकदी अनुपात और खाद्य पुनर्वित्त के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा दोनों में वृद्धि की गई थी, लेकिन प्रारक्षित मुद्रा में भारी वृद्धि और मूल्य वृद्धि

Credit Policy

2.15 *Overall Approach:* The basic tenet of credit policy during 1983-84 continued to be one of fully supporting all productive activities and regulating the growth of liquidity. Although both the cash reserve ratio and the cut-off point for food refinance had been raised during the 1983 slack season, the large expansion of reserve money and the deteriorating price situation continued to cause concern and hence further measures

की विकट स्थिति चिंताजनक बनी रही और इसलिए, चलनिधि की वृद्धि में कमी लाने के लिए अतिरिक्त उपाय करने पड़े थे। तदनुसार, प्रारक्षित नकदी अनुपात में अगस्त 1983, नवम्बर 1983 और फरवरी, 1984 में फिर से वृद्धि की गई और खाद्य पुनर्वित्त के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा में भी नवम्बर 1983 में और वृद्धि की गई। 1984 में कम कामकाज के समय के लिए ऋण नीति की घोषणा मौद्रिक और ऋण स्थिति में पुनः तालमेल रखने के परिप्रेक्ष्य में 30 अप्रैल, 1984 को की गई, जिसमें चलनिधि की वृद्धि दर में कमी लाने और प्रत्याशित मुद्रास्फीति को रोकने पर बल दिया गया। चलनिधि को नियमित करने और महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के निवेश के लिए संसाधन जुटाने की दृष्टि से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सांविधिक चलनिधि अनुपात में एक प्रतिशत की वृद्धि की जाये और 1984-85 के अधिक कामकाज के समय के आरंभ होने से पहले अवरुद्ध नकदी शेष के एक हिस्से को जारी कर दिया जाये। वर्ष के दौरान किये गये नीतिगत उपाय नीचे दिये गऐ हैं।

had to be taken to curtail the growth of liquidity. Accordingly, the cash reserve ratio was again raised in August 1983, November 1983 and February 1984; the cut-off point for food refinance was also further enhanced in November 1983. The credit policy for the slack season of 1984 announced on April 30, 1984 against the backdrop of the then obtaining monetary and credit situation emphasised the need for moderating the rate of growth of liquidity and curbing inflationary expectations. With a view to regulating liquidity and providing resources for vital public sector investment, within the framework of national priorities, it was decided to raise the statutory liquidy ratio (SLR) by one percentage point and to release a part of the impounded cash balances before the onset of the 1984-85 busy season. The policy measures taken during the year are indicated below.

अगस्त 1983 में किये गये उपाय

2.16 जैसा कि पहले बताया गया है अप्रैल 1983 में

August 1983 measures

2.16 It may be recalled that in April 1983

सारणी 2.2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायता

(जहाजरानी ऋण और शुल्क वापसी पर विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर)

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को	खाद्य पुनर्वित		निर्यात पुनर्वित		उद्यत पुनर्वित		विवेकाधीन पुनर्वित		कुल पुनर्वित	
	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया
मार्च 1983	540.1	356.6	123.1	85.4	15.0	15.0	–	–	678.2	457.0
जून 1983	1,086.5	112.9	161.2	33.4	20.0	–	20.0	–	1287.7	146.3
मार्च 1984	729.8	483.1	450.7	345.4	44.0	4.0	138.0	107.0	1,362.5	939.5
जून 1984	1,932.8	885.0	678.6	358.0	5.0	–	128.0	121.5	2,744.4	1,364.5

यह निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का प्रारक्षित नकदी अनुपात दो चरणों में 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 मई 1983 से 7.5 प्रतिशत और 29 जुलाई 1983 से 8 प्रतिशत कर दिया जाये ताकि बैंकिंग तंत्र में अतिरिक्त चलनिधि पर रोक लगायी जा सके। प्रारक्षित मुद्रा के विस्तार और जमाराशि में भारी वृद्धि जारी रहने की स्थिति को देखते हुए प्रारक्षित नकदी अनुपात 27 अगस्त 1983 से प्रारंभ सप्ताह से 1/2 प्रतिशत और बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया गया ताकि कम कामकाज के समय में बैंकिंग मंत्र की अतिरिक्त चलनिधि की कारगर व्यवस्था की जा सके।

it was decided to raise the cash reserve ratio (CRR) of scheduled commercial banks from 7 per cent to 8 per cent in two stages – 7.5 per cent effective from May 27, 1983 and 8 per cent effective from July 29, 1983, so as to curb excess liquidity in the banking system. In view of the continued large expansion of reserve money and deposit growth, the CRR was further raised by one half of one percentage point to 8.5 per cent with effect from the week beginning August 27, 1983, so as to enable an effective management of excess liquidity of the banking system in the slack season.

अक्तूबर 1983 में किये गये उपाय

2.17 1983-84 के अधिक कामकाज के समय के लिए 20 अक्तूबर 1983 को रिज़र्व बैंक द्वारा जिस ऋण नीति की घोषणा की गई; वह उस समय की आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के संदर्भ में बनायी गई थी। जहां अनुकूल मौसम की वजह से खरीफ की भारी फसल हुई, वहां औद्योगिक उत्पादन में कोई उत्साहजनक वृद्धि नहीं हुई। फिर भी, 1983-84 के उत्तरार्ध में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि के कारण औद्यौगिक उत्पादन में पुनः वृद्धि होने की आशा

October 1983 measures

2.17 Credit policy for the 1983-84 busy season announced by the Reserve Bank on October 20, 1983 was formulated in the context of an assessment of the economic scene at that time. While a bumper kharif crop was on the anvil due to favourable monsoon, industrial production had not shown signs of strong revival. However, a sharp increase in agricultural output was expected to strengthen the industrial recovery in the second half of 1983-84. Thus, the overall

TABLE 2.2 : RBI ACCOMMODATION TO SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(Excluding special refinance against shipping loans and duty drawback)

(Rs. Crores)

Last Friday of	Food Refinance		Export Refinance		Stand-by Refinance		Discretionary Refinance		Total Refinance	
	Limit	Out-standing	Limit	Out-standing	Limit	Out-standing	Limit	Out-standing	Limit	Out-standing
March 1983	540.1	356.6	123.1	85.4	15.0	15.0	—	—	678.2	457.0
June 1983	1,086.5	112.9	161.2	33.4	20.0	—	20.0	—	1,287.7	146.3
March 1984	729.8	483.1	450.7	345.4	44.0	4.0	138.0	107.0	1,362.5	939.5
June 1984	1,932.8	885.0	678.6	358.0	5.0	—	128.0	121.5	2,744.4	1,364.5

बंधी । अतः उस समय अर्थव्यवस्था में समग्र वृद्धि की दर 6 से 7 प्रतिशत आंकी गयी । साथ ही, 1983-84 (सितंबर के अंत तक) के दौरान अर्थव्यवस्था में समग्र चलनिधि (एम3) की वृद्धि दर भी गत वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक थी । यद्यपि वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण पण्यों के मूल्यों की वृद्धि में कुछ नरमी आयी फिर भी सितम्बर 1983 के अंत तक मुद्रास्फीति की दर लगभग 10 प्रतिशत थी, जबकि गत वर्ष यह दर 2 प्रतिशत से भी कम थी । इसलिए 1983-84 में समग्र चलनिधि की वृद्धि दर में कमी करना, वास्तविक उत्पादन आवश्यकताओं के लिए ऋण मांगें पर्याप्त रूप से पूरी करना सुनिश्चित करते हुए आवश्यक समझा गया ।

2.18 इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, बकाया खाद्य ऋण की अधिकतम सीमा, जिस पर 100 प्रतिशत पुनर्वित्त उपलब्ध था, को 2,800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर (1 जुलाई 1983 से लागू) 25 नवम्बर 1983 से 3,300 करोड़ रुपये कर दिया गया । * निर्यात पुनर्वित्त बैंकों को पहले टू-टीयर फार्मूले के अन्तर्गत दिया जा रहा था और बैंक निर्यात ऋण में 1981 के मासिक औसत स्तर में 1980 के मासिक औसत स्तर से वृद्धि के 50 प्रतिशत के बराबर और 1981 में निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर में हुई वृद्धि के 100 प्रतिशत तक के बराबर पुनर्वित्त के पात्र थे । निर्यात ऋण में वृद्धि करने के लिए बैंकों को भारी प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, टू-टीयर फार्मूले को 25 नवम्बर, 1983 से बदल दिया गया और उसके स्थान पर एक ऐसा फार्मूला तैयार किया गया जिसके अंतर्गत वर्ष 1982 के मासिक औसत स्तर से निर्यात ऋण में हुई वृद्धि की 125 प्रतिशत की एकसमान दर पर पुनर्वित्त देने की व्यवस्था है ।

* यह अधिकतम सीमा 28 सितम्बर 1984 से और बढ़ा कर 4,000 करोड़ रुपये कर दी गयी ।

growth rate in the economy was at that time reckoned to be of the order of 6 to 7 per cent. At the same time, the rate of growth of overall liquidity (M_3) in the economy in 1983-84 (upto the end of September) had also been larger than in the previous year. Though there was some abatement in the pace of increase in prices of vital commodities the year over year, rate of inflation at the end of September 1983 was around 10 per cent as compared with a rate of less than 2 per cent in the previous year. It was, therefore, considered necessary to curtail the growth of overall liquidity in 1983-84 while ensuring that the credit demands for genuine productive requirements were fully met.

2.18 In pursuance of these objectives, the cut-off point of outstanding food credit at which 100 per cent refinance became available was raised from Rs.2,800 crores (effective July 1, 1983) to Rs.3,300 crores with effect from November 25, 1983.* Export refinance was earlier being provided to banks under a two-tier formula and the entitlements were equivalent to 50 per cent of the increase in export credit over the monthly average level of 1980 upto the monthly average level of 1981 *plus* 100 per cent of the increase over the monthly average level of export credit in 1981. With a view to providing a strong incentive to banks to expand export credit, the two-tier refinance formula was replaced, with effect from November 25, 1983 by a formula under which refinance is provided at a uniform rate of 125 per cent of the increase in export credit over the monthly average level for 1982.

* The cut-off point was further raised to Rs.4,000 crores with effect from September 28, 1984.

2.19 1983-84 के अधिक कामकाज के समय के लिए ऋण नीति में शामिल किए गए कुछ और महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिये गये हैं :-
(1) कुछेक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों, जिनमें पूंजीगत माल भी शामिल है, को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सड़क परिवहन निगमों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनर्भुनाई बिलों से संबंधित सुविधा की मात्रा 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गयी और यह सुविधा जून 1984 के अंत तक के लिए बढ़ा दी गयी, (2) ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत आनेवाली पार्टियों के लिए अधिकतम ऋण सीमा 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दी गयी, ताकि ऋण सीमाओं की मंजूरी देने की गति को और तेज किया जा सके, (3) नये 20 सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्यों को और सोद्देश्य बनाने के लिए और ऋण नीति के पुनर्वितरण संबंधी कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए, निम्नलिखित के लिए ब्याज दरों को कम किया गया। (i) किसानों को चुनिंदा अल्पावधि ऋण, और (ii) तिलहनों का कारोबार करनेवाली सरकारी एजेन्सियों के मूल्य समर्थन कार्यों के लिए ऋण, (4) सड़क परिवहन परिचालकों के मामले में ब्याज की रियायती दर पर ऋण की पात्रता को व्यापक बनाया गया, ताकि वाणिज्यिक वाहन उद्योग के विकास में सहायता मिल सके और छोटे सड़क परिवहन परिचालकों को भी और सहायता प्राप्त हो सके।

2.19 The other measures incorporated in the credit policy for the 1983-84 busy season were as follows: (1) With a view to further stimulating certain vital industrial sectors, including capital goods, the size of IDBI bills rediscounting facility for State Electricity Boards (SEBs) and State Road Transport Corporations (SRTCs) was increased from Rs.100 crores to Rs.150 crores and the facility was extended upto the end of June 1984; (2) The cut-off point for parties covered under the Credit Authorisation Scheme (CAS) for working capital limits was raised from Rs.3 crores to Rs.4 crores with a view to facilitating more expeditious sanction of credit limits; (3) In order to provide a more purposeful thrust to the objectives of the New 20-Point Programme and to strengthen the redistributive effect of credit policy, interest rates were lowered in respect of (i) select short-term loans to farmers, and (ii) loans for price support operations of Government agencies in oilseeds, and (4) the eligibility for credit at a concessional rate of interest in case of road transport operators was widened to provide an added stimulus to the growth of the commercial vehicles industry and also to further help the small road transport operators.

2.20 बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने कार्यों का मूल्यांकन करें। साथ ही समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य तथा मार्च 1985 और मार्च 1987 तक कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष वित्त के संबंध में कुल ऋण के क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत उपलक्ष्यों और मार्च 1985 तक कमजोर वर्गों के लिए वितरित किये जानेवाले कुल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत या प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 25 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए भी कहा गया। यद्यपि एकीकृत

2.20 Banks were asked to assess their own performance *vis-a-vis* the overall priority sector targets and in particular the sub-targets of 15 per cent and 16 per cent of total credit in respect of direct finance to agriculture including allied activities to be achieved by March 1985 and March 1987, respectively, and 25 per cent of priority sector advances or 10 per cent of total bank credit to be disbursed to the weaker sections by March 1985. Although the banks' performance

ग्रामीण विकास कार्यक्रम अंतर्गत बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ, फिर भी उनको यह सूचित किया गया उन्हें इस क्षेत्र में तथा नये बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में बैंकिंग तंत्र को सौंपे गये कार्यों को पूरा किये जाने की दिशा में और प्रगति दर्शानी होगी। बैंकों को भी यह भी सूचित किया कि वे शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वनियोजन प्रदान करने से संबंधित नयी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने तथा उनपर नजर रखने संबंधी कार्य आरंभ करें। छोटे उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। इसके अतिरिक्त बैंकों को यह भी कहा गया कि वे मझौले और बड़े उद्योग क्षेत्रों में अपने घटकों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, ताकि लघु उद्योग में आपूर्तिकर्ताओं को देय भुगतानों में विलम्ब न होने की बात सुनिश्चित की जा सके।

under the Integrated Rural Development Programme had improved, it was impressed on them that further progress would have to be achieved in this area as also in the tasks assigned to the banking system in the implementation of the New 20-Point Programme. The banks were advised to undertake effective implementation and monitoring of the new scheme for providing self-employment to the educated unemployed youth. The need for special attention to the requirements of small borrowers was also emphasised. Besides, banks were asked to use their influence with their constituents in the medium and large industry sector to ensure that payments due to suppliers in the small-scale industry were not delayed.

नवम्बर 1983 में किये गये उपाय

2.21 बैंकिंग तंत्र में अत्यधिक चलनिधि तथा मूल्यों में लगातार वृद्धि के संदर्भ में इस आवश्यकता को महसूस किया गया कि बैंकिंग तंत्र की चलनिधि को और कम किया जाये। जमा वृद्धि और ऋण विस्तार के बीच बेहतर तालमेल प्राप्त करने की दृष्टि से वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी अनुपात नियत वृद्धि करना आवश्यक समझा गया। अतः12 नवंबर 1983 से प्रारंभ सप्ताह से बैंकों से यह अपेक्षा की गयी वे अपनी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं में 11 नवंबर 1983 के स्तर से हुई वृद्धि के 10 प्रतिशत के बराबर वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी अनुपात रखेंगे। इसके बाद भी रिज़र्व बैंक के विचार में उत्पादन वृद्धि में सहायता देने के लिए अधिक कामकाज के समय के दौरान पर्याप्त ऋण प्रदान करने में बैंकों को किसी प्रकार की कठिनाई होने की संभावना नहीं थी।

November 1983 Measure

2.21 In the context of continued excess liquidity in the banking system and rising prices, the need was felt to further immobilise liquidity of the banking system. With a view to achieving a better alignment between deposit growth and credit expansion, an incremental cash reserve ratio was stipulated. Banks were required to maintain, with effect from the week beginning November 12, 1983, an incremental cash reserve ratio of 10 per cent of the increase in net demand and time liabilities over the level as on Friday, November 11, 1983. Even after this, in the Reserve Bank's view, banks were not expected to have any difficulty in providing adequate credit during the busy season to support the acceleration of output.

जनवरी 1984 में किये गये उपाय

2.22 वित्तीय वर्ष 1983-84 (जनवरी 1984 के

January 1984 Measures

2.22 The growth of reserve money in the

शुरू तक)में प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि जारी रही और संपूर्ण अर्थ में यह वृद्धि 1982-83 के पूर्ण वित्तीय वर्ष में हुई वृद्धि के लगभग दुगुनी के बराबर थी औरमुद्रास्फीति की दर भी वर्ष से 10 प्रतिशत से अधिक थी। इन गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग तंत्र की चलनिधि को इस प्रकार से और अधिक निष्क्रिय बनाने की तुरंत आवश्यकता समझी गयी, जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादनकारी क्षमताओं के उपयोग से संबंधित समर्थन के लिए विशेषरूप से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की जरूरतों के प्रवाह में कोई बाधा न आये। तदनुसार, 27 जनवरी 1984 को प्रारक्षित नकदी अनुपात में 4 फरवरी 1984 को आरंभ होनेवाले सप्ताह से .5 की और वृद्धि करके उसे 8.5 प्रतिशत से 9 प्रतिशत कर दिया गया।

अप्रैल 1984 में किये गये उपाय

2.23 1983-84 में मौद्रिक और ऋण गतिविधियों और 1984-85 के पूर्वार्द्ध में प्रत्याशित गतिविधियों की पृष्ठभूमि में अप्रैल 1984 के अन्तिम सप्ताह में ऋण नीति की समीक्षा की गई। वर्ष 1984-85 के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों में, 9,600 करोड़ रुपये (15.9 प्रतिशत) की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी और यह आशा की गई थी कि यह वर्ष की दो छमाहियों में समान रूप से वितरित हो सकेगी। तदनुसार बैंकों को सूचित किया गया कि वे वर्ष 1984-85 के पूर्वार्द्ध में जमाराशियों में हुई वृद्धि, जो लगभग 4,800 करोड़ रुपये होगी, के आधार पर अपनी कार्य योजना तैयार करें। अनुमानित जमाराशि-वृद्धि के इस स्तर पर, यह आशा की गई थी कि बैंक, अपनी चलनिधि में लगभग 800 करोड़ रुपये की वृद्धि करने में समर्थ होंगे और फिर भी वर्ष 1984-85 के पूर्वार्द्ध में 1,700 करोड़ रुपये के ऋण विस्तार की व्यवस्था कर सकेंगे।

2.24 वर्ष 1984 की बेहतर रबी फसल को देखते हुए यह आशा की गई थी कि खाद्यान्नों की भारी वसूली की जायेगी और इसीलिए, बैंकिंग तंत्र को यह

financial year 1983-84, (upto early January 1984) continued to be large – in absolute terms it was almost twice as large as the increase in the full financial year 1982-83, and the inflation rate, over the year, was also above 10 per cent. In view of these developments, there was an immediate need for further immobilisation of liquidity of the banking system without, in any way, hindering the seasonal flow of credit for supporting the utilisation of productive potential of the economy, and in particular, the needs of the priority sector. Accordingly, on January 27, 1984, the cash reserve ratio was further raised by one half of one percentage point from 8.5 per cent to 9 per cent with effect from the week beginning February 4, 1984.

April 1984 Measures

2.23 Credit policy was reviewed in the last week of April 1984 against the backdrop of the monetary and credit developments in 1983-84, and the anticipated developments in the first half of 1984-85. A growth of Rs.9,600 crores (15.9 per cent) in scheduled commercial banks' deposits was projected for 1984-85 and it was expected that it would be evenly distributed between the two halves of the year. Accordingly, banks were advised to plan their operations on the basis that the growth of deposits in the first half of 1984-85 would be around Rs.4,800 crores. At this level of estimated deposit growth, it was expected that banks would be able to increase their liquidity by around Rs.800 crores and still provide for a credit expansion of Rs.1,700 crores in the first half of 1984-85.

2.24 In view of the good 1984 rabi crop, food procurement was expected to be sizeable and hence the banking system was advised to make a provision for an increase in

सूचित किया गया कि मार्च 1984 और जून 1984 के बीच की अवधि के दौरान वे खाद्य-ऋण में वृद्धि के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान करें और उसके बाद सितम्बर 1984 के अंत तक खाद्य ऋण में लगभग 600 करोड़ रुपये तक की कमी हो जाने की आशा थी। अतः बैंकिंग तंत्र से यह आशा की गई थी कि वे 1984-85 के पूर्वार्द्ध में खाद्य-ऋण में होनेवाली समस्त वृद्धि के लिए वित्तपोषण स्वयं के संसाधनों से कर सकेंगे, यद्यपि खाद्य ऋण में भारी वृद्धि, जो वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध की विशेषता होती है, से उत्पन्न कठिनाई हल करने के लिए खाद्य-पुनर्वित्त हमेशा की तरह उपलब्ध कराया जाता रहेगा। फिर भी, अर्थ व्यवस्था में हुए सुधार के परिप्रेक्ष्य में 30 अप्रैल 1984 को निम्नलिखित एकमुश्त उपाय किए गए।

1) सांविधिक चलनिधि अनुपात

2.25 राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र में निवेश संबंधी संसाधन जुटाने की बात को ध्यान में रखते हुए सांविधिक चलनिधि अनुपात कुल मांग और मीयादी देयताओं के 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 36 प्रतिशत कर दिया गया। यह वृद्धि दो चरणों में की गयी-28 जुलाई 1984 से 35.5 प्रतिशत और 1 सितम्बर 1984 से 36 प्रतिशत। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को आश्वासन दिया है कि विवेकाधीन पुनर्वित्त उन बैंकों को अल्पावधि के लिए गुणवत्ता के आधार पर दिया जायेगा, जिनको इसकी आवश्यकता होगी, ताकि वे उच्चतर प्रारक्षित अपेक्षाओं के लिए समायोजन कर सकें।

2) अवरूद्ध नकदी शेषराशियां जारी करना

2.26 यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अधीन बैंकों द्वारा 14 जनवरी 1977 और 31 अक्तूबर 1980 के बीच वृद्धिशील निवल मांग और मीयादी देयताओं के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रारक्षित नकदी अनुपात रखना होता था। ये नकदी जमाराशियां अवरुद्ध

food credit of about Rs.900 crores between the end of March 1984 and the end of June 1984, after which food credit was expected to decline approximately by Rs.600 crores by the end of September 1984. Thus, the banking system was expected to be able to finance the entire increase in food credit in the first half of 1984-85 out of its own resources, though as usual food refinance would be available to smoothen out the sharp swings in food credit which are characteristic of the first half of the financial year. Against the background of emerging prospects for the economy, the following package of measures was announced on April 30, 1984:

1) *Statutory Liquidity Ratio*

2.25 With a view to providing resources for vital public sector investments within the framework of national priorities, the statutory liquidity ratio (SLR) was raised from 35 per cent to 36 per cent of total demand and time liabilities in two phases – to 35.5 per cent effective from July 28, 1984 and to 36 per cent effective from September 1, 1984. The Reserve Bank assured that discretionary refinance would be provided on merit for short periods to banks needing such assistance to enable them to adjust to the higher reserve requirements.

2) *Release of Impounded Cash Balances*

2.26 It may be recalled that under Section 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934, scheduled commercial banks were required to maintain an additional cash reserve ratio of 10 per cent of the incremental net demand and time liabilities accruing between January 14, 1977 and October

कर दी गयी थीं। चूंकि वर्ष में आगे बैंकों के संसाधनों पर एक सीमा तक दबाव पड़ सकता था और वर्ष 1984-85 के अधिक कामकाज के समय के आरंभ होने से पूर्व वे अपने संसाधनों का आबंटन सुचारु रूप से कर सकें, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि बैंकों को अवरुद्ध बकाया राशियों का पांचवां हिस्सा दो समान किस्तों में दिनांक 29 सितम्बर 1984 और 27 अक्तूबर 1984 को जारी कर दिया जाये।* 31 अक्तूबर 1980 को अवरुद्ध बकाया राशि 1,859 करोड़ रुपये की थी अतः लगभग 372 करोड़ रुपये की राशि जारी की जायेगी।

3. मीयादी ऋणों के लिए उच्चतम सीमा बढाना

2.27 ऋण प्राधिकरण योजना के अर्न्तगत न आनेवाली निजी क्षेत्र की पार्टियों के मामले में बैंकों को और अधिक विवेकाधिकार देने की दृष्टि से जिन मीयादी ऋणों के लिए (तीन वर्ष से अधिक के) रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकार लेना पड़ता था, उनके लिए उच्चतम सीमा 50 लाख से बढाकर एक करोड़ रुपये कर दी गयी।

ऋण बजट

2.28 प्रमुख बैंकों के 1983-84 के लिए ऋण बजट पर जून-जुलाई 1983 में हुई प्रथम चरण की चर्चा के बारे में गत वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। वर्ष 1983-84 के अधिक कामकाज के समय के लिए 20 अक्तूबर 1983 को घोषित ऋण नीति और नवंबर 1983 में वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी अनुपात के निर्धारण के बाद बैंकों से यह अनुरोध किया गया कि वे वर्ष 1983-84 के अपने ऋण बजट में परिशोधन करें और ऋण बजट पर और आगे बातचीत कुछ ही बैंकों के साथ फरवरी/मार्च 1984 में की गयी थी।

* अवरुद्ध नकदी शेष के पांचवें हिस्से को जारी करना एक महीने के लिए स्थगित करने से क्रमशः 27 अक्तूबर 1984 और 1 दिसंबर 1984 कर दी गयी।

31, 1980. These cash balances had remained impounded. Since banks might face some degree of resource constraint as the year progresses as also to enable them to plan their resource allocation in a smooth manner before the onset of the 1984-85 busy season, it was decided to release one-fifth of the impounded balances in two equal instalments, on September 29, 1984 and October 27, 1984.* Since the impounded cash balances as on October 31, 1980 amounted to Rs.1,859 crores, an amount of approximately Rs.372 crores would be released.

3) *Raising of Cut-off Point for Term Loans*

2.27 In order to provide greater discretion to banks in the case of private sector parties not covered by the CAS, the cut-off point for term loans (of over three years) which require prior authorisation by the Reserve Bank, was raised from the level of Rs.50 lakhs to Rs.1 crore.

Credit Budgets

2.28 A reference was made in last year's Report regarding the discussions held with major banks in June-July 1983 on their credit budgets for 1983-84. After the announcement of the credit policy for the 1983-84 busy season on October 20, 1983, and the stipulation of an incremental cash reserve ratio in November 1983, banks were requested to revise their credit budgets for 1983-84 and further credit budget discussions were held with only a few banks in February/March 1984.

* The release of the one-fifth of the impounded cash balances was postponed by one month to October 27, 1984 and December 1, 1984.

2.29 30 अप्रैल 1984 को वर्ष 1984-85 के लिए ऋण नीति की घोषणा करने के बाद सरकारी क्षेत्र के 21 प्रमुख बैंकों के साथ जून-जुलाई 1984 में चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि मुद्रास्फीति के सतत दबाव की दृष्टि से 1984-85 में चलनिधि में समग्र वृद्धि पिछले वर्ष से स्पष्ट रूप से कम रखनी होगी और प्रारक्षित धन की वृद्धि को उचित रूप से नियमित करना आवश्यक था। अतः बैंकों से कहा गया कि वे रिज़र्व बैंक से उपलब्ध पुनर्वित्त सुविधाओं को हिसाब में लिये बिना अपने निजी संसाधनों के आधार पर ऋण विस्तार की योजना बनायें। रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त का उपयोग संसाधनों और निधियों के प्रयोग में असंतुलन की स्थिति में ही किया जायेगा। बैंकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 में संशोधन के बाद सांविधिक चलनिधि अनुपात में चूक पर दंड उक्त संशोधन लागू होते ही देय हो जायेगा। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि ऋण विनियोजन करते समय कृषि और औद्योगिक उत्पादन में सुधार से उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बैंकों को यह बात फिर से बतायी गयी कि चालू वर्ष कतिपय लक्ष्यों/उपलक्ष्यों के लिए अंतिम वर्ष है और बैंकों को उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न करने चाहिए। इसके अलावा बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार की योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य पूरे किये जायें।

2.30 **चयनात्मक ऋण नियंत्रण:** संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम देने के मामले में बैंक द्वारा चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपायों में किये गये कतिपय परिवर्तनों का उल्लेख नीचे किया गया है :

2.31 **"ऑफ सीजन" खर्चों के लिए चीनी उद्योगों को अग्रिम:** यह बात उल्लेखनीय है कि बैंक द्वारा 5 नवंबर 1982 को दी गई सलाह के अन[illegible] अनुसूचित

2.29 After the announcement of the credit policy for 1984-85 on April 30, 1984, discussions were held with 21 major public sector banks in June-July 1984. It was emphasised during the discussions that in view of the continuing inflationary pressures, the overall growth of liquidity in 1984-85 would need to be clearly lower than in the previous year and there was a need for an appropriate regulation of the growth of reserve money. Banks were advised to plan their credit expansion on the basis of their own resources without taking credit for available Reserve Bank refinance facilities which should be used essentially as a cushion in the event of a mismatch between the sources and uses of funds. Banks' attention was drawn to the fact that with the amendment to Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949, the penalties on SLR defaults would become payable as soon as the said amendment is brought into force. Banks were also advised that in the deployment of credit, cognisance should be taken of the requirements of productive sectors following a recovery in agricultural and industrial output. It was reiterated to banks that the current year is the end period for certain priority sector targets/sub-targets and banks should make concerted efforts to ensure that those targets were achieved. Furthermore, banks were advised to ensure that the stipulated targets under the scheme for self-employment of educated unemployed youth were attained.

2.30 **Selective Credit Control** : A few changes made by the Bank in selective credit control measures in respect of advances against sensitive commodities are indicated below :

2.31 *Advances to Sugar Industry for off-season expenses:* It will be recalled that the scheduled commercial banks were not requir-

वाणिज्य बैंकों को "ऑफ सीजन" ख़र्चों के लिए चीनी मिलों की प्रति इकाई को 25 लाख रुपये तक के गैरजमानती ऋण जारी करते समय रिज़र्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती थी। ऑफ सीजन खर्चों के मामले की जांच करने और सभी संगत घटकों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक ने 14 जुलाई 1983 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया कि सामान्य नीति के रूप में आगामी 1983-84 के मौसम के लिए ऑफ सीजन खर्चों से संबंधित गैरजमानती ऋणों के लिए अनिवार्य रूप से मंजूरी देना कोई आवश्यक नहीं है। फिर भी अलग-अलग मामलों पर गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है और इस संबंध में किसी भी गैरजमानती ऋण के जारी करने से पहले बैंकों को रिज़र्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त कर लेना चाहिए।

ed to obtain prior authorisation from the Reserve Bank as per the Bank's November 5, 1982 advice while releasing clean loans not exceeding Rs.25 lakhs per unit to sugar mills towards off-season expenses. After examining the matter of off-season expenses and considering all the relevant factors, the Reserve Bank advised scheduled commercial banks on July 14, 1983 that clean loans for off-season expenses for the 1983-84 season need not necessarily be granted as a general policy. Individual cases could, however, be dealt with on merits and banks should obtain the Reserve Bank's prior authorisation before the release of any clean loans.

2.32 **1983-84 के पेराई-मौसम के लिए चीनी उद्योगों को अग्रिम :** 7 नवंबर 1983 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि वे प्रत्येक चीनी मिल के चीनी उत्पादन के अनुमानों के अधीन रिज़र्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना 1982-83 के मौसम के दौरान प्राप्त की गयी अधिकतम राशि (अस्थायी अतिरिक्त आहरणों को छोड़कर) की आवश्यकता पर आधारित ऋण सीमाओं के 110 प्रतिशत तक 1983-84 के मौसम (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान स्वीकृत कर सकते हैं। तथापि ऋण खातों में दर्शाये गये वास्तविक आहरणों को मिलों के मासिक नकदी बजट में बताये गये घाटे के आधार पर नियमित किया जाता रहेगा। यद्यपि समग्र आहरण सीमा के अंदर उपयुक्त उप सीमाएँ नियत की जा सकेंगी और बंधक/दृष्टिबंधक चीनी के स्टाकों, खरीदे और भुनाये गये बिलों आदि पर, नकद ऋण के रूप में अनुमति दी जा सकेगी। लेकिन बैंकों को चाहिए कि वे समग्र सीमा के बाहर किसी भी तरह की अन्य ऋण सुविधाएँ दिये जाने की अनुमति न दें, चाहे वे गैर-जमानती आधार पर हों अथवा अतिरिक्त कल-पुर्जे, अन्य कच्चे माल, संयंत्र और

2.32 *Advances to Sugar Industry for 1983-84 crushing season :* Scheduled commercial banks were advised on November 7, 1983 that subject to the estimates of sugar production of individual sugar mills, banks could sanction for the 1983-84 season (October-September) need-based credit limits up to 110 per cent of the maximum amount availed of during the 1982-83 season (excluding temporary excess drawings) without obtaining the Reserve Bank's prior authorisation. The actual drawings in the borrowal accounts are to be regulated on the basis of the deficit disclosed in the monthly cash budget of mills. While suitable sub-limits could be fixed within the overall drawing limit and allowed as cash credit against stocks of sugar pledged/hypothecated, bills purchased and discounted, etc., the banks should not allow any other credit facilities outside the overall limit whether on clean basis or secured by assets such as spares, other raw materials, plant and machinery, etc. The sanction for additional credit limits beyond that indicated above to indivi-

मशीनरी जैसी परिसंपत्तियों की जमानत पर हों। ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत, अलग-अलग चीनी मिलों को ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त ऋण सीमाओं के बाहर दी जानेवाली मंज़ूरी के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होगी।

dual sugar mills covered by the Credit Authorisation Scheme would require the prior authorisation of the Reserve Bank.

2.33 **चीनी के सुरक्षित भंडार: (बफर स्टॉक)** चीनी के मौसम के दौरान सरकार के पहली अक्तूबर 1983 के इस निर्णय के उपरांत कि चीनी के विद्यमान सुरक्षित भंडार में खुले बाजार में बेची जानेवाली चीनी में 5 लाख टन वृद्धि करके उसे कुल 10 लाख टन कर दिया जाये, रिज़र्व बैंक ने 15 नवंबर 1983 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया कि विद्यमान सुरक्षित भंडार में शामिल किये गये खुले बाजार में बेची जानेवाली चीनी के भंडार पर 100 प्रतिशत आहरणों की व्यवस्था किये जाने के परिणामस्वरूप जारी की गयी राशि को बैंकों द्वारा सब से पहले इस्तेमाल में लाया जाये, ताकि चीनी मिलों के नकदी ऋण खातों में होने वाली अनियमितताओं को ठीक किया जा सके और उसके बाद गन्ने से संबंधित देयताएँ पूरी की जा सकें।

2.33 *Buffer stocks of sugar* : Following the Government's decision to add 5 lakh tonnes of free sale sugar to the existing buffer stocks to make a total of 10 lakh tonnes effective from October 1, 1983, the Reserve Bank advised all scheduled commercial banks on November 15, 1983 that the amount released as a result of providing 100 per cent drawings against stocks of free sale sugar added to the existing buffer stock should first be used by the banks to rectify he irregularities in the cash credit account of the sugar mills and thereafter for meeting cane dues.

2.34 **चीनी भंडारों का मूल्यांकन** : भारत सरकार ने खुले बाजार में बेची जानेवाली चीनी के लिए हर माह टैरिफ मूल्य घोषित करने की प्रणाली मार्च 1983 में बंद कर दी। तदुपरांत रिज़र्व बैंक ने 5 अगस्त 1983 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया कि वे सामान्य बैंकिंग व्यवस्था के रूप में जमानत के रूप में अपने पास रखे चीनी भंडारों का मूल्य लागत अथवा बाजार भाव इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित करें। इस प्रयोजन के लिए लेवी चीनी भंडारों का मूल्यांकन लेवी भाव पर तथा खुले बाजार में बेची जानेवाली चीनी के भंडारों, जिनमें सुरक्षित भंडार घटक भी शामिल है, का मूल्य निर्धारण बाजार भाव पर करना था। लेवी और खुले बाजार की चीनी

2.34 *Valuation of Sugar stocks* : The Government of India discontinued in March 1983 the practice of declaring a monthly tariff value for free sale sugar. Consequently, the Reserve Bank advised all scheduled commercial banks on August 5, 1983, to value sugar stocks charged to them as security at cost or market price, whichever was lower, as is the normal banking practice. For this purpose, levy sugar stocks were to be valued at levy price and free sale stocks including buffer component were to be valued at market price and also the total of levy and free sale stocks including buffer component were to be valued uniformly at cost price.

जिनमें सुरक्षित भंडार भी शामिल है, के कुल भंडारों का मूल्य निर्धारण लागत-मूल्य के आधार पर किया जाना था। आहरण शक्ति का निर्धारण इनमें से निम्नतर मूल्य लेकर और उसमें से मार्जिन घटाकर किया जाना था।

The lower of the two valuations less appropriate margins was to be taken for determining the drawing power.

2.35 30 जनवरी 1984 से चीनी के भंडार पर दिये जानेवाले अग्रिमों के लिए जमानत के रूप में बैंकों के पास रखी लेवी तथा मुक्त रूप से बेची जानेवाली चीनी के मूल्य-निर्धारण की पद्धति में और संशोधन किया गया। नयी पद्धति के अंतर्गत लेवी चीनी के भंडार का मूल्य-निर्धारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये लेवी भाव पर और मुक्त रूप से बेची जानेवाली चीनी के भंडार (सुरक्षित भंडार सहित) का मूल्य-निर्धारण पूर्ववर्ती तीन महीनों (परिवर्तनीय औसत) में लिये गये औसत भावों या चालू बाजार मूल्य, इसमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए मूल्यों में उत्पादन-शुल्क शामिल नहीं होगा। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे जारी न की गयी मुक्त रूप से बेची जानेवाली चीनी के भंडार से संबंधित आहरण शक्ति के बारे में निर्णय लेने में उचित सावधानी से काम लें, क्योंकि मुक्त रूप से बेची जानेवाली चीनी का बाजार मूल्य समय-समय पर घटता-बढ़ता रहता है।

2.35 Effective from January 30, 1984, there was a further modification in the method of valuation of levy and free sale sugar charged to the banks as security for advances against sugar stocks. Under the new method, stocks of levy sugar are to be valued at the levy price fixed by the Government of India and stocks of free sale sugar (including buffer stocks) at the average price realised in the preceding three months (moving average) or the current market price, whichever is lower. The prices for this purpose would be exclusive of excise duty. The banks were also advised to observe due care in arriving at the drawing power on the non-released free sale sugar stocks, since the market prices of free sale sugar would fluctuate from time to time.

2.36 **गोदाम रसीदों पर अग्रिम:** 4 जुलाई 1983 को बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे विनियमित मंडी यार्ड अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा गठित कृषि उत्पादन विपणन समितियों द्वारा बनाये गये गोदामों द्वारा जारी की गई गोदाम रसीदों को केन्द्रीय/राज्य भंडारण निगमों के गोदामों द्वारा जारी की गयी रसीदों के समान ही मानें, बशर्ते ये गोदाम वैज्ञानिक ढंग से बनाये गये हों और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा चलाये जा रहे हों। इसके अलावा, जिन पण्यों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, और जिनके लिए

2.36 *Advances against warehouse receipts:* The banks were advised on July 4, 1983 to treat warehouse receipts issued by warehouses constructed by Agricultural Produce Market Committees, set up by the State Governments under the Regulated Market Yards Act, on par with those issued by the warehouses of Central/State Warehousing Corporations, provided that the warehouses are constructed scientifically and are manned by trained staff. Further, the concessions in margin and interest rate that are allowed

केन्द्रीय राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा वसूली के प्रबंध किये गये हैं, उन पण्यों से संबंधित ग्रामीण गोदामों की गोदाम रसीदों पर 5,000/- रुपये तक के छोटे अग्रिमों के मामले में जो मार्जिन और ब्याज दर में छूट दी गयी है, वही छूट केन्द्रीय/राज्य भंडारण निगमों के तथा कृषि उत्पादन मंडी समितियों के ग्रामीण गोदामों द्वारा जारी की गयी गोदाम रसीदों पर दिये जानेवाले 5,000/- रुपये तक के समान अग्रिमों के मामले में दी जानी थी। ये रियायतें, एक ग्रामीण गोदाम में रखे गये माल पर केवल एक अग्रिम प्रति उधारकर्ता तक ही सीमित रखी जानी थीं, और बैंकों को यह भी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता थी कि छोटे किसानों द्वारा भंडारण के लिए लाये गये उत्पादन की मात्रा उसकी भूमि-जोतों (अर्थात् 5 एकड़ या उससे कम) के अनुरूप ही हो।

in respect of small advances up to Rs.5,000/- against warehouse receipts of rural godowns covering commodities for which support prices have been announced, and in respect of which procurement arrangements by Central/State Government agencies exist, were also extended to similar advances up to Rs.5,000 against warehouse receipts issued by rural warehouses of Central/State Warehousing Corporations as well as Agricultural Produce Market Committees. These concessions are to be confined to only one advance per borrower in respect of stocks held in one rural godown and the banks are also required to ensure that the quantity of produce brought by the small farmer for storage is consistent with the size of his land holdings (viz., five acres or less).

2.37 **किसानों को खाद्यान्नों पर दिये जाने वाले अग्रिमों में छूट :** बैंकों द्वारा प्रति किसान 2,500 रुपये तक दिये गये प्रत्यक्ष अग्रिमों या बकाया फसल ऋण की राशि, इसमें से जो भी कम थी, और प्राथमिक सहकारी समितियों को उनके किसान सदस्यों के लिए खाद्यान्नों की जमानत पर ऋण देने के लिए दिये जाने वाले ऐसे अग्रिम जो फसल की कटाई से तीन माह की अवधि के लिए खड़ी फसल पर पहले ही स्वीकृत किये गये अग्रिम दर्शाते हैं, को चयनात्मक ऋण नियंत्रण की परिधि में लाने से पूरी छूट दे दी गई थी। इस तरह की छूट से संबंधित ऋण सीमा को 4 जुलाई 1983 से प्रति किसान 5,000 रुपये तक की गयी वृद्धि या फसल ऋण की बकाया राशि, उसमें से जो भी कम हो, तक बढ़ा दिया गया था।

2.37 *Exemption of advances against foodgrains to farmers:* Direct advances by banks upto Rs.2,500 per farmer or the amount of crop loan outstanding, whichever was lower, and advances to primary co-operative societies for extending credit to their cultivator members against security of foodgrains, which represent an extension of advances granted earlier against the standing crop for a period of three months from the date of harvesting, were completely exempt from the purview of selective credit control. The credit limit for such exemption was raised with effect from July 4, 1983 to Rs.5,000 per farmer or the amount of the crop loan outstanding, whichever is lower.

2.38 **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले हिताधिकारियों को अग्रिम :** एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन

2.38 *Advances to IRDP beneficiaries:* With a view to enabling the IRDP beneficiaries to avail of the concessional facilities provided under the Scheme, the Reserve Bank advised

आने वाले हिताधिकारियों को इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध रियायत संबंधी सुविधा प्रदान कराने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 फरवरी 1984 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले हिताधिकारियों को मूल्यों में उतार-चढ़ाव वाले पण्यों की जमानत पर स्वीकृत किये गये अग्रिम ऐसे नियंत्रण के कार्यक्षेत्र से पूरी तरह से मुक्त रहेंगे ।

all scheduled commercial banks on February 3, 1984 that advances against sensitive commodities sanctioned to IRDP beneficiaries would be completely exempt from the purview of selective credit control.

शिक्षित बेरोजगार युवकों को अग्रिम

2.39 शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंक अधिक से अधिक 25,000 रुपये तक की सहायता स्वीकृत कर सकते हैं और यह संभव है कि कुछ हिताधिकारी ऐसे पण्यों के अभिसंस्करण, विनिर्माण और/अथवा व्यापार का कार्य हाथ में लें, जो चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आते हों । इसलिए बैंकों को 8 मई 1984 को सूचित किया गया कि योजना के अंतर्गत इस प्रकार के हिताधिकारियों को स्वीकृत अग्रिम चयनात्मक ऋण नियंत्रण की परिधि से पूरी तरह बाहर रखे जायें ।

2.39 *Advances to Educated Unemployed Youth:* Under the scheme for providing self-employment to the educated unemployed youth, scheduled commercial banks can sanction assistance up to a maximum extent of Rs.25,000 and it is possible that some of the beneficiaries may like to take up processing, manufacturing and/or trading activities in commodities covered by selective credit control. Hence, the banks were advised on May 8, 1984 that advances sanctioned to such beneficiaries under the Scheme would be completely exempt from the purview of selective credit control.

विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत अग्रिम

2.40 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 11 मई 1984 को सूचित किया गया कि विभेदक ब्याज दर योजना की सभी शर्तें पूरी करने वाले ऋणकर्ताओं को चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले व मूल्यों में उतार-चढ़ाव वाले पण्यों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण के उपबंधों से पूरी छूट दी जायेगी ।

2.40 *Advances under Differential Rates of Interest (DRI) Scheme :* Scheduled commercial banks were advised on May 11, 1984 that advances against sensitive commodities coming under the purview of selective credit control to borrowers satisfying all the conditions under the DRI Scheme shall be exempted completely from the provisions of selective credit control.

छोटे अग्रिमों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण से छूट

2.41 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 11 मई 1984 को यह भी सूचित किया गया कि चयनात्मक ऋण

2.41 *Exemption of small advances from selective credit control :* Scheduled commercial banks were also informed on May 11, 1984 that complete exemption from the

नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले संवेदनशील पण्यों की जमानत पर दिये गये प्रति ऋणकर्ता 5,000 रुपये तक की कुल सीमा के अग्रिम चयनात्मक ऋण नियंत्रण के उपबंधों से मुक्त रखे जायेंगे। यह छूट इस शर्त पर होगी कि ऋणकर्ता केवल एक बैंक से व्यवहार करेगा।

provisions of selective credit control would be granted to advances upto an aggregate limit of Rs.5,000 per borrower sanctioned against the stocks of sensitive commodities covered by the selective credit control, subject to the condition that a borrower should deal with only one bank.

अन्य नीतिगत उपाय

2.42 **सूती वस्त्रों की बिक्री से संबंधित विनिमय बिल :** बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि सूती वस्त्रों की बिक्री से संबंधित ऐसे विनिमय बिलों की भुनायी करने से बचें जिनकी मीयादी 60 दिनों से अधिक है। उपर्युक्त अनुदेश पुनः इसलिए जारी किए गये थे कि बैंक के यह नोटिस में लाया गया था कि कुछेक बैंकों निर्बद्ध मीयादी बिलों का स्वतंत्र रूप से भुगतान कर रहे हैं।

Other Policy Measures

2.42 *Bills of exchange arising out of sales of cotton textiles :* Banks were advised to refrain from discounting bills of exchange arising out of sale of cotton textiles having usance in excess of 60 days. The above instructions were reiterated as it was brought to the notice of the Bank that certain banks were discounting clean usance bills freely.

2.43 **चलनिधि अनुपात के लिए प्रतिभूतियों का मूल्यांकन :** प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य से अनधिक मूल्यांकन किये जाने की अपेक्षा के रूप में आंशिक छूट के रूप में जो रियायत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मार्च 1984 तक उपलब्ध थी, उसे सितम्बर 1984 के अंत तक और बढ़ा दिया गया है।

2.43 *Valuation of Securities for Liquidity Ratio :* The concession in the form of a partial exemption from the requirement of securities being valued at prices not exceeding the market prices, which was available to scheduled commercial banks upto March 1984 was further extended till the end of September 1984.

ऋण का वितरण

2.44 **ऋण का क्षेत्रवार वितरण :** मार्च 1984 के अंत में सकल बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण से संबंधित आंकड़े सारणी 2.3 में दिये गये हैं। ये उन पचास बैंकों से संबंधित हैं, जिनका कुल सकल बैंक ऋण में लगभग 95 प्रतिशत अंश था। इन आंकड़ों के अनुसार 1983-84 (जून से मार्च) में वृद्धिशील खाद्येतर सकल बैंक ऋण 4524 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 1982-83 (जून-मार्च) में यह 4,577 करोड़ रुपये था। वृद्धिशील खाद्येतर ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंश में काफी वृद्धि हुई और वह 36.0 प्रतिशत से 48.6 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि तीनों उपक्षेत्रों अर्थात कृषि, लघु उद्योग और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में परिलक्षित हुई।

Deployment of Credit

2.44 *Sectoral Deployment of Credit :* The data pertaining to sectoral deployment of gross bank credit as at the end of March 1984 are presented in Table 2.3. These relate to 50 banks which account for about 95 per cent of the gross bank credit. According to these data, the incremental non-food gross bank credit in 1983-84 (June – March) amounted to Rs.4,524 crores as compared to the expansion of Rs.4,577 crores in 1982-83 (June-March). The share of priority sector in incremental non-food credit improved sizeably from 36.0 per cent to 48.6 per cent. The acceleration was noticed particularly in two sub-sectors viz., small-scale industries (SSI) and other priority sectors.

सारणी : 2.3 : सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	बकाया				निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़	
	जुन 1982	मार्च 1983*	जून 1983	मार्च 1984 @	जून 1982 की तुलना में मार्च 1983	जून 1983 की तुलना में मार्च 1984
I. सकल बैंक ऋण	29,775	34,491	35,489	40,454	+ 4,716	+ 4,965
II. सार्वजनिक खाद्यान्न वसूली ऋण	2,825	2,964	3,589	4,030	+ 139	+ 441
III. खाद्येतर सकल बैंक ऋण	**26,950**	**31,527**	**31,900**	**36,424**	**+4,577**	**+ 4,524**
					(100.0)	(100.0)
अ. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	10,673	12,322	12,637	14,834	+ 1,649	+ 2,197
					(+ 36.0)	(+ 48.6)
i) कृषि	4,594	5,275	5,375	6,133	+ 681	+ 758
					(+14.9)	(+ 16.8)
ii) लघु उद्योग	3,909	4,486	4,584	5,412	+ 577	+ 828
					(+12.6)	(+ 18.3)
iii) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2,170	2,561	2,678	3,289	+ 391	+ 611
					(+ 8.5)	(+ 13.5)
आ. उद्योग (मझौले और बड़े)	11,213	13,276	13,394	14,964	+ 2,063	+ 1,570
					(+45.1)	(+ 34 7)
इ) थोक व्यापार	2,122	2,353	2,267	2,338	+ 231	+ 71
(खाद्यान्नों की वसूली को छोड़कर)					(+ 5.0)	(+ 1.5)
i) भारतीय कपास निगम	271	290	264	193	+ 19	· 71
					(+ 0.4)	(—1.6)
ii) भारतीय खाद्य निगम (उर्वरक-ऋण)	454	412	408	241	— 42	— 167
					(— 0.9)	(—3.7)
iii) भारतीय जूट निगम	99	74	21	49	— 25	+ 28
					(— 0.5)	+ (0.6)
iv) अन्य व्यापार	1,298	1,577	1,574	1,855	+ 279	+ 281
					(+ 6.0)	(+ 6.2)
ई) अन्य क्षेत्र	2,942	3,576	3,602	4,288	+ 634	+ 686
					(+ 1.9)	(+ 15.2)
शुद्ध बैंक ऋण	28,821	33,510	34,298	39,081	+4,689	+ 4,783
शुद्ध बैंक ऋण में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का प्रतिशत	37.0	36.8	36.8	38.0		
निर्यात ऋण (III के अंतर्गत शामिल)	1,722	1,726	1,775	2,042	+ 4	+ 267

@ अनंतिम   * 31 मार्च, 1983 के अनुसार

टिप्पणी : 1) आंकड़े उन 50 बैंकों से संबंधित हैं जिनका अंश सकल बैंक ऋण में लगभग 95 प्रतिशत है । इन आंकड़ों में रिज़र्व बैंक में पुनः भुनाये गये बिलों हिसाब में लिये जाने के अलावा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य अनुमोदित संस्थाओं में पुनः भुनाये गये बिल और सहभागिता प्रमाणपत्र भी शामिल हैं । нсɪ V में दिये गये बैंक ऋण आंकड़े पुनः भुनाये गये ऐसे बिलों के शुद्ध आंकड़े हैं ।

2) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े खाद्येतर वृद्धिशील ऋण के अनुपात के आंकड़े हैं ।

स्रोत : साख्य आयोजन कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक ।

TABLE 2.3: SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT
(As on the last Friday)

(Rs. Crores)

Sector	Outstandings				Variations during	
	June 1982	March 1983*	June 1983	March 1984@	March '83 over June '82	March '84 over June '83
I. Gross Bank Credit	29,775	34,491	35,489	40,454	+4,716	+4,965
II. Public Food Procurement Credit	2,825	2,964	3,589	4,030	+ 139	+ 441
III. **Non-food Gross Bank Credit**	**26,950**	**31,527**	**31,900**	**36,424**	**+4,577** (100.0)	**+4,524** (100.0)
(A) Priority Sectors	10,673	12,322	12,637	14,834	+1,649 (+36.0)	+2,197 (+48.6)
i) Agriculture	4,594	5,275	5,375	6,133	+ 681 (+14.9)	+ 758 (+16.8)
ii) Small-Scale Industries	3,909	4,486	4,584	5,412	+ 577 (+12.6)	+ 828 (+18.3)
iii) Other Priority Sectors	2,170	2,561	2,678	3,289	+ 391 (+ 8.5)	+ 611 (+13.5)
(B) Industry (Medium & Large)	11,213	13,276	13,394	14,964	+2,063 (+45.1)	+1,570 (+34.7)
(C) Wholesale Trade (other than food procurement)	2,122	2,353	2,267	2,338	+ 231 (+ 5.0)	+ 71 (+ 1.5)
i) Cotton Corporation of India	271	290	264	193	+ 19 (+ 0.4)	— 71 (— 1.6)
ii) Food Corporation of India (Fertiliser Credit)	454	412	408	241	— 42 (— 0.9)	— 167 (— 3.7)
iii) Jute Corporation of India	99	74	21	49	— 25 (— 0.5)	+ 28 (+ 0.6)
iv) Other Trade	1,298	1,577	1,574	1,855	+ 279 (+ 6.0)	+ 281 (+ 6.2)
(D) Other Sectors	2,942	3,576	3,602	4,288	+ 634 (+13.9)	+ 686 (+15.2)
IV. Net Bank Credit	28,821	33,510	34,298	39,081	+4,689	+4,783
Percentage of priority sector to net bank credit	37.0	36.8	36.8	38.0		
Export Credit (included under III)	1,722	1,726	1,775	2,042	+ 4	+ 267

@ Provisional. *As on March 31, 1983.

Note: 1. Data relate to 50 banks which account for about 95 per cent of gross bank credit. Further, these data, besides taking into account bills rediscounted with the RBI, include bills rediscounted with the IDBI and other approved institutions and participation certificates. Bank credit figures at item IV are net of such bills rediscounted.

2. Figures in brackets are proportions to non-food incremental credit.

Source: Credit Planning Cell, RBI.

2.45 कृषि के मामले में वृद्धिशील ऋण 758 करोड़ रुपये था, जो जून 1983-मार्च 1984 के बीच खाद्येतर सकल बैंक ऋण में हुई वृद्धि का 16.8 प्रतिशत था, जबकि 1982-83 (जून-मार्च) में यह अंश 14.9 प्रतिशत था। लघु उद्योग का अंश भी 1982-83 के 577 करोड़ रुपये (12.6 प्रतिशत) की तुलना में 828 करोड़ रुपये (18.3 प्रतिशत) बढ़ा। मार्च 1984 के अंत में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कुल 14,834 करोड़ रुपये के अग्रिमों में कृषि का अंश 41.3 प्रतिशत और लघु उद्योग का अंश 36.5 प्रतिशत था।

2.45 The incremental credit to agriculture at Rs.758 crores formed 16.8 per cent of the increase in non-food gross bank credit during June 1983-March 1984 compared with a share of 14.9 per cent recorded in 1982-83 (June-March). The share of small-scale industries also moved up by Rs.828 crores (18.3 per cent) compared with Rs.577 crores (12.6 per cent) in 1982-83. Of the total priority sector advances of Rs.14,834 crores at the end of March 1984, agriculture accounted for 41.3 per cent and SSI for 36.5 per cent.

2.46 मार्च 1985 तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रके लिए निर्धारित लक्ष्य 40 प्रतिशत और कृषि के लिए प्रत्यक्ष पुनर्वित हेतु परिशोधित उपलक्ष्य 15 प्रतिशत था। इसकी तुलना में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों का अंश मार्च 1984 के अंत में शुद्ध बैंक ऋण की 39,081 करोड़ रुपये की कुल राशि में 38.0 प्रतिशत और कृषि का अंश 15.7 प्रतिशत था। बड़े और मझौले उद्योगों के अग्रिमों में 1983-84 (जून-मार्च) में 1,570 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में हुई 2,063 करोड़ रुपये की हुई वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी। परिणामस्वरूप वृद्धिशील खाद्येतर सकल बैंक ऋण में बड़े और मझौले उद्योगों के अंश 1982-83 के 45.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर 34.7 प्रतिशत रह गये। मार्च 1984 के अंत में बड़े और मझौले उद्योगों के बकाया ऋण की राशि 14,964 करोड़ रुपये थी, जो एक वर्ष पूर्व सकल बैंक ऋण के 38.5 प्रतिशत अंश की तुलना में 37.0 प्रतिशत थी।

2.46 As against the target of 40 per cent of total net bank credit set for all priority sectors and the revised sub-target of 15 per cent for direct finance to agriculture to be reached by March 1985, advances to priority sector constituted 38.0 per cent and those for agriculture 15.7 per cent of the total net bank credit of Rs.39,081 crores as at the end of March 1984. Increase in advances to large and medium industries was smaller at Rs.1,570 crores in 1983-84 (June-March) than that of Rs.2,063 crores in the corresponding period of the previous year. Consequently, the proportion of large and medium industries in incremental non-food gross bank credit decreased from 45.1 per cent in 1982-83 to 34.7 per cent in 1983-84. The outstanding credit to large and medium industries at the end of March 1984 at Rs.14,964 crores accounted for 37.0 per cent of gross bank credit, as compared to 38.5 per cent a year ago.

2.47 उद्योगवार आंकड़े (बड़े, मझौले और छोटे साथ-साथ) सारणी 2.4 में दिये गए हैं। देखा जा सकता है कि 1983-84 (जून-मार्च) में उद्योगों को दिये गये अग्रिमों में 2,398 करोड़ रुपये की वृद्धि में से

2.47 Industry-wise data (large, medium and small-scale together) are given in Table 2.4. It is observed that of the total increase of Rs.2,398 crores in advances to the industries in 1983-84 (June-March), engineering indus-

इंजीनियरी उद्योग का अंश 753 करोड़ रुपये था, उसके बाद सूती वस्त्र (249 करोड़ रुपये) और अन्य वस्त्र उद्योग (190 करोड़ रुपये) का स्थान है। चीनी उद्योग से 78 करोड़ रुपये का ऋण वापस मिला, जबकि 1982-83 (जून-मार्च) में इसमें 62 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

try alone accounted for Rs.753 crores, followed by cotton textiles (Rs.249 crores) and other textiles (Rs.190 crores). There was a return flow of credit of Rs.78 crores from the sugar industry as compared to an increase of Rs. 62 crores in 1982-83 (June-March).

2.48 इस अवधि के दौरान थोक व्यापार (खाद्यान्न वसूली के अलावा) को अग्रिमों में 71 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वे 2,338 करोड़ रुपये हो गये, जबकि 1982-83 में 231 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी (सारणी 2.3)। अन्य क्षेत्रों (जिनमें निजी ऋण, वित्तीय संस्थाओं, किराया खरीद एजेंसियों तथा अन्य पार्टियों को अग्रिम शामिल हैं) को दिये गये अग्रिमों में 1983-84 में 686 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 634 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

2.48 During the period, advances to whole-sale trade (other than food procurement) increased by Rs. 71 crores to Rs. 2,338 crores as compared to a sharp increase of Rs. 231 crores in 1982-83 (Table 2.3). Credit to other sectors (which include personal loans, advances to financial institutions, hire purchase agencies and other parties) increased by Rs. 686 crores in 1983-84 as compared to a rise of Rs. 634 crores during the corresponding period of last year.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम

2.49 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों तथा प्रत्येक प्रकार के अग्रिम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिस्सों के संबंध में बैंकों से विशेष विवरणों के माध्यम से एकत्र किये गये आंकड़े दिसंबर 1982 तक के लिए उपलब्ध हैं और सारणी 2.5 में दिये गये हैं।

Priority Sector Advances

2.49 The data on priority sector advances of all scheduled commercial banks and the share of Scheduled Castes/Scheduled Tribes (SC/ST) in each category of advances collected through special returns from banks are available upto December 1982 and are given in Table 2.5.

2.50 सारणी 2.5 में यह देखा जा सकता है कि कुल बैंक ऋणों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जानेवाले अग्रिमों का अंश दिसंबर 1981 और दिसंबर 1982 के बीच 37.1 प्रतिशत से घटकर 36.1 प्रतिशत हो गया है। दिसंबर 1982 में समाप्त वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये कुल अग्रिमों में कृषि के अंश में 0.3 प्रतिशत और लघु उद्योग क्षेत्र में 0.4 प्रतिशत की थोड़ी-सी कमी आयी है।

2.50 It will be seen from Table 2.5 that the share of priority sector advances in total bank credit decreased marginally from 37.1 per cent to 36.1 per cent between December 1981 and December 1982. There was a marginal decline of 0.3 percentage point in the share of agriculture and of 0.4 percentage point in that of small-scale industrial sector in total priority sector advances during the year ended December 1982.

सारणी: 2.4 : सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण

(अंतिम शुक्रवार को)

(करोड़ रुपये)

मदें	बकाया		घटबढ़	बकाया		घटबढ़
	जून 1982	मार्च 1983**	जून 82 की तुलना में मार्च 83	जून 1983	मार्च 1984@	जून '83 की तुलना में मार्च 84
उद्योग (लघु, मझौले और बड़े उद्योगों का जोड़)	**15,122**	**17,762**	**+2,640**	**17,978**	**20,376**	**+2,398**
1. कोयला	70	60	— 10	72	132	+ 60
2. लोहा और इस्पात	943	1,565	+ 622	1,572	1,591	+ 19
3. अन्य धातुएं और धातु से बनी चीजें	528	593	+ 65	589	675	+ 86
4. समस्त इंजीनियरी	3,847	4,375	+ 528	4,225	4,978	+ 753
5. बिजली (तैयार और प्रेषण)	234	260	+ 26	299	318	+ 19
6. सूती वस्त्र	1,196	1,380	+ 184	1,399	1,648	+ 249
7. जूट वस्त्र	182	208	+ 26	206	213	+ 7
8. अन्य वस्त्र	850	957	+ 107	1,001	1,191	+ 190
9. चीनी	526	588	+ 62	685	607	— 78
10. चाय	269	265	— 4	267	244	— 23
11. वनस्पति तेल (वनस्पति-सहित)	200	234	+ 34	234	267	+ 33
12. तम्बाकू तथा तम्बाकू से बनी चीजें	143	127	— 16	136	170	+ 34
13. कागज तथा कागज से बनी चीजें	359	407	+ 48	411	483	+ 72
14. रबड़ तथा रबड़ से बनी चीजें	279	319	+ 40	299	390	+ 91
15. रसायन, रंग, पेंट दवाइयां और औषधियां	1,714	1,891	+ 177	1,945	2,092	+ 147
उनमें से : उर्वरक	(360)	(327)	(−33)	(408)	(378)	(−30)
16. सीमेंट	151	205	+ 54	206	231	+ 25
17. चमड़ा तथा चमड़े से बनी चीजें	222	237	+ 15	238	265	+ 27
18. निर्माण	151	189	+ 38	180	219	+ 39
19. नई योजना के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज	309	327	+ 18	333	368	+ 35
20. पेट्रोलियम	299	163	— 136	212	374	+ 162
21. अवशिष्ट	2,650	3,412	+ 762	3 469	3,920	+ 451

@ अनंतिम

** 13 मार्च 1983 को

स्रोत : मात्रा आयोजना कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक

TABLE 2.4: INDUSTRY-WISE DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT

(As on the last Friday)

(Rs. Crores)

Item	Outstandings		Variations	Outstandings		Variations
	June 1982	March 1983**	March '83 over June '82	June 1983	March 1984 @	March '84 over June '83
Industry (Total of Small-Scale, Medium & Large Scale)	**15,122**	**17,762**	**+2,640**	**17,978**	**20,376**	**+2,398**
1. Coal	70	60	— 10	72	132	+ 60
2. Iron & Steel	943	1,565	+ 622	1,572	1,591	+ 19
3. Other Metals & Metal Products	528	593	+ 65	589	675	+ 86
4. All Engineering	3,847	4,375	+ 528	4,225	4,978	+ 753
5. Electricity (Generation and Transmission)	234	260	+ 26	299	318	+ 19
6. Cotton Textiles	1,196	1,380	+ 184	1,399	1,648	+ 249
7. Jute Textiles	182	208	+ 26	206	213	+ 7
8. Other Textiles	850	957	+ 107	1,001	1,191	+ 190
9. Sugar	526	588	+ 62	685	607	— 78
10. Tea	269	265	— 4	267	244	— 23
11. Vegetable Oils (Including Vanaspati)	200	234	+ 34	234	267	+ 33
12. Tobacco & Tobacco Products	143	127	— 16	136	170	+ 34
13. Paper & Paper Products	359	407	+ 48	411	483	+ 72
14. Rubber & Rubber Products	279	319	+ 40	299	390	+ 91
15. Chemicals, Dyes, Paints, Drugs & Pharmaceuticals	1,714	1,891	+ 177	1,945	2,092	+ 147
Of which: Fertilisers	(360)	(327)	(— 33)	(408)	(378)	(— 30)
16. Cement	151	205	+ 54	206	231	+ 25
17. Leather & Leather Products	222	237	+ 15	238	265	+ 27
18. Construction	151	189	+ 38	180	219	+ 39
19. SAFAUNS*	309	327	+ 18	333	368	+ 35
20. Petroleum	299	163	— 136	212	374	+ 162
21. Residual	2,650	3,412	+ 762	3,469	3,920	+ 451

@ Provisional.

* Ships acquired from abroad under new scheme.

** As on March 31, 1983.

Source: Credit Planning Cell, R.B.I.

सारणी : 2.5 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की बकाया

	दिसम्बर 1981				दिसम्बर 1982			
	कुल		जिनमें से अनु. जातियों/ अनु. जनजातियों का अंश		कुल		जिनमें से अनु. जातियों/ अनु. जनजातियों का अंश	
	राशि	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिमों में प्रतिशत	राशि	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिमों में प्रतिशत	राशि	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिमों में प्रतिशत	राशि	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिमों में प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. कृषि	4657.45	43.1	322.11	65.6	5287.59	42.8	417.63	67.6
(क) प्रत्यक्ष वित्त	3586.70	33.2	282.75	57.6	4060.54	32.9	375.40	60.8
(ख) परोक्ष वित्त	1070.75	9.9	39.36	8.0	1227.05	9.9	42.23	6.8
II. लघु उद्योग	3953.09	36.6	50.28	10.2	4464.32	36.2	51.70	8.4
(क) प्रत्यक्ष वित्त	3941.83	36.5	49.60	10.1	4449.26	36.1	50.59	8.2
(ख) परोक्ष वित्त	11.26	0.1	0.68	0.1	15.06	0.1	1.11	0.2
III. औद्योगिक संपदा स्थापित करना	46.96	0.4	–	–	55.61	0.5	–	–
IV. सड़क और जल परिवहन परिचालक	996.63	9.2	34.75	7.1	1246.59	10.1	46.93	7.6
V. कमजोर वर्गों और अनु. जातियों/ अनु. जनजातियों को आवास ऋण	35.57	0.3	14.97	3.1	35.26	0.3	16.85	2.7
VI. उपभोक्ता ऋण	15.66	0.2	2.67	0.5	16.02	0.1	2.80	0.5
VII. अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	1097.49	10.2	66.48	13.5	1237.04	10.0	81.96	13.2
(क) प्रत्यक्ष वित्त	1094.63	10.1	64.88	13.2	1233.56	10.0	80.52	13.0
i) खुदरा व्यापार और छोटे व्यवसाय	832.25	7.7	42.51	8.7	929.47	7.5	53.74	8.7
ii) व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति	248.49	2.3	21.75	4.4	288.31	2.4	26.02	4.2
iii) शिक्षा	13.89	0.1	0.62	0.1	15.78	0.1	0.76	0.1
(ख) परोक्ष वित्त	2.86	–	1.60	0.3	3.48	–	1.46	0.2
कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम	**10802.85 (37.1)**	**100.00**	**491.26**	**100.00**	**12342.43 (36.1)**	**100.00**	**617.89**	**100.00**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए आंकड़े कुल बैंक ऋण में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का प्रतिशत है ।

TABLE 2.5: SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' ADVANCES TO PRIORITY SECTORS

(Rs. crores)

Sectors	Outstanding Priority Sector Advances as on the last Friday of							
	December 1981				December 1982			
	Total		Of which SC/ST		Total		Of which SC/ST	
	Amount	% to total priority sector	Amount	% to total priority sector	Amount	% to total priority sector	Amount	% to total priority sector
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Agriculture	4657.45	43.1	322.11	65.6	5287.59	42.8	417.63	67.6
a) Direct Finance	3586.70	33.2	282.75	57.6	4060.54	32.9	375.40	60.8
b) Indirect Finance	1070.75	9.9	39.36	8.0	1227.05	9.9	42.23	6.8
II. Small-Scale Industries	3953.09	36.6	50.28	10.2	4464.32	36.2	51.70	8.4
a) Direct Finance	3941.83	36.5	49.60	10.1	4449.26	36.1	50.59	8.2
b) Indirect Finance	11.26	0.1	0.68	0.1	15.06	0.1	1.11	0.2
III. Setting up of Industrial Estates	46.96	0.4	—	—	55.61	0.5	—	—
IV. Road and Water Transport Operators	996.63	9.2	34.75	7.1	1246.59	10.1	46.93	7.6
V. Housing Loans to Weaker Sections and SC/ST	35.57	0.3	14.97	3.1	35.26	0.3	16.85	2.7
VI. Consumption Loans	15.66	0.2	2.67	0.5	16.02	0.1	2.80	0.5
VII. Other Priority Sector Advances	1097.49	10.2	66.48	13.5	1237.04	10.0	81.98	13.2
a) Direct Finance	1094.63	10.1	64.88	13.2	1233.56	10.0	80.52	13.0
i) Retail Trade and Small Business	832.25	7.7	42.51	8.7	929.47	7.5	53.74	8.7
ii) Professional & Self-Employed Persons	248.49	2.3	21.75	4.4	288.31	2.4	26.02	4.2
iii) Education	13.89	0.1	0.62	0.1	15.78	0.1	0.76	0.1
b) Indirect Finance	2.86	—	1.60	0.3	3.48	—	1.46	0.2
Total Priority Sector Advances	**10802.85** (37.1)	**100.00**	**491.26**	**100.00**	**12342.43** (36.1)	**100.00**	**617.89**	**100.00**

Note: Figures in brackets are percentages of priority sector advances to total bank credit.

2.51 दिसम्बर 1982 के अन्त तक बैंकों द्वारा वित्तपोषित लघु उद्योग यूनिटों की संख्या 0.89 लाख की वृद्धि के साथ 10.50 लाख हो गयी । इन यूनिटों में कारीगरों और ग्राम तथा कुटीर उद्योग की 4.39 लाख यूनिटें, अत्यंत छोटे क्षेत्रों की 1.56 लाख यूनिटें और शिल्पकार तथा अन्य उद्यमियों की 0.73 लाख यूनिटें शामिल थीं । इन तीनों विशेष श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले ऋणकर्ताओं की संख्या में दिसम्बर 1981 स्तर से 0.03 लाख यूनिटों की मामूली-सी कमी हुई। दिसम्बर 1982 के अन्त में कुल ऋण में से लघु उद्योगों के ऋण की बकाया राशि 4,464 करोड़ रुपये थी, जबकि इन तीन श्रेणियों की राशि क्रमशः 110 करोड़ रुपये, 250 करोड़ रुपये और 123 करोड़ रुपये थी । इस प्रकार दिसम्बर 1981 के स्तर से इन श्रेणियों के ऋणों में 26 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गयी। वर्ष के दौरान औद्योगिक इस्टेट स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम 47 करोड़ रुपये से बढ़कर 56 करोड़ रुपये हो गए ।

2.51 The number of SSI units financed by banks increased by 0.89 lakh to 10.50 lakhs at the end of December 1982, including 4.39 lakh units of artisans and village and cottage industries, 1.56 lakh units pertaining to the tiny sector and 0.73 lakh units in respect of craftsmen and other entrepreneurs; the number of borrowers under these three special categories together, however, recorded a slight decrease of 0.03 lakh units over the December 1981 level. Of the total loans of Rs. 4,464 crores outstanding in respect of SSI units as at the end of December 1982, these three categories accounted for Rs. 110 crores, Rs. 250 crores and Rs. 123 crores, respectively, and together registered an increase of Rs. 26 crores over December 1981 level. Bank advances for setting up of industrial estates increased over the year from Rs. 47 crores to Rs. 56 crores.

2.52 सड़क और जल परिवहन परिचालकों के अंश 9.2 प्रतिशत से बढ़कर 10.1 प्रतिशत हो गये । 4.03 लाख छोटे सड़क और जल परिवहन परिचालकों पर ऋण की 1,247 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 322 करोड़ रुपये टैक्सी, स्कूटर और ऑटोरिक्शा चलाने वाले तथा किश्ती और छोटे नौका चलाने वाले 1.61 लाख व्यक्तियों पर बकाया थे । वाणिज्य बैंकों ने समाज के कमजोर वर्गों को उपभोग ऋण के रूप में भी 16 करोड़ रुपये की राशि दी, और इसी तरह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों को घर बनाने के लिए 35 करोड़ रुपये दिये ।

2.52 The share of road and water transport operators increased from 9.2 per cent to 10.1 per cent. Of the total amount of Rs. 1,247 crores outstanding in respect of 4.03 lakh small road and water transport operators, Rs. 322 crores were outstanding against 1.61 lakh persons driving taxies, scooters and autorickshaws and persons plying boats and barges. Commercial banks also advanced Rs. 16 crores as consumption loans to the weaker sections of society and Rs. 35 crores as housing loans for SC/ST and the weaker sections of society.

2.53 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में वर्ष के दौरान 25.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस प्रकार, दिसम्बर 1982 के अंत तक यह राशि 491 करोड़ रुपये से बढ़कर 618

2.53 Priority sector advances to SC/ST increased over the year by 25.8 per cent from Rs. 491 crores to Rs. 618 crores by the end of December 1982. Their share in total priority sector advances also increased from

करोड़ रुपये हो गयी थी। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में उनके अंश की राशि वर्ष के दौरान 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 5.0 प्रतिशत हो गयी। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में कृषि के लिए दिये गये अग्रिमों की राशि उन्हें दिये गये कुल प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों का 67.6 प्रतिशत होती है।

4.5 per cent to 5.0 per cent over the year. In the case of SC/ST, advances to agriculture formed 67.6 per cent of total priority sector advances to them.

2.54 नये 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता : गत वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने नये 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में बैंक की भूमिका संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशें कतिपय संशोधनों साथ स्वीकार कर ली थीं और रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में बैंकों को उचित अनुदेश भेज दिये थे। सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा दिसंबर 1983 के अंत तक नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हिताधिकारियों को दी गयी सहायता से संबंधित अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 85.86 लाख खातों के माध्यम से 3,908.3 करोड़ रुपये की राशि दी गयी थी।

2.54 *Financial Assistance for implementation of the New 20-Point Programme :* In the last Report, it was mentioned that the Government of India and RBI had accepted the recommendation of the Working Group on the role of banks in implementation of the New 20-Point Programme with certain modifications and that the Bank had conveyed suitable instructions to the banks. According to the provisional data in respect of 28 public sector banks, assistance to the beneficiaries under the New 20-Point Programme as at the end of December 1983 amounted to Rs.3,908.3 crores in 85.86 lakh accounts.

अनिवासी खाते

2.55 अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के अंतर्गत अनिवासी जमा राशियों पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़े सारणी 2.6 में दिये गये हैं।

Non-resident Accounts

2.55 The latest data available on non-resident deposits under the Non-Resident (External) Rupee Accounts Scheme (NRE) and the Foreign Currency (Non-Resident) Accounts Scheme (FCNR) are given in Table 2.6

सारणी : 2.6

अनिवासी खातों के अंतर्गत शेष राशियां

क. अनिवासी बाह्य रुपया खाता

निम्नलिखित के अंत में	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)
जून 1983	12,68,642	1,873
जून 1984	14,53,411*	2,381*

Table - 2.6

BALANCES UNDER NON-RESIDENT ACCOUNTS

A. Non-resident (External) Rupee Accounts.

As at the end of	No. of Accounts	Amount (Rs. crores)
June 1983	12,68,642	1,873
June 1984	14,53,411*	2,381*

ख. विदेशी मुद्रा (अनिवासी खाता)

निम्नलिखित के अंत में	विदेशी मुद्रा	जमाराशियां (हजार में)
जून 1983	पौंड स्टर्लिंग	80,726
जून 1984	पौंड स्टर्लिंग	1,64,614
जून 1983	अमेरिकी डालर	2,46,232
जून 1984	अमेरिकी डालर	4,08,160

* आंकडे अनंतिम हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक का विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग

B. Foreign Currency (Non-resident) Accounts.

As at the end of	Foreign Currency	Amount of Deposits ('000)
June 1983	£ Sterling	80,726
June 1984	£ Sterling	1,64,614
June 1983	U.S. $	2,46,232
June 1984	U.S $	4,08,160

*Data are provisional.

Source : Exchange Control Department of RBI.

2.56 अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों की राशि जो जून 1983 के अंत में 1,873 करोड़ रुपये थी, बढ़कर जून 1984 के अंत तक 2,381 करोड़ रुपये हो गयी। इसी अवधि में खातों की संख्या भी 12.69 लाख से बढ़कर 14.53 लाख हो गयी। जहां तक विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों का संबंध है, स्टर्लिंग में बकाया जमाराशियां जून 1983 के अंत में 807 लाख पौंड थीं, जो बढ़कर जून 1984 के अंत तक 1646 लाख पौंड हो गयीं, अमरीकी डालरों में राशि 2,462 लाख डॉलर से बढ़कर 4,082 लाख डॉलर हो गयी।

2.56 The amount in NRE Accounts rose from Rs.1,873 crores as at end-June 1983 to Rs.2,381 crores by end-June 1984. The number of accounts also rose from 12.69 lakhs to 14.53 lakhs over the same period. In case of FCNR Accounts, deposit balances in sterling increased from £ 80.7 million at end-June 1983 to £ 164.6 million by end-June 1984, and those in U.S. dollars from $246.2 million to $408.2 million.

क्षेत्रवार और राज्यवार ऋण-जमा अनुपात

2.57 ऋण की मंजूरी और उपयोग के अनुसार क्षेत्रवार और राज्यवार ऋण जमा अनुपात से संबंधित आंकड़े सारणी 2.7 में दिये गये हैं। अनुपातों के दो सेटों में विद्यमान अंतर महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि किसी भी दिये गये क्षेत्र में स्थित किसी बैंक के कार्यालयों द्वारा मंजूर किये गये ऋणों से अनिवार्य रूप से यह परिलक्षित नहीं होता है कि किस क्षेत्र विशेष के कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण किया गया है। उदाहरण के तौर पर, किसी केन्द्र पर बैंक के किसी कार्यालय द्वारा मंजूर किया गया ऋण उसी राज्य के अन्य केन्द्रों के लिए अथवा जिस राज्य में वह बैंक स्थित है, उस राज्य के अलावा अन्य राज्यों के लिए

Region-wise and State-wise Credit-Deposit Ratios

2.57 Region-wise and State-wise credit-deposit ratios, according to sanction and utilisation of credit, are given in Table 2.7. The difference between the two sets of ratios is of some significance. This is because loans sanctioned by a bank's offices in a given area need not necessarily represent the financing of activities in that particular area. For instance, credit sanctioned by an office of a bank in one centre may actually be utilised in other centres in the same State or States other than the State in which the bank office is located. It has, however, to be borne in mind that the ratios relate only to credit provided in a particular State and do not

वास्तविक रूप से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह अनुपात किसी राज्य विशेष में प्रदान किये गये ऋण से संबंधित है। लेकिन उनसे उस राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में बैंकों की निधियों के निवेशों और राज्य स्तर की संस्थाओं के बांडों/डिबेंचरों में किये गये निवेशों का पता नहीं चलता है। साथ ही, किसी राज्य में वितरित ऋण की राशि थोड़ी हो सकती है, किन्तु अनुपात काफी अधिक हो सकता है, क्योंकि उन जमाराशियों की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो सकती है जिनके आधार पर अनुपात निकाले जाते हैं।

take into account investments of banks' funds in securities of that State Government and in bonds/debentures of State-level institutions. Further, the amount of credit deployed in a State may be small, yet the ratios may work out high due to the relatively lower magnitude of deposits on the basis of which the ratios are worked out.

2.58 सारणी 2.7 से पता चलता है कि ऋण-जमा अनुपातों, जो क्रमशः मंजूरी और उपयोग के संबंध में ऋण के साथ दिये गये हैं, के दोनों सेटों में अंतर 1973 और 1981 के बीच कम होता गया है, यह बैंक शाखाओं द्वारा ऐसी यूनिटों के खाते रखने की प्रवृत्ति में गिरावट का प्रतीक है, जिनका वास्तविक कारोबार कहीं और दूसरे राज्यों में होता है। हरियाणा, असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आदि छोटे राज्यों और बिहार और उड़ीसा में की गयी मंजूरी की तुलना में उपयोग की दृष्टि से यह अनुपात दोनों वर्ष काफी अधिक था। इसके विपरीत जिन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण महानगर स्थित हैं अर्थात् महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और दिल्ली, उनमें उपयोग की तुलना में मंजूरी का अनुपात बहुत अधिक था।

2.58 It may be seen from Table 2.7 that the difference in the two sets of credit-deposit ratios, expressed with credit respectively in terms of sanction and utilisation, has narrowed between 1973 and 1981. This indicates a decline in the tendency of bank branches to maintain accounts of units whose actual activity takes place elsewhere, in other States. In both years, the ratio according to utilisation was considerably higher than that according to sanction in Haryana, Assam, the smaller States of the North-Eastern region such as Arunachal Pradesh, Tripura, etc. and Bihar and Orissa. The reverse was the case, with the ratio according to sanction being much higher than that according to utilisation, in the States/territories in which important metropolitan centres are located viz. Maharashtra, West Bengal, Tamil Nadu and Delhi.

ग्रामीण और अर्धशहरी केन्द्रों में ऋण-जमा अनुपात

2.59 बैंकों को ये अनुदेश दिये गये थे कि वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच ऋण-जमा अनुपात की भारी असमानताओं को कम करने के लिए भरसक प्रयत्न करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके अंतर्गत बैंकों को अपनी ग्रामीण

Credit-Deposit Ratios in Rural and Semi-urban Centres

2.59 The banks had been exhorted to strive for reducing wide urban-rural disparities in the credit-deposit ratios. Towards this end, a national target was laid down by the Government of India for public sector banks to achieve by March 1979 a credit-deposit ratio of at least 60 per cent in respect of their rural

2.7 : ऋण स्वीकृति और उपयोग के अनुसार ऋण-जमाराशि अनुपात

(अंतिम शुक्रवार को)

क्षेत्र/राज्य/संघराज्य क्षेत्र	दिसंबर 1973		दिसम्बर 1979		दिसम्बर 1980		दिसम्बर 1981	
	स्वीकृत के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृत के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृत के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृत के अनुसार	उपयोग के अनुसार
उत्तरी क्षेत्र	**59.7**	**56.7**	**83.3**	**82.5**	**70.0**	**69.1**	**71.0**	**68.1**
हरियाणा	59.8	105.5	70.9	104.4	70.4	95.1	72.3	89.7
हिमाचल प्रदेश	15.7	12.0	29.1	29.3	31.8	32.4	43.1	44.0
जम्मू और कश्मीर	24.8	25.8	33.2	27.7	30.7	27.1	45.6	39.5
पंजाब	41.3	41.5	42.1	64.8	42.3	68.7	45.9	55.6
राजस्थान	55.4	57.6	67.8	73.3	67.4	72.8	70.7	75.8
चण्डीगढ़	69.6	74.3	192.1	34.2	209.2	55.2	178.2	120.2
दिल्ली	75.8	60.9	108.5	102.0	81.0	71.4	80.0	69.0
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	**34.6**	**64.9**	**37.1**	**52.9**	**45.2**	**62.5**	**39.3**	**59.4**
असम	42.2	85.7	42.3	63.5	53.3	76.6	41.8	68.5
मणिपुर	26.7	26.7	26.8	30.8	36.9	42.8	38.4	45.8
मेघालय	15.7	9.7	14.8	15.4	15.1	15.3	20.9	21.2
नागालैण्ड	42.0	39.8	24.4	30.4	25.6	29.4	35.7	40.1
सिक्किम	–	–	3.3	3.3	4.3	4.3	310.6	17.7
त्रिपुरा	12.4	18.0	55.2	58.5	49.2	51.1	59.8	62.2
अरुणाचल प्रदेश	4.3	35.9	10.1	24.4	10.4	22.7	14.4	36.0
मिजोरम	1.3	2.5	6.7	8.6	9.7	23.7	20.0	23.2
पूर्वी क्षेत्र	**67.6**	**65.6**	**58.2**	**57.9**	**55.9**	**55.0**	**52.2**	**52.5**
बिहार	29.7	44.6	41.1	52.2	41.2	49.3	39.4	48.5
उड़ीसा	52.2	72.1	58.4	66.4	58.5	66.1	66.0	74.2
पश्चिम बंगाल	82.0	72.7	64.4	59.3	61.4	56.1	55.6	51.8
	(102.3)	(53.6)	(81.5)	(46.1)	(79.7)	(42.7)	(70.2)	(46.5)
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	23.4	24.0	25.3	34.7	26.0	28.0	35.6	40.5
मध्यवर्ती क्षेत्र	**44.1**	**48.6**	**46.7**	**50.7**	**46.2**	**49.4**	**49.9**	**53.6**
मध्य प्रदेश	53.0	55.4	53.1	56.3	55.2	57.6	62.0	63.8
उत्तर प्रदेश	41.3	46.5	44.5	48.8	43.2	46.7	46.0	50.4
पश्चिमी क्षेत्र	**76.4**	**74.8**	**69.2**	**66.6**	**72.2**	**70.2**	**72.3**	**70.5**
गुजरात	57.5	67.8	53.7	57.7	57.5	61.1	54.7	55.8
महाराष्ट्र	84.0	78.0	76.1	70.5	79.1	74.8	80.5	77.4
	(91.7)	(72.3)	(83.0)	(64.6)	(87.7)	(71.8)	(88.0)	(75.7)
दादरा और नगर हवेली	88.2	117.7	88.9	155.6	107.0	131.7	104.8	188.6
गोवा, दमण और दीव	48.0	52.3	42.1	51.8	40.1	41.6	43.9	45.5
दक्षिणी क्षेत्र	**91.3**	**94.2**	**77.5**	**78.6**	**79.8**	**80.9**	**79.4**	**80.7**
आन्ध्र प्रदेश	83.7	92.5	73.6	75.0	74.3	75.5	72.8	74.2
कर्नाटक	89.7	94.6	79.4	81.0	75.5	77.0	76.2	78.9
केरल	70.8	74.0	64.3	65.8	68.1	69.3	72.1	73.3
तमिलनाडु	105.8	104.0	86.9	86.7	94.7	95.2	91.9	92.2
	(117.8)	(86.2)	(97.4)	(66.9)	(119.6)	(84.2)	(107.1)	(89.7)
लक्षद्वीप	15.0	45.0	5.6	6.5	7.4	8.2	9.1	9.1
पांडिचेरी	88.5	86.7	60.3	66.6	57.4	63.7	54.9	58.8
अखिल भारतीय	**70.3**	**70.3**	**68.9**	**68.9**	**66.9**	**66.9**	**66.8**	**66.8**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े महानगरों से सम्बन्धित हैं । 2. 1980 और 1981 के आंकड़े अनंतिम हैं । **स्रोत :** मूलभूत सांख्यिकीय विवरणिया

TABLE 2-7 : CREDIT-DEPOSIT RATIOS ACCORDING TO SANCTION AND UTILISATION OF CREDIT
(As on the last Friday)

Region/State/ Union Territory	December 1973		December 1979		December 1980		December 1981	
	As per Sanction	As per Utilisation	As per Sanction	As per Utilisation	As per Sanction	As per Utilisation	As per Sanction	As per Utilisation
NORTHERN REGION	**59.7**	**56.7**	**83.3**	**82.5**	**70.0**	**69.1**	**71.0**	**68.1**
Haryana	59.8	105.5	70.9	104.4	70.4	95.1	72.3	89.7
Himachal Pradesh	15.7	12.0	29.1	29.3	31.8	32.4	43.1	44.0
Jammu & Kashmir	24.8	25.8	33.2	27.7	30.7	27.1	45.6	39.5
Punjab	41.3	41.5	42.1	64.8	42.3	68.7	45.9	55.6
Rajasthan	55.4	57.6	67.8	73.3	67.4	72.8	70.7	75.8
Chandigarh	69.6	74.3	192.1	34.2	209.2	55.2	178.2	120.2
Delhi	75.8	60.9	108.5	102.0	81.0	71.4	80.0	69.0
NORTH-EASTERN REGION	**34.6**	**64.9**	**37.1**	**52.9**	**45.2**	**62.5**	**39.3**	**59.4**
Assam	42.2	85.7	42.3	63.5	53.3	76.6	41.8	68 5
Manipur	26.7	26.7	26.8	30.8	36.9	42.8	38.4	45.8
Meghalaya	15.7	9.7	14.8	15.4	15.1	15.3	20.9	21.2
Nagaland	42.0	39.8	24.4	30.4	25.6	29.4	35.7	40.1
Sikkim	—	—	3.3	3.3	4.3	4.3	10.6	17.7
Tripura	12.4	18.0	55.2	58.5	49.2	51.1	59.8	62.2
Arunachal Pradesh	4.3	35.9	10.1	24.4	10.4	22.7	14.4	36.0
Mizoram	1.3	2.5	6.7	8.6	9.7	23.7	20.0	23.2
EASTERN REGION	**67.6**	**65.6**	**58.2**	**57.9**	**55.9**	**55.0**	**52.2**	**52.5**
Bihar	29.7	44.6	41.1	52.2	41.2	49.3	39.4	48.5
Orissa	52.2	72.1	58.4	66.4	58.5	66.1	66.0	74.2
West Bengal	82.0	72.7	64.4	59.3	61.4	56.1	55.6	51.8
	(102.3)	(53.6)	(81.5)	(46.1)	(79.7)	(42.7)	(70.2)	(46.5)
Andaman & Nicobar Islands	23.4	24.0	25.3	34.7	26.0	28.0	35.6	40.5
CENTRAL REGION	**44.1**	**48.6**	**46.7**	**50.7**	**46.2**	**49.4**	**49.9**	**53.6**
Madhya Pradesh	53.0	55.4	53.1	56.3	55.2	57.6	62.0	63.8
Uttar Pradesh	41.3	46.5	44.5	48.8	43.2	46.7	46.0	50.4
WESTERN REGION	**76.4**	**74.8**	**69.2**	**66.6**	**72.2**	**70.2**	**72.3**	**70.5**
Gujarat	57.5	67.8	53.7	57.7	57.5	61.1	54.7	55.8
Maharashtra	84.0	78.0	76.1	70.5	79.1	74.8	80.5	77.4
	(91.7)	(72.3)	(83.0)	(64.6)	(87.7)	(71.8)	(88.0)	(75.7)
Dadra & Nagar Haveli	88.2	117.7	88.9	155.6	107.0	131.7	104.8	188.6
Goa, Daman & Diu	48.0	52.3	42.1	51.8	40.1	41.6	43.9	45.5
SOUTHERN REGION	**91.3**	**94.2**	**77.5**	**78.6**	**79.8**	**80.9**	**79.4**	**80.7**
Andhra Pradesh	83.7	92.5	73.6	75.0	74.3	75.5	72.8	74.2
Karnataka	89.7	94.6	79.4	81.0	75.5	77.0	76.2	78.9
Kerala	70.8	74.0	64.3	65.8	68.1	69.3	72.1	73.3
Tamil Nadu	105.8	104.0	86.9	86.7	94.7	95.2	91.9	92.2
	(117.8)	(86.2)	(97.4)	(66.9)	(119.6)	(84.2)	(107.1)	(89.7)
Lakshadweep	15.0	45.0	5.6	6.5	7.4	8.2	9.1	9.1
Pondicherry	88.5	86.7	60.3	66.6	57.4	63.7	54.9	58.8
ALL-INDIA	**70.3**	**70.3**	**68.9**	**68.9**	**66.9**	**66.9**	**66.8**	**66.8**

Note : (1) Figures in brackets relate to metropolitan centres.
(2) Data for 1980 and 1981 are provisional.

Source : Basic Statistical Returns.

और अर्ध शहरी शाखाओं के लिए अलग-अलग कम से कम 60 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात मार्च 1979 तक प्राप्त करना था, और निजी क्षेत्र के बैंकों को यह लक्ष्य एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त करना था। बैंकों के ग्रामीण और अर्धशहरी कार्यालयों में 60 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके कार्य निष्पादन को सारणी 2.8 में दर्शाया गया है। इस सारणी से यह पता चलता है कि जहां तक संपूर्ण बैंकिंग तंत्र का संबंध है, समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों* की ग्रामीण शाखाओं का ऋण-जमा अनुपात जून 1983 के अंत में 59.9 प्रतिशत तक पहुंच गया था, जो कि निर्धारित लक्ष्य से मामूली-सा कम था। लेकिन अर्धशहरी शाखाओं की स्थिति इस संबंध में संतोषजनक नहीं थी, जहां 50.8 प्रतिशत का अनुपात था जो 60 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में ग्रामीण तथा अर्धशहरी शाखाओं से संबंधित ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 56.1 प्रतिशत और 50.6 प्रतिशत था। निजी क्षेत्रों के बैंकों का कार्य-निष्पादन बहुत असंतोषजनक था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इनका ऋण-जमा अनुपात 48.6 प्रतिशत और अर्ध शहरी शाखाओं के लिए 50.4 प्रतिशत था। फिर भी कुछ राज्यों (राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु) में निजी क्षेत्र के बैंकोंकी ग्रामीण शाखाओं ने उच्च ऋण-जमा अनुपात (अर्थात, 60.0 प्रतिशत से भी अधिक) प्राप्त किया। यदि समस्त बैंकिंग तंत्र की दृष्टि से देखा जाये तो ग्रामीण शाखाओं के मामले में 14 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में और अर्धशहरी शाखाओं के मामले में 8 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में यह ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत अथवा उस से अधिक था। 10 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की ग्रामीण शाखाओं और 11 राज्यों के अर्धशहरी कार्यालयों में यह अनुपात 40 प्रतिशत से कम था।

* इस खंड में विश्लेषण के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें समस्त वाणिज्य बैंकों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

and semi-urban branches separately, and the private sector banks were required to reach this target within a time-bound programme. Banks' performance in the achievement of the target of 60 per cent credit-deposit ratio in their rural and semi-urban offices is shown in Table 2.8. It will be seen from this Table that for the banking system as a whole the credit-deposit ratio for rural branches of all scheduled commercial banks* had reached 59.9 per cent at end-June 1983, which was only fractionally lower than the stipulated target. But the position was quite unsatisfactory in the case of semi-urban branches, where the ratio of 50.8 per cent was much below the target of 60 per cent. In the case of public sector banks, the credit-deposit ratios for rural and semi-urban branches worked out to 56.1 per cent and 50.6 per cent, respectively, against the target of 60 per cent. The performance of private sector banks was poorer with their credit-deposit ratio at 48.6 per cent for the rural offices and 50.4 per cent for the semi-urban branches. In some States, however, the rural branches of private sector banks had attained high credit-deposit ratios (i.e. above 60.0 per cent) viz., Rajasthan, Maharashtra, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Taking the banking system as a whole, the credit-deposit ratio was 60 per cent or more in 14 States/Union Territories in respect of rural branches and in 8 States/Union Territories in respect of semi-urban branches. The ratio was below 40 per cent in rural branches of 10 States/Union Territories and semi-urban offices of 11 States/Union Territories.

* For the purpose of analysis in this section, RRBs are excluded both from the public sector and private sector banks, but are included under all scheduled commercial banks.

2.60 ग्रामीण और अर्धशहरी बैंक कार्यालयों के लिए पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में जून 1983 के अंत तक अलग-अलग ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का आवृत्ति वितरण सारणी 2.9 में दर्शाया गया है। ग्रामीण कार्यालयों के मामले में ऋण-जमा अनुपात का 60 प्रतिशत और उससे अधिक का अनुपात प्राप्त करनेवाले जिलों की संख्या जून 1982 में 211 (408 में से) थी, जो बढ़कर जून 1983 में 218 (409 में से) हो गयी: अर्थात्, यह 1982 में जिलों की कुल संख्या के 51.7 प्रतिशत की तुलना में जून 1983 में 53.3 प्रतिशत रही। इस प्रगति के परिणामस्वरूप प्रति जिला ग्रामीण जमाराशि की मात्रा भी 1982 के 13 करोड़ रुपये से बढ़कर 1983 में 15 करोड़ रुपये हो गयी। जहां तक अर्धशहरी कार्यालयों का संबंध है, जिन जिलों का ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत और उससे अधिक था, उनकी संख्या भी जून 1982 की 125 से (359 जिलों का 34.8 प्रतिशत) बढ़कर जून 1983 में 128 (367 जिलों का 34.9 प्रतिशत) हो गयी। जिलों के इस समूह की औसत जमाराशियां भी जून 1982 में 23 करोड़ रुपये थीं, जो बढ़कर जून 1983 में 28 करोड़ रुपये हो गयीं।

2.60 The frequency distribution of districts based on credit-deposit ratios separately for rural and semi-urban bank offices as at the end of June 1983 as compared with earlier two years is given in Table 2.9. The number of districts claiming credit-deposit ratio of 60 per cent and more in respect of rural offices has increased from 211 (out of 408) in June 1982 to 218 (out of 409) in June 1983 i.e. 53.3 per cent of total number of districts as compared to 51.7 per cent in June 1982. This progress is accompanied by the increase in the average size of rural deposit per district from Rs. 13 crores in 1982 to Rs. 15 crores in 1983. As regards semi-urban offices, the number of districts having credit-deposit ratio of 60 per cent and more has increased from 125 (34.8 per cent of 359 districts) in June 1982 to 128 (34.9 per cent of 367 districts) in June 1983. The average deposits in this group of districts in June 1983 had also increased to Rs. 28 crores from Rs. 23 crores in June 1982.

2.61 ग्रामीण और अर्धशहरी कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपातों के अनुसार जिलों के राज्यवार आवृत्ति वितरण से संबंधित आंकड़े सारणी 2.10 और 2.11 में दिये गये हैं। इनसे यह देखा जा सकता है कि हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे मुख्य राज्यों के जिलों के 80 प्रतिशत से भी अधिक बैंकों के ग्रामीण कार्यालयों ने 60 प्रतिशत और उससे अधिक का जमा-ऋण अनुपात बनाये रखा। इस संबंध में जिन जिलों में प्रतिशत बहुत ही कम था, वे जिले इन राज्यों में थे-जम्मू और कश्मीर (14.3 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (16.7 प्रतिशत), असम (20.0 प्रतिशत), गुजरात (21.1 प्रतिशत)। जहां तक अर्धशहरी कार्यालयों का संबंध है, हरियाणा,

2.61 Data on State-wise frequency distribution of districts according to credit-deposit ratios of rural and semi-urban offices are given in Table 2.10 and 2.11. It will be noticed that rural offices of banks in more than 80 per cent of the districts in the States of Haryana, Orissa, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh continued to have credit-deposit ratios of 60 per cent and above. The States reporting very low percentage of districts in this regard were Jammu & Kashmir (14.3 per cent), Himachal Pradesh (16.7 per cent), Assam (20.0 per cent) and Gujarat (21.1 per cent). In the case of semi-urban offices, more than 50 per cent of the districts in Haryana, Tamil Nadu, Karnataka, Jammu & Kashmir, Orissa and Andhra

सारणी 2.8 : जनसंख्या समूह के अनुसार सरकारी * और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का राज्यवार ऋण-जमा-अनुपात (%)

(जून 1983 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति)

	ग्रामीण			अर्धशहरी			शहरी/महानगरीय			कुल		
क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य	सार्वजनिक	निजी	कुल@	सार्वजनिक	निजी	कुल@	सार्वजनिक	निजी	कुल@	सार्वजनिक	निजी	कुल@
उत्तरी क्षेत्र	**49.0**	**39.6**	**50.8**	**51.6**	**54.2**	**51.8**	**74.5**	**63.2**	**73.4**	**66.2**	**59.1**	**65.9**
हरियाणा	76.1	31.2	77.4	68.2	52.2	67.7	67.4	164.5	69.6	69.8	68.8	70.4
हिमाचल प्रदेश	42.2	22.8	42.5	48.7	20.6	47.5	–	–	–	44.5	21.4	44.2
जम्मू और कश्मीर	38.3	47.3	44.4	49.2	62.8	54.3	38.0	59.0	47.0	39.5	55.9	47.1
पंजाब	37.4	9.0	36.3	40.9	34.9	40.8	45.6	66.9	46.4	41.5	39.6	41.4
राजस्थान	78.2	74.4	88.1	59.3	62.2	60.1	74.2	56.7	71.9	70.2	60.9	71.3
चण्डीगढ़	71.6	–	71.6	51.7	–	51.7	224.1	70.0	221.7	220.9	70.0	218.6
दिल्ली	34.9	25.3	34.0	13.3	–	13.3	70.4	64.0	69.8	70.0	63.5	69.4
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**46.0**	**35.5**	**50.7**	**34.6**	**33.0**	**35.3**	**50.0**	**48.3**	**49.3**	**40.6**	**40.3**	**42.0**
असम	50.1	36.4	51.6	39.6	40.9	39.7	51.5	48.3	50.6	45.4	44.8	45.6
मणिपुर	62.8	–	63.7	71.3	–	71.3	35.9	–	36.2	42.7	–	43.1
मेघालय	38.5	–	38.3	16.9	14.7	16.8	–	–	–	19.6	14.7	19.4
नागालैण्ड	31.9	–	31.9	40.0	12.6	38.2	–	–	–	37.8	12.6	36.6
सिक्किम	54.4	–	54.4	5.3	–	5.3	–	–	–	8.1	–	8.1
त्रिपुरा	80.1	–	108.0	53.4	16.7	60.8	–	–	–	59.0	16.7	74.1
अरुणाचल प्रदेश	18.5	25.0	18.6	9.7	–	9.7	–	–	–	18.0	25.0	18.1
मिजोरम	14.1	–	14.1	14.6	–	14.6	–	–	–	14.5	–	14.5
पूर्वी क्षेत्र	**44.7**	**26.3**	**54.0**	**34.3**	**23.6**	**34.5**	**65.4**	**55.6**	**64.2**	**55.2**	**53.9**	**56.2**
बिहार	46.2	–	54.5	39.3	24.6	39.1	44.7	32.1	44.5	42.8	31.0	44.5
उड़ीसा	91.9	–	116.0	60.4	–	61.3	84.9	86.2	84.3	78.5	86.2	85.0
पश्चिम बंगाल	28.5	26.3	32.6	22.9	23.5	23.3	68.5	56.0	66.7	57.9	54.4	57.8
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	34.3	–	34.3	31.4	–	31.4	–	–	–	32.0	–	32.0
मध्य वर्ती क्षेत्र	**56.7**	**30.5**	**59.6**	**55.3**	**35.6**	**54.3**	**45.9**	**59.7**	**46.4**	**50.4**	**47.7**	**51.2**
मध्य प्रदेश	64.7	32.4	70.2	55.2	37.9	55.0	60.0	97.2	60.3	59.5	70.1	60.7
उत्तर प्रदेश	54.3	30.5	56.5	55.4	35.5	54.0	41.5	57.8	42.3	47.5	46.6	48.2
पश्चिमी क्षेत्र	**49.6**	**66.7**	**50.6**	**49.0**	**52.7**	**49.1**	**88.3**	**100.7**	**89.4**	**77.2**	**95.3**	**78.6**
गुजरात	42.6	–	42.7	47.9	191.3	47.9	61.1	57.7	61.1	53.6	59.1	53.7
महाराष्ट्र	69.5	66.6	70.5	53.1	51.8	53.0	94.9	101.8	95.7	89.2	96.3	89.9
दादरा और नगर हवेली	97.0	–	97.0	–	–	–	–	–	–	97.0	–	97.0
गोवा, दमण और दीव	24.4	77.8	24.4	39.8	59.8	40.3	–	–	–	34.1	60.2	34.5
दक्षिणी क्षेत्र	**78.3**	**55.7**	**81.0**	**61.3**	**53.6**	**60.3**	**91.7**	**93.2**	**91.9**	**80.2**	**71.7**	**80.0**
आन्ध्र प्रदेश	80.2	60.8	86.4	62.9	43.8	62.0	71.3	55.4	70.3	70.3	53.3	70.8
कर्नाटक	75.5	49.2	80.0	68.3	53.8	66.9	88.9	73.4	87.5	81.9	63.8	81.5
केरल	55.0	52.5	61.7	48.0	55.5	50.8	102.8	101.4	102.4	65.8	65.2	66.9
तमिलनाडु	90.2	63.9	88.1	71.0	51.3	67.7	108.6	109.2	108.7	96.7	87.2	95.5
लक्षद्वीप	12.9	–	12.9	–	–	–	–	–	–	12.9	–	12.9
पांडिचेरी	83.5	44.9	82.1	36.8	16.7	36.1	58.9	60.9	59.0	59.8	54.8	59.6
अखिल भारतीय	**56.1**	**48.6**	**59.9**	**50.6**	**50.4**	**50.8**	**76.4**	**78.6**	**76.5**	**67.4**	**69.8**	**68.1**

* सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, उसके 7 सहायक बैंक तथा 20 राष्ट्रीयकृत बैंक सम्मिलित हैं।

@ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों-सहित।

नोट : ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

स्रोत : कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण से संबंधित मासिक विवरणी।

TABLE 2.8 : STATE-WISE CREDIT-DEPOSIT RATIOS (%) OF OFFICES OF PUBLIC* AND PRIVATE SECTOR SCHEDULED COMMERCIAL BANKS, ACCORDING TO POPULATION GROUP

(As on the last Friday of June 1983)

Region/State/Union Territory	Rural			Semi-Urban			Urban/Metropolitan			Total		
	Public	Private	Total @	Public	Private	Total @	Public	Private	Total @	Public	Private	Total @
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NORTHERN REGION	**49.0**	**39.6**	**50.8**	**51.6**	**54.2**	**51.8**	**74.5**	**63.2**	**73.4**	**66.2**	**59.1**	**65.9**
Haryana	76.1	31.2	77.4	68.2	52.2	67.7	67.4	164.5	69.6	69.8	68.8	70.4
Himachal Pradesh	42.2	22.8	42.5	48.7	20.6	47.5	—	—	—	44.5	21.4	44.2
Jammu & Kashmir	38.3	47.3	44.4	49.2	62.8	54.3	38.0	59.0	47.0	39.5	55.9	47.1
Punjab	37.4	9.0	36.3	40.9	34.9	40.8	45.6	66.9	46.4	41.5	39.6	41.4
Rajasthan	78.2	74.4	88.1	59.3	62.2	60.1	74.2	56.7	71.9	70.2	60.9	71.3
Chandigarh	71.6	—	71.6	51.7	—	51.7	224.1	70.0	221.7	220.9	70.0	218.6
Delhi	34.9	25.3	34.0	13.3	—	13.3	70.4	64.0	69.8	70.0	63.5	69.4
NORTH-EASTERN REGION	**46.0**	**35.5**	**50.7**	**34.6**	**33.0**	**35.3**	**50.0**	**48.3**	**49.3**	**40.6**	**40.3**	**42.0**
Assam	50.1	36.4	51.6	39.6	40.9	39.7	51.5	48.3	50.6	45.4	44.8	45.6
Manipur	62.8	—	63.7	71.3	—	71.3	35.9	—	36.2	42.7	—	43.1
Meghalaya	38.5	—	38.3	16.9	14.7	16.8	—	—	—	19.6	14.7	19.4
Nagaland	31.9	—	31.9	40.0	12.6	38.2	—	—	—	37.8	12.6	36.6
Sikkim	54.4	—	54.4	5.3	—	5.3	—	—	—	8.1	—	8.1
Tripura	80.1	—	108.0	53.4	16.7	60.8	—	—	—	59.0	16.7	74.1
Arunachal Pradesh	18.5	25.0	18.6	9.7	—	9.7	—	—	—	18.0	25.0	18.1
Mizoram	14.1	—	14.1	14.6	—	14.6	—	—	—	14.5	—	14.5
EASTERN REGION	**44.7**	**26.3**	**54.0**	**34.3**	**23.6**	**34.5**	**65.4**	**55.6**	**64.2**	**55.2**	**53.9**	**56.2**
Bihar	46.2	—	54.5	39.3	24.6	39.1	44.7	32.1	44.5	42.8	31.0	44.5
Orissa	91.9	—	116.0	60.4	—	61.3	84.9	86.2	84.3	78.5	86.2	85.0
West Bengal	28.5	26.3	32.6	22.9	23.5	23.3	68.5	56.0	66.7	57.9	54.4	57.8
Andaman & Nicobar Islands	34.3	—	34.3	31.4	—	31.4	—	—	—	32.0	—	32.0
CENTRAL REGION	**56.7**	**30.5**	**59.6**	**55.3**	**35.6**	**54.3**	**45.9**	**59.7**	**46.4**	**50.4**	**47.7**	**51.2**
Madhya Pradesh	64.7	32.4	70.2	55.2	37.9	55.0	60.0	97.2	60.3	59.5	70.1	60.7
Uttar Pradesh	54.3	30.5	56.5	55.4	35.5	54.0	41.5	57.8	42.3	47.5	46.6	48.2
WESTERN REGION	**49.6**	**66.7**	**50.6**	**49.0**	**52.7**	**49.1**	**88.3**	**100.7**	**89.4**	**77.2**	**95.3**	**78.6**
Gujarat	42.6	—	42.7	47.9	191.3	47.9	61.1	57.7	61.1	53.6	59.1	53.7
Maharashtra	69.5	66.6	70.5	53.1	51.8	53.0	94.9	101.8	95.7	89.2	96.3	89.9
Dadra & Nagar Haveli	97.0	—	97.0	—	—	—	—	—	—	97.0	—	97.0
Goa, Daman & Diu	24.4	77.8	24.4	39.8	59.8	40.3	—	—	—	34.1	60.2	34.5
SOUTHERN REGION	**78.3**	**55.7**	**81.0**	**61.3**	**53.6**	**60.3**	**91.7**	**93.2**	**91.9**	**80.2**	**71.7**	**80.0**
Andhra Pradesh	80.2	60.8	86.4	62.9	43.8	62.0	71.3	55.4	70.3	70.3	53.3	70.8
Karnataka	75.5	49.2	80.0	68.3	53.8	66.9	88.9	73.4	87.5	81.9	63.8	81.5
Kerala	55.0	52.5	61.7	48.0	55.5	50.8	102.8	101.4	102.4	65.8	65.2	66.9
Tamil Nadu	90.2	63.9	88.1	71.0	51.3	67.7	108.6	109.2	108.7	96.7	87.2	95.5
Lakshadweep	12.9	—	12.9	—	—	—	—	—	—	12.9	—	12.9
Pondicherry	83.5	44.9	82.1	36.8	16.7	36.1	58.9	60.9	59.0	59.8	54.8	59.6
ALL-INDIA	**56.1**	**48.6**	**59.9**	**50.6**	50.4	**50.8**	76.4	**78.6**	**76.5**	67.4	**69.8**	**68.1**

* Public Sector Banks include State Bank of India, 7 Associate Banks of S.B.I. and 20 Nationalised Commercial Banks.

@ Including Regional Rural Banks.

Note : The data are provisional.

Source: Monthly Return on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit.

सारणी : 2.9 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का आवृत्ति वितरण

(अन्तिम शुक्रवार की स्थिति)

(करोड़ रुपये).

	जून 1981			जून 1982			जून 1983		
ऋण-जमा-अनुपात	जिलों की संख्या	जमा राशियां@	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमा राशियां@	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमा राशियां@	अग्रिम
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्रामीण कार्यालय									
20% तक	34	614 (18)	91	28	570 (20)	75	28	703 (25)	99
20%–30%	41	641 (16)	160	33	844 (26)	209	27	782 (29)	195
30%–40%	42	734 (17)	263	47	927 (20)	324	42	1,097 (26)	384
40%–50%	56	792 (14)	356	51	901 (18)	405	43	981 (23)	454
50%–60%	39	499 (13)	274	38	542 (14)	300	51	808 (16)	445
60% और उससे अधिक	188 (47.0)*	1,974 (11)	1,888	211 (51.7)*	2,680 (13)	2,479	218 (53.3)*	3,286 (15)	3,011
कुल	**400**	**5,254**	**3,032**	**408**	**6,464**	**3,792**	**409**	**7,657**	**4,588**
अर्धशहरी कार्यालय									
20% तक	23	824 (36)	132	23	907 (39)	156	19	896 (47)	149
20%–30%	42	1,241 (30)	316	36	1,219 (34)	310	41	1,527 (37)	386
30%–40%	62	1,657 (27)	576	60	1,794 (30)	635	54	1,887 (35)	663
40%–50%	66	1,795 (27)	809	62	2,228 (36)	1,013	63	2,591 (41)	1,148
50%–60%	52	1,459 (28)	802	53	1,722 (32)	943	62	2,369 (38)	1,288
60% और उससे अधिक	112 (31.4)*	2,509 (22)	2,023	125 (34.8)*	2,918 (23)	2,334	128 (34.9)*	3,622 (28)	2,912
कुल	**357**	**9,485**	**4,658**	**359**	**10,788**	**5,391**	**367**	**12,892**	**6,546**

@ कोष्ठकों के आंकड़े प्रत्येक आकार वर्ग के अंतर्गत प्रति जिला जमा राशियां दर्शाते हैं।

* जिलों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में।

नोट : ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

स्रोत : कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण से संबंधित मासिक विवरणी।

TABLE 2.9 : FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(As on the last Friday)

(Rs. Crores)

Credit-deposit Ratios	June 1981			June 1982			June 1983		
	No. of districts	Deposits @	Advances	No. of districts	Deposits @	Advances	No. of districts	Deposits @	Advances
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.
Rural Offices									
Upto 20%	34	614 (18)	91	28	570 (20)	75	28	703 (25)	99
20% — 30%	41	641 (16)	160	33	844 (26)	209	27	782 (29)	195
30% — 40%	42	734 (17)	263	47	927 (20)	324	42	1,097 (26)	384
40% — 50%	56	792 (14)	356	51	901 (18)	405	43	981 (23)	454
50% — 60%	39	499 (13)	274	38	542 (14)	300	51	808 (16)	445
60% and above	188 (47.0)*	1,974 (11)	1,888	211 (51.7)*	2,680 (13)	2,479	218 (53.3)*	3,286 (15)	3,011
TOTAL	400	5,254	3,032	408	6,464	3,792	409	7,657	4,588
Semi-Urban Offices									
Upto 20%	23	824 (36)	132	23	907 (39)	156	19	896 (47)	149
20% —30%	42	1,241 (30)	316	36	1,219 (34)	310	41	1,527 (37)	386
30% — 40%	62	1,657 (27)	576	60	1,794 (30)	635	54	1,887 (35)	663
40% — 50%	66	1,795 (27)	809	62	2,228 (36)	1,013	63	2,591 (41)	1,148
50% — 60%	52	1,459 (28)	802	53	1,722 (32)	943	62	2,369 (38)	1,288
60% and above	112 (31.4)*	2,509 (22)	2,023	125 (34.8)*	2,918 (23)	2,334	128 (34.9)*	3,622 (28)	2,912
TOTAL	357	9,485	4,658	359	10,788	5,391	367	12,892	6,546

@ Figures in brackets indicate amount of deposits per district under each size class.

* As percentage of total number of districts.

Note : The data are provisional.

Source : Monthly Return on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit.

सारणी :2.10 : ग्रामीण केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण

(जून 1983 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि लाख रुपये में)

	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात)								
	20% तक			20%-30%			30%-40%		
क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	जिलों की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम
उत्तरी क्षेत्र	**7**	**374,96**	**55,04**	**6**	**136,40**	**29,86**	**9**	**353,40**	**130,47**
हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	1	1,89	33	3	94,38	20,57	3	42,11	14.73
जम्मू और कश्मीर	4	17,64	2,72	–	–	–	2	20,89	7,20
पंजाब	2	355.43	52,00	1	37.52	8.23	2	221,21	85,02
राजस्थान	–	–	–	2	4,51	1,05	1	4,75	1,58
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	–	–	–	–	–	–	1	64,43	21,93
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	**11**	**25,93**	**3,33**	**5**	**31,70**	**8,52**	**7**	**36,81**	**12,82**
असम	1	5,09	46	1	19,88	5,68	3	33,79	11,75
मणिपुर	1	43	8	–	–	–	1	73	24
मेघालय	–	–	–	1	3,45	77	2	1,63	57
नागालैण्ड	2	4,37	43	1	1,52	38	–	–	–
सिक्किम	–	–	–	–	–	–	1	66	26
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	4	11,76	1,76	2	6,64	1,70	–	–	–
मिजोरम	3	4,27	60	–	–	–	–	–	–
पूर्वी क्षेत्र	**4**	**138,94**	**20,94**	**5**	**201,74**	**51,09**	**11**	**284,32**	**97,43**
बिहार	2	53,46	9,09	1	19,68	5,40	8	176,22	58,38
उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	2	85.48	11,85	3	180,10	45,25	3	108,10	39,05
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	1	1,95	44	–	–	–
मध्यवर्ती क्षेत्र	**2**	**28,00**	**4,96**	**5**	**129,62**	**31,86**	**8**	**189,34**	**65,31**
मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–	3	47,38	16,46
उत्तर प्रदेश	2	28,00	4,96	5	129,62	31,86	5	141,96	48,85
पश्चिमी क्षेत्र	**3**	**132,73**	**14,32**	**5**	**237,14**	**62,13**	**5**	**228,50**	**76,17**
गुजरात	1	88,16	7,35	3	56,57	16,17	5	228,50	76,17
महाराष्ट्र	1	35.43	5,95	1	22,94	6,28	–	–	–
दादर और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गोवा, दमण और दीव	1	9,13	1,02	1	157,63	39,68	–	–	–
दक्षिणी क्षेत्र	**1**	**1,85**	**24**	**1**	**45,49**	**11,26**	**2**	**4,83**	**1,69**
आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
केरल	–	–	–	1	45,49	11,26	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	1	1,85	24	–	–	–	–	–	–
पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	2	4,83	1,69
अखिल भारतीय	**28**	**702,40**	**98,82**	**27**	**782,09**	**194,72**	**42**	**1097,21**	**383,89**

TABLE 2.10 : STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK-OFFICES IN RURAL CENTRES

(As on the last Friday of June 1983)

(Amount in Lakhs of Rupees)

	Frequency (Credit-Deposit Ratios)								
	Upto 20%			20% — 30%			30% — 40%		
Region/State/ Union Territory	No. of Districts	Deposits	Adv-ances	No. of Districts	Deposits	Adv-ances	No. of Districts	Deposits	Adv-ances
NORTHERN REGION	**7**	**374,96**	**55,04**	**6**	**136,40**	**29,86**	**9**	**353,40**	**130,47**
Haryana	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Himachal Pradesh	1	1,89	33	3	94,38	20,57	3	42.11	14,73
Jammu & Kashmir	4	17,64	2,72	—	—	—	2	20,89	7,20
Punjab	2	355,43	52,00	1	37,52	8,23	2	221,22	85,02
Rajasthan	—	—	—	2	4,51	1,05	1	4,75	1,58
Chandigarh	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Delhi	—	—	—	—	—	—	1	64,43	21,93
NORTH-EASTERN REGION	**11**	**25,93**	**3,33**	**5**	**31,70**	**8,52**	**7**	**36,81**	**12,82**
Assam	1	5,09	46	1	19,88	5,68	3	33,79	11,75
Manipur	1	43	8	—	—	—	1	73	24
Meghalaya	—	—	—	1	3,45	77	2	1,63	57
Nagaland	2	4,37	43	1	1,52	38	—	—	—
Sikkim	—	—	—	—	—	—	1	66	26
Tripura	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arunachal Pradesh	4	11,76	1,76	2	6,84	1,70	—	—	—
Mizoram	3	4,27	60	—	—	—	—	—	—
EASTERN REGION	**4**	**138,94**	**20,94**	**5**	**201,74**	**51,09**	**11**	**284,32**	**97,43**
Bihar	2	53,46	9,09	1	19,68	5,40	8	176.22	58,38
Orissa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
West Bengal	2	85,48	11,85	3	180,10	45,25	3	108,10	39.05
Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	1	1,95	44	—	—	—
CENTRAL REGION	**2**	**28,00**	**4,96**	**5**	**129,62**	**31,86**	**8**	**189,34**	**65,31**
Madhya Pradesh	—	—	—	—	—	—	3	47,38	16,46
Uttar Pradesh	2	28,00	4,96	5	129,62	31,86	5	141,96	48,85
WESTERN REGION	**3**	**132,73**	**14,32**	**5**	**237,14**	**62,13**	**5**	**228,50**	**76,17**
Gujarat	1	88,16	7,35	3	56,57	16.17	5	228,50	76,17
Maharashtra	1	35,43	5,95	1	22,94	6.28	—	—	—
Dadra & Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Goa, Daman & Diu	1	9,13	1,02	1	157,63	39,68	—	—	—
SOUTHERN REGION	**1**	**1,85**	**24**	**1**	**45,49**	**11,26**	**2**	**4,83**	**1,69**
Andhra Pradesh	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Karnataka	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kerala	—	—	—	1	45.49	11,26	—	—	—
Tamil Nadu	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lakshadweep	1	1,85	24	—	—	—	—	—	—
Pondicherry	—	—	—	—	—	—	2	4,83	1,69
ALL-INDIA	**28**	**702,40**	**98,82**	**27**	**782,09**	**194,72**	**42**	**1097,21**	**383,89**

(Contd.)

सारणी : 2.10 : ग्रामीण केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण

(जून 1983 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि लाख रुपये में)

	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात)											
	40%-50%			50%-60%			60% से अधिक			जोड़		
क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	जिलों की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम
उत्तरी क्षेत्र	**7**	**139,30**	**65,33**	**10**	**161,38**	**90,22**	**40**	**629.27**	**540,31**	**79**	**1794,71**	**911,23**
हरियाणा	–	–	–	–	–	–	12	234,56	181,63	12	234,56	181,63
हिमाचल प्रदेश	2	38,83	19,02	1	9,97	5,04	2	28,52	31 96	12	215,71	91,64
जम्मू और कश्मीर	3	48,42	22,31	3	27,70	16,10	2	13,11	8,34	14	127,76	56,68
पंजाब	1	43,39	20,09	2	83,84	46 79	4	136,58	106,81	12	877,98	318,95
राजस्थान	1	8,66	3,91	4	39,85	22,30	19	209,14	206,31	27	266,92	235,14
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	1	7,36	5,27	1	7,36	5,27
दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	64,43	21,93
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**6**	**37,20**	**16,60**	**3**	**3,57**	**1,96**	**11**	**47,89**	**49,57**	**43**	**183,10**	**92,80**
असम	3	31,82	14,00	–	–	–	2	27,75	29,19	10	118,33	61,08
मणिपुर	1	28	14	–	–	–	3	2,56	2,09	6	4,00	2,55
मेघालय	1	4,17	2,08	1	1,12	56	–	–	–	5	10,37	3,98
नागालैण्ड	1	93	38	2	2,45	1,41	1	1,15	73	7	10,42	3,33
सिक्किम	–	–	–	–	–	–	2	55	40	3	1,21	66
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	3	15,89	17,16	3	15,89	17,16
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	18,60	3,45
मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4,27	60
पूर्वी क्षेत्र	**6**	**122,59**	**53,93**	**4**	**64,31**	**35,21**	**33**	**335,96**	**360,71**	**63**	**1147,84**	**619,30**
बिहार	5	99,21	43,88	2	20,44	10,74	15	134,29	152,24	33	513,30	279,72
उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	13	159,02	184,43	13	159,02	184,43
पश्चिम बंगाल	1	23,38	10,05	2	43,87	24,47	4	32,13	23,63	15	473,06	154,30
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–	1	51	40	2	2,46	84
मध्यवर्ती क्षेत्र	12	220,19	102,40	23	350,26	192,28	51	659,56	542,99	101	1576,97	939,80
मध्य प्रदेश	4	44,22	20,47	8	46,72	26,64	30	214,94	184,28	45	353,27	247,85
उत्तर प्रदेश	8	175,96	81,94	15	303,54	165,64	21	444,62	358,72	56	1223,70	691,96
पश्चिमी क्षेत्र	8	230,91	104,25	4	62,25	35,25	24	316,68	319,06	49	1208,21	611,19
गुजरात	4	100,93	47,04	2	11,05	5,98	4	107,29	100,54	19	592,51	253,25
महाराष्ट्र	4	129,98	57,21	2	51,19	29,27	19	206,98	216,18	27	446,53	314,90
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	1	2,41	2.34	1	2,41	2.34
गोवा, दमण और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	166,76	40,70
दक्षिणी क्षेत्र	**4**	**231,24**	**111,14**	**7**	**165,64**	**90,48**	**59**	**1296,81**	**1198,66**	**74**	**1745,87**	**1413,46**
आंध्र प्रदेश	1	11,19	5,41	2	53,83	29,68	20	486.18	441.13	23	551,20	476,21
कर्नाटक	1	139,85	69,27	1	28,32	14,37	17	329.62	314.48	19	497,79	398,48
केरल	2	80,19	69,36	2	52,02	29,45	7	98,76	93.50	12	276,54	170,66
तमिलनाडु	–	–	–	1	30,03	15,89	14	375,43	341,22	15	405,47	357,11
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1,85	24
पांडिचेरी	–	–	–	1	1,44	74	1	6,83	8,33	4	13,10	10,76
अखिल भारतीय	**43**	**981,41**	**453,65**	**51**	**807,41**	**445,41**	**218**	**3286,17**	**3011,30**	**409**	**7656,70**	**4587,78**

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : कुल जमा और सकल बैंक ऋण से संबंधित मासिक विवरणियां।

TABLE 2.10 : STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK-OFFICES IN RURAL CENTRES (Concld.)

(As on the last Friday of June 1983)

(Amount in Lakhs of Rupees)

	Frequency (Credit-Deposit Ratios)											
	40% — 50%			50%—60%			60% and above			Total		
Region/State/Union Territory	No. of Districts	Deposits	Advances	No. of Districts	Deposits	Advances	No. of Districts	Deposits	Advances	No. of Districts	Deposits	Advances
NORTHERN REGION	**7**	**139,30**	**65,33**	**10**	**161,38**	**90,22**	**40**	**629,27**	**540,31**	**79**	**1794,71**	**911,23**
Haryana	—	—	—	—	—	—	12	234,56	181,63	12	234,56	181,63
Himachal Pradesh	2	38,83	19,02	1	9,97	5,04	2	28,52	31,96	12	215,71	91,64
Jammu & Kashmir	3	48,42	22,31	3	27,70	16,10	2	13,11	8,34	14	127,76	56,68
Punjab	1	43,39	20,09	2	83,84	46,79	4	136,58	106,81	12	877,98	318,95
Rajasthan	1	8,66	3,91	4	39,86	22,30	19	209,14	206,31	27	266,92	235,14
Chandigarh	—	—	—	—	—	—	1	7,36	5,27	1	7,36	5,27
Delhi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	64,43	21,93
NORTH-EASTERN REGION	**6**	**37,20**	**16,60**	**3**	**3,57**	**1,96**	**11**	**47,89**	**49,57**	**43**	**183,10**	**92,80**
Assam	3	31,82	14,00	—	—	—	2	27,75	29,19	10	118,33	61,08
Manipur	1	28	14	—	—	—	3	2,56	2,09	6	4,00	2,55
Meghalaya	1	4,17	2,08	1	1,12	56	—	—	—	5	10,37	3,98
Nagaland	1	93	38	2	2,45	1,41	1	1,15	73	7	10,42	3,33
Sikkim	—	—	—	—	—	—	2	55	40	3	1,21	66
Tripura	—	—	—	—	—	—	3	15,89	17,16	3	15,89	17,16
Arunachal Pradesh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	18,60	3,45
Mizoram	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4,27	60
EASTERN REGION	**6**	**122,59**	**53,93**	**4**	**64,31**	**35,21**	**33**	**335,96**	**360,71**	**63**	**1147,84**	**619,30**
Bihar	5	99,21	43,88	2	20,44	10,74	15	144,29	152,24	33	513,30	279,72
Orissa	—	—	—	—	—	—	13	159,02	184,43	13	159,02	184,43
West Bengal	1	23,38	10,05	2	43,87	24,47	4	32,13	23,63	15	473,06	154,30
Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	—	—	—	1	51	40	2	2,46	84
CENTRAL REGION	**12**	**220,19**	**102,40**	**23**	**350,26**	**192,28**	**51**	**659,56**	**542,99**	**101**	**1576,97**	**939,80**
Madhya Pradesh	4	44,22	20,47	8	46,72	26,64	30	214,94	184,28	45	353,27	247,85
Uttar Pradesh	8	175,96	81,94	15	303,54	165,64	21	444,62	358,72	56	1223,70	691,96
WESTERN REGION	**8**	**230,91**	**104,25**	**4**	**62,25**	**35,25**	**24**	**316,68**	**319,06**	**49**	**1208,21**	**611,19**
Gujarat	4	100,93	47,04	2	11,05	5,98	4	107,29	100,54	19	592,51	253,25
Maharashtra	4	129,98	57,21	2	51,19	29,27	19	206,98	216,18	27	446,53	314,90
Dadra & Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—	1	2,41	2,34	1	2,41	2,34
Goa, Daman & Diu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	166,76	40,70
SOUTHERN REGION	**4**	**231,24**	**111,14**	**7**	**165,64**	**90,48**	**59**	**1296,81**	**1198,66**	**74**	**1745,87**	**1413,46**
Andhra Pradesh	1	11,19	5,41	2	53,83	29,68	20	486,18	441,13	23	551,20	476,21
Karnataka	1	139,85	69,27	1	28,32	14,73	17	329,62	314,48	19	497,79	398,48
Kerala	2	80,19	36,46	2	52,02	29,45	7	98,76	93,50	12	276,46	170,66
Tamil Nadu	—	—	—	1	30,03	15,89	14	375,43	341,22	15	405,47	357,11
Lakshadweep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,85	24
Pondicherry	—	—	—	1	1,44	74	1	6,83	8,33	4	13,10	10,76
ALL-INDIA	**43**	**981,41**	**453,65**	**51**	**807,41**	**445,41**	**218**	**3286,17**	**3011,30**	**409**	**7656,70**	**4587,78**

Note : The data are provisional.
Source : Monthly Return on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit.

सारणी : 2.11 : अर्धशहरी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण

(जून 1983 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि लाख रुपये में)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	(आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात)								
	20% तक			20%-30%			30%-40%		
	जिलों की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम
उत्तरी क्षेत्र	**5**	**160,74**	**22,92**	**8**	**364,44**	**95,04**	**8**	**198,42**	**71,02**
हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	2	16,09	3,62	1	19,27	6,45
जम्मू और कश्मीर	2	4,76	41	–	–	–	1	11,57	3,97
पंजाब	1	151,94	21,74	3	264,16	69,48	2	105,33	40,08
राजस्थान	1	3,89	75	3	84,19	21,93	4	62,25	20,53
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	1	15	2	–	–	–	–	–	–
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	**5**	**112,43**	**15,83**	**4**	**58,28**	**14,35**	**5**	**132,92**	**45,56**
असम	1	3,98	61	3	54,63	13,49	3	103,09	34,17
मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मेघालय	1	71,45	11,75	1	3,65	86	–	–	–
नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–	2	29,83	11,39
सिक्किम	1	20,35	1,09	–	–	–	–	–	–
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	1	1,12	11	–	–	–	–	–	–
मिजोरम	1	15,53	2,27	–	–	–	–	–	–
पूर्वी क्षेत्र	**7**	**482,68**	**83,90**	**14**	**519,07**	**129,89**	**14**	**586,46**	**199,63**
बिहार	1	12,90	2,53	7	208,09	50,86	10	526,13	178,01
उड़ीसा	–	–	–	1	2,60	60	2	27,38	10,31
पश्चिम बंगाल	5	469,13	81,28	6	308,37	78,43	1	24,06	8,41
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	65	9	–	–	–	1	8,88	2,91
मध्यवर्ती क्षेत्र	**1**	**5,64**	**60**	**7**	**132,30**	**32,51**	**19**	**383,21**	**136,74**
मध्य प्रदेश	–	–	–	2	26,73	6,18	7	64,64	22,86
उत्तर प्रदेश	1	5,64	60	5	105,57	26,32	12	318,57	113,88
पश्चिमी क्षेत्र	**1**	**134,80**	**26,11**	**5**	**254,03**	**69,75**	**6**	**478,87**	**172,65**
गुजरात	1	134,80	26,11	2	75,14	18,41	4	374,25	135,20
महाराष्ट्र	–	–	–	2	172,85	50,09	2	104,62	37,45
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गोवा, दमण और दीव	–	–	–	1	6,05	1,25	–	–	–
दक्षिणी क्षेत्र	–	–	–	**3**	**198,28**	**44,84**	**2**	**107,19**	**36,95**
आंध्र प्रदेश	–	–	–	1	52	10	–	–	–
कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
केरल	–	–	–	2	197,76	44,73	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	1	96,38	33,14
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	1	10,81	3,81
अखिल भारतीय	**19**	**896,28**	**149,36**	**41**	**1526,40**	**386,38**	**54**	**1887,06**	**662,55**

TABLE 2-11 : STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK-OFFICES IN SEMI-URBAN CENTRES

(As on the last Friday of June 1983)

(Amount in lakhs of rupees)

	Frequency (Credit-Deposit Ratios)								
	Upto 20%			20% — 30%			30% — 40%		
Region/State/ Union Teritory	No. of Districts	Deposits	Adv-ances	No. of Districts	Deposits	Adv-ances	No. of Districts	Deposits	Adv-ances
NORTHERN REGION	**5**	**160,74**	**22,92**	**8**	**364,44**	**95,04**	**8**	**198,42**	**71,02**
Haryana	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Himachal Pradesh	—	—	—	2	16,09	3,62	1	19,27	6,45
Jammu and Kashmir	2	4,76	41	—	—	—	1	11,57	3,97
Punjab	1	151,94	21,74	3	264,16	69,48	2	105,33	40,08
Rajasthan	1	3,89	75	3	84,19	21,93	4	62,25	20,53
Chandigarh	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Delhi	1	15	2	—	—	—	—	—	—
NORTH-EASTERN REGION	**5**	**112,43**	**15,83**	**4**	**58,28**	**14,35**	**5**	**132,92**	**45,56**
Assam	1	3,98	61	3	54,63	13,49	3	103,09	34,17
Manipur	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meghalaya	1	71,45	11,75	1	3,65	86	—	—	—
Nagaland	—	—	—	—	—	—	2	29,83	11,39
Sikkim	1	20,35	1,09	—	—	—	—	—	—
Tripura	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arunachal Pradesh	1	1,12	11	—	—	—	—	—	—
Mizoram	1	15,53	2,27	—	—	—	—	—	—
EASTERN REGION	**7**	**482,68**	**83,90**	**14**	**519,07**	**129,89**	**14**	**586,46**	**199,63**
Bihar	1	12,90	2,53	7	208,09	50,86	10	526,13	178,01
Orissa	—	—	—	1	2,60	60	2	27,38	10,31
West Bengal	5	469,13	81,28	6	308,37	78,43	1	24,06	8,41
Andaman and Nicobar Islands	1	65	9	—	—	—	1	8,88	2,91
CENTRAL REGION	**1**	**564**	**60**	**7**	**132,30**	**32,51**	**19**	**383,21**	**136,74**
Madhya Pradesh	—	—	—	2	26,73	6,18	7	64,64	22,86
Uttar Pradesh	1	5,64	60	5	105,57	26,32	12	318,57	113,88
WESTERN REGION	**1**	**134,80**	**26,11**	**5**	**254,03**	**69,75**	**6**	**478,87**	**172,65**
Gujarat	1	134,80	26,11	2	75,14	18,41	4	374,25	135,20
Maharashtra	—	—	—	2	172,85	50,09	2	104,62	37,45
Dadra and Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—	—	—	
Goa, Daman and Diu	—	—	—	1	6,05	1,25	—	—	—
SOUTHERN REGION	**—**	**—**	**—**	**3**	**198,28**	**44,84**	**2**	**107,19**	**36,95**
Andhra Pradesh	—	—	—	1	52	10	—	—	—
Karnataka	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kerala	—	—	—	2	197,76	44,73	—	—	—
Tamil Nadu	—	—	—	—	—	—	1	96,38	33,14
Lakshadweep	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pondicherry	—	—	—	—	—	—	1	10,81	3,81
ALL-INDIA	**19**	**896,28**	**149,36**	**41**	**1526,40**	**386,38**	**54**	**1887,06**	**662,55**

(Contd.)

सारणी : 2.11 : अर्धशहरी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण (जारी)

(जून 1983 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि लाख रुपये में)

	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात)											
	40%-50%			50%-60%			60% से अधिक			जोड़		
क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	जिलों की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम
उत्तरी क्षेत्र	**9**	**265,81**	**119,79**	**8**	**410,86**	**216,34**	**30**	**791.99**	**609,94**	**68**	**2192,26**	**1135,04**
हरियाणा	1	57,89	27,82	1	43,63	24,07	10	429,03	307,21	12	530,56	359,11
हिमाचल प्रदेश	1	5,88	2,61	1	67,80	37,54	1	9,27	5,94	6	118,31	56,15
जम्मू और कश्मीर	1	17,98	7,95	–	–	–	5	18.71	16,49	9	53,03	28,82
पंजाब	1	107,88	47,17	3	282,54	145,31	2	147,94	108,46	12	1059,78	432,25
राजस्थान	5	76,18	34,24	2	16,43	9,18	12	187,04	171,83	27	429,99	258,46
चण्डीगढ़	–	–	–	1	46	24	–	–	–	1	46	24
दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	15	2
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**1**	**3,48**	**1,48**	**3**	**115,64**	**62,75**	**2**	**33,36**	**21,23**	**20**	**456,11**	**161,21**
असम	–	–	–	2	110,58	59,86	–	–	–	9	272,28	108,14
मणिपुर	–	–	–	–	–	–	1	1,32	94	1	1,32	94
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	75,10	12,61
नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	29,83	11,39
सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	20,35	1,09
त्रिपुरा	1	3,48	1,48	1	5,06	2,89	1	32,05	20,29	3	40,58	24,67
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1,12	11
मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	15,53	2,27
पूर्वी क्षेत्र	**5**	**95,66**	**40,54**	**6**	**106,71**	**58,65**	**17**	**239,76**	**187,97**	**63**	**2030,33**	**700,58**
बिहार	3	62,42	26,17	3	21,52	11,49	9	122,34	104,03	33	953,39	373,08
उड़ीसा	1	15,05	6,75	2	36,94	20,59	7	117,36	83,86	13	199,34	122,11
पश्चिम बंगाल	1	18,19	7,62	1	48,26	26,58	1	6	8	15	868,07	202,40
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9,53	2,99
मध्यवर्ती क्षेत्र	**22**	**421,54**	**180,76**	**23**	**434,70**	**238,70**	**25**	**553,17**	**458.26**	**97**	**1930,56**	**1047,56**
मध्य प्रदेश	10	127,84	56,86	14	201,51	109,51	10	108,31	95,48	43	529.03	290.89
उत्तर प्रदेश	12	293,71	123,90	9	233,19	129,19	15	444,86	362,77	54	1401,53	756,67
पश्चिमी क्षेत्र	**12**	**805,20**	**344,09**	**8**	**1450,78**	**241,64**	**15**	**448,55**	**409,42**	**47**	**2572,23**	**1263,66**
गुजरात	5	339,23	147,81	2	129,54	66,14	4	174,96	194,77	18	1227,92	588,44
महाराष्ट्र	6	176,63	78,57	6	321,24	175,50	11	273,59	214,65	27	1048.93	556,26
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गोवा, दमण और दीव	1	289,34	117,71	–	–	–	–	–	–	2	295,38	118,96
दक्षिणी क्षेत्र	**14**	**999,19**	**460,81**	**14**	**850,58**	**470,24**	**39**	**1555,25**	**1225,09**	**72**	**3710,49**	**2237,93**
आंध्र प्रदेश	5	244,31	113,71	5	248,60	135,94	12	411,21	311,53	23	904,64	561,28
कर्नाटक	3	134,07	63.18	4	130,39	73,52	12	340,94	268,07	19	605,40	404,77
केरल	3	416,43	187,69	4	471,21	260,56	4	183,78	151,85	13	1269,18	644,84
तमिलनाडु	3	204,37	96,23	–	–	–	11	619,32	493,64	15	920,08	623,00
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पांडिचेरी	–	–	–	1	39	22	–	–	–	2	11,19	4,04
अखिल भारतीय	**63**	**2590,88**	**1147,46**	**62**	**2369,28**	**1288,32**	**128**	**3622,08**	**2911,90**	**367**	**12891,97**	**6545,97**

टिप्पणी : ये आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : समग्र जमा राशियों और सकल बैंक ऋण से संबंधित मासिक विवरणी

TABLE 2.11 : STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTON OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK- OFFICES IN SEMI-URBAN CENTRES (Concld.)

(As on the last Friday of June 1983)

(Amount inLakhs of Rupees)

	Frequency (Credit-Deposit Ratios)											
	40% — 50%			50%—60%			60% and above			Total		
Region/State/Union Territory	No. of Dist-ricts	Depo-sits	Adva-nces	No. of Dist-ricts	Depo-sits	Adva-nces	No. of Dist-ricts	Depo-sits	Adva-nces	No. of Dist-ricts	Depo-sits	Adva-nces
NORTHERN REGION	**9**	**265,81**	**119,79**	**8**	**410,86**	**216,34**	**30**	**791,99**	**609,94**	**68**	**2192,26**	**1135,04**
Haryana	1	57,89	27,82	1	43,63	24,07	10	429,03	307,21	12	530,56	359,11
Himachal Pradesh	1	5,88	2,61	1	67,80	37,54	1	9,27	5,94	6	118,31	56,15
Jammu & Kashmir	1	17,98	7,95	—	—	—	5	18,71	16,49	9	53,03	28,82
Punjab	1	107,88	47,17	3	282,54	145,31	2	147,94	108,46	12	1059,78	432,25
Rajasthan	5	76,18	34,24	2	16,43	9,18	12	187,04	171,83	27	429,99	258,46
Chandigarh	—	—	—	1	46	24	—	—	—	1	46	24
Delhi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	2
NORTH-EASTERN REGION	**1**	**3,48**	**1,48**	**3**	**115,64**	**62,75**	**2**	**33,36**	**21,23**	**20**	**456,11**	**161,21**
Assam	—	—	—	2	110,58	59,86	—	—	—	9	272,28	108,14
Manipur	—	—	—	—	—	—	1	1,32	94	1	1,32	94
Meghalaya	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	75,10	12,61
Nagaland	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	29,83	11,39
Sikkim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20,35	1,09
Tripura	1	3,48	1,48	1	5,06	2,89	1	32,05	20,29	3	40,58	24,67
Arunachal Pradesh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,12	11
Mizoram	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15,53	2.27
EASTERN REGION	**5**	**95,66**	**40,54**	**6**	**106,71**	**58,65**	**17**	**239,76**	**187,97**	**63**	**2030,33**	**700,58**
Bihar	3	62,42	26,17	3	21,52	11,49	9	122,34	104,03	33	953,39	373,08
Orissa	1	15,05	6,75	2	36,94	20,59	7	117,36	83,86	13	199,34	122,11
West Bengal	1	18,19	7,62	1	48,26	26,58	1	6	8	15	868,07	202,40
Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9,53	2,99
CENTRAL REGION	**22**	**421,54**	**180,76**	**23**	**434,70**	**238,70**	**25**	**553,17**	**458,26**	**97**	**1930,56**	**1047,56**
Madhya Pradesh	10	127,84	56,86	14	201,51	109,51	10	108,31	95,48	43	529,03	290,89
Uttar Pradesh	12	293,71	123,90	9	233,19	129,19	15	444,86	362,77	54	1401,53	756,67
WESTERN REGION	**12**	**805,20**	**344,09**	**8**	**450,78**	**241,64**	**15**	**448,55**	**409,42**	**47**	**2572,23**	**1263,66**
Gujarat	5	339,23	147,81	2	129,54	66,14	4	174,96	194,77	18	1227,92	588,44
Maharashtra	6	176,63	78,57	6	321,24	175,50	11	273,59	214,65	27	1048,93	556,26
Dadra & Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Goa, Daman & Diu	1	289,34	117,71	—	—	—	—	—	—	2	295,38	118,96
SOUTHERN REGION	**14**	**999,19**	**460,81**	**14**	**850,58**	**470,24**	**39**	**1555,25**	**1225,69**	**72**	**3710,49**	**2237,93**
Andhra Pradesh	5	244,31	113,71	5	248,60	135,94	12	411,21	311,53	23	904,64	561,28
Karnataka	3	134,07	63,18	4	130,39	73,52	12	340,94	268,07	19	605,40	404,77
Kerala	3	416,43	187,69	4	471,21	260,56	4	183.78	151,85	13	1269,18	644,84
Tamil Nadu	3	204,37	96,23	—	—	—	11	619,32	493,64	15	920,08	623,00
Lakshadweep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pondicherry	—	—	—	1	39	22	—	—	—	2	11.19	4,04
ALL-INDIA	**63**	**2590,88**	**1147,46**	**62**	**2369,28**	**1288,32**	**128**	**3622,08**	**2911,90**	**367**	**12891,97**	**6545,97**

Note: The data are provisional.

Source : Monthly Return on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit.

तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश ऐसे मुख्य राज्य थे, जिनके 50 प्रतिशत से भी अधिक जिलों का ऋण-जमा अनुपात जून 1983 में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक था। तथापि, अन्य राज्यों के कार्य इस संबंध में असंतोषजनक ही बने रहे।

Pradesh among the major States, had credit-deposit ratios of 60 per cent or more in June 1983. The achievement in other States, however, continued to be less satisfactory.

वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदत्त मीयादी ऋण

2.62 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये मीयादी ऋणों के संबंध में दिसम्बर 1981 के अंत तक के आंकड़े उपलब्ध हैं और वे सारणी 2.12 में दिये गये हैं। दिसम्बर 1980 और 1981 के अंत तक की

Term Lending by Commercial Banks

2.62 The data on term loans of scheduled commercial banks are available upto end-December 1981 and are presented in Table 2.12. Between end-December 1980 and 1981, the number of term loan accounts in-

सारणी : 2.12 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मीयादी ऋण (बकाया)

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को	खातों की संख्या		ऋण सीमा		बकाया राशि		कुल बैंक ऋण	स्तंभ 7 में स्तंभ 5 का का प्रतिशत
	मीयादी ऋण	समस्त खातों का योग	मीयादी ऋण	कुल बैंक ऋण	मीयादी ऋण	कुल बैंक ऋण	(इसमें खाद्यान्न वसूली अग्रिम शामिल नहीं है)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
जून 1978	302,244 (34.8)	869 280	3,194 (14.6)	21,914	2,516 (17.8)	14,145	11,620	21.7
दिसम्बर 1978	332,732 (34.3)	970,053	3,490 (15.8)	22,164	2,765 (17.8)	15,505	13,121	21.1
जून 1979	373,794 (35.7)	1047,325	3,879 (15.8)	24,487	3,142 (18.7)	16,826	13,830	22.7
दिसम्बर 1979	420,848 (37.0)	1138,517	4,428 (17.3)	25,639	3,640 (20.4)	17,854	15,155	24.0
जून 1980 *	461,923 (38.4)	1201,912	4,849 (18.0)	26,952	3,928 (21.3)	18,426	16,016	24.5
दिसम्बर 1980 *	519,635 (39.1)	1328,278	5,468 (18.4)	29,780	4,492 (22.2)	20,221	18,180	24.7
जून 1981 *	580,395 (40.3)	1440,250	6,292 (20.7)	30,385	5,036 (23.6)	21,322	19,120	26.3
दिसम्बर 1981 *	651,671 (40.9)	1593,113	8,076 (22.2)	36,440	5,790 (23.8)	24,283	21,970	26.4

* अनंतिम

टिप्पणी : 1. इन खातों का संबंध उन आंकड़ों से है, जिनकी ऋण सीमा 10,000 रुपये से अधिक है।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रत्येक मद के अंतर्गत कुल के मीयादी ऋणों का प्रतिशत हैं।

स्रोत : आधारभूत सांख्यिकीय विवरणियां

अवधि के बीच मीयादी ऋण खातों की संख्या 520 हजार से बढ़कर 652 हजार हो गयी, जिससे दिसम्बर 1981 तक के कुल ऋण खातों में प्रतिशतता 40.9 प्रतिशत हो गयी, जबकि एक वर्ष पूर्व वह 39.1 प्रतिशत थी। मीयादी ऋणों के अंतर्गत कुल ऋण सीमाएं 8,076 करोड़ रुपये की (कुल बैंक ऋण सीमाओं का 22.2 प्रतिशत) थी जबकि दिसम्बर 1980 में वे 5,468 करोड़ रुपये (18.4 प्रतिशत) थीं। बकाया ऋण सीमा में 1,298 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वे दिसम्बर 1981 के अंत तक 5,790 करोड़ रुपये अर्थात् कुल बैंक ऋणों के 23.8 प्रतिशत (जबकि दिसम्बर 1980 में 22.0 प्रतिशत था) और कुल खाद्येतर ऋणों के 26.4 प्रतिशत हो गये।

creased from 520 thousand to 652 thousand, forming 40.9 per cent of total loan accounts at the end of December 1981 compared to 39.1 per cent a year before. Credit limits under term loans aggregated Rs.8,076 crores (22.2 per cent of total bank credit limits) as compared to Rs.5,468 crores (18.4 per cent) in December 1980. Outstanding term loans rose by Rs.1,298 crores to Rs.5,790 crores at the end of December 1981 and constituted 23.8 per cent of total bank credit (22.2 per cent in December 1980) and 26.4 per cent of total non-food credit.

TABLE 2-12 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' TERM LOANS

(Amount in rupees crores)

As on last Friday	No. of Accounts: Term Loans	No. of Accounts: Total of all accounts	Credit Limit: Term Loans	Credit Limit: Total Bank Credit	Amount Outstanding: Term Loans	Amount Outstanding: Total Bank Credit	Bank Credit (excluding food procurement advances)	Percentage of Col. 5 to Col. 7
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
June 1978	302,244 (34.8)	869,280	3,194 (14.6)	21,914	2,516 (17.8)	14,145	11,620	21·7
December 1978	332,732 (34.3)	970,053	3,490 (15.8)	22,164	2,765 (17.8)	15,505	13,121	21.1
June 1979	373,794 (35.7)	1047,325	3,879 (15.8)	24,487	3,142 (18.7)	16,826	13,830	22.7
December 1979	420,848 (37.0)	1138,517	4,428 (17.3)	25,639	3,640 (20.4)	17,854	15,155	24.0
June 1980*	461,923 (38.4)	1201,912	4,849 (18.0)	26,952	3,928 (21.3)	18,426	16,016	24.5
December 1980*	519,635 (39.1)	1328,278	5,468 (18.4)	29,780	4,492 (22.2)	20,221	18,180	24.7
June 1981*	580,395 (40.3)	1440,250	6,292 (20.7)	30,385	5,036 (23.6)	21,322	19,120	26.3
December 1981*	651,671 (40.9)	1593,113	8,076 (22.2)	36,440	5,790 (23.8)	24,283	21,970	26.4

* Provisional.

Note : 1. Data relate to accounts with credit limits over Rs. 10,000

2. Figures in brackets indicate percentage of term loans to total under each item.

Source : Basic Statistical Returns.

प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली

2.63 प्रत्यक्ष कृषि ऋणों की वसूली के संबंध में जो ताज़ा आंकड़े (अनंतिम) उपलब्ध हैं, वे जून 1982 से सम्बद्ध हैं। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रत्यक्ष कृषि ऋणों की मांग के प्रति वसूली का प्रतिशत जून 1982 की समाप्ति पर 52.2 था, जो पिछले वर्ष के 52.7 प्रतिशत से कुछ ही कम है।

Recovery of Direct Agricultural Advances

2.63 The latest provisional data available in respect of recovery of direct agricultural advances of banks relate to June 1982. The percentage of recovery to demand in respect of direct agricultural advances of public sector banks as at the end of June 1982 was 52.2 i.e., slightly lower than the percentage of 52.7 for the previous year.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

2.64 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष के दौरान शाखा विस्तार, जमाराशियों में वृद्धि और ऋण में विस्तार के संबंध में उल्लेनीय प्रगति जारी रखी।जुलाई 1983 से जून 1984 के बीच की अवधि के दौरान 20 नये क्षे. ग्रा. बैंकों की स्थापना की गयी, जिससे 286 जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या बढ़कर 162 हो गयी। अतः छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मार्च 1985 तक 270 जिलों में बैंक सुविधा देने के लक्ष्य से यह अधिक ही था। जहां तक मार्च 1985 तक 170 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के लक्ष्य का संबंध है, मौजूदा स्थिति में, उक्त संख्या को पूरा करने के लिए केवल 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही स्थापित किये जाने थे। मार्च 1984 तक की उपलब्ध राज्यवार स्थिति में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जानेवाले जिलों की संख्या और खोली गयी शाखाओं की संख्या, सारणी 2.13 में दी गयी है।

Regional Rural Banks

Progress of RRBs

2.64 The regional rural banks (RRBs) continued to show a significant progress in branch expansion, mopping up of deposits and extension of credit during the year. During the period July 1983 to June 1984, 20 new RRBs were established, raising the total number of RRBs to 162 covering 286 districts. Thus, the Sixth Five Year Plan target of covering 270 districts by March 1985 has been more than fulfilled. As regards the target of setting up of 170 RRBs by March 1985, the current position was short only by 8 RRBs.The State-wise position, as available upto end-March 1984, on number of RRBs, number of districts covered and number of branches opened is given in Table 2.13.

कार्य

2.65 **जमाराशियां और अग्रिम** : मार्च 1984 के अन्त तक 150 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सूचित की गयी कुल जमाराशियां और अग्रिम क्रमशः 698 करोड़ रुपये और 809 करोड़ रुपये थे (जिनमें प्रत्यक्ष और

Operations

2.65 *Deposits and Advances* : The deposits and advances of 159 reporting RRBs as at end-March 1984 aggregated Rs.698 crores and Rs.809 crores (including direct and indirect advances), respectively, as compared

सारणी 2.13 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्यवार कार्यालय
(31 दिसम्बर' 1984 को)

राज्य	क्षे. ग्रा. बैं. की सं.	शाखाओं की सं.	जिलों की सं.
1. आंध्र प्रदेश	12	607	17
2. अरुणाचल प्रदेश	1	1	4
3. असम	5	166	10
4. बिहार	17	1,325	27
5. गुजरात	7	122	11
6. हरियाणा	2	168	5
7. हिमाचल प्रदेश	1	81	3
8. जम्मू और कश्मीर	3	210	10
9. कर्नाटक	8	622	13
10. केरल	2	238	4
11. मध्य प्रदेश	20	878	35
12. महाराष्ट्र	7	178	13
13. मणिपुर	1	12	8
14. मेघालय	1	16	3
15. मिजोरम	1	1	3
16. नागालैण्ड	1	1	7
17. उड़ीसा	9	591	12
18. पंजाब	3	18	6
19. राजस्थान	13	516	26
20. तमिलनाडु	1	116	2
21. त्रिपुरा	1	61	3
22. उत्तर प्रदेश	35	1,808	43
23. पश्चिम बंगाल	8	477	16
जोड़	159	8,213	281

नोट : आंकड़े अनंतिम हैं।

TABLE 2.13: STATE-WISE OFFICES OF REGIONAL RURAL BANKS
(As on March 31, 1984)

State	No. of RRBs	No. of branches	No. of districts
1. Andhra Pradesh	12	607	17
2. Arunachal Pradesh	1	1	4
3. Assam	5	166	10
4. Bihar	17	1,325	27
5. Gujarat	7	122	11
6. Haryana	2	168	5
7. Himachal Pradesh	1	81	3
8. Jammu and Kashmir	3	210	10
9. Karnataka	8	622	13
10. Kerala	2	238	4
11. Madhya Pradesh	20	878	35
12. Maharashtra	7	178	13
13. Manipur	1	12	8
14. Meghalaya	1	16	3
15. Mizoram	1	1	3
16. Nagaland	1	1	7
17. Orissa	9	591	12
18. Punjab	3	18	6
19. Rajasthan	13	516	26
20. Tamil Nadu	1	116	2
21. Tripura	1	61	3
22. Uttar Pradesh	35	1,808	43
23. West Bengal	8	477	16
TOTAL	159	8,213	281

Note: Data are provisional.

परोक्ष अग्रिम भी शामिल हैं) जबकि एक वर्ष पूर्व 124 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशियां और अग्रिमों की राशि क्रमशः 502 करोड़ रुपये और 603 करोड़ रुपये थी। 809 करोड़ रुपये के कुल अग्रिमों में से 781 करोड़ रुपये या 97 प्रतिशत अग्रिम कमजोर वर्गों जैसे छोटे/सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों, आदि को प्रत्यक्ष अग्रिमों के रूप में दिये गये। इन प्रत्यक्ष अग्रिमों के प्रयोजनवार वितरण से पता चलता है कि 148 करोड़ रुपये अल्पावधि फसल ऋणों, 192 करोड़ रुपये कृषि के लिए दिये गये मीयादी ऋणों, 145 करोड़ रुपये कृषि से संबद्ध कार्यकलापों के लिए, 48 करोड़ रुपये ग्रामीण कारीगरों आदि के लिए, 192 करोड़ रुपये खुदरा व्यापार और स्वनियोजितों के लिए, और 56 करोड़ रुपये उपभोग ऋणों और अन्य प्रयोजनों के लिए थे। दिसंबर 1983 के अंत तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये गये कुल संचयी ऋणों में तीव्र वृद्धि हुई जिससे 784,035 खातों के द्वारा 151 करोड़ रुपये दिये गये जबकि एक वर्ष पूर्व 164,338 खातों के माध्यम से 36 करोड़ रुपये ही वितरित किये गये थे।

to deposits and advances of 124 RRBs amounting Rs.502 crores and Rs.603 crores, respectively, a year ago. Of the total advances of Rs.809 crores, Rs.781 crores or 97 per cent were direct advances to weaker sections like small/marginal farmers, landless labourers, rural artisans, etc. Purpose-wise distribution of these direct advances showed that Rs.148 crores were short-term crop loans, Rs.192 crores term loans to agriculture, Rs.145 crores for activities allied to agriculture, Rs.48 crores for rural artisans, etc., Rs.192 crores for retail trade and self-employed and Rs.56 crores for consumption loans and for other purposes. Aggregate cumulative lending by RRBs under IRDP as at end-December 1983 increased sharply to Rs.151 crores in 784,035 accounts as compared with only Rs.36 crores in 164,338 accounts a year before.

2.66 **नये 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन** : कमजोर वर्गों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विशेष रूप से स्थापित किया गया था। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विशेष अनुदेश दिये गये थे कि वे नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आनेवाले हिताधिकारियों को राहत देने में वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयत्न करें और इस तरह की योजनाएं तैयार करें जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनसे बड़ी मात्रा में लोगों को राहत पहुंचायी जा रही है। साथ ही यह कार्यक्रम लागू करने में बैंकों द्वारा की गयी प्रगति की भी सूचना दें।

2.66 *Implementation of the New 20-Point Programme* : The RRBs have been specially established to cater to the financial needs of weaker sections. Even so, the RRBs have been specifically instructed to make every effort to increase the coverage of beneficiaries under the New 20-Point Programme by drawing up plans to ensure sizeable participation and to report on the progress made by them in implementation of the Programme.

2.67 **जिला ऋण योजनाएं** : वित्तपोषण करनेवाली अन्य एजेंसियों सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने जिला ऋण योजनाएं

2.67 *District Credit Plans* : The RRBs, along with other financing agencies, participate in the preparation and implementation

तैयार करने में और उनको लागू करने मे भाग लिया । उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्यतया वे अपने वायदे पूरे करने में सफल रहे ।

of District Credit Plans. According to available information, they were generally able to meet their share of commitments.

2.68 **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से पुनर्वित्त सुविधाएँ** : 1983-84 (जून 1984 के अंत तक) के दौरान नाबार्ड द्वारा 108 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कुल 271 करोड़ रुपये की सीमाएँ मंजूर की गयीं, जबकि 1982-83 (जुलाई-जून) के दौरान 97 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 227 करोड़ रुपये की सीमाएँ मंजूर की गयीं थीं। इन सीमाओं के अंतर्गत आहरित राशि और बकाया राशि जून 1984 के अंत तक 242 करोड़ रुपये थी, जबकि जून 1983 के अंत तक यह राशि 189 करोड़ रुपये थी । योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड द्वारा दिये गये दीर्घावधि पुनर्वित्त में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । मार्च 1984 के अंत तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड द्वारा 554 योजनाओं के लिए किये गये वायदों के वास्ते 219 करोड़ रुपये मंजूर किये गये और इन वायदों के अंतर्गत आहरित राशि 149 करोड़ रुपये थी । जून 1983 के अंत तक नाबार्ड द्वारा 458 योजनाओं के लिए 177 करोड़ रुपये के वायदे किये गये और इस संबंध में आहरित राशि 120 करोड़ रुपये थी ।

2.68 *Refinance facilities from NABARD :* During 1983-84 (upto end-June 1984), limits aggregating Rs.271 crores were sanctioned by NABARD to 108 RRBs compared to limits of Rs.227 crores sanctioned to 97 RRBs during 1982-83 (July-June). The amount drawn against these limits and remaining outstanding at end-June 1984 was Rs.242 crores as compared to Rs.189 crores at the end of June 1983. Long-term refinance from NABARD to RRBs under schematic lending showed significant increase. As at the end of March 1984, 554 schemes involving NABARD commitments of Rs.219 crores were sanctioned to RRBs and the drawal against this commitment amounted to Rs.149 crores. At end-June 1983, NABARD's commitment was Rs.177 crores for 458 schemes and the drawals amounted to Rs.120 crores.

2.69 **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित संचालन समिति** : नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित एक संचालन समिति सितंबर 1982 में गठित की गयी । इस समिति ने तब से अपनी दो बैठकें की हैं । समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित करने से संबंधित प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देश के सभी जिलों में जल्दी से जल्दी लागू करने की भारत सरकार की इच्छा को ध्यान में रखते हुए यह निदेश दिया कि ऐसे जिलों का पता लगाये जाने के बारे में तुरंत प्रयास किये जायें, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को

2.69 *Steering Committee on RRBs :* The Steering Committee on RRBs, which was reconstituted by the NABARD in September 1982, has held two meetings since then. The Committee reviewed the progress of setting up of RRBs and, in view of the Government of India's desire to ensure that all the districts in the country are covered by RRBs as early as possible, directed that quick action be initiated to identify districts deserving priority consideration for setting up RRBs. The Committee also considered the question of enlarging the scope of lending by RRBs

स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दिये जाने पर विचार करना हो। समिति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋण के क्षेत्र में विस्तार करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि गरीब व्यक्ति के बैंक के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की छवि को बनाये रखा जाना चाहिए और उनकी ऋण देने संबंधी नीतियों का उद्देश्य गरीब व्यक्ति के हित को बनाये रखना हो।

and decided that the image of RRBs as small man's bank should be preserved and their loaning policies be exclusively directed to serve small man's interest.

2.70 **अनुसंधान और विकास निधि से सहायता :** गत वर्ष की रिपोर्ट में नाबार्ड के इस निर्णय के बारे में हवाला दिया गया था कि परियोजना ऋण के अंतर्गत योजनाओं को तैयार करने और उनका विश्लेषण करने में लगे तकनीकी कार्मिकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अनुसंधान तथा विकास निधि से सहायता दी जायेगी। क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड की विशिष्टियों के अनुसार उपयुक्त योग्यता प्राप्त तकनीकी कार्मिकों को आकर्षित करने में असमर्थ रहने की वजह से संपूर्ण उपायों के रूप में इस अवसर का लाभ नहीं उठा सके, अतः इस संबंध में जहां तक संभव हो मानदंडों में ढील देने से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है, ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दी जानेवाली सहायता का भरपूर लाभ उठा सकें।

2.70 *Assistance from R and D Fund :* A reference was made in the last year's Report to the NABARD's decision to provide RRBs with assistance from its R & D fund for employing technical personnel for preparation and evaluation of schemes under project lending. As the RRBs had not been able to take advantage of this offer in full measure due to their inability to attract suitably qualified technical personnel conforming to the specifications of the NABARD, proposals are under consideration to relax the norms, as far as possible, to enable RRBs to make greater use of the assistance offered.

2.71 **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की व्यवहार्यता :** यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि रिज़र्व बैंक ने मार्च 1981 में एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की व्यवहार्यता के लिए कतिपय आवश्यक मानदंडों का उल्लेख किया गया था। प्रायोजक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का यह विचार था कि जिन मान्यताओं पर उक्त अध्ययन आधारित है, उनमें से अनेक आज संगत नहीं हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने उक्त विषय पर

2.71 *Viability of RRBs :* It may be recalled that Reserve Bank had published a study in March 1981, which indicated certain norms necessary for the viability of RRBs. There was a feeling among sponsor banks and RRBs that many of the assumptions, on which the conclusions of the above study were based, were not valid now. In view of this, the NABARD decided to have a fresh study undertaken on the subject and the work was entrusted to the Agricultural

फिर से अध्ययन करने का निर्णय लिया और यह कार्य कृषि वित्त निगम को सौंपा गया, जिसकी रिपोर्ट जल्दी ही प्राप्त होने की आशा है ।

Finance Corporation, whose Report is expected to be available soon.

विशेष ऋण योजनाएँ/सुविधाएँ

विभेदक ब्याज दर योजना

2.72 विभेदक ब्याज दर योजना, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बराबर विशेष ध्यान पाती रही । दिसंबर 1982 के अंत तक इस योजना के अंतर्गत ऋण खातों की संख्या में 4.2 लाख की वृद्धि हुई और खातों की संख्या 33.4 लाख हो गयी और दिसंबर 1981 से इन खातों में ऋणों की राशि में 54.0 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वह 311.5 करोड़ रुपये हो गयी । उसी अवधि के दौरान प्रति खाता ऋण की औसत राशि 880 रुपये से बढ़कर 932 रुपये हो गयी । दिसंबर 1981 के अंत तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों में विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत दिये गये अग्रिमों का प्रतिशत दिसंबर 1982 में 1.2 प्रतिशत था ।

Special Credit Schemes/Facilities

Differential Rate of Interest Schemes

2.72 The DRI Scheme continued to receive special attention from public sector banks. At the end of December 1982, the number of loan accounts under the scheme rose by 4.2 lakhs to 33.4 lakhs and the amount of loans outstanding in these accounts by Rs.54.0 crores to Rs.311.5 crores over the position in December 1981. The average amount of loan per account increased from Rs.880 to Rs.932 during the same period. The public sector banks' advances under DRI Scheme at the end of December 1982 formed 1.2 per cent of their total advances as at the end of December 1981.

2.73 विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उधार-कर्ताओं को शामिल करने में और सुधार हुआ । दिसंबर 1981 के अंत में ऐसे ऋण खातों की जो संख्या 13.8 लाख थी, वह दिसंबर 1982 के अंत तक बढ़कर 16.4 लाख हो गई और बकाया ऋणों की राशि 123 करोड़ रुपये से बढ़कर 154 करोड़ रुपये हो गयी, जो इस योजना के अंतर्गत दिये गये कुल अग्रिमों का 49.6 प्रतिशत थी, जबकि दिसंबर 1981 में यह प्रतिशत 47.9 था और निर्धारित लक्ष्य 40 प्रतिशत था । दिसम्बर 1982 के अंत तक, विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों की कुल राशि 33,800 खातों के द्वारा 3.4 करोड़ रुपये थी । इनमें से एक करोड़ रुपये 10,000 ऋण खातों के

2.73 There was further improvement in the coverage of scheduled castes and scheduled tribes borrowers under the DRI Scheme. The number of such borrowal accounts, which stood at 13.8 lakhs at the end of December 1981, rose to 16.4 lakhs by the end of December 1982 and the amount of loans outstanding increased from Rs.123 crores to Rs.154 crores constituting 49.6 per cent of total advances under the Scheme as compared to 47.9 per cent in December 1981 and the stipulated target of 40 per cent. As at the end of December 1982, the private sector banks' advances under the DRI Scheme aggregated Rs.3.4 crores in 33,800 borrowal accounts, of which an amount of Rs.1 crore covering 10,000 borrowal accounts was availed of by members of SC/ST and consti-

माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा प्राप्त किये गये और जो उनके कुल विभेदक ब्याज दर अग्रिमों का 30.3 प्रतिशत होता है।

ऋण प्राधिकरण योजना

2.74 ऋण प्राधिकरण योजना, जो 1965 से लागू है, ने योजना प्राथमिकताओं के अनुसार सरकारी और निजी क्षेत्र के बड़े ऋणकर्ताओं को बैंक ऋण देने में निगरानी रखने और उनकी ऋण मूल्यांकन तकनीकों को सुधारने में सहायता देने में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। ऋण प्राधिकरण योजना को प्रभावित करने वाली उल्लेखनीय बात थी रिज़र्व बैंक द्वारा नवंबर 1982 में एक समिति की नियुक्ति, ताकि समिति ऋण प्राधिकरण योजना के कार्य की परिचालनगत पहलुओं की दृष्टि से समीक्षा कर सके। समिति ने जुलाई 1983 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिज़र्व बैंक ने कतिपय संशोधनों के साथ उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत निधियों को तेजी से जारी करने के उद्देश्य से एक नयी सरल और कारगर प्रक्रिया अप्रैल 1984 से लागू की गयी है।

ऋण प्राधिकरण योजना में परिवर्तन

2.75 भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त करने से संबंधित कार्यकारी पूंजी सीमाओं के लिए अधिकतम सीमा को, जिसे अगस्त 1982 में निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया और उसे सरकारी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के समान बना दिया गया था, फिर से बढ़ाकर नवम्बर 1983 में 4 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह सीमा निजी तथा सरकारी क्षेत्र दोनों ही प्रकार के ऋणकर्ताओं के लिए थी। जहां निर्यातोन्मुख विनिर्माण यूनिटों के लिए जो अधिकतम सीमा नवंबर 1982 में 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गयी थी, अपरिवर्तित

tuted 30.3 per cent of their total DRI advances.

Credit Authorisation Scheme (CAS)

2.74 Credit Authorisation Scheme (CAS), in operation since 1965, has proved its utility in keeping a close watch on flow of bank credit to large public and private sector borrowers according to the plan priorities and also in helping the banks to improve their credit appraisal techniques. A significant development affecting CAS was the appointment by the Reserve Bank in November 1982 of a Committee to review the working of the CAS from operational aspects. The Committee submitted its Report in July 1983. The Reserve Bank has accepted its recommendations with certain modifications and new streamlined procedures aimed at more speedy release of funds under CAS came into force from April 1, 1984.

Changes in CAS

2.75 The cut-off point for working capital limits for exemption from prior authorisation of RBI, which was raised from Rs.2 crores to Rs.3 crores in respect of private sector and brought on par with that for public sector borrowers in August 1982, was further raised to Rs.4 crores in November 1983 in respect of borrowers both in private as well as public sector. While the cut-off point for export-oriented manufacturing units raised from Rs.3 crores to Rs.5 crores in November 1982 remained unchanged, that for individual term loans (repayable over a period exceeding 3 years) granted to non-CAS parties in the private sector was further rais-

रही, व्यक्तिगत मीयादी ऋणों (3 वर्षों से अधिक की अवधि में अदायगी योग्य) (जो निजी क्षेत्र की गैर ऋण प्राधिकरण पार्टियों के लिए मंजूर किये जाते थे,) को बढ़ाकर अप्रैल 1984 में एक करोड़ कर दिया गया और उन्हें सरकारी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के बराबर कर दिया गया।

ed to Rs.1 crore in April 1984 and brought on par with that for public sector borrowers.

परिशोधित कार्यविधि:

Revised Procedures

2.76 **शीघ्रता संबंधी प्रस्ताव (फास्टट्रैक प्रस्ताव) :** बैंक ऋण का उपयोग करने में प्रर्याप्त अनुशासन बनाये रखने से संबंधित कुछ आवश्यकताओं को पूरा करनेपर ऋण प्राधिकरण योजना के कार्यक्षेत्र में आनेवाली कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं को मंजूर करने संबंधी प्रस्ताव शीघ्रता से मंजूर किये जा सकते हैं और बैंक रिज़र्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण का इंतजार किये बिना अपने विवेकानुसार प्रस्तावित अतिरिक्त सीमाओं के 50 प्रतिशत तक की निधियां जारी कर सकते हैं। जहाँ तक निर्यातोन्मुख विनिर्माण यूनिटों का संबंध है, बैंक अतिरिक्त सीमाओं की 75 प्रतिशत की धन राशि जारी कर सकते हैं। इसके लिए पूरी की जानेवाली अपेक्षाएँ निम्नलिखित हैं: (i) उत्पादन, बिक्री, चालू परिसंपत्तियों आदि के अनुमानों/प्रायोजनाओं का औचित्य (ii) रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं का सही वर्गीकरण (iii) न्यूनतम अनुपात 1.33:1 (जब तक कि छूट न दी गयी हो) बनाये रखना· (iv) ऋणकर्ताओं द्वारा तिमाही कार्य विवरणऔर वार्षिक लेखे शीघ्र प्रस्तुत करना और (v) बैंकों द्वारा दी गयी ऋण सुविधाओं की नियमित वार्षिक समीक्षा।

2.76 *Fast track proposals :* Subject to fulfilment of certain requirements relating to maintenance of adequate discipline in the use of bank credit indicated below, proposals for sanction of working capital limits falling within the purview of CAS can be put on 'fast track' and the banks can release funds at their discretion upto 50 per cent of the proposed additional limits without waiting for the prior authorisation of the Reserve Bank; in the case of predominantly export-oriented manufacturing units banks can release upto 75 per cent of additional limits. These requirements are : (i) reasonableness of estimates/projections of production, sales, current assets, etc.; (ii) proper classification of current assets and current liabilities in conformity with the Reserve Bank guidelines; (iii) maintenance of minimum current ratio of 1.33:1 (unless exempted); (iv) prompt submission of quarterly operating statements as also annual accounts by borrowers and (v) regular annual review of credit facilities by banks.

2.77 "फास्ट ट्रैक" का लाभ प्राप्त करने से सम्बन्धित सभी प्रस्ताव रिज़र्व बैंक में जाँच की सामान्य प्रक्रिया से गुजरेंगे,जैसा कि इस समय होता है, और इस प्रक्रिया के दौरान यदि यह पाया जायेगा कि वाणिज्य

2.77 All proposals seeking the benefit of the 'fast track' would be subjected to the normal process of scrutiny in the Reserve Bank as at present and, if it is found that the credit limits sanctioned by the commercial

बैंक द्वारा मंजूर की गयी सीमाएँ आवश्यकता पर आधारित नहीं हैं या अधिक थीं, तो रिज़र्व बैंक के निदेश के अनुसार बैंक को सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी।

banks were not need-based or were excessive, corrective action would have to be taken by the bank as directed by the Reserve Bank.

2.78 **तदर्थ-सीमाएँ** : उपवादात्मक परिस्थितियों के अन्तर्गत ऋण प्राधिकरण योजना से सम्बद्ध किसी भी ऋणकर्ता को तीन माह की अवधि के लिए बैंक तदर्थ सीमाएँ वर्तमान तरीके से ही मंजूर करने की अनुमति देंगे तथा ये सीमाएँ मौजूदा कार्यकारी पूंजी सीमाओं के 10 प्रतिशत या मौजूदा पैकिंग ऋण सीमाओं के 25 प्रतिशत की सीमा तक मंजूर की जायेंगी। यह सीमा पहले की 50 लाख रुपये की तुलना में अब 75 लाख रुपये होगी।

2.78 *Ad hoc limits :* Banks would be allowed to grant as at present *ad hoc* limits for periods upto three months to any of the CAS borrowers under exceptional circumstances to the extent of 10 per cent of the existing working capital (other than packing credit) limits and 25 per cent of the existing packing credit limits, subject to an overall ceiling of Rs.75 lakhs as against the earlier ceiling of Rs.50 lakhs.

2.79 **साख-पत्र** : पूंजीगत तथा गैर-पूंजीगत माल से संबंधित साख पत्र सुविधाओं के मामले में रिज़र्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त न करने की छूट दी गयी है। तथापि, बैंकों द्वारा साख पत्र सुविधाओं की मंजूरी के लिए कतिपय मानदंड निर्धारित किये गये हैं।

2.79 *Letters of Credit :* Letters of credit (LC) facilities covering capital as well as non-capital goods have been exempted from the requirement of RBI's prior authorisation. However, certain norms have been laid down for grant of LC facilities by banks.

2.80 **कार्यान्वयन** : उक्त प्रक्रियाओं का प्रभावी कार्यान्यिवन बैंकों के संगठनात्मक ढांचे में कतिपय परिवर्तन किये जाने पर निर्भर करता है। इससे ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की गुणवत्ता और उनको तेजी से निपटाने पर असर पड़ता है। इस प्रक्रिया का संबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, महानगरीय केन्द्रों में स्थित विशेषज्ञता प्राप्त चुनींदा शाखा कार्यालयों में ऋण प्राधिकरण खातों को केंद्रित रखने, निर्णायक स्तर पर इन स्तरों की संख्या कम करने और प्रस्तावों, स्टाफ नियोजित करने के बारे में विशेष ध्यान देने, कार्य का प्रशिक्षण देने से संबंधित व्यापक नोट बैंक के प्रबंध तंत्र को प्रस्तुत करने और ऋण लेने वालों से बैंकों को और साथ ही बैंकों से रिज़र्व बैंक को उचित सूचना-प्रणाली बनाये रखने से है।

2.80 *Implementation :* Effective implementation of above procedures is, however, dependent upon certain changes in the organisational set up in banks, having a bearing on the quality and speed of disposal of CAS proposals. These relate, *inter alia*, to concentrating CAS accounts at selected specialised branch offices in metropolitan centres, reducing the number of levels at each decision-making tier, submission of comprehensive note to the bank's management containing all relevant data about the proposal, paying special attention to staffing, job training and having proper information system from borrowers to banks as also from banks to Reserve Bank.

2.81 **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बिल पुनर्भुनाई योजना**

भा. औ. वि. बैं. ने अपनी बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत खरीदारवार वार्षिक सीमा 150 लाख रुपये से और बढ़ाकर 300 लाख रुपये कर दी है। उसके परिणामस्वरूप जून 1984 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे योजना के अंतर्गत और योजना के बाहर भी खरीदारों की ओर से बढ़ी हुई सीमा तक की आस्थगित भुगतान गारंटियों की स्वीकृतियां जारी कर सकते हैं और योजना के बाहर भी इस प्रकार की आस्थगित भुगतान गारंटियां स्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन ये भा. औ. वि. बैंक की योजना के नियमों और शर्तों के अधीन होनी चाहिए और इसके लिए ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि भा. औ. वि. बैंक अपनी योजना के अंतर्गत खरीदारवार उच्चतर सीमाएँ निर्धारित करे, जैसा कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के साथ है, तो उस सीमा तक की सुविधाओं की मंजूरी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

2.81 *IDBI Bills Rediscounting Scheme* : The IDBI further raised the annual purchaser-wise limit under its Bills Rediscounting Scheme from Rs.150 lakhs to Rs.300 lakhs. Consequently, banks were advised in June 1984 that they could issue deferred payment guarantees (DPGs) acceptances on behalf of buyers under the Scheme upto the enhanced limit and sanction of such DPGs acceptance limits under the Scheme and also those outside the Scheme but in conformity with the terms and conditions of IDBI's Scheme will not require RBI's prior authorisation under CAS. It was also clarified that if IDBI fixes higher purchaser-wise limits, as in the case of some public sector undertakings under its Scheme, sanction of such facilities upto that limit will not require prior authorisation of RBI.

2.82 **ऋण प्राधिकरण योजना का कार्यचालन**

ऋण प्राधिकरण के लिए कट-ऑफ प्वाइंट में वृद्धि (अर्थात 3 करोड़ रुपये से 4 करोड़ रुपये) किये जाने के परिणामस्वरूप ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत आनेवाली पार्टियों की संख्या जून 1983 के अंत की 897 (सार्वजनिक क्षेत्र के 188 उपक्रमों सहित) से घटकर जून 1984 के अंत में 764 (सार्वजनिक क्षेत्र के 180 उपक्रमों सहित) रह गयी। योजना के अन्तर्गत आनेवाली पार्टियों के सम्बन्ध में लागू कुल सीमायें जून 1984 की अन्त की स्थिति के अनुसार 17,986 करोड़ रुपये थीं * (3 करोड़ रुपये कट-ऑफ प्वाइंट के अनुसार जून 1983 के अंत में

* कार्यशील पूंजी और मीयादी वित्त तथा आस्थगित भुगतान आधार पर मशीनरी की बिक्री।

2.82 *Working of CAS* : Consequent on the upward revision in the cut-off point for credit authorisation (i.e. from Rs.3 crores to Rs.4 crores) the number of parties covered under CAS declined to 764 (inclusive of 180 public sector undertakings) as at the end of June 1984, from 897 as at the end of June 1983 (inclusive of 188 public sector undertakings). The total limits in force in respect of parties covered under the Scheme were Rs.17,986 crores* as at the end of June 1984 (Rs.17,051 crores * at the end of June 1983 according to Rs.3 crores cut-off point). The share of public sector undertakings as at the end of June 1984 was Rs.11,186 crores.

* Working capital plus term finance and sale of machinery on deferred payment basis.

17,051 करोड़ रुपये) । जून 1984 के अन्त में सार्वजनिक्ि क्षेत्र के उपक्रमों का हिस्सा 11,186 करोड़ रुपये * (62.2 प्रतिशत) था जबकि जून 1983 के अन्त में यह हिस्सा 10,380 करोड़ रुपये * (60.9 प्रतिशत) था ।

(62.2 per cent) as against Rs. 10,380 crores (60.9 per cent) as at the end of June 1983.

2.83 जून 1984 के अंत में लागू कुल सीमाओं के सुविधावार वितरण का ढांचा कमोबेश अपरिवर्तित बना रहा । यह कार्यशील पूंजी प्रयोजनों, जिनमें बैंकिंग ऋण तथा बिल शामिल हैं, के लिए 92.4 प्रतिशत (16,611 करोड़ रुपये); मीयादी वित्त के लिए 6.2 प्रतिशत (1,129 करोड़ रुपये) तथा आस्थगित भुगतान आधार पर मशीनरी की बिक्रियों के लिए 1.4 प्रतिशत (246 करोड़ रुपये) रहा ।

2.83 The pattern of facility-wise distribution of total limits in force as at the end of June 1984 remained more or less unchanged, i.e. 92.4 per cent for working capital purposes including packing credit and bills (Rs.16,611 crores); 6.2 per cent for term finance (Rs.1,129 crores) and 1.4 per cent for sales of machinery on deferred payment basis (Rs.246 crores).

2.84 कुल कार्यशील पूंजी सीमाओं का गतिविधिवार हिस्सा इंजीनियरी, रसायनों तथा रासायनिक उत्पादों के निर्माण तथा सूती वस्त्रोद्योग के लिए क्रमशः 2,268 करोड़ रुपये (13.7 प्रतिशत), 1,309 करोड़ रुपये (7.9 प्रतिशत) तथा 1,040 करोड़ रुपये (6.2 प्रतिशत) रहा । कुल कार्यशील पूंजीगत सीमाओं में समग्र रूप में उद्योग का हिस्सा 9,414 करोड़ रुपये अथवा 56.7 प्रतिशत रहा । सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बंध में लागू 10,605 करोड़ रुपये की कुल कार्यशील पूंजीगत सीमाओं में कारोबार का हिस्सा 60.1 प्रतिशत (इसमें खाद्य वसूली का हिस्सा कुल का 46.4 प्रतिशत तथा उर्वरक वितरण का हिस्सा 5.9 प्रतिशत था), इंजीनियरी 9.2 प्रतिशत, बिजली का उत्पादन तथा वितरण 2.5 प्रतिशत तथा पेट्रोलियम उद्योग 6.8 प्रतिशत रहा ।

2.84 Activity-wise, of the total working capital limits, engineering, manufacture of chemicals and chemical products and cotton textiles claimed Rs.2,268 crores (13.7 per cent), Rs.1,309 crores(7.9 per cent) and Rs.1,040 crores (6.2 per cent), respectively. Industry as a whole accounted for Rs.9,414 crores or 56.7 per cent of the total working capital limit. Of the total working capital limits in force of Rs.10,605 crores in respect of public sector, trading accounted for 60.1 per cent (the share of food procurement being 46.4 per cent and of fertilizer distribution 5.9 per cent in the total), engineering 9.2 per cent, generation and distribution of electricity 2.5 per cent and petroleum industry 6.8 per cent.

2.85 **रुग्ण औद्योगिक उपक्रम**
आपको विदित होगा कि अप्रैल 1983 में भारत सरकार के आदेश पर बैंकों से यह कहा गया था कि वे

2.85 *Sick Industrial Undertakings :* It may be recalled that in April 1983 at the instance of the Government of India, banks were asked to take steps to diagnose sickness in indus-

औद्योगिक इकाइयों की रुग्णता का शुरू के दौर में ही पता लगाने के लिए कदम उठायें और इसकी सूचना सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को दे दें।

trial units at the incipient stage itself and bring it to the notice of concerned administrative ministries.

2.86 बैंकिंग तंत्र से एक करोड़ रुपये या अधिक की ऋण सीमाओं का अलग-अलग लाभ उठानेवाली बड़ी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के सम्बंध में बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये जाने वाले तिमाही आंकड़ों (अनंतिम) के अनुसार जून 1983 के अन्त की स्थिति के अनुसार 1913.10 करोड़ रुपये के कुल बकाया बैंक ऋण वाली 463 बड़ी रुग्ण औद्योगिक इकाइयां मौजूद थीं जबकि जून 1982 के अंत में 435 इकाइयों पर 1729.95 करोड़ रुपये बकाया थे। बैंकों द्वारा पता लगायी गयी 463 बड़ी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में से 409 इकाइयों के सम्बंध में संभाव्यता अध्ययन पूरे कर लिए गये थे और इनमें से 345 इकाइयों को सक्षम माना गया था। इन 345 इकाइयों में से 248 इकाइयाँ बैंकों द्वारापोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत रखी गयी थीं। जून 1983 के अंत में 64,388 रुग्ण औद्योगिक इकाइयाँ* (अनंतिम) ऐसी थीं, जिनपर 626.52 करोड़ रुपये का बैंक वित्त लगा हुआ था जबकि जून 1982 के अंत की स्थिति के अनुसार 26,973 रुग्ण इकाइयों के सम्बंध में 393.67 करोड़ रुपये का बैंक वित्त लगा हुआ था। 64,388 इकाइयों में से 5983 इकाइयाँ बैंकों द्वारा सक्षम पायी गयी थीं और 50,384 इकाइयाँ असक्षम पायी गयी थीं। बैंकों ने (5983 में से) 2257 सक्षम इकाइयों को पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा है।

2.86 According to the quarterly data (provisional) furnished by the banks to the Reserve Bank on large sick industrial units individually enjoying credit limit of Rs.1 crore and above from the banking system, there were 463 large sick industrial units with aggregate outstanding bank credit of Rs.1,913.10 crores as at the end of June 1983, as compared to 435 units with an outstanding amount of Rs.1,729.95 crores as at the end of June 1982. Out of the 463 large sick units identified by banks, viability studies in respect of 409 units were completed and of these 345 units were considered as potentially viable. Out of the 345 units, 248 units were put under nursing programme by the banks. At the end of June 1983, there were 64,388 sick small-scale industrial units* (provisional) involving bank finance of Rs.626.52 crores as compared to 26,973 sick units involving bank finance of Rs.393.67 crores as at the end of June 1982. Out of the 64,388 units, 5,983 units were considered by banks as potentially viable and 50,384 units as non-viable. Banks have put 2,257 (out of 5,983) potentially viable units under nursing programme.

2.87 **जूट उद्योग को ऋण** : मार्च 1984 में जूट आयुक्त ने देश में कच्चे जूट की सीमित उपलब्धता तथा मूल्यों और आपूर्तियों में स्थिरता बनाये रखने के प्रयोजन के लिए उसका मिल-वार एक समान वितरण

Credit to Jute Industry

2.87 In March 1984, the Jute Commissioner issued an order for phased reduction in inventory of raw jute with mills and restriction on fresh purchases of raw jute by them during

* रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि की वजह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सितम्बर 1982 को समाप्त हुई तिमाही के बाद से रुग्ण इकाइयों के वर्गीकरण में परिवर्तन किया जाना है।

* The substantial increase in the number of sick small-scale industrial units is because of change in classification of sick units by the State Bank of India from the quarter ended September 1982 onwards.

प्राप्त करने की आवश्यकता को देखते हुए मिलों के पास कच्चे जूट के स्टॉक में चरणबद्ध कटौती तथा मंदी के महीनों अर्थात् मार्च से जून 1984 के दौरान इनके द्वारा कच्चे जूट की नयी खरीदों पर पाबन्दी के लिए आदेश जारी किये। तदनुसार मिलों को यह निदेश दिया गया कि वे अपने अधिकार में पहली अप्रैल 1984 को 10 सप्ताह की उपभोग आवश्यकता से अधिक, पहली मई 1984 को 8 सप्ताह, पहली जून 1984 को 6 सप्ताह और पहली जुलाई 1984 को 4 सप्ताह की उपभोग आवश्यकताओं से अधिक के कच्चे जूट के स्टॉक न रखें। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए यह सूचित किया गया था कि जूट मिलों को उनके अग्रिम जूट आयुक्त द्वारा जारी किये गयेस्टॉक धारण निदेश का पूर्णतया पालन करते हुए दिये जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिलों अथवा व्यापारियों द्वारा बैंक ऋण का इस्तेमाल कच्चे जूट के सट्टेबाजी के प्रयोजन के लिए स्टॉक करने के लिए न हो सके।

the lean months i.e. March to June 1984, keeping in view the limited availability of raw jute in the country and the need for achieving mill-wise equitable distribution thereof for the purpose of maintaining stability in prices and supplies. Accordingly, mills were directed not to keep in their possession raw jute stocks beyond 10 weeks' consumption requirement as on April 1, 1984, 8 weeks' as on May 1, 1984, 6 weeks' as on June 1, 1984 and 4 weeks' as on July 1, 1984. The banks were advised to ensure that their advances to jute mills are strictly in consonance with the stock holding directives issued by the Jute Commissioner so as to ensure that the bank credit is not used either by mills or traders for speculative holding of raw jute.

2.88 **चाय उद्योग को अग्रिम** : रिज़र्व बैंक द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि चाय उद्योग में बड़े उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजीगत सीमाओं का निर्धारण बैंकों द्वारा उन्हें किसी मौसम/वर्ष विशेष के शुरू होने से पहले ही उनसे प्राप्त पूरे मौसम/वर्ष के लिए मासिक नकदी बजटों में दशायि गये अधिकतम घाटे के स्तर पर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में निर्धारित किये जाने वाले प्रस्तावित बैंक ऋण की सीमा, शुद्ध कार्यशील पूजी में दशायि गये उधारकर्ताओं के अंशदान को हिसाब में लेने के बाद निकाले गये अधिकतम घाटे के सौ प्रतिशत पर रखनी होगी। अलबत्ता, बैंकों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि उधारकर्ताओं के नकदी बजट में पहले की शामिल की गयी शुद्ध कार्यशील पूंजी अधिकतम घाटे के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

Advances to Tea Industry

2.88 It was clarified by the Reserve Bank that the working capital limits of large borrowers in the tea industry should be fixed by banks at the level of peak deficit as reflected in the monthly cash budgets for the entire season/year to be obtained from them before the commencement of a particular season/year. In other words, the limit of bank borrowing proposed to be fixed will have to be at 100 per cent of the peak deficit to be worked out after taking into account the borrowers' contribution as reflected by the net working capital. It would, however, be necessary for banks to ensure that net working capital of borrowers already incorporated in cash budget does not fall short of 25 per cent of peak deficit.

आवासीय वित्त

2.89 1983 के दौरान उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित की गयी 150 करोड़ रुपये की कुल राशि के अतिरिक्त (जैसा कि पिछले रिपोर्ट में बताया गया था) 10 बैंकों के एक समूह को 10 करोड़ रुपये की राशि गुजरात राज्य के बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों की सहायतार्थ आबंटित की गयी थी। बैंकों को यह राशि दिसंबर 1984 के अंत तक वितरित करने की अनुमति थी।

2.90 इसके अतिरिक्त आवासीय विकास और वित्त निगम को 1983 के दौरान प्रत्यक्ष वित्त के जरिये 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आबंटित की गयी थी। यह राशि 150 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के भीतर पहले आबंटित किये गये 10 करोड़ रुपये के कोटे के अतिरिक्त थी। इसके अलावा आ. वा. और वित्त निगम ने रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत प्राधिकृत 3 करोड़ अमरीकी डालर का दीर्घावधि विदेशी मुद्रा ऋण जुटाया।

बम्बई की रुग्ण कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता

2.91 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार, सम्बन्धित बैंकों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ परामर्शों की एक श्रृंखला के बाद विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विस्तृत फार्मूला निकाला था और मार्च 1983 में बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये थे, ताकि वे मिलों के तीव्र पुनर्वास के लिए उन्हें रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराने के लिए एकसमान दृष्टिकोण अपना सकें। चूंकि इनमें से कुछ मिलें हड़ताल के पहले से ही भारी नकद हानि उठा रही थीं और उनके पुनर्वास के मार्ग में कई दूसरी दीर्घकालीन

Housing Finance

2.89 Besides the overall quantum of Rs.150 crores earmarked for housing finance to be provided by the banking system for various categories of borrowers during 1983 (as mentioned in the last Report), an amount of Rs.10 crores was allocated to a consortium of 10 banks for assistance to the flood victims of Gujarat State. The banks are allowed to distribute this amount upto end of December 1984.

2.90 Further, the Housing Development and Finance Corporation (HDFC) was allotted an additional amount of Rs.10 crores by way of indirect finance during 1983 over and above the quota of Rs.10 crores already allotted to it within the overall limit of Rs.150 crores. In addition to these, HDFC had raised long term foreign currency loan of US $30 million duly authorised by the Reserve Bank.

Financial Assistance to Sick Textile Mills in Bombay

2.91 As mentioned in the last year's Report, the Reserve Bank after a series of consultations with the Government of India, concerned banks and IDBI, had arrived at a broad formula for extending financial support to the mills classified under different categories and issued detailed guidelines to banks in March 1983, to enable them to adopt a uniform approach in extending concessional finance to mills for their speedy rehabilitation. As some of these mills had been incurring huge cash losses even before the strike period and many other chronic problems were coming in the way of their rehabilitation, the Government of India decided to

समस्यायें आ रही थीं, अतः भारत सरकार ने 18 अक्तूबर 1983 को जारी एक अध्यादेश के जरिए इन मिलों का प्रबंध अपने हाथ में लेने का निर्णय किया। कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण के परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण मामला बैंकों को देय, उनकी अभिग्रहण पूर्व राशियों की क्षतिपूर्ति के बारे में था, क्योंकि अध्यादेश में इस संबंध में किये गये प्रावधान पर्याप्त नहीं थे। चर्चाओं के कई दौरों और सरकार के साथ लंबे पत्राचार के साथ रिज़र्व बैंक ने प्राधिकारियों को इन इकाइयों के राष्ट्रीकरण के लिए विधेयक में इस प्रयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थायें करने के लिए राजी किया है। बैंकों द्वारा उन मिलों के प्रारंभिक कार्यों के व्ययों के लिए निधियां जारी करने का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। अतिरिक्त पुनर्वास सहायता सरकार द्वारा गारंटीशुदा होगी।

take over the management of these mills by an ordinance issued on October 18, 1983. Consequent upon the nationalisation of the textile mills, one of the important issues that came to the fore was the compensation payable to the banks in respect of their pre-takeover dues, as the provisions made in this regard in the Ordinance were inadequate. After several rounds of discussions and protracted correspondence with the Government, the Reserve Bank persuaded the authorities to make adequate provisions for the purpose in the Bill for nationalisation of these units. Steps to release funds for initial start-up expenses to these mills have already been taken by banks . The additional rehabilitation assistance will be guaranteed by the Government.

गुजरात में रुग्ण और बंद कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता

2.92 गुजरात राज्य में कई कपड़ा मिलें वित्तीय और अन्य कठिनाइयों की वजह से बंद रहीं अथवा शीघ्र ही बंद होने की स्थिति का सामना कर रही थीं। इसको देखते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा कपड़ा मिलों की मिल-वार समीक्षा करने तथा इनमें से ऐसी मिलों का पता लगाने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया गया था जिन्हें अल्प समय के भीतर उपयुक्त तरीके से पुनर्वास योजनाएं तैयार करके कार्यशील बनाया जा सके। यह दल, जिसके साथ रिज़र्व बैंक भी जुड़ा हुआ है, अब तक सात बैठकें कर चुका है। अब तक इन मिलों में से अधिकतर का संभाव्यता अध्ययन पूरा हो चुका है और प्राथमिकता आधार पर पुनर्वास योजनाएं लागू करने के लिए कार्यक्रम बनाये जा चुके हैं।

Financial Assistance to Sick and Closed Textile Mills in Gujarat

2.92 Several textile mills in Gujarat State had remained closed or were facing imminent closure due to financial and other difficulties. In view of this, a Working Group was constituted by the Government of India, Ministry of Finance, to make a mill-wise review of the textile units and to identify which of these could be made viable by evolving suitable formulae/rehabilitation packages, within a short time. The Group, with which Reserve Bank is closely associated, has already held 7 meetings. By now, viability study of most of these mills has been completed and programmes for implementation of the rehabilitation package on a priority basis have been drawn.

गुजरात के बाढ़-पीड़ितों को बैंक सहायता

2.93 सौराष्ट्र (गुजरात) की अभूतपूर्व बाढ़, जिससे राज्य में जान माल की बहुत अधिक हानि हुई थी, के

Bank Assistance to the Flood Affected People in Gujarat

2.93 Consequent to unprecedented floods

बाद जुलाई 1983 में वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि वे बाढ़-पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करके और उनके ऋण प्रस्तावों पर अत्यधिक सहानुभूति और समझ बूझ के साथ तत्काल विचार करके राज्य सरकार के प्रयासों को सहारा दें। बैंकों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न उपायों में अल्पकालिक ऋणों को मध्यकालिक ऋणों में बदलना, मीयादी ऋणों की किस्तों की अदायगी की अवधियों में परिवर्तन करना, नये ऋण मंजूर करना आदि शामिल थे।

in Saurashtra (Gujarat) which caused considerable damage to lives and properties in the State, the commercial banks were advised in July 1983 to supplement the State Government's efforts by providing financial assistance to the victims of floods and considering their credit proposals expeditiously with utmost sympathy and understanding. The various measures to be taken by the banks included conversion of short-term loans into medium-term loans, rescheduling the repayment period of term loan instalments, grant of fresh loans, etc.

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं को स्वर्ण आभूषणों और गहनों पर अग्रिम

2.94 नवम्बर 1983 में सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि वे प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित उधारकर्ताओं को स्वर्ण आभूषणों और गहनों की जमानत पर तब तक ऋण के लिए इनकार न करें जब तक कृषि ऋण की मात्रा का मूल्यांकन उगाई गयी फसल अथवा प्रस्तावित निवेश और उत्पन्न की जाने वाली संभावित अदायगी क्षमता के संदर्भ में और न कि गिरवी रखे गये स्वर्ण आभूषणों के मूल्य के सन्दर्भ में न किया जाये। इसी तरह, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्य उधारकर्ताओं को भी स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर सहायता दी जा सकती है और ऐसे ऋणों को उस प्रयोजन के अनुसार, जिसके लिए वह मंजूर किया गया है, वर्गीकृत किया जा सकता है। गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं के संबंध में स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण की राशि आमतौर पर 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसे एक उचित अवधि के भीतर ही चुकाया जाना चाहिए।

Advances against gold ornaments and jewellery to borrowers affected by natural calamities

2.94 In November 1983, all commercial banks were advised not to deny credit against the security of gold ornaments and jewellery to those borrowers affected by natural calamities, so long as the quantum of the agricultural loan itself was assessed with reference to the crops grown or the investment proposed and the repaying capacity likely to be generated and not with reference to the value of the gold ornaments pledged. Likewise, other borrowers in the priority sector could also be accommodated against the security of gold ornaments and such loans be classified according to the purpose for which these had been granted. In case of non-priority sector borrowers, the loan amount against gold ornaments should not normally exceed Rs.5,000 and should be required to be repaid within a reasonable period.

राष्ट्रीय बायो-गैस कार्यक्रम के लिए बैंक वित्त

2.95 भारत सरकार द्वारा चलाये गये राष्ट्रीय बायो-गैस कार्यक्रम को तेजी से लागू करने पर दिये जा रहे जोर को देखते हुए बैंकों को नवम्बर 1983 में

Bank finance for National Bio-gas Programme

2.95 Keeping in view the emphasis being laid on the speedier implementation of the National Bio-gas Programme launched by Government of India, the banks were advis-

सूचित किया गया था कि वे ऋण आवेदनों के शीघ्र निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय करें।

(i) सभी ऋण आवेदन पत्र एक पखवाड़े की अवधि के भीतर निपटा दिये जाने चाहिए।

(ii) व्यक्तियों के ऋण आवेदन रद्द करते समय बैंक द्वारा इस प्रकार रद्द किये जाने के पीछे कारण दिये जाने चाहिए।

(iii) बैंक शाखाओं के जरिये प्राप्त ऋण आवेदनों के मामले में बैंक के प्रधान कार्यालय/नियंत्रण कार्यालय द्वारा नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए।

(iv) बैंक को ऐसे बैंक अधिकारियों/स्टाफ के दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए प्रशिक्षण शिविर/कार्यशालायें चलानी चाहिए, जिनके बारे में यह पता चला है कि वे हिताधिकारियों के प्रति उदासीनता बरतते हैं और बायो-गैस संयंत्रों के लिए ऋण लेने के लिए निरुत्साहित करते हैं।

(v) ऋण की राशि आसान किस्तों में वसूल की जानी चाहिए और चुकौती अवधियां उधारकर्ताओं की अदायगी क्षमता के अनुरूप तय की जानी चाहिए।

ed in November 1983 to take the undernoted measures for expeditious disposal of loan applications:

(i) All loan applications should be cleared within a period of fortnight.

(ii) While rejecting loan applications of individuals, reasons for such rejection should be furnished by the banks.

(iii) Regular checks should be exercised by bank's Head Office/Controlling Office in case of loan applications received through bank branches.

(iv) The banks should hold training camps/workshops for bringing the necessary change in the attitude of bank officials/staff who have been reported to be showing indifferent attitude towards the beneficiaries and discouraging them from taking loans for bio-gas plants.

(v) Loan amounts should be recovered in easy instalments and repayment periods may be so fixed to suit the repaying capacity of the borrowers.

पुस्तक प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं को ऋण सुविधायें

2.96 भारत सरकार को पुस्तक प्रकाशकों के महासंघ द्वारा इस आशय का अभ्यावेदन दिये जाने पर कि पुस्तक प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं को बैंकिंग तंत्र से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती हैं, रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर 1970 में जारी किये गये अनुदेशों को दोहराया गया। बैंकों को जुलाई 1983 में सूचित किया कि पुस्तक प्रकाशन कारोबार की छोटी इकाइयों से ऋण सुविधाओं के लिए प्राप्त अनुरोधों पर सामान्य रक्षोपायों, वाणिज्यिक संभावनाओं, व्यावसायिक कुशलता, जमानत की उपलब्धता, लगने वाले जोखिम की सीमा आदि को ध्यान में रखते हुए गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जा सकता है।

Credit Facilities to book publishers and book traders

2.96 On a representation made by the Federation of Book Publishers to the Government of India about the difficulties experienced by the publishers and book sellers in obtaining credit facilities from the banking system, the instructions issued by the Reserve Bank to banks in December 1970 were reiterated. Banks were advised in July 1983 that requests for credit facilities from smaller units in the book publishing trade could be considered on merits keeping in view the usual safeguards, commercial prospects, professional ability, availability of security, extent of risk involved, etc.

''सामाजिक उद्देश्य योजना'' के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटितियों को वित्तीय सहायता

2.97 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों ने पेट्रोलियम मंत्रालय,भारत सरकार के परामर्श से देश भर में खुदरा बिक्री केन्द्रों/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विकास के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत इनमें से लगभग 70 प्रतिशत डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, बेरोजगार स्नातकों, शारीरिक रूप से विकलांगों/ड्यूटी के दौरान अयोग्य हो गये सरकारी कर्मचारियों/ड्यूटी के दौरान गुजर गये सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रखी गयी हैं। जनवरी 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को योजना की एक प्रति भेजते समय उन्हें यह सूचित किया गया था कि वे डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप पाने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठायें। बैंकों से कहा गया था कि वे 25 प्रतिशत का मार्जिन रखें और कार्यशील पूंजी तथा मीयादी ऋण सुविधाओं दोनों पर 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज वसूल करें। इसके अलावा ऐसे ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के अन्तर्गत शामिल किये जायें।

Financial assistance to the Allottees of Dealership/Distributorship by public sector oil companies under "Social Objective Scheme"

2.97 The public sector oil companies in consultation with the Ministry of Petroleum, Government of India, have drawn up a scheme for development of retail outlet/SKO-LDO dealership and LPG distributorship all over the country. The scheme envisages 70% of these dealerships/distributorships to scheduled castes/scheduled tribes, unemployed graduates, physically handicapped/Government personnel disabled on duty/widows of Government personnel who died in the course of duty and freedom fighters. While forwarding a copy of the Scheme to public sector banks in January 1984, they were advised to take necessary steps for giving financial assistance to those who may be awarded dealership/distributorship. The banks were asked to retain a margin of 25 per cent and charge rate of interest of 15 per cent on both working capital and term loan facilities. Further, such loans may be included under priority sector advances.

ज़िला औद्योगिक केन्द्र

2.98 चूंकि शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत जिला औद्योगिक केन्द्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है, अतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अप्रैल 1984 में सूचित किया गया था कि वे राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा वांछित जिलों में 31 मार्च 1985 तक एक और वर्ष की अवधि के लिए वर्तमान शर्तों पर जिला औद्योगिक केन्द्रों में अग्रणी बैंकों द्वारा ऋण प्रबंधक प्रतिनियुक्त करने की वर्तमान प्रणाली को जारी रखें।

District Industries Centres

2.98 As the District Industries Centres (DICs) have a very important role to play under the Scheme for providing Self-employment to Educated Unemployed Youth, public sector banks were advised in April 1984 to continue the present system of deputing Credit Managers by lead banks to the DICs on the existing terms for further period of one year till March 31, 1985 in districts where so desired by State Government/Union Territory administration.

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2.99 1983-84 के दौरान 36.8 लाख ए.ग्रा.वि. कार्यक्रम हिताधिकारियों की सहायता की गयी और बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों सहित) द्वारा 773.5 करोड़ रुपये के मीयादी ऋण दिये गये थे जबकि 1982-83 के दौरान 34.6 लाख हिताधिकारियों की सहायता की गयी थी और उन्हें 714 करोड़ रुपये के मीयादी ऋण दिये गये थे।

2.100 सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने में सहायता करने के लिए खण्ड स्तर पर एक सलाहकार समिति और उधारकर्ताओं की कठिनाइयों के निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर उप-समूह गठित करने के लिए अनुदेश जारी किये। रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों को सूचित किया गया था कि वे खुद को इन सलाहकार समितियों और उप-समूहों से जोड़ें।

2.101 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को ऋण पासबुक जारी करें ताकि उन्हें लिये गये तथा बकाया ऋण की सही राशि, चुकौती की अवधि, किस्त की राशि तथा नियत तारीख आदि के बारे में जानकारी हो।

2.102 बैंकों के अधिकारियों, नाबार्ड, भारत सरकार तथा योजना आयोग के साथ चर्चाओं के अनुसरण में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को कतिपय अनुदेश जारी किये गये थे। ये अनुदेश बैंकों द्वारा छोटे ऋणों के लिए अतिरिक्त जमानत, आवश्यक रुझान, कुशलता और विशेषज्ञता वाला स्टाफ नियुक्त करने तथा उनके प्रशिक्षण, ऋणों के लिए यथार्थवादी तरीके से चुकौती

Integrated Rural Development Programme (IRDP)

2.99 During 1983-84, 36.8 lakh IRDP beneficiaries were assisted and term credit of Rs.773.5 crores was extended by banks (including RRBs and co-operative banks) as against 34.6 lakh beneficiaries assisted and term credit of Rs.714 crores extended during 1982-83.

2.100 The Government of India issued instructions to all the State Governments to constitute an Advisory Committee at the block level to help the implementation of IRDP and a Sub-Group at the district level to oversee grievances of the borrowers. Public sector banks were advised by the Reserve Bank to associate themselves with these Advisory Committees and Sub-Groups.

2.101 All scheduled commercial banks were advised to issue loan pass books to IRDP beneficiaries in order to make them aware of the exact amount of loan taken and outstanding, period of repayment, amount and due date of instalment, etc.

2.102 Pursuant to the discussions with officials of banks, NABARD, Government of India and Planning Commission, certain instructions were issued by the Reserve Bank to banks. These relate to banks strictly complying with the guidelines relating to additional security for small loans, appointing staff with necessary aptitude, skill and expertise and their training, fixing repay-

अवधि तय करने, जमा हो गये ऋण आवेदनों को निपटाने आदि के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांतों के कड़े अनुपालन से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त बैंकों को सूचित किया गया था कि हिताधिकारियों को दूसरे/बाद के ऋणों के लिए केवल इसलिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि पर्याप्त सहायता उपलब्ध नहीं थी।

2.103 **अग्रणी बैंक योजना :** अग्रणी बैंक योजना के कार्यचालन (पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इनका उल्लेख किया था) की समीक्षा के लिए कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों और वाणिज्य बैंकों को अनुदेश जारी किये गये थे। राज्य स्तरीय समितियों आदि से संबंधित कतिपय सिफारिशें भारत सरकार के पास उसकी सहमति के लिए भेजी गयी थीं। अग्रणी बैंक योजना की सूचना प्रणाली के अन्तर्गत फार्मेट सरल कर दिये गये और 31 अक्तूबर 1983 को हुई उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में अनुमोदित किये गये थे। नये फार्मेट मार्च 1985 को समाप्त होनेवाली तिमाही से शुरू किये जा रहे हैं।

जिला ऋण योजनाएं तथा वार्षिक कार्य योजनाएं

2.104 1983-85 के लिए जिला ऋण योजनाएं तथा 1983 के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछेक जिलों को छोड़कर सभी जिलों में लागू कर दी गयीं। 1984 की वार्षिक कार्य योजनाओं को भी अंतिम रूप दे दिया गया था और उन्हें अधिकतर जिलों में लागू कर दिया गया था। अग्रणी बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें/राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें कतिपय पूर्वोत्तर जिलों/प्रदेशों को छोड़कर देश के लगभग सभी जिलों/राज्यों में आयोजित की गयीं।

2.105 अग्रणी बैंक योजना के कार्यकारी दल का यह विचार था कि वार्षिक कार्य योजनाओं और बैंकों के

ment schedule for loans in a realistic manner, clearing the accumulation of loan applications, etc. Further, banks were advised that second/subsequent loans should not be denied to the beneficiaries merely because subsidy was not available.

Lead Bank Scheme

2.103 Based on the recommendations of the Working Group to Review the Working of the Lead Bank Scheme (referred to in the last year's Report) necessary instructions were issued to State Governments and commercial banks. Certain recommendations relating to State Level Committees, etc., were referred to the Government of India for their concurrence. The formats under the Information System of Lead Bank Scheme were simplified and approved at the meeting of the High Power Committee held on October 31, 1983. The new formats are being introduced from the quarter ended March, 1985.

District Credit Plans and Annual Action Plans

2.104 District Credit Plans (DCPs) for 1983-85 and Annual Action Plans (AAPs) for 1983 were prepared and launched in all the districts, except a few in the North-Eastern Region. AAPs for 1984 were also finalised and launched in most of the districts. As per the information received from the lead banks, District Level Review Meetings (DLRMs)/State Level Review Meetings (SLRMs) have been held in almost all the districts/States in the country, except in certain North-Eastern districts/States.

2.105 The Working Group on the Lead Bank Scheme was of the view that for ensur-

निष्पादकता बजटों के बीच सार्थक संबंध सुनिश्चित करने के लिए एक एकरूप अवधि, जो कैलेण्डर वर्ष होनी चाहिए, अपनायी जा सकती है। तदनुसार सभी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे कैलेण्डर वर्ष 1984 के लिए वार्षिक कार्ययोजनायें तैयार करें न कि मार्च 1985 में समाप्त होनेवाली 15 माह की अवधि के लिए जैसा कि मार्गदर्शी सिद्धांतों में पहले सूचित किया गया था। कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ अग्रणी बैंक अधिकारियों की अपेक्षित भूमिका स्पष्ट की है और उनकी भूमिका को कारगर बनाने के लिए कतिपय उपाय सुझाये हैं। रिज़र्व बैंक ने इस सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी किया है।

ing a meaningful linkage between AAPs and the performance budgets of banks a uniform period, which should be the calendar year, could be adopted. All the banks were accordingly advised to prepare AAPs for the calendar year 1984 and not for a fifteen-month period ending March 1985 as earlier prescribed in the guidelines. The Working Group had, *inter alia*, spelt out the role expected of Lead District Officers (LDOs) and also suggested certain measures for making their role effective. The Reserve Bank has issued a circular in the matter.

जिला ऋण योजनाओं/वार्षिक कार्य योजनाओं को लागू करने के सम्बंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम

2.106 1982 में हुई अग्रणी बैंक योजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में अग्रणी बैंक योजना के सम्बंध में जिला स्तर पर बैंक अधिकारियों और राज्य सरकार के कार्यकर्ताओं के लिए संयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय किया गया था। यह भी सुझाव दिया गया था कि 3 या 4 जिलों को एक साथ मिला दिया जाये ताकि आयोजित किये जाने वाले सेमिनारों की संख्या अधिक न हो। राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान से इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए अनुरोध किया गया था। तदनुसार राष्ट्रीय बैंक प्रबंधक संस्थान ने इस विषय पर एक लेख तैयार किया जिसे उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 7 फरवरी 1983 को अनुमोदित कर दिया। चूंकि 1983-85 के लिए जिला ऋण योजनायें पहले ही तैयार की जा चुकी हैं, अतः समीक्षाधीन वर्ष में हुए सेमिनारों में ऋण योजनाओं को लागू करने के पहलुओं पर ध्यान दिया गया।

Training Programmes in implementation of DCPs/AAPs

2.106 At the meeting of the High Power Committee (HPC) on the Lead Bank Scheme held in 1982, it was decided to conduct a series of joint training programmes for bank officials and State Government functionaries at the district level in regard to Lead Bank Scheme. It was also suggested that 3 or 4 districts may be grouped together so that the number of seminars to be conducted would not be very large. NIBM was requested to give shape to this idea. Accordingly, NIBM prepared a paper on the subject and it was approved by the HPC on February 7, 1983. Since the DCPs for 1983-85 had already been formulated, the seminars held during the year under review devoted themselves to the implementation aspects of the credit plans.

2.107 ऐसे नये राष्ट्रीयकृत बैंकों को, जिन्होंने किसी भी जिले में अब तक कोई अग्रणी भूमिका नहीं की थी,

2.107 Allocation of lead responsibility to the newly nationalised banks, which had

अग्रणी बैंक योजना पर कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसरण में नीचे दिये गये अनुसार अग्रणी दायित्व सौंपे गये।

जिला	राज्य	जिले के लिए वर्तमान अग्रणी बैंक	जिले के लिए नया अग्रणी बैंक
1. कोडगू	कर्नाटक	केनरा बैंक	कारपोरेशन बैंक
2. चिकमंगलूर	-वही-	-वही-	-वही-
3. धारवाड़	-वही-	सिंडीकेट बैंक	विजया बैंक
4. मंडया	-वही-	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	-वही-
5. मोहिन्दरगढ़	हरियाणा	पंजाब नेशनल बैंक	न्यू बैंक ऑफ इंडिया
6. अलवर	राजस्थान	वही	-वही-
7. फिरोजपुर	पंजाब	वही	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स
8. श्रीगंगानगर	राजस्थान	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	-वही-
9. लुधियाना	पंजाब	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नये गठित जिलों के लिए अग्रणी बैंक

2.108 राज्य सरकारों द्वारा कुछ जिलों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप नये गठित जिलों के लिए अग्रणी दायित्व नीचे दिये गये अनुसार सौंपे गये।

राज्य	जिले का नाम जिसमें से नया जिला बनाया गया	पुराने जिले का अग्रणी बैंक	नये जिले/जिलों का/के नाम	नये जिले का अग्रणी बैंक
बिहार	रांची	बैंक ऑफ इंडिया	गुमला	बैंक ऑफ इंडिया
			लोहरडग्गा	भा. स्टे. बैंक
	सन्थाल परगना	भा. स्टे. बैंक	देवघर	" "
			डुमका	" "
			गोड्डा	" "
			साहिब गंज	" "
मणिपुर	मणिपुर सेन्ट्रल	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	इम्फाल	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			बिशनपुर	" "
			थौबल	" "

hitherto not been assigned lead role in any of the districts, was made as under in accordance with the recommendations of the Working Group on Lead Bank Scheme:-

District	State	Existing lead bank for the district	New lead bank for the district
1. Kodagu	Karnataka	Canara Bank	Corporation Bank
2. Chikmagalur	-do-	-do-	-do-
3. Dharwar	-do-	Syndicate Bank	Vijaya Bank
4. Mandya	-do-	State Bank of Mysore	-do-
5. Mohindergarh	Haryana	Punjab National Bank	New Bank of India
6. Alwar	Rajasthan	-do-	-do-
7. Ferozepur	Punjab	-do-	Oriental Bank of Commerce
8. Sriganganagar	Rajasthan	State Bank of Bikaner & Jaipur	-do-
9. Ludhiana	Punjab	United Commercial Bank	Punjab & Sind Bank

Lead Banks for Newly Constituted Districts

2.108 Consequent upon the reorganisation of some of the districts by State Governments, the lead responsibility for the newly formed districts was entrusted to banks as shown below:-

State	Name of the old district from which the new district was formed or carved	Lead Bank for old district	Name/s of the new district/s	Lead Bank for the new district
Bihar	Ranchi	Bank of India	Gumla	Bank of India
			Lohardagga	-do-
	Santhal Parganas	State Bank of India	Deoghar	State Bank of India
			Dumka	-do-
			Godda	-do-
			Sahibganj	-do-
Manipur	Manipur Central	United Bank of of India	Imphal	United Bank of India
			Bishenpur	-do-
			Thoubal	-do-

शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना

2.109 वर्ष के दौरान भारत सरकार ने रिज़र्व बैंक के परामर्श से ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जो मैट्रिक और उससे अधिक और 18 से 35 वर्ष के आयु समूह के भीतर हैं ताकि वे उद्योग, सेवा, कारोबार में स्व-रोजगार कर सकें। योजना देश के सभी क्षेत्रों में लागू होगी (दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों को छोड़कर) और इसका लक्ष्य 15 अगस्त 1984 तक 2.5 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराना है *। बैंकिंग तंत्र में उपलब्ध करायी जानेवाले निधियों की कुल मात्रा 25 करोड़ रुपये के आसपास होगी जो जून 1983 के अंत तक बैंक ऋण का लगभग एक प्रतिशत होगी। योजना के अन्तर्गत मंजूर किये गये अग्रिम बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों में शामिल किये जायेंगे। योजना को लागू करने के लिए जिला औद्योगिक केन्द्र सम्बधित क्षेत्रों के अग्रणी बैंकों के साथ परामर्श करके उद्यमी हिताधिकारी को प्रेरित करने एवं उन्हें कारोबार चुनने, सेवा संस्थानों तथा कुटीर उद्योगों में योजनाओं का पता लगाने एवं तैयार करने के लिए केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे। पात्र उद्यमी 25,000 रुपये तक के संमिश्र ऋण के लिए पात्र होंगे। इन्हें 6 से 18 माह की छूट की अवधि के साथ 3 से 7 वर्ष के भीतर चुकाना होगा और इन पर पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत वार्षिक और अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा। हिताधिकारी सरकार से ऋण की कुल राशि के 25 प्रतिशत की दर पर गिनी गयी पूंजीगत सहायता के लिए पात्र होंगे। यह सहायता राशि उसके ऋण खाते में समायोजित किये जाने से पहले कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए उधारकर्ता के नाम पर मीयादी जमा में रखी जायेगी। सहायता राशि रिज़र्व बैंक के माध्यम से दी जायेगी।

* सरकार ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 1984-85 में जारी रखने का निर्णय किया है।

Scheme for Providing Employment to the Educated Unemployed Youth

2.109 During the year, Government of India, in consultation with the Reserve Bank, formulated a scheme for providing self-employment to the educated unemployed youth, who are matriculates and above and within the age group of 18 to 35 years to undertake self-employment ventures in industry, service and business. The scheme will extend to all areas of the country (except cities with more than one million population) and it aims at providing self-employment to 2.5 lakhs educated unemployed youth by August 15, 1984.* The overall quantum of funds to be provided by the banking system would be around Rs.325 crores, i.e. about 1% of bank credit at the end of June 1983. Advances granted under the scheme will be included in banks' priority sector advances. For implementation of the scheme, DICs in consultation with the lead banks of the respective areas would function as the nodal agency for motivating and selecting entrepreneur beneficiaries, identifying and preparing schemes in trade, service establishments and cottage and small-scale industries. A composite loan not exceeding Rs.25,000 will be admissible to an eligible entrepreneur. It will be repayable in 3 to 7 years, with a moratorium of 6 to 18 months and will carry interest at 10 per cent per annum for backward areas and 12 per cent for other areas. The beneficiaries will be eligible for capital subsidy computed at 25 per cent of the total amount of loan from the Government, which will be held in term deposit in the name of the borrower for a minimum period of 3 years before it is adjusted to his loan account. The subsidy will be routed through the Reserve Bank.

* The Government has decided to continue the Scheme during the financial year 1984-85.

ग्राम अंगीकरण योजना

2.110 जून 1983 के अंत की स्थिति के अनुसार बैंकों ने 1,41,042 गांवों को अंगीकृत किया था और 1,557 करोड़ रुपये की बकाया राशि के 51.0 लाख प्रत्यक्ष कृषि ऋण खातों का वित्तपोषण किया था जबकि जून 1982 के अंत की स्थिति के अनुसार 41.93 लाख खातों में 1,250 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 1,28,111 ग्राम अंगीकृत किये गये थे ।

Village Adoption Scheme

2.110 As at the end of June 1983, banks had adopted 1,41,042 villages and financed 51.0 lakhs direct agricultural loan accounts involving an amount of Rs.1,557 crores outstanding, as compared to 1,28,111 villages with financial involvement of Rs.1,250 crores in 41.93 lakh accounts at the end of June 1982.

विभेदक ब्याज दर योजना की समीक्षा के लिए कार्यदल

2.111 विभेदक ब्याज दर योजना का राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान द्वारा गुणवत्ता आधार पर एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया था और उन्होंने दिसम्बर 1982 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी । इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1983 को अन्य बातों के साथ-साथ विभेदक ब्याज दर योजना के विभिन्न प्रावधानों और उसमें आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों, यदि कोई हों, और साथ ही, योजना के अंतर्गत ऋणों के संबंध में बैंकों के वसूली अनुभव और निधियों के फिर से इस्तेमाल करने (रीसाइक्लिंग) में सुधार के लिए उपायों की जांच करने और उन पर सिफारिशें करने के लिए कार्यदल गठित किया गया था । कार्यदल ने मई 1984 में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया ।

Task Force to Review DRI Scheme

2.111 An evaluation study of DRI Scheme on a qualitative basis was conducted by NIBM and report was submitted by them in December 1982. Consequently, a Task Force was set up by Government of India on April 6, 1983 to examine and make recommendations on, *inter alia*, the various provisions of the DRI Scheme and the modifications, if any, considered necessary as also the recovery experience of the banks in respect of loans under the Scheme and measures to improve the recycling of funds.The Task Force finalised its report in May 1984.

अनुसूचित जातियों औरअनुसूचित जनजातियों को ऋण सुविधायें

2.112 1983 के शुरू में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संसदीय समिति की बैठक में हुई चर्चाओं के संदर्भ में यह आवश्यक समझा गया कि सभी वाणिज्य बैंक नियमित अंतरालों पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनी शाखाओं द्वारा लागू किये जाने का मूल्यांकन

Credit facilities to Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SC/ST).

2.112 In the context of the discussions held in the meeting of the Parliamentary Committee on the welfare of SC/ST early in 1983, it was considered necessary that all commercial banks should assess, at periodical intervals, the implementation by their branches of the guidelines in this regard issued by the Reserve Bank from time to time. Accordingly, the commercial banks were advised in

करें। तदनुसार अगस्त 1983 में वाणिज्य बैंकों को नीचे बताये गये अनुसार और उपाय करने के लिए सूक्ति किया गया।

(i) प्रधान कार्यालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए जो अनुसूचित जातियों/अनुसूक्ति जनजातियों के हिताधिकारियों को ऋण दिये जाने के कार्य पर निगाह रखे।

(ii) कक्ष शाखाओं से संबंधित सूचनाएँ,आंकड़े एकत्र करके उन्हें समेकित करे और रिज़र्व बैंक *तथा भारत सरकार को अपेक्षित विवरणी भेजे।

(iii) बैंकों के निदेशक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उधारकर्ताओं को ऋणों में वृद्धि करने के लिए किये गये उपायों की तिमाही आधार पर समीक्षा करें।

(iv) संबंधित तिमाही में बैंकों की वास्तविक निष्पादकता दर्शाने के अतिरिक्त समीक्षा टिप्पणी में इस आशय की जानकारी भी होनी चाहिए कि बैंक अपने कारोबार की क्षमता और शाखा तंत्र के संदर्भ में विभेदक ब्याजदर योजना और एकीकृत ग्रामीण विकास योजना जैसी योजनाओं के विशेष संदर्भ में इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए क्या करना चाहता है।

(v) उन्हें इन समुदायों को सीधे ही अथवा राज्य स्तरीय अनु. जाति/अनु. जनजाति निगमों के जरिये विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण देने में की गयी प्रवृत्ति पर विचार करना चाहिए और इसके लिए अन्यों के साथ-साथ प्रधान कार्यालयों/नियंत्रण कार्यालयों से वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्र दौरों को आधार बनाया जाना चाहिए।

2.113 इसके अलावा जनवरी 1984 में वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि यदि अनु. जातियों/अनु. जनजातियों से संबंधित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के तहत

* रिज़र्व बैंक में भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण दिये जाने पर विशेष रूप से निगाह रखने के लिए अलग से एक कक्ष खोला गया था।

August 1983 to take certain further measures as under:-

i) A Special Cell should be set up at the Head Office for monitoring the flow of credit to SC/ST beneficiaries.

ii) The Cell should collect the relevant information/data from the branches, consolidate them and submit the requisite return to the Reserve Bank* and the Government of India.

iii) The boards of directors of banks should review on a quarterly basis steps taken to enhance the flow of credit to SC/ST borrowers.

iv) Besides indicating the actual performance of the banks during the relevant quarter, the review notes should contain information on how the bank proposes to expand the coverage of this sector in the context of the potential of business and its network of branches with particular reference to such schemes as DRI and IRDP.

v) They should also consider the progress made in lending to these communities directly or through the State-level SC/ST Corporations for various purposes based, among others, on field visits of senior officers from Head Offices/Controlling Offices.

2.113 Further, in January 1984 commercial banks were advised that if the loan applications under IRDP and other programmes in respect of SC/ST are to be rejected, it

* A separate Cell for monitoring exclusively the credit flow to SC/ST was set up in the Reserve Bank also.

ऋण आवेदन नामंजूर किये जाने हैं तो यह कार्य शाखा स्तर के बजाय उससे ऊपरी स्तर पर किया जाना चाहिए।

should be done at the next higher level instead of at the branch level.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम

2.114 विभिन्न राज्य सरकारों ने इन समुदायों के विकास के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम स्थापित किये हैं। इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है और राज्य सरकारें तथा संबंधित राज्य सरकारी एजेन्सियों/संगठनों द्वारा बनायी गयी विभिन्न विकास योजनाओं को लागू किया जाता है। चूंकि इन निगमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गारंटीकर्ता/आयोजक के रूप में उपयुक्त सहायता के साथ सामने आयें, मार्जिन/मूलधन में अंशदान के जरिये जरूरी निवेश वस्तुएँ उपलब्ध करायें, संबंधित संस्थानों के जरिये अन्य अग्रिम दें और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों और वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रेरक भूमिका अदा करें, अतः बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे उनके द्वारा दी गयी मार्जिन राशि की वसूली के लिए इन निगमों के साथ मिलकर उचित सहबद्ध व्यवस्थायें करें।

SC/ST Development Corporations

2.114 The SC/ST Development Corporations have been set up by the various State Governments for development of these communities by providing them monetary help as well as by implementing various developmental schemes formulated by them and the concerned State Government agencies/organisations. As these Corporations are expected to come forward with suitable assistance as a guarantor/promoter, provide missing inputs by way of contribution to margin/seed money, make other advances through the institutions concerned and play a catalytic role between SC/ST beneficiaries and financial institutions, the banks have been advised to have suitable tie-up arrangements with these Corporations for recovery of margin money provided by them.

सड़क परिवहन परिचालकों को अग्रिम

2.115 पहले एक ही वाहन वाले परिवहन परिचालकों को दिये गये अग्रिमों पर 12.5 प्रतिशत की रियायती दर पर ब्याज लिया जाता था और 2 अथवा अधिक वाहनों के मालिकों से 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाता था। अक्तूबर 1983 में 12.5 की रियायती दर दो वाहन तक रखने वाले परिचालकों के लिए भी लागू कर दी गयी थी और 3 अथवा अधिक वाहनों वाले परिचालकों के लिए 15 प्रतिशत की दर लागू की गयी थी।

Advances to Road Transport Operators

2.115 Earlier, advances to transport operators owning a single vehicle were charged a concessional rate of interest of 12.5 per cent and those owning two or more vehicles were charged a rate of 15 per cent. In October 1983, the concessional rate of interest of 12.5 per cent was made applicable to operators owning upto two vehicles and the rate of 15 per cent to operators owning three or more vehicles.

तार अंतरण भुनायी सुविधा

2.116 संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध वर्तमान तार अंतरण भुनायी सुविधा, जो पहली नवम्बर 1975 से लागू हुई थी, अक्तूबर 1984 के अंत तक एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गयी। संबंधित योजना के अंतर्गत तार अंतरण भुनायी सीमाओं की मंजूरी पाने वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या 48 है।

निर्यात वित्त

निर्यात ऋण (ब्याज सहायता) योजना,1968

2.117 रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों और पात्र सहकारी बैंकों को निर्दिष्ट अवधियों के लिए निर्यातकों को निर्यात ऋण दिये जाने पर भारत सरकार (वाणिज्य मंत्रालय) विपणन विकास सहायता निधि में से 1.5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहायता वितरित करना जारी रखा। इसके अतिरिक्त बैंक ने विदेश मंत्रालय की ओर से निर्यात-आयात बैंक और नामित वाणिज्य बैंकों को बंगला देश को भारत से आयात करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के ऋणों के संबंध में विशेष सहायता राशि प्रदान की थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

25 करोड़ रुपये विशेष ऋण		विशेष छूट की दर
निर्यात-आयात बैंक	)	3.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	)	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	)	
10 करोड़ रुपये ऋण		
निर्यात-आयात बैंक	)	
भारतीय स्टेट बैंक	)	2.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष
7 करोड़ रुपये ऋण		
निर्यात-आयात बैंक	)	
पंजाब नेशनल बैंक	)	1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष

T.T. Discounting Facility:

2.116 The existing telegraphic transfer discounting facility available to the scheduled commercial banks under the revised arrangement, which came into force from November 1, 1975, was extended by a further period of one year upto end-October 1984. The number of scheduled commercial banks, which have been sanctioned telegraphic transfer discounting limits under the relative Scheme, stands at 48.

Export Finance

Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, 1968

2.117 The Reserve Bank continued to disburse interest subsidy at 1.5 per cent per annum from the Marketing Development Assistance fund of the Government of India (Ministry of Commerce) to commercial banks and eligible co-operative banks on the export credit extended by them to the exporters for specific periods. Besides, the Bank paid special subsidy on behalf of the Ministry of External Affairs to Exim Bank and designated commercial banks in respect of certain special lines of credit extended to Bangladesh for its imports from India as shown below :

Rs. 25 crores special credit		Rate of special subsidy
Exim Bank	)	
United Commercial Bank	)	3.0 per cent per annum
United Bank of India	)	
Rs.10 crores credit		
Exim Bank	)	2.0 per cent per annum
State Bank of India	)	
Rs.7 crores credit		
Exim Bank	)	1.5 per cent per annum
Punjab National Bank	)	

1983-84 (जुलाई 83-मार्च 1984) के दौरान बैंक ने 0.8 करोड़ रुपये विशेष सहायता के जरिये और 18.56 करोड रुपये सामान्य सहायता के अंतर्गत दिये।

During 1983-84 (July 1983 - March 1984), the Bank paid Rs.0.80 crore by way of speccial subsidy and Rs.18.56 crores as general subsidy.

शुल्क-वापसी ऋण योजना - 1976

Duty Drawback Credit Scheme, 1976

2.118 यह योजना ऐसे निर्यातकों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बनायी गयी है जो शुल्क-वापसी के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनंतिम रूप से प्रमाणित पोत लदान बिलों पर 90 दिनों तक के लिए बैंकों से ब्याज मुक्त वित्त प्राप्त कर सकते हैं। वित्त प्रदान करने वाले बैंक बदले में रिज़र्व बैंक से निर्यातकों के शुल्क-वापसी दावों के अंतिम निपटान तक के लिए ब्याज मुक्त पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए प्राप्त हैं। पहली नवम्बर 1983 से 31 मार्च 1984 की अवधि के दौरान 30 बैंकों को कुल 18.02 करोड़ रुपये की सीमाएं मंजूर की गयीं थीं। 31 मार्च 1984 की स्थिति के अनुसार उन बैंकों ने 4.47 करोड़ रुपये की राशि पुनर्वित्त के रूप में प्राप्त की थी और 1.92 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

2.118 This Scheme is intended to benefit exporters who can avail of interest-free finance from banks upto 90 days against shipping bills provisionally certified by the Customs Authorities towards refund of duty. The financing banks in turn are eligible to avail of interest-free refinance from the Reserve Bank, pending final settlement of duty drawback claims of the exporters. During the period November 1, 1983 to March 31,1984, limits aggregating Rs.18.02 crores were sanctioned to 30 banks. As on March 31, 1984, refinance to the extent of Rs.4.47 crores had been availed of by these banks and the amount outstanding was Rs.1.92 crores.

निर्यात वित्त संबंधी मानदंडों में परिवर्तन

Changes in Measures Relating to Export Finance

2.119 यह निर्णय किया गया था कि दिसम्बर 1985 के अंत तक की दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ, जो भारत सरकार के पास पंजीकृत हैं और जिनके पास वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये "ग्रीन कार्ड" हैं, बैंकों से उन्हीं ऋण सुविधाओं के लिए पात्र होंगी जो काण्डला और सान्ताक्रूज (बंबई) में मुक्त व्यापार/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को प्रदान की जाती हैं। तदनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि वे पोतलदानपूर्व (पैकिंग) ऋण प्रदान करते समय साखपत्र/फर्म आदेशों के प्रस्तुत किये जाने के लिए आग्रह न करें, अलबत्ता इन्हें बाद में पेश किया जाये। पैकिंग ऋण कच्चे

2.119 It was decided that, for two years upto the end of December 1985, the 100 per cent Export-Oriented Units (EOUs), which are registered with the Government of India and holding 'Green Cards' issued by the Ministry of Commerce, will be eligible for the same credit facilities from banks which are extended to units in the free trade/export promotion zones at Kandla and Santa Cruz (Bombay). Accordingly, banks were advised not to insist on production of letters of credit/firm orders at the time of granting packing credit; these should, however, be produced later. Packing credit is to be granted from the stage of procuring raw materials, whether imported or purchased locally, for

माल की खरीद के चरण से ही, चाहे वह आयात किया जाये या स्थानीय रूप से खरीदा जाये, प्रोसेसिंग, निर्माण पैकिंग आदि के प्रयोजन के लिए मंजूर किया जाना है। पैकिंग ऋण के खाते में बकाया राशियाँ, निर्यात ऋण (ब्याज सहायता) योजना में दर्शाये गये अनुसार समायोजित की जायें। इकाइयों को दिये गये अग्रिम 1.5 प्रतिशत की ब्याज सहायता के लिए पात्र हैं। यदि किसी बैंक में प्रोसेसिंग/निर्माण आदि के विभिन्न चरणों पर अलग-अलग खाते हों (उदा. दृष्टिबंधक और बंधक) तो वह बकाया राशियों को एक खाते से दूसरे खाते में अंतरित करके समायोजित कर सकता है और अंतिम समायोजन अग्रिम की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर किये गये निर्यातों के संबंध में खाते को अंतिम रूप से समायोजित कर के कर सकता है। उसे पहले के पैकिंग ऋणों के संबंध में लेन-देन के लिए निर्यात बिल प्राप्त होने पर उन्हें मार्क ऑफ कर देना होगा। कोई भी पैकिंग ऋण निर्धारित अवधि से अधिक तक बकाया नहीं रहना चाहिए।

the purpose of processing, manufacturing, packing, etc. The outstanding in packing credit account should be adjusted as indicated in the Export Credit (Interest Subsidy) Scheme. Advances given to the units are eligible for the interest subsidy of 1.5 per cent. A bank maintaining different accounts at various stages of processing/manufacturing, etc. (e.g., hypothecation and pledge) may adjust the outstanding balance by transfer from one account to another and finally adjust the account in respect of the exports effected within the stipulated period from the date of advance. It will have to mark off the individual export bills as they are received for negotiation against the earliest packing credit. No packing credit should remain outstanding for more than the stipulated period.

2.120 इसके अलावा, बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस सुविधा का इकाइयों द्वारा दुरुपयोग न किया जाये, खासकर इसलिए कि उनके उत्पादन का 25 प्रतिशत देशी बाजार में बेचा जा सकता है। इसलिए उन्हें मंजूर की गयी सीमायें आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए और इसके लिए निर्यातों में उनकी पिछली निष्पादकता अथवा उसके लिए उनकी क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि उत्पादन का कोई हिस्सा निर्यात न करके स्थानीय रूप से बेच दिया जाता है, तो बैंकों को संबंधित वित्त गैर-निर्यात ऋण के रूप में मान लेना चाहिए जो किसी रियायती ब्याज के लिए पात्र नहीं होगा। यदि सहायता की राशि का बैंकों द्वारा पहले ही दावा किया जा चुका है, तो इसे लौटाया जाना होगा।

2.120 Further, the banks have been asked to ensure that the above facility is not misused by the units, especially since 25 per cent of their production could be sold in the domestic market. The limits sanctioned to them should, therefore, be need-based, keeping in view either their past performance in exports or the potential therefor. If any portion of the production is not exported but sold locally, the banks should treat the relative finance as non-export credit which will be ineligible for the concessional interest. In case subsidy has already been claimed by the banks. it will have to be refunded.

शाखा विस्तार

1982-85 के लिए शाखा विस्तार नीति
1983-84 में प्रगति

2.121 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 1982 से मार्च 1985 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गयी शाखा लाइसेंसीकरण नीति और उसके मुख्य लक्ष्यों का उल्लेख किया गया था। राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर सभी राज्यों और 6 संघशासित क्षेत्रों के लिए शाखा विस्तार कार्यक्रमों को 1983-84 के दौरान अंतिम रूप दे दिया गया। नागालैण्ड तथा दादरा और नगर हवेली के लिए योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि इन राज्यों से पता लगाये गये केन्द्रों की सूचियां नहीं मिल पायी थीं। बैंकों के पास पहले ही अनिर्णीत पड़े प्राधिकारों की बड़ी संख्या को देखते हुए अरुणांचल प्रदेश की सरकार ने कोई शाखा विस्तार योजना प्रस्तुत नहीं की जबकि लक्षद्वीप सरकार की शाखा विस्तार की कोई योजना नहीं थी। अप्रैल 1982 से मार्च 1984 तक शहरी/ अर्धशहरी क्षेत्रों में नये बैंक कार्यालय खोलने के लिए 9,610 स्थानों का आबंटन किया गया था। मार्च 1984 के अंत की स्थिति के अनुसार बैंकों के पास 5,566 स्थानों पर कार्यालय खोलने के लिए प्राधिकार मौजूद थे, जिनमें से 3,871 स्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास थे।

2.122 मार्च 1984 के अंत की स्थिति के अनुसार बैंक कार्यालयों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण सारणी 2.14 में दिया गया है। जुलाई 1983–मार्च 1984 की अवधि के दौरान वाणिज्य बैंकों ने 2,504 कार्यालय खोले जिनके साथ देश में कार्यालयों की कुल संख्या 44,583 हो गयी। इसकी तुलना में जून 1983 के अंत में यह संख्या 42,079 थी। खोले गये 2,504 कार्यालयों में से 317 भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों द्वारा, 699 कार्यालय राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, 122 निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा तथा 1366 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोले गये थे।

Branch Expansion

Branch Expansion Policy for 1982-85: Progress in 1983-84

2.121 Reference was made in the last year's Report to the branch licensing policy formulated by the Bank for the three year period April 1982 to March 1985 and to its main objective. Based on the recommendations of the State Governments, the branch expansion programmes in respect of all States and 6 Union Territories were finalised during 1983-84. Plans for Nagaland and Dadra and Nagar Haveli could not be finalised due to non-receipt of lists of identified centres from these Governments. In view of the large number of authorisations already pending with banks, the Government of Arunachal Pradesh did not submit branch expansion plans, while the Government of Lakshadweep had no plans for branch expansion. From April 1982 until March 1984, allotments at 9,610 centres had been made for opening new bank offices in rural/semi-urban areas. As at the end of March 1984, banks were holding authorisations for opening offices at 5,566 centres, of which 3,871 were with regional rural banks.

2.122 A statement giving the State-wise distribution of bank offices as at the end of March 1984 is given in Table 2.14. During July 1983-March 1984, commercial banks opened 2,504 offices, taking the total number of offices in the country to 44,583 as compared to 42,079 at the end of June 1983. Of the 2,504 offices opened, 317 were opened by State Bank of India and its associate banks, 699 offices by nationalised banks, 122 by private sector banks and 1,366 by regional rural banks (Table 2.15). The national average population per bank office, which was 65,000 as at the end of

सारणी : 2.14 : जून 1969, 1983 और मार्च 1984 के अंत में बैंक कार्यालयों का राज्यवार वितरण

राज्य/संघशासित प्रदेश	जून 1969	जून 1983	मार्च 1984	1982-83 के दौरान खोले गये कार्यालय	उनमें से बैंक-रहित केन्द्रों पर खोले गये कार्यालय	जुलाई 1983 से मार्च 84 के दौरान खोले गये कार्यालय	उनमें से बैंक-रहित केन्द्रों पर खोले गये कार्यालय	निम्नलिखित के अंत में प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या (हजार में)		
								जून 1969	जून 1983	मार्च 1984
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आंध्र प्रदेश	567	3,277	3,422	279	224	145	119	75	16	16
2. असम	74	653	707	91	85	54	48	195	30	28
3. बिहार	273	3,050	3,158	243	219	108	98	207	23	22
4. गुजरात	752	2,606	2,730	154	111	124	101	34	13	12
5. हरियाणा	172	949	999	78	60	50	40	57	14	13
6. हिमाचल प्रदेश	42	461	488	49	47	27	26	80	9	9
7. जम्मू और कश्मीर	35	385	622	39	30	37	34	114	10	10
8. कर्नाटक	756	3,150	3,368	177	143	218	193	38	12	11
9. केरल	601	2,501	2,566	73	44	65	48	35	10	10
10. मध्य प्रदेश	343	2,774	3,077	264	220	303	268	116	19	17
11. महाराष्ट्र	1,118	4,116	4,339	228	154	223	187	44	15	15
12. मणिपुर	2	44	51	5	4	7	7	497	32	28
13. मेघालय	7	79	95	12	9	16	15	147	17	14
14. नागालैण्ड	2	50	54	5	5	4	2	205	15	14
15. उड़ीसा	100	1,305	1,398	77	60	93	86	212	20	19
16. पंजाब	346	1,778	1,836	106	84	58	45	42	9	9
17. राजस्थान	364	1,914	2,089	129	91	175	151	70	18	16
18. सिक्किम	–	11	17	4	4	6	5	–	29	19
19. तमिलनाडु	1,060	3,394	3,581	170	110	187	153	37	14	13
20. त्रिपुरा	5	88	89	2	1	1	1	276	23	23
21. उत्तर प्रदेश	747	5285	5,754	539	456	468	428	119	21	19
22. पश्चिम बंगाल	504	2,599	2 683	134	102	84	57	87	21	20
23. अंदमान और निकोबार	1	12	13	–	–	1	1	82	16	14
24. अरुणाचल प्रदेश	–	31	35	6	5	4	4	–	20	18
25. चण्डीगढ़	20	93	98	4	2	5	1	7	5	5
26. दादरा और नगर हवेली	–	6	6	–	–	–	–	–	17	17
27. दिल्ली	274	940	973	26	2	33	5	10	7	6
28. गोवा, दमन, और दीव	85	250	257	4	3	7	6	8	4	4
29. लक्षद्वीप	–	5	5	–	–	–	–	–	8	8
30. मिजोरम	–	15	15	2	2	–	–	–	33	33
31. पांडिचेरी	12	57	58	2	2	1	–	31	11	10
	8,262	42,079	44,583	2,902	2,279	2,504	2,129	65	16	15

* सिक्किम 26 अप्रैल 1975 से भारतीय शासन का राज्य बन गया ।

नोट : प्रति बैंक कार्यालय की औसत स्तंभ 8 में 1961 की जनगणना पर और स्तंभ 9 और 10 में 1981 की जनगणना पर आधारित है ।

स्रोत : बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक ।

TABLE 2.14 : STATE-WISE DISTRIBUTION OF BANK OFFICES AS AT THE END OF June 1969, 1983 and March 1984

State/Union Territory	June 1969	June 1983	March 1984	Opened during 1982-83	Of which at unbanked centres	Opened during July'83 to March 1984	Of which at unbanked centres	Population per bank office (in thousands) as at the end of		
								June 1969	June 1983	March 1984
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Andhra Pradesh	567	3,277	3,422	279	224	145	119	75	16	16
Assam	74	653	707	91	85	54	48	195	30	28
Bihar	273	3,050	3,158	243	219	108	98	207	23	22
Gujarat	752	2,606	2,730	154	111	124	101	34	13	12
Haryana	172	949	999	78	60	50	40	57	14	13
Himachal Pradesh	42	461	488	49	47	27	26	80	9	9
Jammu and Kashmir	35	585	622	39	30	37	34	114	10	10
Karnataka	756	3,150	3,368	177	143	218	193	38	12	11
Kerala	601	2,501	2,566	73	44	65	48	35	10	10
Madhya Pradesh	343	2,774	3,077	264	220	303	268	116	19	17
Maharashtra	1,118	4,116	4,339	228	154	223	187	44	15	15
Manipur	2	44	51	5	4	7	7	497	32	28
Meghalaya	7	79	95	12	9	16	15	147	17	14
Nagaland	2	50	54	5	5	4	2	205	15	14
Orissa	100	1,305	1,398	77	60	93	86	212	20	19
Punjab	346	1,778	1,836	106	84	58	45	42	9	9
Rajasthan	364	1,914	2,089	129	91	175	151	70	18	16
Sikkim+	—	11	17	4	4	6	5	—	29	19
Tamil Nadu	1,060	3,394	3,581	170	110	187	153	37	14	13
Tripura	5	88	89	2	1	1	1	276	23	23
Uttar Pradesh	747	5,286	5,754	539	456	468	428	119	21	19
West Bengal	504	2,599	2,683	134	102	84	57	87	21	20
Andaman and Nicobar Islands	1	12	13	—	—	1	1	82	16	14
Arunachal Pradesh	—	31	35	6	5	4	4	—	20	18
Chandigarh	20	93	98	4	2	5	1	7	5	5
Dadra and Nagar Haveli	—	6	6	—	—	—	—	—	17	17
Delhi	274	940	973	26	2	33	5	10	7	6
Goa, Daman and Diu	85	250	257	4	3	7	6	8	4	4
Lakshadweep	—	5	5	—	—	—	—	—	8	8
Mizoram	—	15	15	2	2	—	—	—	33	33
Pondicherry	12	57	58	2	2	1	—	31	11	10
TOTAL	8,262	42,079	44,583	2,902	2,279	2,504	2,129	65	16	15

\+ Sikkim became a full-fledged State of the Indian Union from April 26, 1975.

Note : The average population per bank office is based on 1961 census in col. 8 and 1981 census in cols. 9 and 10.

Source : Department of Banking Operations and Development, R.B.I.

सारणी 2.15 : वर्ष 1982-83 और जुलाई 1983 से मार्च 1984 के दौरान खोले गये कार्यालयों का बैंक समूहवार वितरण

बैंक समूह	वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय @ 1982-83			जुलाई 1983 मार्च 984			निम्नलिखित तारीखों को बैंक कार्यालय			निम्नलिखित तारीखों को बैंक कार्यालय	
	जुलाई दिसंबर	जनवरी जून	जुलाई जून	जुलाई दिसंबर 83	जनवरी मार्च 84	जुलाई 83 मार्च 84	30 जून 1983	31 दिसंबर 1983	31 मार्च 1984	30 जून 1984	31 मार्च 1984
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भारतीय स्टेट बैंक	210 (119)	140 (104)	350 (223)	175 (135)	13 (9)	188 (144)	6,396	6,571	6,584	1	1
भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	115 (53)	37 (20)	152 (73)	115 (73)	14 (-)	129 (73)	2,965	3,080	3,094	7	7
20 नये राष्ट्रीयकृत बैंक	478 (304)	439 (342)	917 (646)	591 (453)	108 (65)	699 (518)	21,754	22,345	22,453	20	20
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	770 (730)	586 (563)	1,356 (1,293)	1,056 (1,020)	310 (296)	1,366 (1,316)	6,473	7,529	7,839	142	159
अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक	74 (25)	48 (19)	122 (44)	106 (67)	13 (9)	119 (76)	4,323	4,429	4,442	34	34
विदेशी बैंक	-	1 (-)	1 (-)	1 (-)	-	1 (-)	133	134	134	19	19
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,647 (1,231)	1,251 (1,048)	2,898 (2,279)	2,044 (1,748)	458 (379)	2,502 (2,127)	42,044	44,088	44,546	223	240
गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4 (-)	-	4 (-)	2 (2)	-	2 (2)	35	37	37	4	4
सभी वाणिज्य बैंक	1,651 (1,231)	1,251 (1,048)	2,902 (2,279)	2,046 (1,750)	458 (379)	2,504 (2,129)	42,079	44,125	44,583	227	244

@ बंद हो गये कार्यालयों के संबंध में समायोजन के बाद

नोट : कोष्ठकों में आंकड़े बैंक रहित उन केन्द्रों की संख्या है, जहां कार्यालय खोले गये ।

स्रोत : बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक

TABLE — 2.15 : BANK GROUP-WISE DISTRIBUTION OF OFFICES OPENED DURING 1982-83 AND JULY 1983 UPTO MARCH 1984

Bank Group	New offices opened by commercial banks@						Bank offices as on			No. of banks as on	
	1982-83			July 1983 – March 1984							
	July-December	January-June	July-June	July-Dec.,83	January-March 84	July'83-March 84	June 30, 1983	Dec,31, 1983	March 31, 1984	June 30, 1983	March 31, 1984
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
State Bank of India	210 (119)	140 (104)	350 (223)	175 (135)	13 (9)	188 (144)	6,396	6,571	6,584	1	1
Associate Banks of State Bank of India	115 (53)	37 (20)	152 (73)	115 (73)	14 (—)	129 (73)	2,965	3,080	3,094	7	7
20 Nationalised Banks	478 (304)	439 (342)	917 (646)	591 (453)	108 (65)	699 (518)	21,754	22,345	22,453	20	20
Regional Rural Banks	770 (730)	586 (563)	1,356 (1,293)	1,056 (1,020)	310 (296)	1,366 (1,316)	6,473	7,529	7,839	142	159
Other Scheduled Commercial Banks	74 (25)	48 (19)	122 (44)	106 (67)	13 (9)	119 (76)	4,323	4,429	4,442	34	34
Foreign Banks	—	1 (—)	1 (—)	1 (—)	—	1 (—)	133	134	134	19	19
All Scheduled Commercial Banks	1,647 (1,231)	1,251 (1,048)	2,898 (2,279)	2,044 (1,748)	458 (379)	2,502 (2,127)	42,044	44,088	44,546	223	240
Non-Scheduled Commercial Banks	4 (—)	—	4 (—)	2 (2)	—	2 (2)	35	37	37	4	4
All Commercial Banks	1,651 (1,231)	1,251 (1,048)	2,902 (2,279)	2,046 (1,750)	458 (379)	2,504 (2,129)	42,079	44,125	44,583	227	244

@ After adjustment for offices closed.

Note : Figures in brackets are number of unbanked centres at which offices were opened.

Source : Department of Banking Operations and Development, RBI.

(सारणी 2.15) । प्रति बैंक कार्यालय का राष्ट्रीय औसत जो जून 69 के अंत में 65,000 था, जून 1983 के अंत में घटकर 16,000 रह गया और मार्च 1984 के अंत में और घटकर 15,000 रह गया ।

June 1969 and 16,000 as at the end of June 1983 declined to 15,000 as at the end of March 1984.

2.123 जुलाई 1983-मार्च 1984 में खोली गई कुल 2504 नई शाखाओं में से 2,129 अथवा 85 प्रतिशत बैंक-रहित केन्द्रों में खोली गई थीं । इस प्रकार 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण (अर्थात् 19 जुलाई 1969 से मार्च 1984 तक) खोले गये कुल 36,261 बैंक कार्यालयों में से 22,766 (62.8 प्रतिशत) कार्यालय बैंक-रहित केन्द्रों में थे ।

2.123 Hitherto unbanked centres accounted for 2,129 offices or 85.0 per cent of the total number of 2,504 new branches opened during July 1983-March 1984. Thus, of the 36,261 offices opened since the nationalisation of 14 major banks (i.e. from July19, 1969 upto March 1984), 22,766 offices (62.8 per cent) were at unbanked centres.

ग्रामीण शाखा विस्तार

2.124 जनसंख्या समूह के अनुसार वाणिज्य बैंक कार्यालयों से संबंधित आंकड़े सारणी 2.16 में दिये गये हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक कार्यालयों का जो अनुपात जून 1983 के अंत में कुल का 53.9 प्रतिशत था, बढ़कर मार्च 1984 के अंत में 55.6 प्रतिशत हो गया । जून 1969 में यह प्रतिशत 22.1 था ।

Rural Branch Expansion

2.124 Data regarding the commercial bank offices' network according to population groups are given in Table 2.16. The proportion of bank offices in rural areas to the total, which was 53.9 per cent as at the end of June 1983, increased to 55.6 per cent as at the end of March 1984; in June 1969, the percentage was only 22.1.

बैंक रहित खण्ड मुख्यालय

2.125 देश में बैंक रहित खण्ड-मुख्यालयों के रूप में पता लगाये गये 675 केन्द्र में से 617 खण्ड-मुख्यालयों में वाणिज्य बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोली गयी थीं । शेष 58 खण्ड मुख्यालयों में से 50 केन्द्रों के संबंध में बैंकों के पास लाइसेंस विचाराधीन थे । बैंकों ने 8 खण्ड मुख्यालयों में कार्यालय खोलने में कुछ कठिनाइयां व्यक्त की हैं । इनकी मुख्य वजह आधारभूत सुविधाओं का अभाव है । बैंक-रहित खण्ड-मुख्यालयों, जिनमें से अधिकतर उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हैं, में कार्यालय खोले जाने के विषय में संबंधित बैंकों/राज्य सरकारों से लिखा-पढ़ी की जा रही है ।

Unbanked Block Headquarters

2.125 Of the 675 centres identified as unbanked block headquarters in the country, 617 block headquarters have since been covered by branches of commercial banks/regional rural banks. Of the remaining 58 block headquarters, licences in respect of 50 were pending with the banks. In respect of eight centres, banks have expressed difficulties in opening their offices mainly on account of lack of infrastructural facilities at these centres. The question of opening of offices at the unbanked block headquarters, the majority of which are in the North-Eastern region, is being pursued with the concerned banks/State Governments.

प्रति वाणिज्य बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या

30 जून 1984 को (आंकड़े हजार में)

आंकड़े 1981 की जनगणना पर आधारित हैं

AVERAGE POPULATION PER COMMERCIAL BANK OFFICE

AS ON JUNE 30, 1984 (FIGURES ARE IN THOUSANDS)

DATA ARE BASED ON 1981 CENSUS

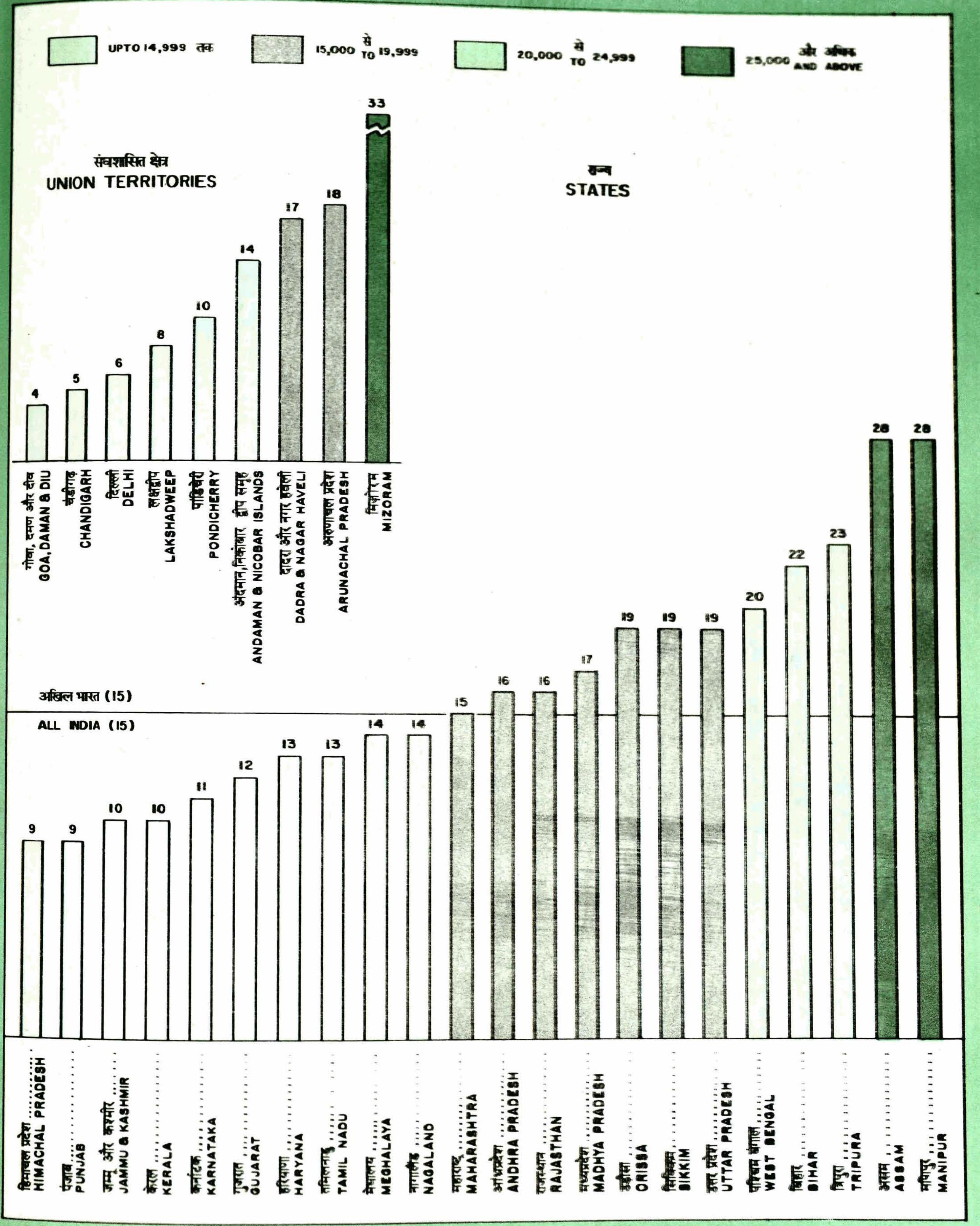

वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या
NUMBER OF OFFICES OF COMMERCIAL BANKS

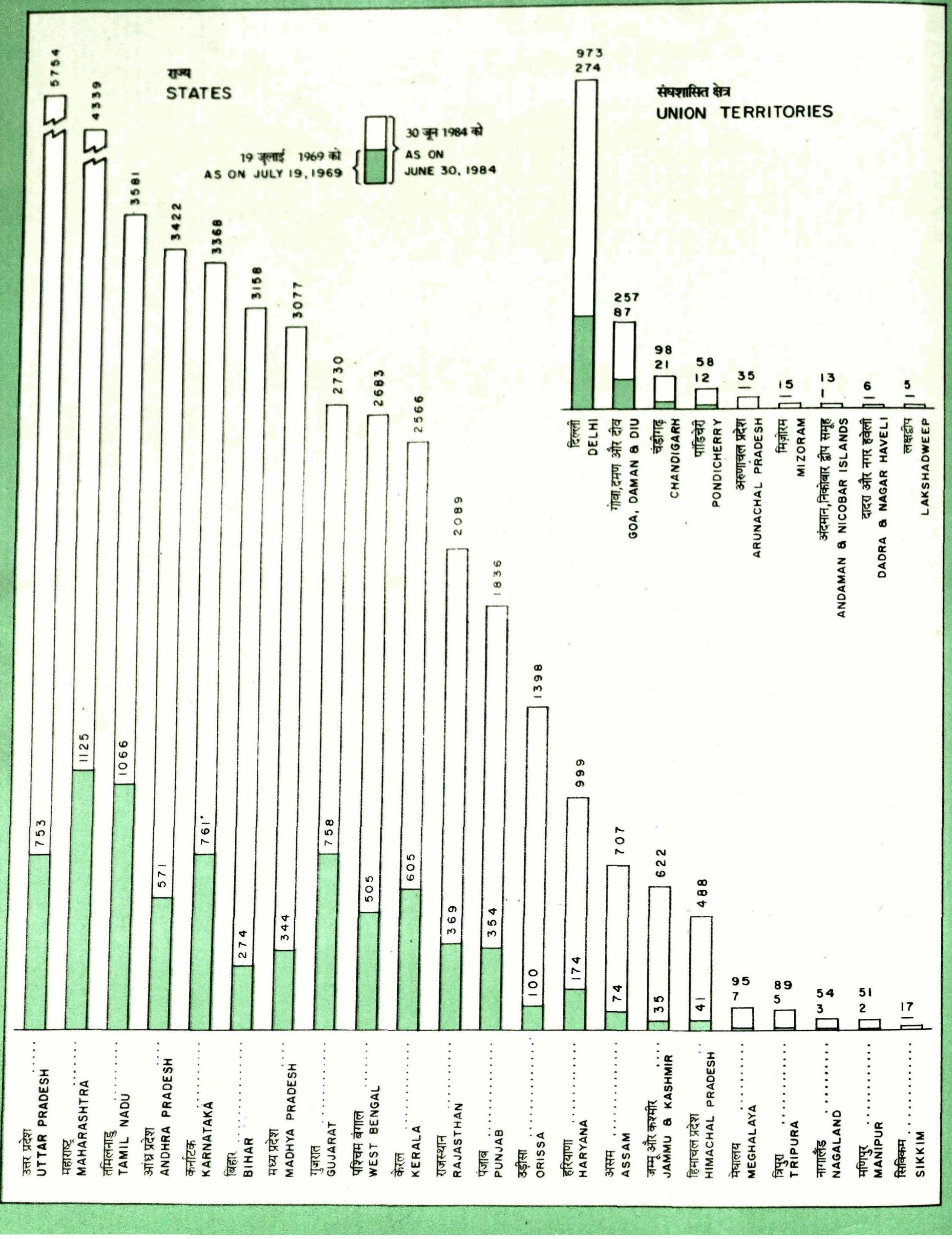

भारतीय बैंकों का विदेशों में विस्तार

2.126 भारतीय बैंकों द्वारा विदेशी केन्द्रों पर कार्यालय खोलने संबंधी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और भारत में विदेशी मुद्रा के आगमन की संभावनाओं को और बढ़ाने, भारत के विदेशी व्यापार में तरक्की किये जाने और विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में भारतीय उद्यमियों को सहायता पर जोर देना जारी रखा गया।

Overseas Expansion of Indian Banks

2.126 The policy regarding opening of offices at overseas centres by the Indian banks remained unchanged, with the emphasis continuing on furtherance of the prospects of foreign exchange inflow, promotion of India's foreign trade and assistance to Indian entrepreneurs in setting up joint ventures abroad.

शाखा विस्तार

2.127 1983-84 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने 15 जुलाई 1983 को एन्टवर्प में अपनी शाखा खोल कर बेल्जियम में प्रवेश किया। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने बरमिंघम (यू.के.) में 3 अक्तूबर 1983 को अपनी चौथी शाखा और केनरा बैंक ने लंदन (यू.के.) में दिसम्बर 1983 में अपनी पहली शाखा खोली। इस अवधि के दौरान भारतीय स्टेट बैंक को बेरुत में अपना प्रतिनिधि कार्यालय बंद करने की अनुमति दे दी गई। इस तरह, जून 1984 के अंत में 13 भारतीय वाणिज्य बैंकों की 25 देशों में 141 शाखाएं तथा 10 प्रतिनिधि कार्यालय थे जबकि एक वर्ष पहले की स्थिति के अनुसार 138 शाखायें तथा 11 प्रतिनिधि कार्यालय थे।

Branch Expansion

2.127 During 1983-84, State Bank of India established its presence in Belgium by opening its branch in Antwerp on July 15, 1983. Further, Punjab National Bank opened its fourth branch abroad on October 3, 1983 at Birmingham (UK) and Canara Bank opened its first branch in London (UK) in December 1983. During the period, State Bank of India was allowed to close its representative office at Beirut. Thus, as at the end of June 1984, 13 Indian commercial banks had 141 branches in 25 countries and 10 representative offices as compared to 138 branches and 11 representative offices a year ago.

बैंकिंग सहयोगी कम्पनियां/जमा ग्रहण कम्पनियां

2.128 भारतीय बैंकों के सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों की विदेशों में संख्या 2 बनी रही। इनमें से एक लॉस एंजेल्स में भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया) लि. तथा दूसरी कनाडा, टोरंटो में, भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा) लि. है। जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था केनरा बैंक को सिंडीकेट बैंक और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ

Banking Subsidiaries/Deposit Taking Companies

2.128 The number of wholly owned subsidiaries of Indian banks abroad continues to remain at two with State Bank of India's subsidiaries, i.e., State Bank of India (California) Ltd. at Los Angeles and State Bank of India (Canada) Ltd at Toronto in Canada. As mentioned in the last year's Report, Canara Bank has been permitted to set up a Deposit Taking Company at Hongkong jointly with

सारणी 2.16 : वाणिज्य बैंक कार्यालयों का जनसंख्या समूहवार वितरण

(निम्नलिखित के अंत में)

जनसंख्या समूह	जून 1980	कुल का प्रतिशत	जून 1981	कुल का प्रतिशत	जून 1982	कुल का प्रतिशत	जून 1983	कुल का प्रतिशत	जून 1984	कुल का प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ग्रामीण	15,101	46,6	17,650	49.4	20.394	52.1	22,678	53.9	24.770	55.6
अर्धशहरी	8,079	24,9	8,426	23.6	8,764	22.4	9,036	21.5	9,205	20,6
शहरी	4,856	15.0	5,126	14.4	5,359	13.7	5,577	13.2	5.696	12.8
महानगरीय पत्तन नगर	4,384	13.5	4,505	12.6	4,660	11.8	4,788	11 4	4,912	11.0
कुल	**32,420**	**100.0**	**35,707**	**100.0**	**42,079**	**100.0**	**44,583**	**100.0**	**44,583**	**100.0**

नोट : ग्रामीण केन्द्र : 10,000 तक की जनसंख्या वाले स्थान। अर्धशहरी केंन्द्र : 10,000 से अधिक और 1,00,000 तक की जनसंख्या वाले स्थान। शहरी केन्द्र : 1,00,000 से अधिक और 10,00,000 तक की जनसंख्यावाले स्थान। महानगरी केंद्र : 10,00,000 से अधिक की जनसंख्या वाले स्थान। यह वर्गीकरण 1971 की जनगणना पर आधारित है।

स्रोत : बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक।

संयुक्त रूप से हांगकांग में जमा ग्रहण करनेवाली कम्पनी स्थापित करने की अनुमति दी गयी है। इसके स्थापित हो जाने पर, भारतीय बैंकों के स्वामित्व वाली जमा ग्रहण करने वाली कम्पनियां की संख्या 3 हो जायेगी। ये तीनों कम्पनियां हांगकांग में स्थित हैं।

Syndicate Bank and Central Bank of India. When established, the number of Deposit Taking Companies owned by Indian banks would increase to three, all based at Hong-kong.

विनिमय कम्पनियों तथा बैंकों के साथ प्रबंध सेवा करार:

2.129 कुछ भारतीय बैंकों ने विदेशों में अपनी शाखायें व परिचालन बढ़ाने के साथ-साथ खाड़ी क्षेत्र में कुछ निजी विनिमय केन्द्रों के साथ प्रबंध सेवा करार भी किये हैं। अप्रैल 1984 के अंत की स्थिति के अनुसार भारतीय बैंकों ने मध्य पूर्व के देशों में विनिमय कम्पनियों के साथ इस प्रकार के दस करार किये थे जबकि जून 1983 के अंत की स्थिति के अनुसार 5 विनिमय कम्पनियों के साथ करार किये गये थे।

Management Service Contracts with Exchange Companies and Banks:

2.129 Besides expanding their overseas presence and operations, some of the Indian banks have also entered into Management Service Contracts with private exchange houses in the Gulf Region. As at the end of April 1984, Indian banks had entered into such contracts with ten exchange companies in the Middle-East as against five exchange companies at the end of June 1983.

भारत में विदेशी बैंक

2.130 जून 1983 के अंत की स्थिति के अनुसार

Overseas Banks in India

2.130 As at the end of June 1983, the

TABLE — 2.16 : POPULATION GROUP-WISE DISTRIBUTION OF COMMERCIAL BANK OFFICES

(As at the end of)

Population Group	June 1980	% To Total	June 1981	% To Total	June 1982	% To Total	June 1983	% To Total	March 1984	% To Total
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rural	15,101	46.6	17,650	49.4	20,394	52.1	22,678	53.9	24,770	55.6
Semi-Urban	8,079	24.9	8,426	23.6	8,764	22.4	9,036	21.5	9,205	20.6
Urban	4,856	15.0	5,126	14.4	5,359	13.7	5,577	13.2	5,696	12.8
Metropolitan/ Port Town	4,384	13.5	4,505	12.6	4,660	11.8	4,788	11.4	4,912	11.0
Total	32,420	100.0	35,707	100.0	39,177	100.0	42,079	100.0	44,583	100.0

Note : Rural Centres — Places with population upto 10,000.

Semi-urban Centres — Places with population over 10,000 and upto 1,00,000.

Urban Centres — Places with population over 1,00,000 and upto 10,00,000.

Metropolitan Centres -- Places with population over 10,00,000. The classification is based on 1971 Census.

Source : Department of Banking Operations and Development, RBI.

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या क्रमशः 131 और 14 थी। वर्ष के दौरान वेल्स फार्गो बैंक ऑफ यू.एस.ए. ने पहली सितम्बर 1983 से बम्बई में अपना प्रतिनिधि कार्यालय बंद कर दिया जबकि लॉयड्स बैंक इंटरनेशनल लिमि. (यू.के) तथा इर्विंग ट्रस्ट कम्पनी, दोनों ने अक्तूबर 1983 में क्रमशः नई दिल्ली और बम्बई में अपने-अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोले। बैंक ऑफ नोवा स्कॉशिया ने बम्बई स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर 14 मई 1984 से अपनी पहली शाखा खोली। ग्रिन्डलेज बैंक ने नवम्बर 1983 में माल, अमृतसर में अपनी शाखा खोली और कटरा अहलूवालिया में अपने वर्तमान कार्यालय को बंद कर दिया। इस तरह जून 1984 के अन्त की स्थिति के अनुसार विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या क्रमशः 133 और 14 थी।

number of branches and representative offices of overseas banks functioning in India stood at 131 and 14, respectively. During the year, while Wells Fargo Bank of U.S.A. closed its representative office in Bombay with effect from September 1, 1983, Lloyds Bank International Ltd., (U.K.) and Irving Trust Co. both opened their representative offices in New Delhi and Bombay, respectively, in October 1983. The Bank of Nova Scotia opened its first branch at Bombay on May 14, 1984, by upgrading its representative office. Grindlays Bank opened its Mal Amritsar branch in November 1983 and closed down its existing office at Khatra Ahluwalia. Thus, as at the end of June 1984, the number of Indian branches and representative offices of foreign banks stood at 133 and 14, respectively.

भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के लिए संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली

2.131 अधिक कारगर निगरानी और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से वर्ष के दौरान भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों की रिपोर्टिंग प्रणाली को बदल दिया गया। नयी तिमाही विवरणियों में अधिक आंकड़े शामिल किये जा सकते हैं। नयी प्रणाली में जोखिम आस्तियों, समस्यागत ऋणों, बैंकों के देश, मुद्रा और उधारकर्तावार निष्पादन के बारे में अधिक प्रतिसूचना प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। संशोधित प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक विदेशी शाखा अपने आप में एक रिपोर्टिंग इकाई होगी। इस तरह तैयार किये गये आंकड़ों के आधार पर रिज़र्व बैंक को भारतीय बैंकों की विदेश में स्थित शाखाओं के सम्बन्ध में कई नीतिगत व परिचालन संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यकारी परिणाम

2.132 78 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के 28 बैंकों, 34 अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा 16 विदेशी बैंकों) के सम्बन्ध में वर्ष 1982 के लिए कार्यकारी परिणामों से सम्बंधित आंकड़े सारणी 2.17 में दिये गये हैं। ये आंकड़े बैंकों के प्रकाशित लाभ-हानि लेखों पर आधारित हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा अपनायी जाने वाली अलग-अलग लेखाकरण पद्धतियों के कारण सभी बैंकों के आंकड़े समेकित करना कठिन बना रहा। अधिकतर बैंकों ने बोनस के लिए प्रावधान आकस्मिक प्रारक्षित निधियों में दर्शाया है जबकि कुछ बैंकों ने इसे वेतन, मजदूरियां आदि वाले स्थापना के हिस्से के रूप में माना है। चूँकि आकस्मिक प्रारक्षित निधियों में अन्य प्रयोजनों के लिए भी प्रावधान शामिल होंगे, अतः अदा किये गये बोनस की वास्तविक राशि आकस्मिक प्रारक्षित निधियों में दर्शायी गयी राशि से कम होगी। चूँकि इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं अतः शुद्ध लाभ निकालने के लिए पूरी आकस्मिक प्रारक्षित निधियों को घटा दिया गया है।

Revised Reporting System for Overseas Branches of Indian Banks

2.131 The system of reporting of overseas operations of Indian banks was revamped during the year with the objective of a more effective monitoring and supervision. The new quarterly statements have wider data coverage, the emphasis of the new system being on obtaining more feedback on risk assets, problem loans, country, currency and borrower-wise exposure of banks. Under the revised system, each foreign branch will be a reporting unit. The data base thus built up will enable the Reserve Bank to take several policy and operational decisions in respect of overseas presence of Indian banks.

Working Results of Scheduled Commercial Banks

2.132 Data relating to the working results of 78 scheduled commercial banks (28 public sector banks, 34 other Indian scheduled commercial banks and 16 foreign banks) for the year 1982 are given in Table 2.17. These data are based on the published profit and loss accounts of banks. Consolidation of data for all banks continues to be difficult due to the different accounting procedures adopted by banks. While most of the banks showed provision for bonus under contingency reserves, a few included it as part of establishment expenses comprising salaries, wages, etc. Since contingency reserves would also include provision for other purposes, the actual amount of bonus paid would be lower than the figure shown by contingency reserves. Since the details of this are not available, the entire contingency reserves have been deducted for arriving at net profit.

2.133 कराधान स्टाफ़ को बोनस/अनुग्रहपूर्वक भुगतान (आकस्मिक प्रारक्षित निधियां) के लिए व्यवस्था करने के बाद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लाभ 1982 में काफी बढ़े। 1982 में 78 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल लाभ 78.8 करोड़ रुपये रहे जो पिछले वर्ष के लाभों पर 14.9 करोड़ रुपये अथवा 23.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। विभिन्न बैंक समूहों के बीच लाभों की वृद्धि की दर अलग-अलग रही। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1981 के 11.4 प्रतिशत की तुलना में 26.3 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि की। निजी क्षेत्र में अनुसूचित बैंकों तथा विदेशी बैंकों, दोनों ने ही क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 19 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर्ज की। पिछले वर्ष ये दरें क्रमशः 31.5 प्रतिशत और 59.5 प्रतिशत थीं।

2.133 Profits of scheduled commercial banks, after providing for taxation, bonus/ex-gratia payment(contingency reserves) to staff rose considerably in 1982. The aggregate profits of 78 scheduled commercial banks in 1982 amounted to Rs.78.8 crores, recording an increase of Rs.14.9 crores or 23.4 per cent over the profits of previous year. The rate of growth in profits varied sharply among different bank groups. Among the public sector banks, nationalised banks recorded a higher growth rate of 26.3 per cent as against 11.4 per cent in 1981. In private sector, both other scheduled commercial banks and foreign banks recorded a sizeably lower growth rate of 12.5 per cent and 19 per cent as against 31.5 per cent and 59.5 per cent, respectively in the previous year.

2.134 1982 के दौरान समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल अर्जनों ने 950.6 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शायी जबकि उनके व्ययों में 935.9 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। ब्याज और बट्टा, जो आय की प्रमुख मदें होती हैं, 815.9 करोड़ रुपये बढ़े, जबकि जमाराशियों और उधारों पर अदा किया गया ब्याज (व्यय की एक प्रमुख मद) में 625.6 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। 1982 में बैंकों के स्थापना व्ययों में 154 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। 1981 में यह वृद्धि 186 करोड़ रुपये की थी।

2.134 During 1982, the total earnings of all the scheduled commercial banks recorded an increase of Rs.950.6 crores, while their expenditure rose by Rs.935.9 crores. Interest and discount which are the major items on the income side rose by Rs.815.9 crores, while interest paid on deposits and borrowings (a major item of expenditure) went up by Rs.625.6 crores. Establishment expenses of the banks increased by Rs.154 crores in 1982 as against Rs.186 crores in 1981.

बैंकों में धोखाधड़ियां और कदाचार रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण और रक्षोपाय

Internal Control and Safeguards for Prevention of Frauds and Malpractices

2.135 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में धोखाधड़ियां रोकने के लिए बैंकों को जारी किये गये विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में उल्लेख किया गया था। बैंकों द्वारा जानकारी में लाये गये धोखाधड़ियों के मामलों की जांच की गयी थी, और सामने आयी विसंगतियों के बारे में

2.135 A reference was made in the last year's Report regarding detailed guidelines issued to banks for prevention of frauds. Cases of frauds reported by banks were examined and the deficiencies revealed were brought to the notice of banks. Banks were

सारणी 2.17 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यकारी परिणाम

	स्टेट बैंक समूह (8)			20 राष्ट्रीयकृत बैंक			अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (34)
वर्ष	1980	1981	1982	1980	1981	1982	1980
	1	2	3	4	5	6	7
1. कुल अर्जन जिसमें से	1323.37 (31.3)	1704.36 (28.8)	2022.90 (18.7)	2509.93 (25.5)	3123.71 (24.5)	3676.60 (17.7)	212.92 (31.0)
ब्याज और बट्टा	1118.10 (32.8)	1464.44 (31.0)	1748.88 (19.4)	2296.27 (26.7)	2877.69 (25.3)	3339.04 (16.0)	191.88 (32.9)
2. कुल व्यय जिसमें से	1310.21 (31.4)	1688.04 (28.8)	2002.58 (18.6)	2482.95 (25.6)	3094.17 (24.6)	3639.30 (17.6)	210.13 (31.4)
(क) जमाराशियों, उधारों आदि पर अदा किया गया ब्याज	842.16 (35.3)	1133.43 (34.6)	1369.15 (20.8)	1673.17 (28.4)	2121.02 (26.8)	2467.24 (16.3)	123.59 (32.8)
(ख) स्टाफ को वेतन, भविष्य निधि तथा भत्ते बोनस अनुग्रहपूर्वक भुगतान	347.43 (21.6)	403.18 (16.0)	452.11 (12.1)	586.47 (20.7)	695.91 (18.7)	786.10 (13.0)	59.28 (28.9)
3. कराधान तथा स्टॉफ को बोनस/अनुग्रह पूर्वक भुगतान की व्यवस्था के बाद लाभ	13.16 (18.1)	16.32 (24.0)	20.32 (24.5)	26.52 (16.7)	29.54 (11.4)	37.30 (26.3)	2.79 (9.0)

TABLE 2.17: WORKING RESULTS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(Amount in Rupees Crores)

	State Bank Group (8)			20 Nationalised Banks			Other Indian Scheduled Commercial Banks (34)
Year	1980	1981	1982	1980	1981	1982	1980
	1	2	3	4	5	6	7
1. **Total Earnings** Of which	**1323.37** (31.3)	**1704.36** (28.8)	**2022.90** (18.7)	**2509.47** (25.5)	**3123.71** (24.5)	**3676.60** (17.7)	**212.92** (31.0)
Interest and Discount	1118.10 (32.8)	1464.44 (31.0)	1748.88 (19.4)	2296.27 (26.7)	2877.69 (25.3)	3339.04 (16.0)	191.88 (32.9)
2. **Total Expenditure** Of which	**1310.21** (31.4)	**1688.04** (28.8)	**2002.58** (18.6)	**2482.95** (25.6)	**3094.17** (24.6)	**3639.30** (17.6)	**210.13** (31.4)
a) Interest paid on Deposits, borrowings, etc.	842.16 (35.3)	1133.43 (34.6)	1369.15 (20.8)	1673.17 (28.4)	2121.02 (26.8)	2467.24 (16.3)	123.59 (32.8)
b) Salaries, Provident Fund and allowances Bonus/Ex-gratia Payment to Staff	347.43 (21.6)	403.18 (16.0)	452.11 (12.1)	586.47 (20.7)	695.91 (18.7)	786.10 (13.0)	59.28 (28.9)
3. Profit after Provision for taxation and Bonus/Ex-gratia Payment to Staff	**13.16** (18.1)	**16.32** (24.0)	**20.32** (24.5)	**26.52** (16.7)	**29.54** (11.4)	**37.30** (26.3)	**2.79** (9.0)

सारणी 2.17 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यकारी परिणाम

			विदेशी बैंक (16)			जोड़ (78)		
वर्ष	1981	1982	1980	1981	1982	1980	1981	1982
	8	9	10	11	12	13	14	15
1. **कुल अर्जन**	266.12	312.17	183.11	228.77	261.93	4221.66	5322.96	6273.60
जिसमें से	(25.0)	(17.3)	(11.9)	(24.9)	(14.5)	(26.7)	(26.1)	(17.9)
ब्याज और बट्टा	241.58	282.46	146.00	183.25	212.44	3745.99	4766.96	5582.82
	(25.9)	(16.9)	(13.5)	(25.5)	(15.9)	(28.0)	(27.3)	(17.1)
2. **कुल व्यय**	262.45	308.04	174.15	214.48	244.92	4170.38	5258.94	6194.84
जिसमें से	(24.9)	(17.4)	(12.0)	(23.2)	(14.2)	(26.8)	(26.1)	(17.8)
(क) जमाराशियों, उधारों आदि पर अदा किया गया ब्याज	153.78	181.93	77.94	87.02	102.51	2712.53	3495.25	4120.83
	(24.4)	(18.3)	(10.0)	(11.7)	(17.8)	(29.8)	(28.9)	(17.9)
(ख) स्टाफ़ का वेतन भविष्य निधि तथा भत्ते बोनस अनुग्रहपूर्वक भुगतान	73.43	85.42	35.08	40.49	43.51	1026.51	1213.01	1367.74
	(23.9)	(16.3)	(7.2)	(15.4)	(7.5)	(20.4)	(18.2)	(12.8)
3. कराधान तथा स्टॉफ को बोनस/अनुग्रह पूर्वक भुगतान की व्यवस्था के बाद लाभ	3.67	4.71	8.96	14.29	17.01	51.28	63.82	78.76
	(31.5)	(12.5)	(14.8)	(59.5)	(19.0)	(16.0)	(24.5)	(23.4)

टिप्पणी : कोष्टकों में दिये गये आकड़े पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं ।

TABLE 2.17: WORKING RESULTS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (Concld.)

(Amount in Rupees Crores)

	Other Indian Scheduled Commercial Banks (34)		Foreign Banks (16)			Total (78)		
Year	1981	1982	1980	1981	1982	1980	1981	1982
	8	9	10	11	12	13	14	15
1. **Total Earnings** Of which	266.12 (25.0)	312.17 (17.3)	183.11 (12.1)	228.77 (24.9)	261.93 (14.5)	4221.66 (26.7)	5322.96 (26.1)	6273.60 (17.9)
Interest and Discount	241.58 (25.9)	282.46 (16.9)	146.00 (13.5)	183.25 (25.5)	212.44 (15.9)	3745.99 (28.0)	4766.96 (27.3)	5582.82 (17.1)
2. **Total Expenditure** Of which	262.45 (24.9)	308.04 (17.4)	174.15 (12.0)	214.48 (23.2)	244.92 (14.2)	4170.38 (26.8)	5258.94 (26.1)	6194.84 (17.8)
a) Interest paid on Deposits, borrowings, etc.	153.78 (24.4)	181.93 (18.3)	77.94 (10.0)	87.02 (11.7)	102.51 (17.8)	2712.53 (29.8)	3495.25 (28.9)	4120.83 (17.9)
b) Salaries, Provident Fund and allowances Bonus/Ex-gratia Payment to Staff	73.43 (23.9)	85.42 (16.3)	35.08 (7.2)	40.49 (15.4)	43.51 (7.5)	1026.51 (20.7)	1213.01 (18.2)	1367.14 (12.8)
3. Profit after Provision for taxation and Bonus/Ex-gratia Payment to Staff	3.67 (31.5)	4.13 (12.5)	8.96 (14.8)	14.29 (59.5)	17.01 (19.0)	51.28 (16.0)	63.82 (24.5)	78.76 (23.4)

Note: Figures in the brackets indicate percentage increase over the previous year.

बैंकों को बताया गया था। बैंकों से यह भी कहा गया था कि वे परिचालनगत दक्षता पर और अधिक ध्यान दें और व्यवस्था संबंधी (हाउसकीपिंग) तथा अंतर-बैंक पुनः समायोजन के बकाया मामलों को निपटाने के लिए और अधिक प्रयास करें।

also asked to give more attention to the operational efficiency and make more efforts to clear the arrears in housekeeping and inter-bank reconciliation.

2.136 धोखाधडी के गंभीर मामलों, प्रमुख शिकायतों, प्रणाली, पद्धतियों और आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र में पता लगाये गये धोखाधडी के संभावित क्षेत्रों की जांच-पड़ताल करने की दृष्टि से 2 मई 1983 को रिज़र्व बैंक में एक विशेष जांच कक्ष स्थापित किया गया था। जून 1984 के अंत तक इस कक्ष ने बड़ी धोखाधडी के 12 मामलों और 4 शिकायतों की जांच की और बैंकों को सुधारात्मक कार्रवाई करने और मामलों की स्टाफ के दृष्टिकोण से जांच करने के लिए उनके परिणामों से अवगत करा दिया गया है। जहां आवश्यक हुआ, जाँचों के परिणामों से सरकार को भी अवगत कराया गया। इन नतीजों के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे रक्षोपाय सुझाते हुए परिपत्र जारी किये गये थे जो इस प्रकार की अनियमितताओं को बार बार होने से रोकने के लिए बैंकों द्वारा अमल में लाये जाने चाहिए।

2.136 A Special Investigation Cell was set up in the Reserve Bank on May 2, 1983, with a view to conducting investigation into serious cases of frauds, major complaints and scrutinies of identified fraud-prone areas, covering system, procedures and internal control. The cell has looked into 12 cases of major frauds and four complaints till the end of June 1984 and its findings have been communicated to the banks for corrective action and examination of the cases from staff angle. The outcome of the scrutinies was brought to the notice of Government also, wherever necessary. Based on the findings, circulars were issued by the Reserve Bank suggesting safeguards that may be observed by the banks so as to prevent a recurrence of such irregularities.

चेकों का समाशोधन

Clearance of Cheques

2.137 बाहरी चेकों के राष्ट्रीय समाशोधन की शुरुआत करने की विधि की और भारत में बैंकों द्वारा मशीनीकृत चेक प्रोसेसिंग के लिए एमआइसीआर/ओसीआर तकनीक शुरू करने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिये जाने के परिणामस्वरूप और रिज़र्व बैंक में नवम्बर 1983 में दल की सिफारिशों को लागू करने का कार्य देखने के लिए एक विशेष कक्ष राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष स्थापित किया गया था।

2.137 Following the acceptance of the recommendations of the Working Group set up by the Reserve Bank to consider the modalities of introducing National Clearing of outstation cheques and the feasibility of introducing MICR/OCR technology for mechanised cheque proceessing by banks in India, a special cell viz., the National Clearing Cell was formed in the Reserve Bank in November 1983 to look after the implementation of the Group's recommendations.

2.138 दल ने सिफारिश की थी कि मशीनीकृत चेक प्रोसेसिंग के लिए एमआइसीआर तकनीक की शुरुआत पहले 4 महानगरों बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में की जाये जिसे बाद में चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर अन्य राज्यों की राजधानियों में बाहरी चेकों के लिए राष्ट्रीय समाशोधन प्रणाली के साथ शुरू किया जाये। राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष में इस प्रयोजन के लिए इंडिया सिक्युरिटी प्रेस, नासिक के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की सहायता से चेक के कागज, चेक के ले-आउट, एमआइसीआर कूटलाइन ढांचे के लिए मानक निर्देश तैयार किये हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और एमआइसीआर ग्रेड चेक कागज की आपूर्ति करने और एमआइसीआर कूटित चेक फार्म छापने में कागज के निर्माण और प्रतिभूति मुद्रकों के एक पैनल की भी सिफारिश की है। इस संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत सभी बैंकों और रिज़र्व बैंक के पास खाता रखने वाले सम्बन्धित सरकारी विभागों को जारी कर दिये गये हैं।

2.138 The Group had recommended the introduction of MICR technology for mechanised cheque processing, initially in the four metropolitan cities of Bombay, Delhi, Calcutta and Madras and its extension to other State capitals and important centres in phases, together with a national clearing system for outstation cheques. The National Clearing Cell has drawn up standard specifications for cheque paper, cheque layout and MICR code line structure with the assistance of a Technical Committee formed for the purpose under the Chairmanship of General Manager of the India Security Press, Nasik. This Committee has submitted its reports and has also recommended a panel of paper manufacturing and security printers capable of supplying MICR grade cheque paper and printing of MICR encoded cheque forms. Detailed guidelines in this regard have been issued to all banks and concerned Government Departments maintaining accounts with Reserve Bank of India.

2.139 इसके अलावा, ऐसे स्थानीय कम्प्यूटर सप्लायरों का पता लगाने के लिए एक तकनीकी समिति (उपस्कर) भी गठित की गयी थी जो पहले बैंकों तथा समाशोधन गृह की चेक प्रोसेसिंग तथा कूटकरण उपस्करों की प्रारंभिक आवश्यकताओं का आयात करेगी और चेक प्रोसेसिंग उपस्कर भारत में ही धीरे-धीरे निर्माण करने के लिए आवश्यक सुविधायें जुटायेगी। यह प्रस्ताव है कि 1984 की अंतिम तिमाही में ऊपर लिखित चार महानगरों में बैंकों द्वारा मानकीकृत एमआइआरसी कूटित चेक फार्म जारी करना शुरू कर दिया जाये और 1985 की दूसरी तिमाही से मशीनीकृत चेक प्रोसेसिंग शुरू की जाये।

2.139 Further, Technical Committee (Equipment) was also constituted for identifying local computer suppliers who would import the initial requirements of cheque processing and encoding equipments for use of banks and the Clearing House and create necessary facility for undertaking progressive manufacture of cheque processing equipment indigenously. It is proposed to commence issue of standardised MICR encoded cheque forms by banks in the four metropolitan cities mentioned earlier in the last quarter of 1984 and introduce mechanised cheque processing in the second quarter of 1985.

समाशोधन गृह समायोजन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण

2.140 रिज़र्व बैंक द्वारा अपने विभिन्न केन्द्रों पर संचालित समाशोधन गृहों में चेकों के समायोजन के

Computerisation of Clearing House Settlement Operations

2.140 In continuation of the Bank's efforts

कार्य की गति बढ़ाने के बैंक के प्रयासों के अनुसरण में कलकत्ता में शीघ्र ही समाशोधन गृह कार्यों के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है और इस दिशा में तैयारी का कार्य चल रहा है। आपको याद होगा कि 1982-83 के दौरान बम्बई, मद्रास और नयी दिल्ली में समाशोधन गृह कार्यों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया था। इसी प्रकार की सुविधायें चार और केन्द्रों अर्थात अहमदाबाद, बंगलूर, हैदराबाद और कानपुर के समाशोधन गृहों में 1984 के अन्त तक उपलब्ध कराये जाने के लिए भी व्यवस्थायें की जा रही हैं।

to speed up settlement of cheques in the clearing houses managed by it at various centres, it is proposed to computerise the clearing house operations at Calcutta shortly and preparatory work towards this end is in progress. It may be recalled that during 1982-83 clearing house operations at Bombay, Madras and New Delhi were computerised. Arrangements are also being made to extend similar facility at the clearing houses in four more centres viz, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Kanpur by the end of 1984.

समितियां, कार्यकारी दल, सेमिनार आदि

2.141 वाणिज्य बैंकों के "मूल्य निर्धारण कक्ष" के प्रमुखों की निम्नलिखित पर विचार करने के लिए अप्रैल 1984 को एक बैठक हुई थी: i) बैंकों में आंकड़े एकत्र करने की प्रगति की समीक्षा ii) बैंकों द्वारा महसूस की जा रही समस्यायें दूर करना और इस संबंध में स्पष्टीकरण और सुझाव देना तथा iii) बैंकों द्वारा मैसर्स प्राइम कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. को भेजी जाने वाली नियंत्रण लागतों की और साथ ही विभिन्न नियंत्रण आंकड़ों को एकत्र करने और समेकित करने पर विचार करने की विधि पर विचार करना। उपर्युक्त बैठक में चर्चाओं के दौरान सामने आनेवाली विभिन्न कार्यमदों को प्रबंध सेवा विभाग द्वारा अब सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया जा चुका है और उनके द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है।

Committees, Working Groups, Seminars, etc.

2.141 *Costing in Commercial Banks :* A meeting of the Chiefs of "Costing Cell" of commercial banks was held on April 19, 1984, with a view to: 1) reviewing the progress of data collection work of banks, 2) sorting out problems being faced by banks and offering clarifications and suggestions in this regard and 3) elaborating on the method of collection and consolidation of control costs as also various control data required to be sent by banks to M/s. Prime Computer Services Pvt. Ltd. Various action points arising out of discussions of the above meeting have since been advised to public sector banks by Management Services Department and necessary follow-up action is being taken by them.

2.142 **बैंकों के प्रकाशित लेखों के फार्मेट, ऐसे लेखों के अधिक/पूर्ण रूप से सामने रखे जाने आदि पर विचार करने से संबंधित समिति :** समिति ने बैंकों के बैंकों के अध्यक्षों, सनदी लेखाकारों के संस्थान की क्षेत्रीय परिषदों, आइसीडब्ल्यूए, चैम्बर ऑफ कामर्स, प्रबंध संस्थाओं आदि के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं। समिति का कार्य चल रहा है और उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की उम्मीद है।

2.142 *Committee to consider format of published accounts of banks, greater/full disclosure in such accounts, etc :* The Committee had several meetings with the Chairmen of banks/representatives of Regional Councils of the Institute of Chartered Accountants, ICWA, Chambers of Commerce, Management Institutes, etc. The Committee's work is in progress and their report is expected to be ready shortly.

स्थायी समन्वयन समिति

2.143 स्थायी समन्वयन समिति, जो अंतर-संस्थागत दल की सिफारिशों के अनुसरण में बैंकों तथा मीयादी ऋण संस्थाओं के बीच समन्वयन से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए जनवरी 1979 में नियुक्त की गयी थी, को अगस्त 1983 में पुनर्गठित किया गया था। पुनर्गठित समिति अपने पिछले अनुभवों के प्रकाश में मीयादी ऋणों से संबंधित अंतर संस्थागत समस्यायें दूर करने के लिए एक स्थायी मंच उपलब्ध करायेगी। यह मीयादी ऋण देने में बैंकों और मीयादी ऋण संस्थाओं की भूमिका और मीयादी ऋणों पर सूचनाओं के संकलन और आदान-प्रदान तथा उसके पास भेजे जानेवाले अन्य मामलों की समीक्षा भी करेगी।

अनुवर्ती कार्रवाई

बैंकिंग विधि समिति की रिपोर्ट

2.144 बैंकों को प्रभावित करने वाली वाणिज्य विधि की समीक्षा करने और उसका कूटकरण करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित बैंकिंग विधि समिति ने अपनी पांच रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इनमें से हुंडियों पर समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की समीक्षा पहले की गयी थी लेकिन बैंक ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। माल की हकदारी के दस्तावेजों पर रिपोर्ट में दिये गये प्रारूप गोदाम रसीद बिल पर बैंक के विचार वर्ष के दौरान भारत सरकार को भेज दिये गये थे। इस बिल से गोदाम रसीदों को परक्राम्यता का दर्जा देने का विचार है और इस बिल के पारित हो जाने के बाद गोदाम रसीदों की जमानत पर उदारता से बैंक ऋण लिये जा सकते हैं। अन्य तीन रिपोर्टों के बारे में स्थिति इस प्रकार है।

2.145 **परक्राम्य लिखत विधि पर रिपोर्ट** : रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंक संस्थान के परामर्श से इस रिपोर्ट की जांच की

Standing Co-ordination Committee

2.143 The Standing Co-ordination Committee which was appointed in January 1979 to consider the issues pertaining to co-ordination between banks and term lending institutions, following the recommendations of the Inter-Institutional Group was re-constituted in August 1983. The reconstituted Committee will provide a standing forum for sorting out inter-institutional problems relating to term lending in the light of past experience. It will also review the involvement of banks and term lending institutions in extending term credit besides dealing with compilation and sharing of information on term credit and any other issues that may be referred to it.

Follow up

Banking Laws Committee's Reports

2.144 The Banking Laws Committee, appointed by the Government of India to review and codify commercial laws affecting banks, had submitted five Reports. Of these, the recommendations contained in the Committee's Report on Hundis were processed earlier but were not accepted by the Bank. Bank's views on the Draft Warehouse Receipts Bill, contained in the Report on Documents of Title to Goods, were forwarded to Government of India during the year. The Bill intends to give a status of negotiability to the warehouse receipts and once the Bill is passed, it will facilitate liberal bank credit against the security of warehouse receipts. As regards the other three reports, the position is as under.

2.145 *Report on Negotiable Instruments Law:* The Report was examined by the Bank in consultation with the Indian Banks'

थी। चूंकि इस रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशें मुख्यतः अमेरिका के यूनिफार्म कमर्शियल कोड पर आधारित थीं, जो भारत में मौजूदा हालात में उपयुक्त नहीं थीं, अतः रिपोर्ट को रद्द करने और इंगलैंड और कुछ अन्य राष्ट्रकुल देशों, जिनकी कानूनी प्रणाली भारत की कानूनी प्रणाली से मिलती जुलती है के कानूनों के प्रकाश में प्रारूप परक्राम्य लिखत बिल, 1960 की समीक्षा करने का निर्णय किया गया। तदनुसार प्रारूप बिल और बिल पर सीधे प्रभाव डालनेवाली बैंकिंग विधि समिति की रिपोर्ट में सिफारिशों के साथ-साथ भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित विधि समिति की कई बैठकों में चर्चा की गयी। प्रारूप परक्राम्य लिखत बिल, 1960 को अब भारतीय बैंक संघ के विचारों के अनुरूप परिवर्तित कर दिया गया है और उसे भारत सरकार के पास उनके विचार-विमर्श के लिए भेज दिया गया है।

Association (IBA). Since the recommendations contained in the Report were mainly based on the Uniform Commercial Code of the USA, which was not suitable to the conditions prevailing in India, it was decided to reject the report, and to review the Draft Negotiable Instruments Bill, 1960 in the light of the Laws of the U.K. and some other Commonwealth countries, whose legal systems are similar to the Indian legal system. Accordingly, the Draft Bill vis-a-vis the recommendations of the Banking Laws Committee in its report having direct bearing on the Bill, were discussed at several meetings of the Legal Committee convened by the IBA. The Draft Negotiable Instruments Bill, 1960 has since been revised in the light of the IBA's views and the same has been forwarded to the Government of India for their consideration.

2.146 **व्यक्तिगत सम्पति जमानत विधि पर रिपोर्ट** : बैंकिंग विधि समिति द्वारा इस विषय पर अपनी रिपोर्ट में सिफारिश किये गये प्रारूप व्यक्तिगत सम्पत्ति जमानत बिल की बैंक तथा भारतीय बैंक संघ के प्रतिनिधियों वाले अनौपचारिक दल द्वारा जांच की गयी। चूंकि प्रस्तावित बिल कुछ मूलभूत परिवर्तन लायेगा, अतः इस मामले में बैंक द्वारा अन्तिम निर्णय, भारतीय बैंक संघ से अब प्राप्त फिर से किये गये विचारों के आधार पर किया जायेगा।

2.146 *Report on Personal Property Security Law:* The Draft Personal Property Security Bill recommended by the Banking Laws Committee in its Report on this subject was examined by the Informal Group comprising representatives of the Bank and the IBA. As the proposed Bill may bring about radical changes, a final decision by the Bank in the matter will be taken in the light of reconsidered views since received from the IBA.

2.147 **वास्तविक सम्पति जमानत विधि पर रिपोर्ट** : समिति ने ऋण और अचल सम्पत्तियों की जमानत से सम्बंधित विधि और संस्थागत एजेंसियों द्वारा ग्रामीण ऋण के विस्तार से सम्बंधित विशेष विधि

2.147 *Report on Real Property Security Law (RPSL):* The Committee had submitted its Report on the RPSL examining the lacunae in the law relating to credit and security of immovable properties and the

अचल सम्पत्ति की हकदारी की जांच से संबंधित कानूनी ढांचा पंजीकरण की योजना आदि में खामियों की जांच करते हुए वास्तविक सम्पत्ति जमानत विधि पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। भारतीय बैंक संघ से प्राप्त अभिमतों के प्रकाश में इस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

special law relating to extension of rural credit by institutional agencies, legal framework pertaining to investigation of title to immovable property, scheme of registration, etc. The Report is now being considered in the light of comments received from the IBA.

दिशा निर्देश पर समिति

2.148 दिशा निर्देश पर समिति, जो 1975 में टंडन समिति की सिफारिशों को लागू करने से सामने आयी, समस्याओं की निरंतर आधार पर जांच करने के लिए 1975 से रिज़र्व बैंक में कार्य कर रही है, जुलाई 1983 में पुनर्गठित की गयी थी। पुनर्गठित समिति में रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और वाणिज्य बैंक सदस्य हैं। समिति ने 5 उप समितियां गठित की हैं, जिनमें से 4 विभिन्न उद्योगों जैसे इंजीनियरी, बिजली, वस्त्र, कांच, चमड़ा आदि के लिए स्टॉक/प्राप्य मानदंडों की समीक्षा करेंगी और 5 वीं व्यापारी समूह में इकाइयों के लिए ऋण संबंधी मानदण्ड निर्धारित करेगी। वस्त्रों और बिजली समूहों पर उप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। वस्त्र समूह पर उप समिति की सिफारिशें दिशा निर्देश समिति और रिज़र्व बैंक द्वारा कुछेक संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली गयी हैं और बैंकों को जून 1984 में संशोधित मानदण्डों के बारे में सूचित कर दिया गया था। बिजली समूह पर उप समिति की सिफारिशें भी दिशा निर्देश समिति द्वारा स्वीकार कर ली गयीं हैं और रिज़र्व बैंक के विचाराधीन हैं।

2.148 *Committee of Direction (COD):* The Committee of Direction, which has been functioning in Reserve Bank since 1975 to examine on an ongoing basis the problems arising out of implementation of Tandon Committee's recommendations, was reconstituted in July 1983. The reconstituted Committee is represented by Reserve Bank, Industrial Development Bank of India and commercial banks. The Committee has set up five sub-Committees, four to review inventory/receivables norms for various industries, viz., engineering, electricals, textiles, glass, leather, etc. and the fifth one to evolve lending norms for units in the trading group. The sub-Committees on textiles and electricals groups have submitted their Reports. The recommendations of the sub-committee on textiles group have been accepted by the COD and the Reserve Bank with some modifications and the banks were advised of the revised norms in June 1984. The recommendations of the sub-committee on electricals group have been also accepted by COD and they are under consideration in the Reserve Bank.

रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों के पुनर्वास के संबंध में समिति

2.149 यह समिति जिसके बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, अब अपनी अंतिम

2.149 *Committee on Rehabilitation of Sick Industrial Undertakings:* This Committee, to which a reference was made in the pre-

रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है और उसकी जांच की जा रही है।

vious Report, has since submitted its final Report and the same is being processed.

2.150 **निर्यात वित्त पर स्थायी समिति** : निर्यात वित्त पर स्थायी समति, जो एक उच्चाधिकार प्राप्त नीति निर्धारक निकाय है और बैंक द्वारा 1975 में निर्यात वित्त से संबंधित समस्याओं और नीतियों की आवधिक आधार पर चर्चा करने के लिए गठित की गयी थी, ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तीन बैठकें बुलायीं। अन्तिम बैठक 7 मार्च 1984 को बुलायी गयी थी। दिसम्बर 1983 में बैंक ने विभिन्न अफ्रीकी देशों को चयनात्मक रूप से माल की कतिपय श्रेणियों के निर्यात बढ़ाने के लिए दीर्घावधि सप्लायर्स ऋण सुविधाओं के लिए स्थायी समिति द्वारा नियुक्त उपदल द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये। उपदल की सिफारिशों के अनुसरण में ही रिज़र्व बैंक, निर्यात-आयात बैंक, निर्यात ऋण और गारंटी निगम, संबंधित बैंकों और एक सरकारी नामिती के प्रतिनिधित्व वाले एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है जो निर्धारित अफ्रीकी देशों के साथ-साथ अन्य देशों को चुनिंदा वस्तुओं के निर्यात के लिए 180 दिन से अधिक की ऋण अवधियों के विस्तार के लिए प्रस्ताव पर विचार करेगा।

2.150 *Standing Committee on Export Finance:* The Standing Committee on Export Finance, a high powered policy-making body, set up by the Bank in 1975 to discuss periodically the problems and policies relating to export finance, held three meetings during the year under review, the last one being on March 7, 1984. In December 1983, the Bank issued detailed guidelines to banks based on the suggestions made by the Sub-Group appointed by the Standing Committee for elongated suppliers' credit facilities for certain categories of goods selectively to promote exports to various African countries. Also pursuant to the Sub-Group's recommendations, a Working Group has been constituted consisting of representatives of RBI, Exim Bank, ECGC, concerned banks and a Government nominee to consider proposals for extension of credit terms beyond 180 days for targeted African countries as well as other countries for export of selected commodities.

2.151 **निर्यात सलाहकार समिति** : रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 1983 में अखिल भारतीय सलाहकार समिति का गठन किया जिसमें रिज़र्व बैंक के अधिकारी, बैंकों के प्रतिनिधि और अखिल भारतीय निर्यात संवर्धन परिषदों/संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका उद्देश्य निर्यातकों से संबंधित ऋण उपलब्धता के मामलों में और निर्यात से

2.151 *Export Advisory Committee:* The Reserve Bank set up in October 1983 an All India Export Advisory Committee, consisting of Reserve Bank officials, representatives of banks and those from All India export promotion councils/organisations, with a view to getting feed-back from the

संबंधित विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमनों के संबंध में उनकी कठिनाई के बारे में सीधे ही प्रतिसूचना प्राप्त करना है। समिति, जो हर तिमाही में एक बैठक करती है, ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चार बैठक कीं।

exporters directly about their difficulties in the matters of credit availability and exchange control regulations relating to exports. The Committee, which meets once in a quarter, held 4 meetings during the year under review.

2.152 **तम्बाकू निर्यातों के संबंध में समिति :** रिज़र्व बैंक तथा वाणिज्य बैंकों के अधिकारियों, तम्बाकू निर्यातकों तथा तम्बाकू बोर्ड और भारतीय तम्बाकू संघ के प्रतिनिधियों की एक परामर्शदात्री समिति गठित की गयी थी, जिसका कार्य तम्बाकू निर्यातकों की निर्यात ऋण आवश्यकताओं का पता लगाना है। समिति ने 27 जनवरी 1984 को गुन्टूर में अपनी पहली बैठक आयोजित की।

2.152 *Committee on Tobacco Exports :* A Consultative Committee was set up with Reserve Bank and commercial banks' officials tobacco exporters and representatives of the Tobacco Board and Indian Tobacco Association to look into the export credit requirements of the tobacco exporters. The Committee held its first meeting at Guntur on January 27, 1984.

2.153 **निर्यात ऋण के संबंध में सेमिनार :** बैंकों और निर्यातकों दोनों के लाभ के लिए बैंक देश के विभिन्न केन्द्रों में अप्रैल 1983 से "निर्यात ऋण पर एकदिवसीय सेमीनार" आयोजित कर रहा है। इन सेमिनारों का प्रयोजन बैंकिंग और गारंटी रक्षा से संबंधित ऐसी समस्याओं का पता लगाना है जो निर्यातों की वृद्धि में रुकावट डाल रही हैं और बैंकों और उनके निर्यातक ग्राहक के बीच सही परिप्रेक्ष्य में इन समस्याओं के प्रति बेहतर समझ-बूझ बढ़ाना है। अब तक इस प्रकार के चार सेमिनार हो चुके हैं। ये बंबई, जयपुर, कलकत्ता और कोचीन में आयोजित किये गये थे।

2.153 *Seminars on Export Credit :* The Bank has been conducting from April 1983, 'One-day seminars on Export Credit' at various centres in the country for the benefit of both banks and exporters. The purpose of the seminars is to identify the problems relating to banking and guarantee cover hampering the growth of exports and to promote, amongst banks and their exporter-clients, a better understanding of these problems in a proper perspective. So far, 4 such seminars have been held, one each in Bombay, Jaipur, Calcutta and Cochin.

चयनित उद्योगों के लिए संस्थागत वित्त के समन्वयन के लिए स्थायी समिति

2.154 चार प्रमुख उद्योगों अर्थात चीनी, चाय, जूट और उर्वरक की ऋण आवश्यकताओं और संबंधित

Standing Committee for Co-ordination of Institutional Finance for Selected Industries

2.154 A reference was made in the last year's Report regarding the appointment of Standing Committees by the Reserve Bank,

समस्याओं पर समन्वित विचार प्रकट करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक द्वारा स्थायी समितियां नियुक्त किये जाने के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था ।

with a view to taking a co-ordinated view on credit requirements and related problems for four of the major industries, viz., sugar, tea, jute and fertilizer.

2.155 3 अक्तूबर 1983 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में चीनी उद्योग पर स्थायी समिति ने चीनी स्टॉकों के मूल्यांकन की समस्याओं की जांच करने के लिए उप समिति गठित की । उप-समिति ने अपने परिणामों से बैंक को अवगत करा दिया है जिनके प्रकाश में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किये गये । स्थायी समिति की(9 अप्रैल 1984 को हुई)चौथी बैठक में किये गये निर्णयों के अनुसरण में एक और उपसमिति गठित की गयी। इसमें बैंकों, सरकारी विभागों और चीनी उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका कार्य चीनी उद्योग के पुनर्वास के लिए विस्तृत उपाय सुझाना है ।

2.155 The Standing Committee for *Sugar Industry* at its third meeting held on October 3,1983, constituted a Sub-Committee to examine the problems of valuation of sugar stocks. The Sub-Committee has since reported its findings to the Bank, in the light of which revised guidelines have been framed. In pursuance of the decision taken at the fourth meeting (held on April 9, 1984) of the Standing Committee, another Sub-Committee has been appointed, comprising representatives of banks, Government departments and the sugar industry, to suggest broad measures for rehabilitation of the sugar industry.

2.156 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चाय उद्योग पर स्थायी समिति ने अपनी तीसरी बैठक आयोजित की । समिति ने मुख्य रूप से कलकत्ता में सितम्बर 1983 में रिज़र्व बैंक के बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा आयोजित सेमिनार की सिफारिशों पर चर्चा की थी । जिन अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गयी, वे थे– चाय उत्पादन/निर्यात बढ़ाने के लिए किये जानेवाले उपाय, चाय की दलाली करनेवाली फर्मों और बैंकों द्वारा चाय बागानों का दोहरा वित्तपोषण, बागानों के विकास के लिए बैंक वित्त की उपलब्धता, दीर्घकालिक निवेश, चाय उद्योग की रुग्णता के पीछे कारण, उन्हें फिर से बसाने के लिए किये जानेवाले उपाय और सकल लाभ के एक खास हिस्से को अलग रखते हुए विकास गतिविधियों के लिए एक चाय विकास निधि का निर्माण । रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 1980 में गठित चाय

2.156 During the year under review, the Standing Committee for *Tea Industry* held its third meeting. The Committee mainly discussed the recommendations of the seminar conducted by the Bankers Training College of the RBI in September 1983 at Calcutta. Other important issues discussed included steps to be taken to increase tea production/exports, double financing of tea gardens by tea broking firms as well as by banks, availability of bank finance for development of gardens, long term investment, causes of sickness in tea industry, measures to be taken to revive them and creation of Tea Development Fund for financing developmental activities by setting aside certain percentage of gross profits. Reserve Bank has already issued detailed guidelines to the banks on the basis of recommendations of the Committee

उद्योग के 'वित्तपोषण। पर समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकों को पहले ही विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिये हैं।

on Financing of Tea Industry constituted by it in October 1980.

2.157 जूट उद्योग के लिए समिति दिसंबर 1982 में अपने गठन के बाद से तीन बैठकें कर चुकी है। 2 दिसंबर 1982 को हुई स्थायी समिति की पहली बैठक में किये गये निर्णय के अनुसरण में दो उपसमितियां गठित की गयी थीं। पहली उपसमिति का कार्य जूट उद्योग में क्षमतावाली रुग्ण इकाइयों का पता लगाना था और भविष्य में उन्हें उत्पादनशील बनाने के लिए अपेक्षित उपायों की सिफारिशें करनी थीं। दूसरी उपसमिति का कार्य जूट के माल के निर्यात के लिए मध्यकालिक दृष्टिकोण निर्धारित करना था और इस मूल्यांकन के प्रकाश में निर्यातों का स्तर बनाये रखने के लिए किये जानेवाले विभिन्न सुझावों पर विचार करना था। पहली समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 1983 में प्रस्तुत कर दी जिसमें उसने जूट मिलों के वर्गीकरण के लिए विस्तृत मानदंड और प्रत्येक वर्ग के पुनर्वास के लिए उपाय सुझाये थे। सुझाये गये उपायों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, बैंकों तथा मीयादी ऋण संस्थाओं, भारतीय निर्यात-आयात बैंक और स्वयं उद्योग से अपेक्षित सहायता शामिल है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने पहले ही मिलों के वर्गीकरण और उनकी संभाव्यता स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी उपसमिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

2.157 The Committee for *Jute Industry* has met thrice since its appointment in December 1982. In pursuance of the decision taken in the first meeting of the Standing Committee held on December 2, 1982, two sub-Committees were appointed. The first Sub-Committee was to identify potentially viable sick units in the jute industry and recommend a package of measures required to make them viable in future. The second Sub-Committee was set up to assess the medium term outlook for export of jute goods and, in the light of the assessment, consider the various suggestions that may be made for sustaining the level of exports. The first Sub-Committee submitted its report in October 1983, wherein it has suggested broad parameters for categorisation of jute mills and measures for rehabilitation of each category. The package of measuures suggested include, the assistance required from the Central Government, State Governments, banks and term lending institutions, Export-Import Bank of India and the industry itself. Banks and financial institutions have already initiated necessary follow-up action regarding categorisation of the mills and establishing their viability. The report of the second Sub-Committee is awaited.

2.158 उर्वरक उद्योग के लिए स्थायी समिति अब तक दो बैठकें कर चुकी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति ने 30 जुलाई 1983 को अपनी दूसरी बैठक आयोजित की। इन बैठकों से रिज़र्व बैंक को उर्वरक उद्योग की समस्याओं का यथार्थवादी मूल्यांकन करने और उनका समाधान खोजने के लिए एक राह मिलती

2.158 The Standing Committee for *Fertilizer Industry* has so far held two meetings. During the year under review, the Committee held its second meeting on July 30, 1983. The meetings enable the Reserve Bank to have a realistic assessment of the problems of the fertilizer industry and also find an ap-

है। स्थायी समिति की दूसरी बैठक में किये गये निर्णय के अनुसरण में दो उप समितियां नियुक्त की गयी हैं। पहली उप समिति का कार्य उर्वरक उद्योग के लिए स्टॉक/प्राप्य मानदण्डों की समीक्षा करना होगा जबकि दूसरी उपसमिति उत्तर प्रदेश और बिहार में किये जाने वाले एक अध्ययन के आधार पर सुदृढ़ वित्तीय स्थिति पर टिकी वितरण प्रणाली में सुधार के लिए उपाय सुझायेगी। उपसमितियों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने उर्वरक निर्माताओं की एक बैठक और साथ ही आयातित उर्वरकों के वितरण में लगी पूल एजेंसियों की दो बैठकें आयोजित कीं।

proach for a solution thereto . In pursuance of the decision taken at the second meeting of the Standing Committee, two Sub-Committees have been appointed. While the first Sub-Committee would review the inventory/receivables norms for the fertilizer industry, the second one would review and suggest remedies for improving the distribution system based on sound financial backing on the basis of a study to be undertaken in Uttar Pradesh and Bihar. The Reports of the sub-committees are awaited. The Reserve Bank also convened during the year a meeting of fertilizer manufacturers as also two meetings of the pool agencies engaged in distribution of imported fertilizers.

बैंककारी विधान और अन्य विनियम

बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983

2.159 बैंककारी विधि (संशोधन) बिल, 1983 जिसमें महत्वपूर्ण प्रावधान थे (जिनका पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था) और बैंकिंग को प्रभावित करने वाले कानूनों, विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 तथा बैंककारी विनियमन (बी. आर.) अधिनियम 1949 में संशोधनों का प्रस्ताव था, दिसम्बर 1983 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था और बिल को राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिये जाने के परिणामस्वरूप यह बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 बन गया है। भारत सरकार ने धारा 6,7,21,26,37 और धारा 42 के खण्ड (v) और (ix) को छोड़कर उक्त अधिनियम के शेष प्रावधानों को 15 फरवरी 84 से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बैंक ने अब उन धाराओं के सम्बंध में आवश्यक नियम बना लिये हैं और ये भारत सरकार के पास उनके विचारार्थ भेजे गये हैं। इन धाराओं से/में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और बैंककारी विनियमन अधिनियम कीनिम्नलिखित धारायें संशोधित/शामिल होंगी।

Banking Legislation and Other Regulations

Banking Laws (Amendment) Act, 1983

2.159 The Banking Laws (Amendment) Bill, 1983 containing important provisions (referred to in the last year's Report) and proposing amendments to the laws affecting banking, mainly the RBI Act, 1934 and the Banking Regulation (BR) Act, 1949, was passed by both the Houses of Parliament in December 1983 and consequent on the President giving his assent to the Bill, it has become the Banking Laws (Amendment) Act, 1983. The Government of India have issued the Notification bringing into force the provisions of the said Act, except sections 6, 7, 21, 26, 37 and clauses (v) and (ix) of section 42 thereof, with effect from February 15, 1984. The Bank has since framed the necessary rules in respect of these sections and they have been forwarded to the Government for their consideration. The above sections amend/incorporate the following sections of the RBI and BR Acts.

अधिनियम का नाम	संशोधन/ शामिल	धारा	
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम	संशोधन	42	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा नकदी प्रारक्षित अनुपात बनाये रखना
,	,,	43	साप्ताहिक विवरणी
बैंककारी विनियमन अधिनियम	,,	18	गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा नकदी प्रारक्षित अनुपात बनाये रखना
,,	,,	24	समस्त बैंकों द्वारा सांविधिक नकदी अनुपात बनाये रखना
,,	शामिल	45 वाई से 45 जेड एफ तक	जमाकर्ताओं, लाकरों तथा सुरक्षा जमारक्षा के किरायेदारों को नामांकन सुविधा
	संशोधन	56 (जे) तथा (क्यू)	सरकारी बैंकों द्वारा नकदी प्रारक्षित अनुपात तथा सांविधिक नकदी अनुपात बनाये रखना

Name of Act	Amendment/ Incorporation	Section	
RBI Act	Amendment	42	Maintenance of CRR by scheduled banks
RBI Act	Amendment	43	Weekly Statement
B.R. Act	Amendment	18	Maintenance of CRR by non-scheduled banks
B.R. Act	Amendment	24	Maintenance of SLR by all banks
B.R. Act	Incorporation	45Y to 45ZF	Nomination facilities to depositors, hirers of lockers and safe custody
B.R. Act	Amendment	56(j) and (q)	Maintenance of CRR and SLR by co-operative banks

राष्ट्रीय कृत बैंकों के निदेशक मंडलों का गठन

2.160 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडलों में अन्यों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार और रिज़र्व बैंक से एक-एक अधिकारी और संबंधित बैंक के कामगार स्टाफ और गैर-कामगार स्टाफ का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशक होते हैं । अन्य निदेशक जमाकर्ताओं, किसानों, कामगारों, शिल्पकारों के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, अथवा उन्हें लेखाकरण, लघु उद्योग आदि का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव होता है । उपर्युक्त सभी नामित निदेशकों का कार्यकाल पहले तीन वर्ष की अवधि (रिज़र्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को छोड़कर) के लिए हुआ करता था, अब राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना 1970/80 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार की इच्छा पर होगा । तदनुसार इस

Composition of the Boards of Directors of Nationalised Banks

2.160 In accordance with the provisions of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80, the Boards of nationalised banks include, *inter alia*, an official each from Central Government and Reserve Bank and two directors, one representing the workmen staff and the other, the non-workmen staff of the respective bank. The other directors represent the interest of depositors, farmers, workers, artisans or they have special knowledge or experience in the field of accountancy, small-scale industries, etc. The term of office of all the above nominated directors, which was earlier for a period of three years (other than the officials of RBI and Central Government) will now be at the pleasure of the Central Government as per the amended pro-

संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने पर 9 कामगार और गैर-कामगार निदेशक अब निदेशक नहीं रहे । सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उपयुक्त कामगार और गैर-कामगार कर्मचारियों को निदेशकों के रूप में नामित करने के लिए कार्य कर रही है* ।

visions of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80. Accordingly, nine workmen and non-workmen directors had ceased to hold office as directors following the notifications issued by the Government in this regard. Government are in the process of nominating suitable workmen and non-workmen employees as directors on the Boards of Public Sector Banks.*

विदेशी बैंकों के स्थानीय सलाहकार बोर्ड

2.161 बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति के अनुसरण में विदेशी बैंकों से कहा गया था कि वे स्थानीय सलाहकार बोर्ड गठित करें क्योंकि उनके प्रबंध मंडल भारत में नहीं हैं । आमतौर पर स्थानीय सलाहकार बोर्डों का गठन सामाजिक नियंत्रण की योजना के अनुरूप होता है जैसा कि भारतीय बैंकों को बोर्डों पर लागू होता है । तदनुसार रिपोर्ट की तारीख के अनुसार भारत में कार्यरत 18 विदेशी बैंक में से 15 ने पहले ही अपने स्थानीय सलाहकार बोर्ड गठित कर लिये हैं और शेष 3 बैंकों को ऐसा करने के लिए यथोचित रूप से सूचित कर दिया गया है । अपने स्थानीय सलाहकार बोर्ड गठित करने के लिए वे कार्रवाई कर रहे हैं ।

Local Advisory Boards of Foreign banks

2.161 In pursuance of the policy of social control over banks, foreign banks were urged to constitute Local Advisory Boards as they did not have Boards of Management in India. The constitution of Local Advisory Boards generally conforms to the scheme of social control as is applied to the Boards of Indian banks. Accordingly, as of date, out of 18 foreign banks operating in India, 15 banks have already constituted their Local Advisory Boards and the remaining three banks have been suitably advised to do so. Steps are being taken by them to constitute their Local Advisory Boards.

2.162 **बैंकों के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति** : निजी क्षेत्र के सभी बैंक (भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित) और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में वैधानिक प्रावधानों का पालन कर रहे हैं । 1983 लेखा-परीक्षा से भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों ने शाखा लेखा परीक्षा की प्रणाली शुरू की है ताकि धीरे-धीरे उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों के अनुरूप बनाया जा सके । बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों

2.162 *Appointment of auditors of banks :* All the banks in the private sector (including foreign banks operating in India) as well as those in the public sector are adhering to the legal provisions regarding appointment of their statutory auditors. The system of branch audit has been introduced in SBI and its subsidiaries from 1983 audit to bring them gradually in line with nationalised banks. In terms of section 10(2) of the

* सरकार ने अब तक 6 राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडलों में 6 गैर कामगार निदेशकों को और 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडलों में 2 कामगार निदेशकों की नियुक्ति किया है

* Government have since appointed six non-workmen directors on the Boards of six nationalised banks and two workmen directors on the Boards of two nationalised banks.

का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 10 (2) के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षक केन्द्र सरकार के परामर्श से रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक (केन्द्रीय और शाखा) लेखा- परीक्षकों को देय इस प्रकार के पारिश्रमिक के वेतन मान में संशोधन पर विचार करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने सरकार के परामर्श से मई 1983 में एक कार्यकारी दल गठित किया जिसमें 5 बैंकों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार का कार्यालय, नाबार्ड और रिज़र्व बैंक तथा सरकार (वित्त मंत्रालय) के प्रतिनिधि शामिल हैं । दल ने हाल ही में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिनकी जांच की जा रही है ।

Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970/80, the statutory auditors of nationalised banks shall receive such remuneration as Reserve Bank may fix in consultation with Central Government. With a view to considering revision of scales of such remuneration payable to the statutory (central and branch) auditors of the public sector banks, the Reserve Bank in consultation with the Government appointed in May 1983, a Working Group consisting of representatives from five banks, Institute of Chartered Accountants of India, Office of the Comptroller and Auditor General of India, NABARD and officials of RBI and Government (Ministry of Finance). The Group has recently submitted its recommendations, which are under examination.

ऋण सूचना योजना

2.163 वर्ष (जुलाई 1983 से अप्रैल 1984) के दौरान उधारकर्ताओं पर ऋण सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न बैंकों से 997 आवेदन प्राप्त हुए थे जबकि पिछले वर्ष 277 आवेदन प्राप्त हुए थे । ऋण सूचना योजना को फिर से उपयोगी बनाने और बैंकों के लिए अपने उधारकर्ताओं के ऋण प्रस्तावों को छांटने के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45 (सी) (1) के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली छमाही विवरणियों के समेकन के लिए प्रणाली में अप्रैल 1984 से महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया । अब बैंकों को रिज़र्व बैंक को केवल ऐसे उधारकर्ताओं के बारे में सूचना देनी होगी जिन्हें 10 लाख रुपये और उससे अधिक की जमानती ऋण सीमायें और 5 लाख रुपये और उससे अधिक की बेजमानती ऋण सीमाएं मंजूर की गयी हैं । पहले ये सीमायें 5 लाख रुपये और 1 लाख रुपये निर्धारित की गयीं थीं ।

Credit Information Scheme

2.163 During the year (July 1983 to June 1984), 997 applications were received from various banks seeking credit information on borrowers as against 277 applications during the previous year. With a view to revitalising the credit information scheme and enhancing its utility to the banks for sorting out credit proposals of their borrowers, a significant change was made from April 1984 in the procedure for compiling the half-yearly returns to be submitted by banks under section 45C(1) of the RBI Act, 1934. Now, banks are required to furnish the Reserve Bank with the information only on such borrowers who have been sanctioned secured credit limits of Rs.10 lakhs and above and unsecured credit limits of Rs.5 lakhs and above as against the limit of Rs.5 lakhs and Rs.1 lakh stipulated earlier.

बैंकों का निरीक्षण

2.164 रिज़र्व बैंक में निहित शक्तियों के अनुसार

Inspection of Banks

2.164 In terms of the powers vested in the

आलोच्य वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों* का निरीक्षण बैंक ही करता रहा है। इस संबंध में हुई प्रगति इस प्रकार है:

Reserve Bank, inspections of commercial banks* continued to be carried out during the period under review. The progress is indicated below.

वार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन एवं वित्तीय निरीक्षण

2.165 वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के 16 बैंकों के वार्षिक मूल्यांकन का कार्य हाथ में लिया गया/पूरा किया गया। उनमें से सरकारी क्षेत्र के 9 बैंकों का दोनों ही प्रयोजनों अर्थात वार्षिक मूल्यांकन और वित्तीय प्राक्कलन के लिए निरीक्षण किया गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वार्षिक मूल्यांकन/निरीक्षण का दूसरा दौर पूरा कर लिया गया है, जबकि तीसरा और चौथा दौर चल रहा है। इस अवधि के दौरान बहरीन (2) ओमान (3) और संयुक्त अरब अमीरात (5) में भारतीय बैंकों के 10 विदेशी कार्यालयों का निरीक्षण हाथ में लिया गया और पूरा किया।

Annual Appraisal and Annual Appraisal-cum-Financial Inspection

2.165 During the year, annual appraisal of 16 public sector banks was taken up/completed. Further, nine public sector banks were inspected for both purposes, i.e. annual appraisal and financial assessment. The second round of annual appraisal/inspection of public sector banks has been completed, while the third and fourth rounds are in progress. Inspections of 10 overseas offices of Indian banks in Bahrain (2), Oman (3) and U.A.E. (5) were also taken up and completed during the period.

वित्तीय निरीक्षण

2.166 सरकारी क्षेत्र के नौ बैंकों जिनका वार्षिक मूल्यांकन और वित्तीय प्राक्कलन दोनों ही प्रयोजनों के लिए निरीक्षण किया गया था, के अतिरिक्त 27 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (अर्थात 8 विदेशी बैंक, निजी क्षेत्र के 19 बैंक) और 3 गैर-अनुसूचित बैंकों के वित्तीय निरीक्षण का कार्य हाथ में लिया गया/पूरा किया गया।

Financial Inspections

2.166 Besides the nine public sector banks which were inspected both for annual appraisal as well as financial assessment purposes, financial inspections of 27 scheduled commercial banks (i.e. eight foreign banks and nineteen private sector banks) and three non-scheduled banks were taken up/completed.

2.167 बैंकों के निरीक्षण के अलावा अनेक जांच कार्य किये गये थे। ये थे (क) छोटे उधारकर्ताओं के आवेदनों पर चुकाये गये दावों का सत्यापन, साथ ही नि. बी. प्र. गा. नि. द्वारा जारी की गयी गारंटियों के अंतर्गत आनेवाले लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों के

2.167 In addition to the inspections of banks, a number of scrutinies were carried out e.g. (a) verification of claims paid on application in respect of small borrowers as also test check inspections of SSI advances covered under guarantees issued by DICGC,

* सितम्बर 1982 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं। वे उस समय नाबार्ड द्वारा ले लिये गये थे।

* Excluding RRBs since September 1982 when they were taken over by NABARD.

जांच निरीक्षणों का परीक्षण तथा (ख) बैंकों/उनके कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों/धोखाधड़ियों/आरोपों की पड़ताल ।

and (b) investigation into various complaints/frauds/allegations against banks/their employees.

बैंकों के निरीक्षण पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट

2.168 वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने वाले कार्यकारी दल की रिपोर्ट 22 अक्तूबर 1983 को बैंक को प्रस्तुत की गयी । इसकी सिफारिशें इन बैंकों के निरीक्षण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के आंतरिक मार्गदर्शन के प्रयोजन के लिए हैं । वाणिज्य बैंकों के निरीक्षण से संबंधित प्रमुख सिफारिशों की जांच से संबंधित एक ज्ञापन दिनांक 26 जून 1984 को केन्द्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किया गया । बोर्ड ने दिनांक 11 जुलाई 1984 की अपनी बैठक में इसका अनुमोदन कर दिया है ।

Working Group Report on Inspection of Banks

2.168 The Report of the Working Group to review the existing system of inspection of commercial banks, RRBs and Urban Co-operative Banks was submitted to the Bank on October 22, 1983. The recommendations are intended for the internal guidance of RBI and NABARD in the matter of inspections of these banks. A Memorandum dated June 26, 1984 examining the major recommendations relating to inspection of commercial banks was submitted to the Central Board and has been approved at their meeting held on July 11, 1984.

वाणिज्य बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना

2.169 वर्ष 1983-84 (जुलाई से जून) के दौरान बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए किसी भी वाणिज्य बैंक को लाइसेंस नहीं दिया गया । लाइसेंस प्राप्त वाणिज्य बैंकों की कुल संख्या 51 (नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को शामिल करते हुए जो शत्रु संपत्ति की अभिरक्षा के अंतर्गत है) पर अपरिवर्तित बनी रही । सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों को भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती । 30 जून 1984 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस के बिना कार्य कर रहे निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) की संख्या 7 पर अपरिवर्तित बनी रही (इसमें हबीब बैंक लि. भी शामिल है, जो शत्रु संपत्ति के अभिरक्षा के अंतर्गत है)।

Licensing of Commercial Banks

2.169 During 1983-84 (July-June), no licence was granted under Section 22 of the B.R. Act, 1949,to any commercial bank for commencing banking business in India. The total number of licensed commercial banks stood at 51 (including National Bank of Pakistan, which is under the Custodian of the Enemy Property). The public sector banks numbering 28 do not require a licence to carry on banking business in India. As on June 30, 1984, the number of commercial banks in the private sector (scheduled and non-scheduled) functioning without a licence under Section 22 of the B.R. Act, 1949, remained unchanged at 7 (including Habib Bank Ltd., which is under the Custodian of the Enemy Property).

2.170 नोवा स्कोशिया बैंक और ओमान अरब अफ्रीकन बैंक (एस. ए. ओ.) को पिछले वर्ष बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस दिये गये थे। ओमान अरब अफ्रीकन बैंक ने अभी तक भारत में बैंकिंग कारोबार शुरू नहीं किया है। नोवा स्कोशिया बैंक ने 14 मई 1984 से भारत में बैंकिंग कारोबार शुरू किया और 31 मई 1984 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में इसे शामिल कर लिया गया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) की कुल संख्या 82 है– जिसमें दो पाकिस्तानी बैंक भी शामिल हैं जो शत्रु संपत्ति की अभिरक्षा के अंतर्गत हैं।

2.170 The Bank of Nova Scotia and the Oman Arab African Bank (S.A.O.) were granted licences under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949, in the previous year. The Oman Arab African Bank (S.A.O.) has not, so far, commenced banking business in India. The Bank of Nova Scotia commenced banking business in India as from May 14, 1984 and was included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 on May 31, 1984. The total number of scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks) stands at 82, including two Pakistani banks, which are under the Custodian of the Enemy Property.

चंदे, विज्ञापन आदि

2.171 बैंकों द्वारा चंदे के लिए आवेदन प्रस्तुत करने को सरल करने के आशय से जून 1982 में बैंकों को आवश्यक ब्योरों का उल्लेख करते हुए फार्मेट भेजा गया था। चंदे के प्रस्तावों की जांच के दौरान हुए अनुभव से यह देखा गया कि यह शर्त कि "चंदे को किसी भी स्थिति में" जमाराशियां जुटाने के प्रयासों के साथ जोड़ा न जाये, बिना किसी अनुवर्ती परिणाम के एक अनुबंध मात्र प्रतीत होती है। अतः फार्मेट में इस आशय की एक नयी मद जोड़ी गयी कि चंदे के लिए आवेदन करते समय बैंक इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें कि इस चंदे का जमाराशि से कोई संबंध नहीं है।

Donations, Advertisements, etc.

2.171 For the purposes of simplifying the submission of applications for donations by banks, a format indicating the essential particulars was sent to banks in June 1982. From the experience gained in examining the donation proposals, it was observed that the condition that "donations should not in any way be linked to the deposit mobilisation efforts" seemed to be merely a stipulation without any follow-up. Hence a fresh item was introduced in the format to the effect that a bank while making a donation application should categorically mention that the donation in question has no deposit linkage.

2.172 पिछले कुछ वर्षों में हुए अनुभव के परिप्रेक्ष्य में और बैंकों द्वारा विभिन्न संस्थाओं को चंदे के रूप में सहायता देने में वृद्धि को देखते हुए स्थिति की जांच की गयी और फरवरी 1984 में बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे कैलेन्डर वर्ष 1984 से भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना कैलेन्डर वर्ष के दौरान अलग-अलग मामलों में रु. 5,000 (अब तक के 2,000 रुपये के बजाये) का चंदा दे सकते हैं। अब

2.172 In the light of the experience gained in the last few years and in the context of increased assistance provided by banks to various institutions by way of donations, the position was reviewed and in February 1984, banks were permitted to make donations without the Reserve Bank's prior approval with effect from the calendar year 1984 onwards upto Rs.5,000 (as against Rs 2,000 hitherto) in individual cases during a calendar

बैंकों को कैलेन्डर वर्ष के दौरान दिये गये सभी चंदों की, जिनमें छूट की श्रेणी में आनेवाले चंदे भी शामिल हैं, समीक्षा करनी होगी और उन्हें बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.

year. A review of all donations made in a calendar year, including those falling under the exempted categories is now required to be made by banks and placed before their Boards.

2.173 बैंकिंग और उससे संबंधित कार्यकलापों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए निधियां जुटाने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से बैंकों को अप्रैल 1984 में सूचित किया गया कि ऐसी निधियों के लिए उनका योगदान किसी भी कैलेन्डर वर्ष में कुल 5 लाख रुपये अथवा पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ के एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) से अधिक नहीं होना चाहिए। अलबत्ता भारतीय स्टेट बैंक के मामले में यह 25 लाख रुपये अथवा एक प्रतिशत जो भी अधिक हो, होगा। निधि/निधियों से होनेवाले चंदे के प्रयोजनों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया।

2.173 In April 1984, with a view to streamlining the procedure for creation of Funds for Research and Development in the field related to banking and allied activities, banks were advised that their contributions to such Funds should not exceed in the aggregate, in any calendar year, Rs.5 lakhs or 1 per cent of the published profits of the preceding year, whichever is higher; in the case of the State Bank of India, however, it would be Rs.25 lakhs or 1 per cent whichever is higher. The purposes for which donations out of the Fund/s could be made were also broadly indicated.

2.174 सभी राज्य सरकारों/ केन्द्रशासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को सूचित किया गया था कि कुछ अर्ध-सरकारी संस्थाओं जैसे राज्य आवास बोर्डों, राज्य विद्युत बोर्डों, और व्ययन/जल निकास बोर्डों, नगर जल निगमों/समितियों आदि, जो ब्याज अदायगी आधार पर बचत बैंक खाता खोलने की पात्र नहीं हैं, ने रिज़र्व बैंक के संबंधित निदेशों का उल्लंघन करते हुए ऐसे खाते खोले हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का कड़ाई से पालन करने का आवश्यकता पर जोर देते हुए इस मामले में सरकार का हस्तक्षेप मांगा गया। सरकार को यह भी सूचित किया गया कि वर्तमान विनियमों के अंतर्गत केवल कुछ विशेष एजेंसियां ही ब्याज अदायगी आधार पर बचत बैंक खाता खोल सकती हैं।

2.174 The Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories were advised that certain quasi-Governmental institutions like the State Housing Boards, State Electricity Boards, Water and Sewerage/Drainage Boards, Municipal Corporations/Committees, etc., which do not qualify for opening of SB A/c on interest payment basis had opened such accounts in violation of the relevant directives of the Reserve Bank. Stressing the need for strict compliance with the directives issued by the RBI, intervention of the Government in the matter was sought. The Government was also informed that under present regulations only certain specified agencies can open SB A/c. on interest payment basis.

बैंक विलयन, परिसमापन और समामेलन

2.175 पिछली रिपोर्ट में बताये गये अनुसार, भारत सरकार ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949,

Bank Mergers, Liquidation and Amalgamation

2.175 As mentioned in the previous Report,

की धारा 45 के अंतर्गत 49 बैंकों के लिए समामेलन योजनाओं की स्वीकृति दी थी। संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार, अंतरिती बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अन्तरणकर्ता बैंकों की संग्रहण आधार पर ली गयी परिसंपत्तियों/समामेलन की तारीख के 6/12 वर्ष की अवधि के बाद अथवा रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इससे पूर्व अवधि के पश्चात अंतिम मूल्यांकन करें। संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार अप्रैल 1983 से पहले 33 बैंकों की परिसंपत्तियों का अंतिम मूल्यांकन पूरा कर लिया गया था। आलोच्य वर्ष के दौरान जांच रिपोर्ट के आधार पर 12 बैंकों की परिसंपत्तियों का अंतिम मूल्यांकन संबंधी विषय पर संबंधित अंतरिती बैंकों के साथ कार्रवाई की गयी। दो बैंकों के मामले में अंतरिती बैंकों से अंतिम मूल्यांकन विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं और उनके साथ मामले पर कार्रवाई हो रही है। जबकि दो अन्य बैंकों के संबंध में, भारत सरकार द्वारा अंतिम मूल्यांकन की अवधि में बढ़ोतरी की गयी है।

the Government of India had sanctioned schemes of amalgamation under Section 45 of the B.R. Act, 1949, in respect of 49 banks. In terms of the provisions of the relative schemes, the transferee banks are required to make the final valuation of the assets of the transferor banks taken over on collection basis after a period of 6/12 years from the dates of amalgamation or such earlier period as might be sanctioned by the Government of India in consultation with the Reserve Bank. The final valuation of the assets of 33 banks as provided in the relative schemes was completed prior to April 1983. During the period under review, the matter with regard to the final valuation of the assets of 12 banks on the basis of scrutiny report was pursued with the concerned transferee banks. The final valuation statements in respect of two banks have not been received from the transferee banks and the matter is being pursued with them, while in regard to two other banks, extension of time for the final valuation has been granted by the Government of India.

परिसमापन

2.176 वर्ष के दौरान परिसमापन कार्यवाहियां पूरी होने पर 10 बैंकों* को बंद कर दिया गया। इनमें वे दो बैंक भी शामिल हैं जो पहले बंद कर दिये गये थे, किन्तु उनके संबंध में सूचनाएं वर्ष के दौरान प्राप्त हुई थीं। 30 जून 1984 की स्थिति के अनुसार परिसमापन के अंतर्गत शेष 151 बैंकों के संबंध में परिसमापन कार्यवाहियां शीघ्र पूरी करने के मामले पर शासन/कोर्ट परिसमापकों के साथ कार्रवाई की जा रही है।

Liquidation

2.176 On completion of the liquidation proceedings, 10 banks* were dissolved during the year. These include two banks which were dissolved during the earlier period but the advices in respect of which were received during the year. The matter with regard to the early completion of the liquidation proceedings in respect of the remaining 151 banks under liquidation as on June 30, 1984, is being pursued with the Official/Court Liquidators.

---

(1)द अग्रवाल बैंक लि.,(2) पूर्नलदेश बंधु बैंक लि., (3) इंडिया पब्लिक बैंक. लि., (4) दार्जिलिंग बैंक. लि., (5) अन्नामलै नेशनल बैंक. लि., (6) चितलदुर्ग बैंक लि., (7) हैदराबाद बैंक. लि., (8) कूचबिहार बैंक. लि., (9) बंगाल क्रेडिट बैंक लि. तथा (10) सत्यनारायण बैंक. लि.।

* 1) The Agarwal Bank Ltd., 2) Purnal Deshbandhu Bank Ltd. 3) India Public Bank Ltd., 4) Darjeeling Bank Ltd., 5) The Anaimalai National Bank Ltd., 6) Chitaldurg Bank Ltd., 7) Hyderabad Bank Ltd., 8) Cooch Behar Bank Ltd., 9) Bengal Credit Bank Ltd., and 10) Satnarayan Bank Ltd.

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना

2.177 आलोच्य अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी रहे । इस संबंध में वर्ष 1983 के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया एक समयबद्ध वार्षिक कार्यक्रम बैंकों के बीच परिचालित किया गया और समय-समय पर कार्यान्वयन रिपोर्टें प्राप्त की गयीं ।

2.178 कार्यान्वयन रिपोर्टों के अध्ययन से यह पता चला कि हिन्दी में पत्राचार करने, हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजने, द्विभाषिक/त्रिभाषिक साइन बोर्डों, नाम पट्टों के प्रदर्शन में और अधिक प्रगति की गयी है । अन्य क्षेत्रों, विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियों और अखिल भारतीय स्तर की सार्वजनिक सूचनाओं, निविदा सूचनाओं, करार, निविदा फार्मों, सामान्य आदेशों, लाइसेंसों में हिन्दी का प्रयोग करने और हिन्दी में लिखे हुए चेक और ड्राफ्ट स्वीकार करने पर विशेष ध्यान दिया गया । बैंकों ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों और तुलन पत्रों, साथ ही बैंकिंग के प्रयोग में आनेवाले अधिकांश फार्मों को द्विभाषिक रूप से छपवाना जारी रखा । कुछ बैंकों ने राजभाषा नियमावली के नियम 10 (4) के अंतर्गत अपनी उन शाखाओं के नाम अधिसूचित किये हैं जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं । कुछ बैंकों ने हिन्दी को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अपने आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए राजभाषा शील्ड भी शुरू की है ।

2.179 रिज़र्व बैंक, सरकार द्वारा गठित विभिन्न हिन्दी समितियों के कार्य देखता है । हाल ही में, सरकारी क्षेत्र के बैकों से संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी

Promotion of use of Hindi in Public Sector Banks

2.177 During the period under review, public sector banks continued their efforts for the progressive use of Hindi in their official work. A time-bound annual programme for the year 1983 prepared by the Government of India was circulated among the banks and implementation reports were obtained at intervals.

2.178 A study of the implementation reports revealed that further progress was made by banks in originating correspondence in Hindi, in sending replies to letters received in Hindi and in display of bilingual/trilingual sign-boards, name plates, etc. The use of Hindi in other areas like advertisements, press communiques, and public notices, meant for all-India coverage, issue of tender notices, agreements, tender forms, general orders, licences, acceptance of cheques and drafts in Hindi also received special attention. Banks continued to print their annual reports and balance sheets bilingually in addition to most of the forms in use. Some of the banks have notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules the names of their branches having 80 per cent of their employees possessing working knowledge of Hindi. A few banks have also introduced Rajbhasha shields for competition among their Zonal/Regional offices to encourage greater use of Hindi in them.

2.179 The Reserve Bank attends to the work of various Hindi Committees set up by the Government. Recently, a detailed report pertaining to public sector banks was submitted to the Hindi Salahkar Samiti of the

थी। इसके अलावा रिज़र्व बैंक, बैंकों में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित लोकसभा/राज्यसभा प्रश्नों के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करता रहा।

Ministry of Finance. In addition to this, the Bank continued to supply necessary material for Lok Sabha/Rajya Sabha questions regarding the use of Hindi in the nationalised banks.

2.180 हिन्दी के प्रयोग के बढ़ावा देने के लिए बैंक ने समय-समय पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विभिन्न निर्देश जारी किये हैं। सदस्य बैंकों की सिफारिश के अनुसार, बैंकों में हिन्दी के प्रयोग के लिए अनुदेशों का सार रिज़र्व बैंक में संकलित किया गया और द्विभाषिक (हिन्दी-अंग्रेजी) रूप में मुद्रित कर बैंकों को भेजा गया। यह संकलन हिन्दी के प्रयोग के संबंध में जारी अनुदेशों के कार्यान्वयन के लिए "सुलभ संदर्भ" के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

2.180 The Bank has issued various instructions to public sector banks from time to time for the progressive use of Hindi. As recommended by the member banks, the 'Compendium of Instructions' regarding use of Hindi in the banks was compiled in the Reserve Bank and printed in diglot form (Hindi-English) and was sent to the banks. This will serve as a ready reference to them for the implementation of the instructions issued regarding use of Hindi.

2.181 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक उप समिति गठित की गयी। इस उप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इस रिपोर्ट की प्रतियां सभी बैंकों को भेजी गयी हैं। बैंकों में हिन्दी के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। यह कार्यकारी दल सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इस्तेमाल के लिए विशेष कर जनता के संपर्क में आनेवाले विषयों पर फार्मों, पत्राचारों आदि का सार तैयार करेगा और उसे अंतिम रूप देगा।

2.181 To impart training in Hindi to the employees of public sector banks, a subcommittee was set up to consider the various aspects of this issue. The sub-committee has submitted its Report and the copies of the Report have been sent to all banks. With a view to facilitating the use of Hindi in banks, a Working Group has been set up to finalise and prepare a compendium of forms, correspondence, etc. for use in the public sector banks, especially at the points of contact with the public.

परिशिष्ट I

21 अक्तूबर, 1983 से लागू ब्याज दर का स्वरूप

अग्रिमों की श्रेणी	ब्याज दर (ब्याज कर-सहित) वार्षिक प्रतिशत	
	21 अक्तूबर 1983 से पूर्व	21 अक्तूबर 1983 से लागू
I. सार्वजनिक वसूली और वितरण एजेंसियां		
1 1. भारतीय खाद्य निगम/पूर्ण मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम की एजेंसियों के रूप में कार्यरत राज्य सरकारों की एजेंसियां, जहां बिक्री सरकार द्वारा अनुमोदित दुकानों के माध्यम से निश्चित दरों पर की जाती है।	12.50	12.50
2 (i) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित दुकानों के माध्यम से निश्चित दरों पर बिक्री के लिए निर्दिष्ट अत्यावश्यक उपभोक्ता पण्यों की वसूली/वितरण का कार्य सौंपा गया है, ये पण्य हैं दालें, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, नमक और चीनी।	15.00	15.00
(ii) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित मूल्य पर दालों और तिलहनों की खरीद का कार्य सौंपा गया है	15.00	15.00
3 3. (i) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें उपर्युक्त श्रेणी (i) में निर्दिष्ट पण्यों से इतर अत्यावश्यक उपभोक्ता पण्यों की वसूली और वितरण का कार्य सौंपा गया है।	16.50	16.50
(ii) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें उन स्थानों पर नकदी फसलों की वसूली का कार्य सौंपा गया है जहां मूल्य समर्थन दिया जाता है।	16.50	16.50
(iii) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें उर्वरकों, कीटनाशी दवाइयों और बीजों की वसूली और वितरण का कार्य सौंपा गया है।	16.50	16.50
4 4 केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें वाणिज्य आधार पर बिक्री के लिए पण्यों की वसूली और वितरण का कार्य सौंपा गया है	18.00 से अनधिक	18.00 से अनधिक
II. न्यूनतम उधार दरें		
(चयनात्मक ऋण नियंत्रण की सीमा के भीतर आनेवाले पण्यों के लिए)		
(i) चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन पण्यों की जमानत पर दिये जानेवाले ऋण/अग्रिम/नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट	18.00	18.00
(ii) सभी स्टाकों के संदर्भ में चीनी मिलें	17.50	16.50
III. निर्यात		
1. पोतलदानपूर्व ऋण		
(क) निर्दिष्ट मध्यम और भारी इंजीनियरी वस्तुएं और भवन निर्माण संबंधी संविदाएं—		
(i) 180 दिन तक	12.00	12.00
(ii) 180 दिन के बाद और 270 दिन तक	14.50	14.50
(ख) दूसरी निर्दिष्ट वस्तुएं (अर्थात कालीन, चमड़े की वस्तुएं, नारियल के रेशे, काजू, तम्बाकू आदि) 180 दिन तक	12.00	12.00
(ग) दूसरी वस्तुएं और परामर्शी सेवाएं		
(i) 90 दिन तक	12.00	12.00
(ii) 90 दिन के बाद और 135 दिन तक	14.50	14.50
(घ) निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी के अंतर्गत आनेवाले नकदी प्रोत्साहन आदि पर (90 दिनों तक)	12.00	12.00

APPENDIX I

INTEREST RATE STRUCTURE EFFECTIVE FROM OCTOBER 21, 1983

Category of advances	Rate of interest (inclusive of interest tax) per cent per annum	
	Prior to October 21, 1983	Effective October 21, 1983
I. Public Procurement and Distribution Agencies		
1. FCI, State Governments agencies acting as agencies of FCI for procurement of foodgrains under full price support scheme, where the sales are at fixed prices through Government approved outlets.	12.50	12.50
2. i) Advances to Central and State Government agencies entrusted with procurement/distribution of specified essential consumer commodities for sale at fixed price through Government approved outlets, the commodities being pulses, edible oils, kerosene, salt and sugar.	15.00	15.00
ii) Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement of pulses and oilseeds at support prices fixed by the Central Government.	–	15.00
3. i) Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement and distribution of essential consumer commodities other than those specified in category 2 (i) above.	16.50	16.50
ii) Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement of cash crops where there is an element of price support.	16.50	16.50
iii) Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement and distribution of fertilisers, pesticides and seeds.	16.50	16.50
4. Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement and distribution of commodities for sale on a commercial basis.	Not exceeding 18.00	Not exceeding 18.00
II. Minimum Lending Rate *(for commodities coming within the purview of selective credit control)*		
i) Loans/advances/cash credit/overdrafts against commodities subject to selective credit control.	18.00	18.00
ii) Sugar mills in respect of all stocks.	16.50	16.50
III. Exports		
1. *Pre-shipment Credit*		
(a) Specified medium and heavy engineering goods and construction contracts —		
i) upto 180 days	12.00	12.00
ii) beyond 180 days and upto 270 days	14.50	14.50
(b) Other specified goods (e.g. carpets, leather manufactures, coir, cashew, tobacco, etc.) upto 180 days.	12.00	12.00
(c) Other goods and consultancy services		
i) upto 90 days	12.00	12.00
ii) beyond 90 days and upto 135 days	14.50	14.50
(d) Against cash incentives etc, covered by ECGC guarantee (upto 90 days)	12.00	12.00

अग्रिमों की श्रेणी	21 अक्तूबर 1983 से पूर्व	21 अक्तूबर 1983 से लागू
2. पोतलदानोत्तर ऋण		
i) मांग बिल-पारवहन अवधि के लिए (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा निर्दिष्ट प्रकार से)	12.00	12.00
ii) मीयादी बिल-180 दिन तक जिसमें निर्यात बिलों की मीयाद, भारतीय विदेशी-मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा निर्दिष्ट प्रकार से पारवहन अवधि और अनुग्रह अवधि (जहां लागू हो) शामिल है।	12.00	12.00
iii) निर्यात ऋण और गारंटी निगम की निर्यात उत्पादन वित्त गारंटी के अंतर्गत प्राप्य नकदी प्रोत्साहन, शुल्क वापसी आदि (90 दिन तक)	12.00	12.00
iv) निकाली न गयी जमा रकम (90 दिन तक)	12.00	12.00
v) पोतलदान की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय प्रतिधारण धन (केवल आपूर्ति के अंश के लिए) की जमानत पर (90 दिनों तक)	12.00	12.00
3. आस्थगित ऋण		
एक वर्ष के बाद की अवधि के लिए आस्थगित ऋण	8.65	8.65
4. शुल्क-वापसी ऋण योजना, 1976		
सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनंतिम रूप से प्रमाणित शुल्क वापसी पर (90 दिन तक)	ब्याज मुक्त	ब्याज मुक्त
5. अन्यथा निर्दिष्ट न किये गये निर्यात ऋण	16.50 से अनधिक	16.50 से अनधिक
IV. कृषि (प्रत्यक्ष वित्त)@		
अ1) कृषकों को दिये जानेवाले अल्पावधि ऋण		
(क) 5,000 रु. तक	11.50	11.50
(ख) 5,000 रु. से अधिक और 10,000 रु. तक (ग) 10,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक	14.00 से अनधिक	14.00 से अनधिक
(घ) 25,000 रु. से अधिक	16.50 से अनधिक	16.50 से अनधिक
अ2) बीज उत्पादन तथा वितरण दोनों में लगी इकाइयां	14.00	14.00
आ1) कृषि (परोक्ष वित्त)		
(प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों/बड़े आकारवाली बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से दिये जानेवाले)*		
(क) 5,000 रु. तक	9.00 से अनधिक	9.00 से अनधिक
(ख) 5,000 रु. से अधिक और 10,000 रु. से कम (ग) 10,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक	11.50 से अनधिक	11.50 से अनधिक
(घ) 25,000 रु. से अधिक	14.00 से अनधिक	14.00 से अनधिक
आ2) उर्वरकों के वितरण में लगे खुदरा व्यापारी		
(क) 5,000 रु. तक	11.50	11.50
(ख) 5,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक	14.00 से अनधिक	14.00 से अनधिक
(ग) 25,000 रु. से अधिक	16.50 से अनधिक	16.50 से अनधिक
V. लघु उद्योग		
1. 25,000 रु. तक के संमिश्र ऋण		
(क) पिछड़े क्षेत्र	10.00	10.00
(ख) दूसरे क्षेत्र	12.00	12.00

@ बैंकों से समितियों को दिये जानेवाले ऋणों पर लागू। इसी प्रकार समितियों द्वारा अंतिम ऋणकर्ता से ली जानेवाली दरें वहीं हैं (पिछली दरें कोष्ठकों में दी गई हैं) : (क) 11.50 से अनधिक (11.50); (ख) उसी क्षेत्र की सहकारी समितियों द्वारा ली जानेवाली दरों के समान परंतु 12.50 (14.00) से अनधिक; (ग) उसी क्षेत्र की सहकारी समितियों द्वारा ली जानेवाली दरों के समान परंतु 16.50 से अनधिक (16.50)

Category of advances	Prior to October 21, 1983	Effective October 21, 1983
2. *Post-shipment Credit*		
i) Demand bills – for transit period (as specified by FEDAI)	12.00	12.00
ii) Usance bills – upto 180 days comprising usance period of the export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period wherever applicable	12.00	12.00
iii) Cash incentives, duty draw-back, etc. receivable, covered by export production finance guarantee of ECGC (upto 90 days)	12.00	12.00
iv) Undrawn balances (upto 90 days)	12.00	12.00
v) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	12.00	12.00
3. *Deferred Credit*		
Deferred Credit for period beyond one year	8.65	8.65
4. *Duty Draw-back Credit Scheme, 1976*: Against duty draw-back as provisionally certified by the Customs Authorities (upto 90 days)	Free of interest	Free of interest
5. *Export Credit not otherwise specified*	Not exceeding 16.50	Not exceeding 16.50
IV. Agriculture (Direct Finance)		
A1) Short-term loans to farmers :		
(a) Upto Rs.5,000	11.50	11.50
(b) Over Rs.5,000 and upto Rs.10,000	Not exceeding 14.00	12.50
(c) Over Rs.10,000 and upto Rs.25,000	Not exceeding 14.00	Not exceeding 14.00
(d) Above Rs.25,000	Not exceeding 16.50	Not exceeding 16.50
A2) *Units engaged in both production and distribution of seeds*	14.00	14.00
Agriculture		
B1) *Indirect Finance* £ (given through PACS/FSS/LAMPS)		
(a) Upto Rs.5,000	Not exceeding 9.00	Not exceeding 9.00
(b) Over Rs.5,000 and upto Rs.10,000	Not exceeding 11.50	Not exceeding 10.00
(c) Over Rs.10,000 and upto Rs.25,000	Not exceeding 11.50	Not exceeding 11.50
(d) Above Rs.25,000	Not exceeding 14.00	Not exceeding 14.00
B2) *Retail traders engaged in distribution of fertilisers*		
(a) Upto Rs.5,000	11.50	11.50
(b) Over Rs.5,000 and upto Rs.25,000	Not exceeding 14.00	Not exceeding 14.00
(c) Over Rs.25,000	Not exceeding 16.50	Not exceeding 16.50
V. Small-scale Industry		
1. Composite loans upto Rs.25,000		
(a) Backward areas	10.00	10.00
(b) Other areas	12.00	12.00

£ Applicable for loans from banks to societies. The rates to be charged by the societies to the ultimate borrower in the same order are (previous rates in brackets): (a) not exceeding 11.50(11.50); (b) Same rate as charged by co-operatives in the area but not exceeding 12.50(14.00); (c) Same rate as charged by co-operatives in the area but not exceeding 14.00; (d) Same rate as charged by co-operatives in the area but not exceeding 16.50 (16.50).

अग्रिमों की श्रेणी	21 अक्तूबर 1983 से पूर्व	21 अक्तूबर 1983 से लागू
2. निम्नलिखित सीमाओं के अल्पावधि अग्रिम :		
(क) 2 लाख रुपये-सहित और 2 लाख रुपये तक	14.00 से अनधिक	14.00 से अनधिक
(ख) 2 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक	16.50 से अनधिक	16.50 से अनधिक
(ग) 25 लाख रुपये से अधिक	18.00 से अनधिक	18.00 से अनधिक
3. कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों (निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति और/अथवा हिताधिकारियों के उत्पादनों के विपणन के प्रयोजनार्थ) के सहायतार्थ राज्य स्तरीय निगमों को अग्रिम	12.50	12.50
4. राज्य-प्रायोजित अनुसूचित जातियों/अनु जनजातियों विकास निगमों को (निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति और/अथवा हिताधिकारियों के उत्पादनों के विपणन के प्रयोजनार्थ) अग्रिम	12.50	12.50
VI. दूसरी श्रेणियां		
1. विभेदक ब्याज दर अग्रिम	4.00	4.00
2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्तियों और व्यवसायी तथा स्वनियोजित महिलाओं को अग्रिम (मीयादी ऋणों के अलावा)	14.00	14.00
3. फुटकर व्यापार अग्रिम		
(क) 5,000 रु. सहित और 5,000 रु. तक	12.50	12.50
(ख) 5,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक	15.00 से अनधिक	15.00 से अनधिक
(ग) 25,000 रु. से अधिक	18.00 से अनधिक	18.00 से अनधिक
4. शैक्षिक अग्रिम		
(क) भारत में उच्च अध्ययन के प्रयोजन के लिए निर्धन विद्यार्थी	बैंक दर से कम नहीं	बैंक दर से कम नहीं
(ख) दूसरे शैक्षिक अग्रिम	14.00- 16.50	14.00-16.50
5. अन्यथा निर्दिष्ट न किये गये प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	-16.50 से अनधिक	16.50 से अनधिक
6. दूसरे समस्त अग्रिम	18.00 से अनधिक	18.00 से अनधिक
VII. मीयादी ऋण		
1. लघु उद्योग (लघु उद्योग की नयी परिभाषा के अनुसार यूनिटें)		
(क) पिछड़े क्षेत्र	12.50	12.50
(ख) दूसरे कृषक	13.50	13.50
2. अ. कृषि (प्रत्यक्ष वित्त)		
(i) लघु सिंचाई और भूमि विकास	10.00	10.00
(ii) दूसरे प्रयोजन		
(क) लघु कृषक	10.00	10.00
(ख) दूसरे कृषक	12.50	12.50
आ. कृषि (परोक्ष वित्त) * (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बड़े आकारवाली बहुउद्देशीय समितियों/कृषक सेवा समितियों के माध्यम से दिये गये)		
(i) लघु सिंचाई और भूमि विकास	8.50	8.50

Category of advances	Prior to October 21, 1983	Effective October 21, 1983
2. Short-term advances, limits of:		
(a) Upto and inclusive of Rs.2 lakhs	Not exceeding 14.00	Not exceeding 14.00
(b) Over Rs.2 lakhs and upto Rs.25 lakhs	Not exceeding 16.50	Not exceeding 16.50
(c) Above Rs.25 lakhs	Not exceeding 18.00	Not exceeding 18.00
3. Advances to State-level corporations for assisting artisans, village and cottage industries (for the purpose of purchase and supply of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries)	12.50	12.50
4. Advances to State-sponsored scheduled castes/scheduled tribes development corporations (for the purpose of purchase and supply of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries)	12.50	12.50
VI. Other Categories		
1. DRI advances	4.00	4.00
2. Professionals and self-employed persons belonging to SC/ST and professional and self-employed women (other than term loans)	14.00	14.00
3. Retail trade advances		
(a) Limits upto and inclusive of Rs.5,000	12.50	12.50
(b) Over Rs.5,000 and upto Rs.25,000	Not exceeding 15.00	Not exceeding 15.00
(c) Above Rs.25,000	Not exceeding 18.00	Not exceeding 18.00
4. Educational advances		
(a) Indigent students for purpose of higher education in India	Not less than Bank Rate	Not less than Bank Rate
(b) Other educational advances	14.00–16.50	14.00 – 16.50
5. Priority sector not otherwise specified	Not exceeding 16.50	Not exceeding 16.50
6. All other advances	Not exceeding 18.00	Not exceeding 18.00
VII. Term Loans		
1. *Small-scale Industry* (Units as in the new definition of SSI)		
(a) Backward areas	12.50	12.50
(b) Other areas	13.50	13.50
2. A. *Agriculture* (Direct Finance)		
i) Minor irrigation and land development	10.00	10.00
ii) Other purposes		
(a) Small farmers	10.00	10.00
(b) Other farmers	12.50	12.50
iii) Diversified purposes (as defined by NABARD)		
(a) To small farmers	8.50	8.50
(b) To other farmers	11.00	11.00
B. *Agriculture* (Indirect Finance)* (given through PACS/LAMPS/FSS)		
i) Minor irrigation and land development	8.50	8.50

* Applicable for loans from banks to societies. The rates to be charged to the ultimate borrowers are the same as in the case of VII.2A, i.e. Agriculture (Direct Finance).

अग्रिमों की श्रेणी	21 अक्तूबर 1983 से पूर्व	21 अक्तूबर 1983 से लागू
(ii) विविध प्रयोजन (नाबार्ड द्वारा यथापरिभाषित)		
(क) लघु कृषकों को	8.50	8.50
(ख) दूसरों कृषकों को	11.00	11.00
3. गृह निर्माण		
(i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 5,000 रु. सहित और 5,000 रु. तक	4.00	4.00
(ii) दूसरों को 5,000 रु. सहित और 5,000 रु. तक	12.50	12.50
(iii) 5,000 रु. से अधिक और 50,000 रु. तक	13.50	13.50
(iv) 50,000 रु. से अधिक	15.00	15.00
4. सड़क परिवहन चालक		
(i) एक वाहन	12.50	
( ) दो वाहन तक	12.50	
(ii) दो या अधिक वाहन	15.00	
( ) तीन या अधिक वाहन	15.00	
5. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्तियों तथा व्यवसायी और स्वनियोजित महिलाएं (मीयादी ऋण)	13.50	13.50
6. अन्य सभी मीयादी ऋण	15.00	15.00

* बैंकों से समितियों को दिये जानेवाले ऋणों पर लागू। अंतिम उधारकर्ता से ली जानेवाली दर VII2अ कृषि (प्रत्यक्ष वित्त) जैसी है।

Category of advances	Prior to October 21, 1983	Effective October 21, 1983
ii) Diversified purposes (as defined by NABARD)		
(a) To small farmers	8.50	8.50
(b) To other farmers	11.00	11.00
3. *Housing*		
i) SC/ST upto and inclusive of Rs.5,000	4.00	4.00
ii) Others upto and inclusive of Rs.5,000	12.50	12.50
iii) Over Rs.5,000 and upto Rs.50,000	13.50	13.50
iv) Above Rs.50,000	15.00	15.00
4. *Road Transport Operators*		
i) Single vehicle	12.50	
ii) Upto two vehicles		12.50
iii) Two or more vehicles	15.00	
iv) Three or more vehicles		15.00
5. *Professionals and self-employed persons belonging to SC/ST and professionals and self-employed women (term loans)*	13.50	13.50
6. *All other term loans*	15.00	15.00

परिशिष्ट II

रिज़र्व बैंक की प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत तार अंतरणों, बैंक ड्राफ्टों और डाक अंतरणों की दरें

I. सामान्य जनता के लिए

सामान्य जनता के सदस्य और अन्य पार्टियां बैंक कार्यालयों, एजेन्सियों और ट्रेजरी एजेन्सियों के माध्यम से ड्राफ्टों तथा तार अंतरणों द्वारा तथा एजेन्सियों पर रखे गये खातों के बीच डाक अंतरणों द्वारा भी नीचे दर्शाये अनुसार निधियां प्रेषित कर सकते हैं :

5,000 रु. तक = 12 पै. %; ड्राफ्ट तथा डाक अंतरण के लिए न्यूनतम 25 पै. और तार अंतरण के लिए 1 रु. (इसमें तार प्रभार शामिल नहीं हैं)
5,000 रु. से अधिक = 6 पै. %; न्यूनतम 6 रु.।

II. बैंकिंग संस्थाओं के लिए

बैंकिंग संस्थाएं रिजर्व बैंक के कार्यालयों और एजेन्सियों के माध्यम से तार अंतरणों, डाक अंतरणों या ड्राफ्टों द्वारा नीचे दर्शाये अनुसार निधियां प्रेषित कर सकती हैं :

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर	राशियों के संबंध में सीमा	प्रेषणों की आवृत्ति	टिप्पणी
	1	2	3	4
(अ) अनुसूचित बैंक				
1. रिजर्व बैंक कार्यालयों में रखे खातों के बीच	सममूल्य पर	50,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 10,000 रु. के गुणजों में	कोई सीमा नहीं	
2. (क) किसी एजेंसी कार्यालय से रिजर्व बैंक के पास रखे खाते में	सममूल्य पर	25,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में चार बार	अनुसूचित बैंक कार्यालयों, शाखाओं, उप-कार्यालयों या भुगतान कार्यालयों में से प्रत्येक को प्रेषण की अनुमति है, किंतु यह पिछले स्तंभों में दी गयी शर्तों के अधीन होगी।
(ख) रिजर्व बैंक के पास रखे खाते से किसी एजेंसी कार्यालय में	सममूल्य पर	—वही—	एक सप्ताह में पंद्रह बार	
3. किसी एजेंसी कार्यालय से रिज़र्व बैंक में रखे उसके खाते में किये गये दूसरे प्रेषण	प्रीमियम पर- 2 पैसे % न्यूनतम 1 रु.	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	
4. निम्नलिखित के पक्ष में किये गये दूसरे प्रेषण :				
(क) स्वयं या किसी वाणिज्य या सहकारी बैंक या किसी सहकारी समिति	5,000 रु. तक 3 पैसे % न्यूनतम 1* रु 5,000 रु. से अधिक 2 पैसे % न्यूनतम 1.50 रु.	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	
(ख) दूसरी पार्टियां	5,000 रु. तक 6 पैसे % न्यूनतम 1 रु.* 5,000 रु. से अधिक 3 पैसे % न्यूनतम 3 रु	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	
(आ) गैर-अनुसूचित बैंक				
1. रिजर्व बैंक के कार्यालयों में रखे खातों के बीच	सममूल्य पर	20,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	कोई सीमा नहीं	
2. (i) किसी एजेंसी कार्यालय से रिजर्व बैंक के पास रखे खाते में	सममूल्य पर	10,000 के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में चार बार	अनुसूचित बैंक कार्यालयों, शाखाओं, उपकार्यालयों, या भुगतान कार्यालयों में से प्रत्येक को प्रेषण की अनुमति है, किन्तु यह पिछले स्तंभों में दी गयी शर्तों के अधीन होगी।

* छोटी राशियों के लिए ड्राफ्ट 12 पै. न्यूनतम 0.25 रु.

APPENDIX II

RATES FOR TELEGRAPHIC TRANSFERS, BANK DRAFTS AND MAIL TRANSFERS UNDER THE RESERVE BANK'S REMITTANCE FACILITIES SCHEME.

I. For General Public

Members of the general public and other parties may remit funds by drafts and telegraphic transfers through offices of the Bank, agencies and treasury agencies and also by mail transfers between accounts maintained at agencies as indicated below:

Upto Rs. 5,000 = 12 P %; Minimum 25 P for drafts and mail transfers and Re. 1 for telegraphic transfers (excluding telegram charges)

Over Rs.5,000 = 6 P %; Minimum Rs.6.

II. For Banking Institutions

Banking institutions may remit funds by telegraphic transfers, mail transfers or drafts through offices of the Bank and agencies as detailed below.

		Whether at par or at premium	Limits on amounts	Frequency of remittances	Remarks
(A)	SCHEDULED BANKS				
1.	Between accounts at RBI offices	At par	In multiples of Rs.10,000, subject to a minium of Rs. 50,000.	No limit	—
2.	(a) From an agency office to an account maintained with RBI	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 25,000.	Four times a week	Remittances are permitted to each of the scheduled bank offices, branches, sub-offices or pay offices, subject to the conditions specified in the preceding columns.
	(b) From an account with RBI to an an agency office	At par	-do-	Fifteen times a week	—
3.	Other remittances to its account with RBI from an agency office.	At premium– 2 P %; minimum Re. 1	No limit	No limit	—
4.	Other remittances favouring–				
	(a) Themselves or a commercial or co-operative bank or a co-operative society	Upto Rs. 5,000–3 P % minimum Re. 1* Over Rs. 5,000–2 P % minimum Rs. 1.50	-do-	-do-	—
	(b) Other parties	Upto Rs. 5,000–6 P %; minimum Re. 1* Over Rs. 5,000–3 P%; minimum Rs. 3	-do-	-do–	—
(B)	NON-SCHEDULED BANKS				
1.	Between accounts at RBI offices	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 20,000.	No limit	—
2.	(i) From an agency office to an account maintained with the RBI	At par	In multiples of Rs.5,000, subject to a minimum of Rs.10,000.	Four times a week	Remittances are permitted to each of the non-scheduled bank offices, branches, sub-offices or pay offices, subject to the conditions specified in the preceding columns.

* Drafts for small amounts at 12P%; minimum Re. 0.25.

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर	राशियों के संबंध में सीमा	प्रेषणों की आवृत्ति	टिप्पणी
	1	2	3	4
(ii) रिजर्व बैंक के पास रखे खाते से किसी एजेंसी कार्यालय में	सममूल्य पर	10,000 के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में पंद्रह बार	
3. निम्नलिखित के पक्ष में किये गये दूसरे प्रेषण :				
(क) स्वयं को	प्रीमियम पर	5,000 रु. तक 3 पैसे % न्यूनतम 1 रु.* 5,000 रु. से अधिक 2 पैसे % न्यूनतम 1.50 रु.	—	—
(ख) तीसरी पार्टियां	प्रीमियम पर	5,000 रु. तक 6 पैसे % न्यूनतम 1 रु.* 5,000 रु. से अधिक 3 पैसे % न्यूनतम 3 रु.	—	—
इ. राज्य सहकारी बैंक				
1. रिजर्व बैंक के कार्यालयों में रखे खातों के बीच	सममूल्य पर	50,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 10,000 रु. के गुणजों में	कोई सीमा नहीं	किन्हीं दो राज्य सहकारी बैंकों के खातों के बीच भी प्रेषणों की अनुमति है।
2. (i) किसी एजेंसी कार्यालय से : (क) रिजर्व बैंक के पास रखे किसी खाते में (ख) किसी एजेंसी कार्यालय के पास रखे राज्य सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय के खाते में	सममूल्य पर	25,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में चार बार	मध्यवर्ती और औद्योगिक सहकारी बैंकों को उन राज्य सहकारी बैंकों की शाखाओं के रूप में माना गया है जिनके साथ वे इन सुविधाओं के प्रयोजन के लिए संबद्ध किये गये हैं।
(ii) रिजर्व बैंक के पास रखे किसी खाते से किसी एजेंसी कार्यालय में	सममूल्य पर	25,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में पंद्रह बार	राज्य सहकारी बैंक देश के केन्द्रों में स्थित अपनी शाखाओं को एक सप्ताह में कुल मिलाकर केवल 15 प्रेषण कर सकता है, न की अपनी प्रत्येक शाखा को 15 प्रेषण।
3. किसी एजेंसी कार्यालय से उसके द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखे खाते में किये जानेवाले दूसरे प्रेषण	प्रीमियम पर	2 पैसे % न्यूनतम 1 रु.	कोई सीमा नहीं	—

APPENDIX II *(continued)*

	Whether at par or at premium	Limits on amounts	Frequency of remittances	Remarks
(ii) From an account with the RBI to an agency office	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 10,000.	Fifteen times a week	–
3. Other remittances favouring :				
(a) themselves	At premium	Upto Rs. 5,000–3P%; minimum Re. 1* Over Rs. 5,000–2P%; minimum Rs. 1.50	–	–
(b) third parties	At premium	Upto Rs. 5,000–6P%; minimum Re. 1* Over Rs. 5,000–3P%; minimum Rs. 3	–	–
(C) STATE CO-OPERATIVE BANKS				
1. Between accounts at *RBI offices*	At par	In multiples of Rs. 10,000, *subject to a minimum* of Rs. 50,000.	No limit	Remittances are also *allowed between accounts* of any two state co-operative banks.
2. *(i)* From an agency office: *(a)* to an account maintained with RBI *(b)* to the head office account of the state co-op. bank maintained with an agency office.	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 25,000.	Four times a week	Central and industrial co-operative banks are treated as branches of state co-operative banks to which they are affiliated for the purposes of these facilities.
(ii) From an account with RBI to an agency office.	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 25,000.	Fifteen times a week	A state co-operative bank can make only 15 remittances in all in a week to any of its branches at up-country centres and not 15 remittances to each of its branches.
3. Other remittances to an account which it maintains with the RBI from an agency office.	At premium	2 P%; minimum Re. 1	No limit	–

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर	राशियों के संबंध में सीमा	प्रेषणों की आवृत्ति	टिप्पणी
	1	2	3	4
4. निम्नलिखित के पक्ष में किये जानेवाले दूसरे सभी प्रेषण :				
(क) स्वयं को	प्रीमियम पर	5,000 रु. तक 3 पैसे % न्यूनतम 0.25 रु.	कोई सीमा नहीं	(i) किसी राज्य सहकारी बैंक के साथ संबद्ध मध्यवर्ती और औद्योगिक सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं के रूप में माना गया है।
	*	5,000 रु. से अधिक 2 पैसे % न्यूनतम 1.50 रु.		(ii) किसी राज्य सहकारी बैंक या समिति को उसके पक्ष में राज्य सहकारी बैंक की सूचना पर किसी भी केन्द्र में प्रेषण जारी किये जायेंगे, चाहे उस केन्द्र में उसका कार्यालय हो या न हो।
(ख) तीसरी पार्टियां	प्रीमियम पर	5,000 रु. तक 6 पैसे % न्यूनतम 0.25 रु.	कोई सीमा नहीं	
		5,000 रु. से अधिक 3 पैसे % न्यूनतम 3 रु.		

* छोटी राशियों के लिए ड्राफ्ट 12 पै. %; न्यूनतम 0.25 रु.

टिप्पणी : (i) "सप्ताह" से आशय है शनिवार से प्रारंभ होनेवाली और आगामी शुक्रवार को समाप्त होनेवाली अवधि।

(ii) जिन मामलों में प्रेषण तार अंतरण द्वारा भेजे जाते हैं उन मामलों में विनिमय प्रभारों के अतिरिक्त तार प्रभार भी देय हैं।

(iii) अन्य प्रेषण ट्रेजरी एजेंसियों को अथवा उनसे भी भेजे जा सकते हैं।

(iv) वे राज्य सहकारी बैंक जो अनुसूचित बैंक हैं, केवल योजना 'इ' के अंतर्गत प्रेषण सुविधाओं का लाभ स्वयं उठा सकते हैं, न कि योजना 'अ' के अंतर्गत।

(v) वे सहकारी बैंक/समितियां भी उपर्युक्त मद (4) के अनुसार प्रेषण सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं जो किसी राज्य सहकारी बैंकों से संबंध नहीं हैं।

स्रोत : सरकारी और बैंक लेखा विभाग, रिजर्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक प्रेषण सुविधा योजना, 1975 की पुस्तिका

APPENDIX II *(Concld.)*

	Whether at par or at premium	Limits on amounts	Frequency of remittances	Remarks
4. Other remittances favouring :				
(a) themselves	At premium	Upto Rs. 5,000–3 P%; minimum Re. 0.25. Over Rs. 5,000–2 P%; minimum Rs. 1.50	No limit	(i) Central and industrial co-op. banks affiliated to a state co-op. bank are treated as branches of the latter. *(ii)* Remittances will be issued to a state co-op. bank or society in its own favour on any centre at the instance of the state co-op. bank irrespective of whether it has an office at that centre or not.
(b) Third parties	At premium	Upto Rs. 5,000–6 P%; minimum Re. 0.25. Over Rs. 5,000–3 P%; minimum Rs. 3.	No limit	–

* Drafts for small amounts at 12 P %; minimum Re. 0.25.

Notes : (i) 'Week' means the period commencing from a Saturday and ending with the succeeding Friday.

(ii) Where remittances are sent by telegraphic transfer, telegram charges are payable in addition to the exchange charges.

(iii) 'Other Remittances' can also be made to or from treasury agencies.

(iv) State co-operative banks, which are scheduled banks, will be able to avail themselves of remittance facilities only under Scheme C and not under Scheme A.

(v) Co-operative banks/societies which are not affiliated to any state co-operative bank are also entitled to remittance facilities as in item (4) above.

Source : Department of Government and Bank Accounts RBI, and Booklet on Reserve Bank of India Remittance Facilities Scheme, 1975.

अध्याय 3
सहकारी बैंक व्यवसाय

विहगावलोकन

12 जुलाई 1982 को स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा दूसरे आर्थिक कार्यों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति, आयोजना और परिचालन से संबंधित सभी विषयों की प्रामाणिक शिखर संस्था है । यह (i) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के प्रोत्साहन के लिए निवेश और उत्पादक ऋण देनेवाली संस्थाओं के लिए एक शिखर पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में काम करता है: (ii) संस्थानिक ढांचे को मजबूत करने, निगरानी करने, पुनर्वास योजनाओं का निर्माण करने तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण देने आदि के उपाय करता है: (iii) क्षेत्र स्तर पर विकासात्मक कार्य में लगी हुई सभी संस्थाओं के ग्रामीण वित्त पोषण संबंधी कार्यकलापों को समन्वित करता है तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा नीति निर्धारण से संबंधित अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के बीच सम्पर्क बनाये रखता है: और (iv) जिन परियोजनाओं के लिए यह पुनर्वित्त प्रदान करता है, उनकी निगरानी और मूल्यांकन करता है । यह समस्त बड़े राज्यों की राजधानियों में स्थित अपने 16 क्षेत्रीय कार्यालयों और तीन उप कार्यालयों के माध्यम से पूरे देश में कार्य करता है ।

3.2 वर्ष 1982-83 (जुलाई-जून) अद्यतन वर्ष है जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं । इस वर्ष के दौरान सहकारी बैंकिंग क्षेत्र (राज्य सहकारी बैंक, मध्यवर्ती सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तथा प्राथमिक सहकारी बैंकों को एक साथ लिया गया है) की जमा वृद्धि दर में 1981-82 की 16.0 प्रतिशत की तुलना में 20.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । बैंक समूहवार, जहां राज्य सहकारी बैंकों की जमा वृद्धि दर पिछले वर्ष के 13.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1982-83 में 11.8 प्रतिशत रह गयी, वहीं मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और प्राथमिक सहकारी बैंकों

CHAPTER 3
CO-OPERATIVE BANKING

Overview

The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), which was set up on July 12, 1982, is the apex institution accredited with all matters concerning policy, planning and operations in the field of credit for agriculture and other economic activities in rural areas. It (i) serves as an apex refinancing agency for the institutions providing investment and production credit for promoting the various developmental activities in rural areas; (ii) takes measures for strengthening the institutional set-up, monitoring, formulation of rehabilitation schemes, restructuring of credit institutions, training of personnel, etc.; (iii) co-ordinates the rural financing activities of all the institutions engaged in developmental work at the field level and maintains liaison with Government of India, State Governments, Reserve Bank of India and other national level institutions concerned with policy formulation; and (iv) undertakes monitoring and evaluation of projects refinanced by it. It operates throughout the country through its 16 Regional Offices located in the capitals of all the major States and 3 sub-offices.

3.2 During 1982-83 (July-June) — the latest year for which the data are available, the rate of growth of deposits of the co-operative banking sector (SCBs, CCBs, PACS and PCBs taken together) improved to 20.1 per cent, as compared to 16.0 per cent in 1981-82. Bank-group-wise, while the deposit growth rate of SCBs decelerated to 11.8 per cent in 1982-83 from 13.1 per cent in the previous year, the rate of growth in deposits for CCBs, PACS and PCBs was higher at 15.0 per cent, 21.3 per cent and 38.1 per cent,

की जमाराशियों में एक वर्ष पूर्व की क्रमशः 14.2 प्रतिशत, 7.9 प्रतिशत और 24.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में क्रमशः 15.0 प्रतिशत, 21.3 प्रतिशत और 38.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

respectively, as compared with a rise of 14.2 per cent, 7.9 per cent and 24.0 per cent, respectively, a year ago.

3.3 सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की कुल जमाराशि में प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों का काफी बड़ा हिस्सा होता है। इन बैंकों ने कुल जमाराशियों के अपने हिस्से में जून 1982 के अंत के 24.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में जून 1983 के अंत में 28.6 प्रतिशत की वृद्धि की। जून 1983 के अंत में कुल बकाया जमाराशियों में राज्य सहकारी बैंकों, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का हिस्सा क्रमशः 26.6 प्रतिशत, 40.0 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत था।

3.3 The primary urban co-operative banks (PCBs), which account for a substantial portion of the aggregate deposits of co-operative banking sector, further improved their share in total deposits from 24.9 per cent at the end of June 1982 to 28.6 per cent at end-June 1983. At the end of June 1983, the shares of SCBs, CCBs and PACS in aggregate outstanding deposits were 26.6 per cent, 40.0 per cent and 4.8 per cent, respectively.

3.4 वर्ष 1982-83 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की ऋण वसूली में प्रगति सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की एक विशेष बात रही: बकाया ऋणों में अतिदेय राशियों का प्रतिशत वर्ष 1981-82 के 6.6 की तुलना में घट कर 6.3 हो गया तथापि मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के मामले में बकाया ऋणों में अतिदेय राशियों का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक था। वर्ष के दौरान यह प्रतिशत मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में 29.7 से बढ़कर 30.9 तथा प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के मामले में 40.6 से बढ़ कर 42.1 हो गया।

3.4 A noticeable feature of the co-operative banking sector during 1982-83 was the improvement in recovery performance of SCBs; the percentage of overdues to loans outstanding declined from 6.6 per cent in 1981-82 to 6.3 per cent. In the case of CCBs and PACS, however, the percentage of overdues to loans outstanding was quite large. Over the year, this percentage increased from 29.7 per cent to 30.9 per cent in the case of CCBs and from 40.6 per cent to 42.1 per cent in respect of PACS.

सहकारी ऋण संस्थाओं की प्रगति

Progress of Credit Co-operatives

3.5 सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा 1980-81 से 1982-83 के दौरान की गयी प्रगति सारणी 3.1 में दर्शायी गयी है। 27 राज्य सहकारी बैंकों की जमाराशियां (28 राज्य सहकारी बैंको के संबंध में) जून 1982 के अंत के 1,894 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1983 के अंत में 2,117 करोड़

3.5 The progress made by co-operative credit institutions during 1980-81 to 1982-83 is indicated in Table 3.1. Deposits with 27 State Co-operative Banks (SCBs) increased from Rs.1,894 crores at the end of June 1982 to Rs.2,117 crores by end-June 1983

सारणी 3.1 : भारत में सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियां

(करोड़ रुपये)

संस्था का प्रकार	मदें	सहकारी वर्ष (जुलाई- जून)		
		1980-81	1981-82	1982-83 £
(क) राज्य सहकारी बैंक	संख्या	27	27	28
	स्वाधिकृत निधियां	345	398	473
	जमाराशियां	1,674	1,894	2,117
	रिज़र्व बैंक से लिये गये ऋण	462	742	955
	उसमें से : अल्पावधि कृषि प्रयोजन	291	528	573
	कार्यकारी पूंजी	2,749	3,356	3,895
	जारी किये गये ऋण	2,870	3,804	4,190
	बकाया ऋण	1,836	2,512	2,906
	अतिदेय ऋण	162	165	183
(ख) मध्यवर्ती सहकारी बैंक	संख्या	337	338	340
	स्वाधिकृत निधियां	669	733	825
	जमाराशियां	2,423	2,768	3,184
	उसमें से : अल्पावधि कृषि प्रयोजन	1,019	1,412	1,735
	कार्यकारी पूंजी	4,572	5,327	6,241
	जारी किये गये ऋण	3,211	4,059	4,508
	बकाया ऋण	2,987	3,683	4,305
	अतिदेय ऋण	940	1,094	1,330
(ग) राज्य/मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक	संख्या	19	19	19
	स्वाधिकृत निधियां	295	327	352
	बकाया डिबेंचर	1,984	2,135	2,325
	कार्यकारी पूंजी	2,544	2,637	2,845
	जारी किये गये ऋण	363	369	426+
	बकाया ऋण	1,697	1,855	2,047+
	अतिदेय ऋण @	291	236	285
	मध्यवर्ती/प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा व्यक्तियों को दिये गये :			
	(क) जारी किये गये	363	—	—
	(ख) बकाया	1,611	—	—
	(ग) अतिदेय	238	—	—
(घ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	संख्या (हजार में)	94	94	94
	सदस्यता (हजार में)	57,653	60,999	63,312
	स्वाधिकृत निधियां	758	824	880
	जमाराशियां	291	314	381
	उधार	2,443	2,742	2,858
	जारी किये गये कुल ऋण	1,769	2,110	2,291
	कृषि प्रयोजन के लिए ऋण	1,617	—	—
	उसमें से:		—	—
	मीयादी ऋण	215	—	—
	कुल बकाया ऋण	2,621	2,966	3,108
	कुल अतिदेय ऋण	1,086	1,205	1,309
(ङ) प्राथमिक सहकारी बैंक *	संख्या	1,228	1,258	1,281
	स्वाधिकृत निधियां	230	282	393
	जमाराशियां	1,331	1,650	2,278
	उधार	92	146	313
	जारी किये गये ऋण	1,071	1,425	1,802

— उपलब्ध नहीं । £ अनंतिम आंकड़े @ ब्याज अतिदेय शामिल है । * वेतनभोगी समितियां शामिल हैं ।

+ दीर्घावधि ऋण

स्रोत : नाबार्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक

TABLE 3.1 : PROGRESS OF CO-OPERATIVE CREDIT MOVEMENT IN INDIA

(Rupees crores)

Type of Institution	Items	Co-operative Year (July-June) 1980-81	1981-82	1982-83
(a) State Co-operative Banks	Number	27	27	28
	Owned Funds	345	398	473
	Deposits	1,674	1,894	2,117
	Borrowings from RBI/NABARD	462	742	955
	Of which:			
	Short-term agricultural purposes	291	528	573
	Working Capital	2,749	3,356	3,895
	Loans issued	2,870	3,804	4,190
	Loans outstanding	1,836	2,512	2,906
	Loans overdue	162	165	183
(b) Central Co-operative Banks	Number	337	338	340
	Owned Funds	669	733	825
	Deposits	2,423	2,768	3,184
	Borrowings from RBI/NABARD/Apex Banks	1,019	1,412	1,735
	Working capital	4,572	5,327	6,241
	Loans issued	3,211	4,059	4,508
	Loans outstanding	2,987	3,683	4,305
	Loans overdue	940	1,094	1,330
(c) State/Central Land Development Banks	Number	19	19	19
	Owned Funds	295	327	352
	Debentures outstanding	1,984	2,135	2,325
	Working Capital	2,544	2,637	2,845
	Loans issued	363	369	426+
	Loans outstanding	1,697	1,855	2,047+
	Loans overdue @	291	236	285
	Loans to individuals by CLDBs/PLDBs:			
	a) Issued	363	..	..
	b) Outstanding	1,611	..	..
	c) Overdue	238	..	..
(d) Primary Agricultural Credit Societies	Number (000 s)	94	94	94
	Membership (000 s)	57,653	60,999	63,312
	Owned Funds	758	824	880
	Deposits	291	314	381
	Borrowings	2,443	2,742	2,858
	Total loans issued	1,769	2,110	2,291
	Loans for agricultural purposes	1,617	..	..
	Of which: term loans	215	..	..
	Total loans outstanding	2,621	2,966	3,108
	Total loans overdue	1,086	1,205	1,309
(e) Primary Co-operative Banks*	Number	1,228	1,258	1,281
	Owned Funds	230	282	393
	Deposits	1,331	1,650	2,278
	Borrowings	92	146	313
	Loans outstanding	1,071	1,425	1,802

.. Not available.

@ Includes interest overdue.

* Include salary earners' societies.

\+ Long-term loans.

Source: NABARD and RBI.

रुपये हो गयीं अर्थात 1981-82 के दौरान हुई 220 करोड़ रुपये अथवा 13.1 प्रतिशत का तुलना में 223 करोड़ रुपये अथवा 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों द्वारा जारी किये गये ऋण की कुल राशि 4,190 करोड़ रुपये थी, जो 386 करोड़ रुपये अधिक थी, किन्तु 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर 1981-82 (32.5 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम थी। इसके अतिरिक्त राज्य सहकारी बैंकों के वसूली कार्य में और सुधार हुआ। बकाया ऋणों में अतिदेय राशि का प्रतिशत जून 1982 के अंत के 6.6 प्रतिशत से गिरकर जून 1983 के अंत में 6.3 प्रतिशत हो गया।

(with 28 SCBs) i.e., an increase of Rs.223 crores or 11.8 per cent, as against a rise of Rs.220 crores or 13.1 per cent during 1981-82. Though the total amount of loans issued by the SCBs during the year at Rs.4,190 crores was higher by Rs.386 crores, the rate of growth at 10.1 per cent was much lower than that (32.5 per cent) in 1981-82. There was a further improvement in the recovery performance of SCBs; the percentage of overdues to loans outstanding declined to 6.3 per cent at the end of June 1983 from 6.6 per cent at end-June 1982.

3.6 जून 1983 के अंत में मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या 340 थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 338 थी। 1982-83 के दौरान मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की जमाराशियां 416 करोड़ रुपये अथवा 15.0 प्रतिशत बढ़कर 3,184 करोड़ रुपये हो गयीं, जबकि गत वर्ष यह वृद्धि 345 करोड़ रुपये अथवा 14.2 प्रतिशत थी। वर्ष 1982-83 के दौरान मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की कुल राशि 4,508 करोड़ रुपये, वर्ष 1981-82 के 26.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में पिछले वर्ष से 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष के दौरान बकाया ऋणों में अतिदेय राशियों का प्रतिशत भी 29.7 से बढ़कर 30.9 हो गया है।

3.6 There were 340 Central Co-operative Banks (CCBs) at the end of June 1983, as compared to 338 a year earlier. Deposits with CCBs increased by Rs.416 crores or 15.0 per cent to Rs.3,184 crores during 1982-83 as compared with a deposit growth of Rs.345 crores or 14.2 per cent in the preceding year. The total amount of loans issued by CCBs during 1982-83 at Rs.4,508 crores, showed a rise of 11.1 per cent as against an increase of 26.4 per cent in 1981-82. The percentage of overdues to loans outstanding also increased over the year from 29.7 per cent to 30.9 per cent.

3.7 पुनर्गठन नीति के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को समर्थ यूनिटों में बदलने के परिणामस्वरूप समितियों की संख्या जून 1982 के अंत के 94,270 से घट कर जून 1983 के अंत में 94,089 रह गयी। तथापि 1982-83 के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की सदस्यता में 23 लाख (3.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और वह 633 लाख हो गयी। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की जमाराशियों में तेजी से वृद्धि हुई और यह जून 1982 के अंत की 314 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1983 के अंत में 381 करोड़ रुपये हो गयीं। इस प्रकार गत वर्ष इनमें हुई 7.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 21.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष

3.7 As a result of the policy of reorganisation of PACS into viable units followed over the years, the number of PACS declined from 94,270 at end-June 1982 to 94,089 by the end of June 1983. The membership of PACS during 1982-83, however, rose by 23 lakhs (3.8 per cent) to 633 lakhs. A sharp rise was noticed in deposits of PACS from Rs.314 crores at end-June 1982 to Rs.381 crores by end-June 1983, recording a growth rate of 21.3 per cent as against 7.9 per cent in the previous year. Loans disbursed by PACS during the year, at Rs.2,291 crores, recorded a smaller rise of Rs.181 crores or

कृषि प्रयोजनों के लिए सहकारी ऋण

CO-OPERATIVE LOANS FOR AGRICULTURAL PURPOSES

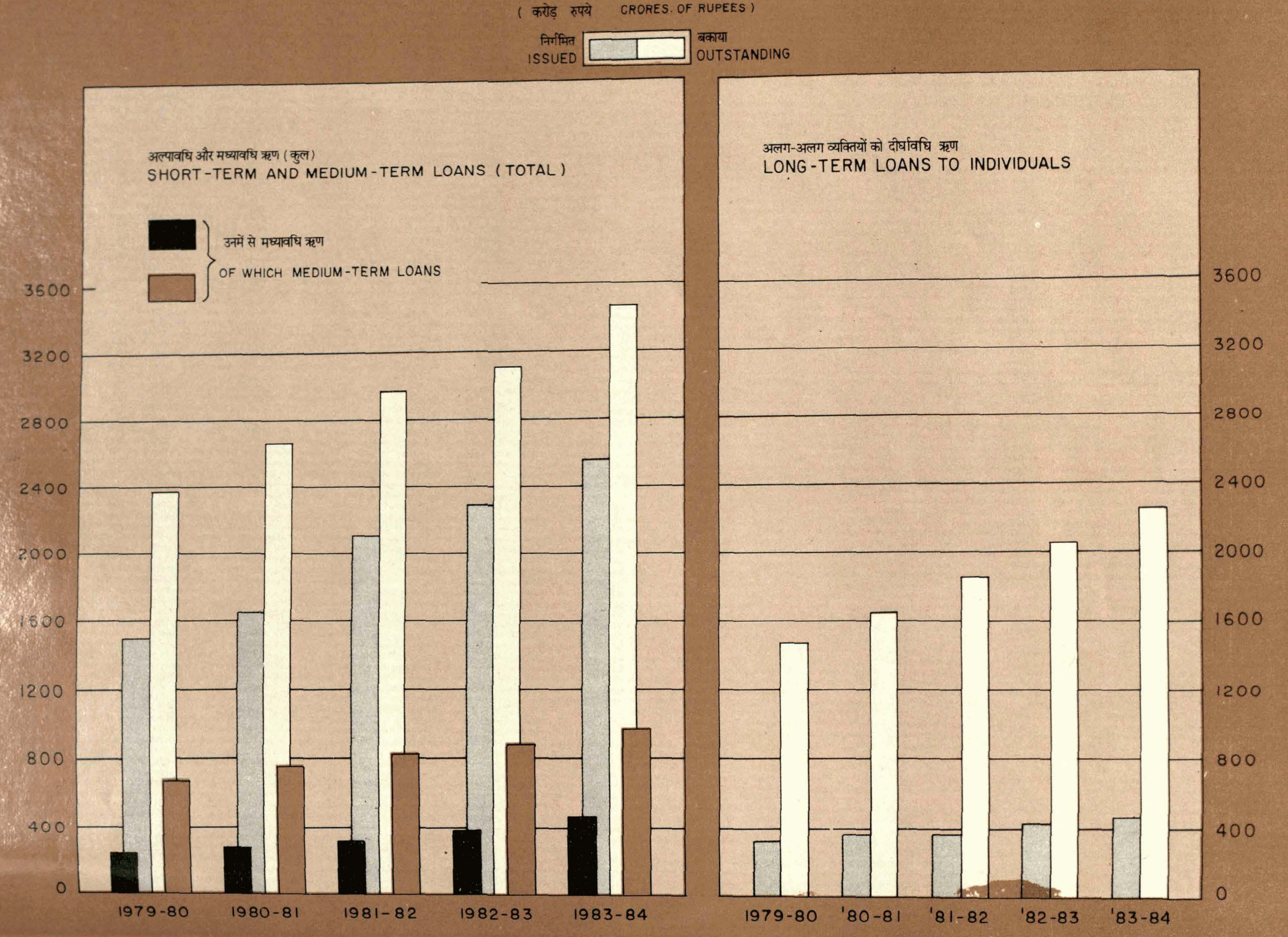

(जुलाई - जून JULY – JUNE)

कृषि प्रयोजनों के लिए नाबार्ड ऋण
(करोड़ रुपये)

7 NABARD CREDIT FOR AGRICULTURAL PURPOSES

(CRORES OF RUPEES)

सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को ऋण

LOANS TO STATE GOVERNMENTS FOR CONTRIBUTION TO SHARE CAPITAL OF CO-OPERATIVE CREDIT INSTITUTIONS

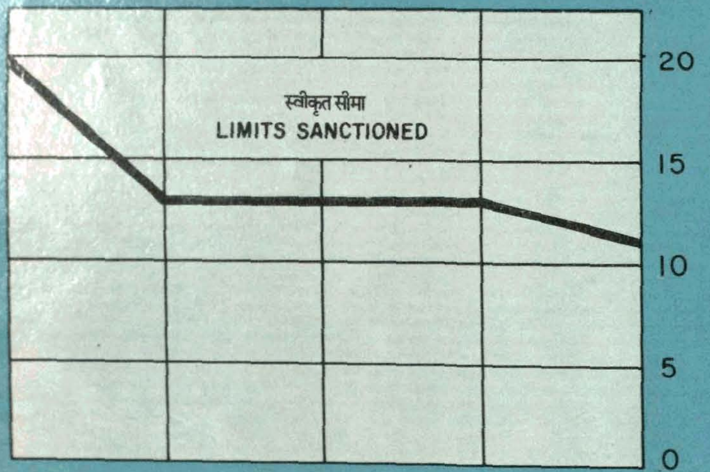

(अप्रैल – मार्च APRIL-MARCH)

मौसमी कृषि कार्यों के लिए राज्य सहकारी बैंकों को प्रदान किए गए अल्पावधि ऋण

SHORT-TERM LOANS PROVIDED TO STATE CO-OPERATIVE BANKS FOR SEASONAL AGRICULTURAL OPERATIONS

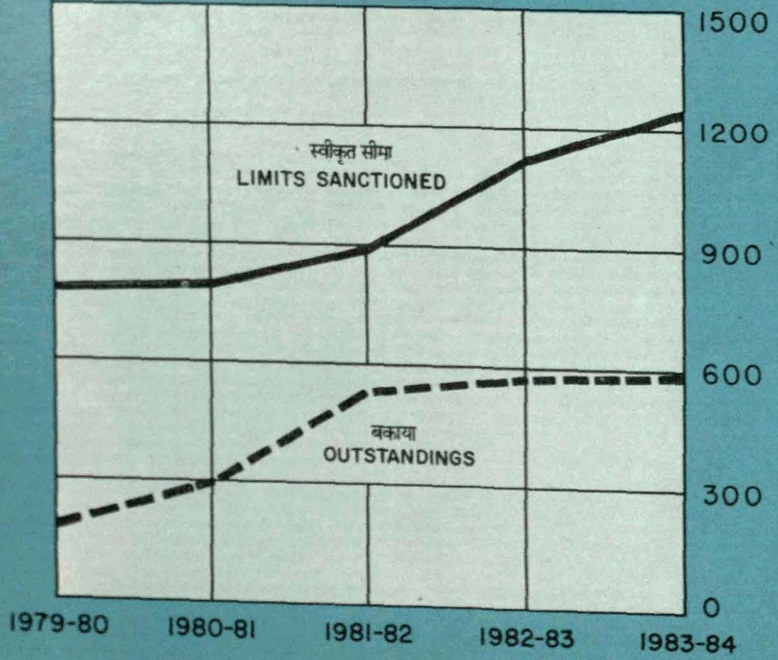

(जुलाई – जून JULY-JUNE)

नाबार्ड के कार्य (योजना वित्त)
(करोड़ रुपये)

8 OPERATIONS OF NABARD (SCHEME FINANCE)

(CRORES OF RUPEES)

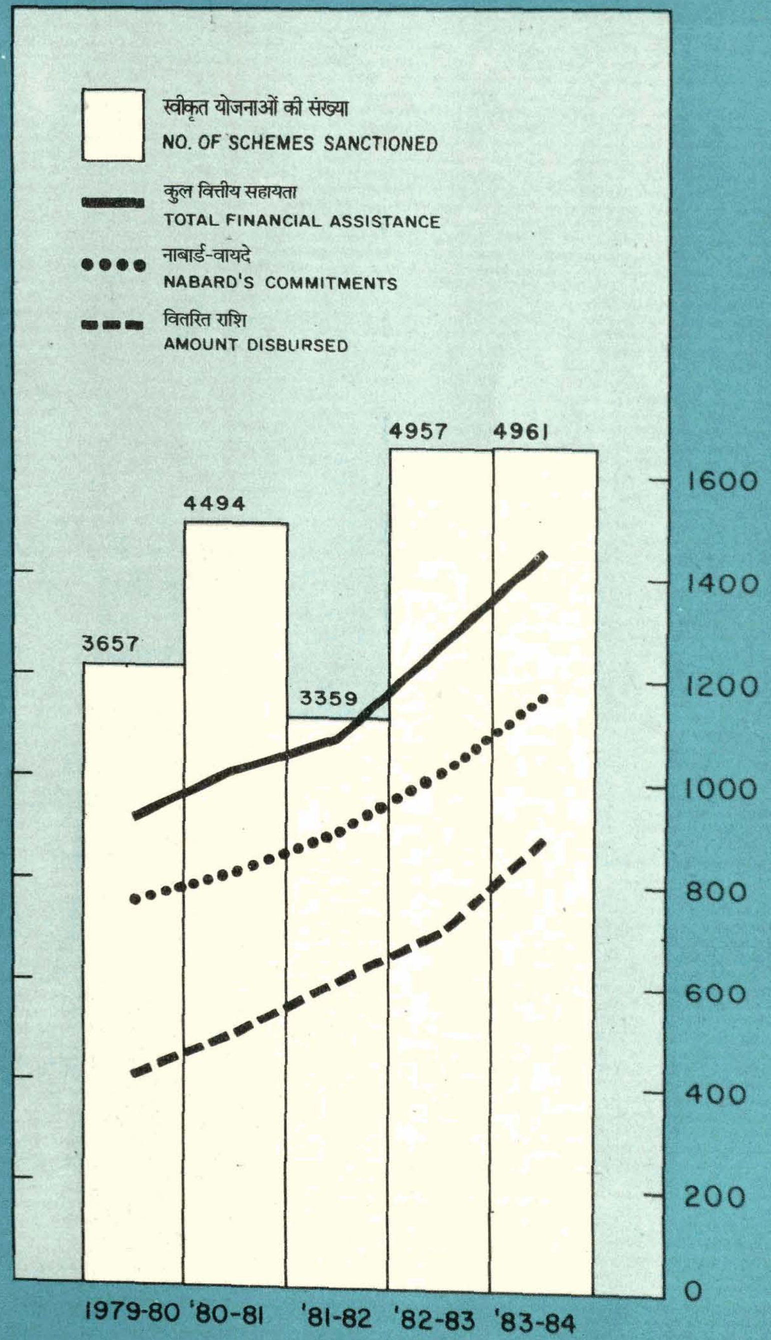

(जुलाई – जून JULY-JUNE)

के दौरान प्राथमिक कृषि-ऋण समितियों द्वारा दिये गये ऋणों की राशि 2,291 करोड़ रुपये थी, जिसमें 181 करोड़ रुपये अथवा 8.6 प्रतिशत की थोड़ी-सी वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1981-82 के दौरान इसमें 341 करोड़ रुपये अथवा 19.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की ऋण वसूली असंतोषजनक रही। इसके अतिरिक्त प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की अतिदेय ऋण राशियां जून 1982 के अंत की 1,205 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1983 के अंत में 1,309 करोड़ रुपये हो गयीं, जो कुल बकाया ऋणों का 42.1 प्रतिशत हैं।

8.6 per cent as compared with Rs.341 crores or 19.3 per cent during 1981-82. The recovery performance of the PACS continued to be unsatisfactory. The overdue loans of PACS further increased from Rs.1,205 crores at the end of June 1982 to Rs.1,309 crores at the end of June 1983 forming 42.1 per cent of total loans outstanding.

3.8 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संख्या जून 1982 के अंत की 1,258 से बढ़कर जून 1983 के अंत में 1,281 हो गयी। जून 1983 के अंत की उनकी 2,278 करोड़ रुपये की जमाराशियों में काफी सुधार हुआ और गत वर्ष की 319 करोड़ रुपये (24.0 प्रतिशत) की तुलना में 628 करोड़ रुपये अथवा 38.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जून 1983 के अंत में प्राथमिक सहकारी बैंकों के बकाया ऋणों की 1,802 करोड़ रुपये की कुल राशि पूर्ववर्ती वर्ष के 354 करोड़ रुपये अथवा 33 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1982-83 में 377 करोड़ रुपये अथवा 26.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

3.8 The number of primary (urban) co-operative banks (PCBs) increased from 1,258 at the end of June 1982 to 1,281 by end-June 1983. Their deposits at Rs.2,278 crores at end-June 1983 showed a sizeable increase of Rs.628 crores or 38.1 per cent as compared with a rise of Rs.319 crores (24.0 per cent) in the previous year. The total amount of outstanding credit of the PCBs at the end of June 1983 at Rs.1,802 crores showed a rise of Rs.377 crores or 26.5 per cent in 1982-83 as against an increase of Rs.354 crores or 33 per cent in the preceding year.

ऋण नीति

जमा और ऋण ब्याज दरें

3.9 **जमाराशि पर ब्याज दर-** पुनरीक्षणाधीन वर्ष के दौरान जमाराशियों पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रहीं। तथापि, जमाराशियों के समयपूर्व आहरण पर दंड वसूली इत्यादि से संबंधित दरों में कुछ परिवर्तन, जो वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों दोनों पर 1 मई 1983 से लागू होते थे, पहली अगस्त 1983 से रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर भी लागू कर दिये गये हैं। ये परिवर्तन संक्षेप में इस प्रकार हैं:

Credit Policy

Deposit and Lending Rates

3.9 *Deposit Rate* – The structure of interest rates on deposits remained unchanged during the year under review. However, some changes in the rates regarding levy of penalty, etc. on premature withdrawal of deposits, which were applicable to both the commercial and co-operative banks since May 1, 1983, were made applicable also to primary (urban) co-operative banks by the Reserve Bank with effect from August 1,

(i) सावधि जमाराशियों के समयपूर्व आहरण के लिए दंडस्वरूप ब्याज की दर 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी गयी है।
(ii) पुनर्निवेश योजना के अंतर्गत निर्धारित अवधि से पूर्व आहरण अथवा नवीकरण कराने के समय दिये जाने वाला ब्याज अनुमत दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जायेगा। (iii) आवर्ती जमा खातेदारों को बिना किसी दंड के निर्धारित अवधि से पूर्व शेष राशि को सावधि जमा खाते में बदलने की अनुमति दी गयी, (iv) मृत जमाकर्ता के चालू खाते की शेष राशि के मामले में, उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों को शेष राशि का भुगतान करने तक, उस राशि पर वही ब्याज दर दी जायेगी जो जमा बचत पर लागू होती है, और (v) मृत जमाकर्ता के नाम से सावधि जमा के संबंध में, जमा की अवधि की समाप्ति की तारीख से उस तारीख तक, जिसमें मृतक के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को वास्तव में जमाराशि चुकायी गयी हो, की अवधि के ब्याज का भुगतान जो अब तक विवेकाधीन था, अनिवार्य बना दिया गया है। वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके यहां सहकारी संस्थाओं के नाम से खोले गये बचत खातों पर समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर और ढंग से ब्याज अदा करने की अनुमति दी गयी है।

1983. These changes in brief are: (i) the rate of penalty for premature withdrawal of term deposits was reduced from 2 per cent to 1 per cent; (ii) the interest to be paid on premature withdrawals or renewal under re-investment plan shall be at compound interest at the permissible rates; (iii) recurring deposit account holders were allowed to convert the balances before maturity into fixed deposits without any penalty; (iv) in the case of balances lying in current account in the name of a deceased depositor, interest would be paid at the rate applicable to savings deposits till the balances are paid to legal heirs; and (v) as regards a term deposit standing in the name of a deceased depositor, payment of interest for the period from the date of maturity of the deposit to the date on which the deposit is actually repaid to the heir/heirs of the deceased depositor, which was discretionary so far, was made obligatory. During the year, the RRBs were allowed to pay interest on savings bank accounts opened with them in the names of co-operative institutions at the rate and in the manner prescribed in this regard by the Reserve Bank from time to time.

3.10 **ऋण दर – रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम की तीन श्रेणियों के लिए ली जानेवाली ब्याज की दर के संशोधन को 2 जनवरी 1984 से लागू किया है। संशोधित दरें अगले पृष्ठ पर दी गयी हैं।**

3.10 *Lending rates* – The Reserve Bank effected revisions in the rates of interest to be charged by urban co-operative banks for three categories of advances with effect from January 2, 1984. The revised rates are given on the next page.

3.11 सरकार ने जिन सहकारी संस्थाओं को समर्थन मूल्य पर तिलहन और दालों की खरीद करने का कार्य सौंपा है, उनसे राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज रिज़र्व बैंक

3.11 The interest rate on advances charged by the SCBs and CCBs to co-operative institutions, entrusted by the Government with the procurement of oilseeds and pulses at support prices, was fixed by the Reserve

ने 7 नवम्बर 1983 से 13.5 प्रतिशत तय किया था। सहकारी संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं के संबंध में यह दर 16.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गयी।

Bank at 13.5 per cent with effect from November 7, 1983. In respect of institutions other than co-operatives, the rate was lowered from 16.5 per cent to 15 per cent.

अग्रिमों की श्रेणी	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)	
	2 जनवरी 1984 से पूर्व	2 जनवरी 1984 से
i) लघु उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में 25,000 रुपये तक के संमिश्र ऋण	10.00	11.0 से अधिक नहीं
ii) खुदरा व्यापार अग्रिम 5,000 रुपये तक की सीमाएं	12.5	14.0 से अधिक नहीं
iii) सावधि ऋण लघु उद्योग (लघु उद्योग की नयी परिभाषा के अनुसार इकाइयां) – पिछड़े क्षेत्रों में	12.5	13.5 से अधिक नहीं

Category of advances	Rates of interest (per cent per annum)	
	Prior to January 2, 1984	From January 2, 1984
i) Small-scale Industry Composite loans upto Rs.25,000 in backward areas	10.0	Not exceeding 11.0
ii) Retail Trade Advances Limits upto and inclusive of Rs.5,000	12.5	Not exceeding 14.0
iii) Term loans Small-scale Industry (units as per new definition of SSI) in backward areas	12.5	Not exceeding 13.5

अन्य नीतिगत उपाय

3.12 **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को अग्रिम :** **रिज़र्व बैंक ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम** के हिताधिकारियों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाली वस्तुओं की जमानत पर स्वीकृत अग्रिमों के संबंध में 31 मार्च 1984 से सभी राज्य सहकारी बैंकों एवं मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण से पूरी छूट दे दी है।

3.13 **टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए अग्रिम : वर्ष के दौरान नाबार्ड ने मध्यवर्ती सहकारी बैंकों** द्वारा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए

Other Policy Measures

3.12 *Advances to IRDP Beneficiaries :* All SCBs and CCBs were granted complete exemption by the Reserve Bank with effect from March 31, 1984 from the purview of the selective credit control measures in respect of advances granted against commodities coming under selective credit control to the IRDP beneficiaries.

3.13 *Advances for purchase of consumer durables :* During the year, NABARD decided to bring on par the ceiling limit on loans granted by CCBs for the purchase of con-

स्वीकृत ऋणों की उच्चतम सीमा को राज्य सहकारी बैंकों के समकक्ष लाने का निर्णय किया। तदनुसार, लोगों से 10 करोड़ रुपये तक की जमाराशियां रखने वाले राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, दोनों के मामलों में, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए उच्चतम सीमा, लोगों से वसूल की गयी जमाराशियों का 2 प्रतिशत अथवा 10 लाख रुपये, जो भी कम हो, होगी। लोगों से 10 करोड़ रुपये से अधिक की जमाराशि रखने वाले बैंकों के लिए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए उच्चतम सीमा, लोगों से वसूल की जाने वाली जमाराशियों का 2 प्रतिशत अथवा 30 लाख रुपये, जो भी कम हो, होगी।

sumer durables with that of the SCBs. Accordingly, in the case of both SCBs and CCBs each having deposits of upto Rs.10 crores from individuals, the ceiling limit for purchase of consumer durables would be 2 per cent of deposits raised from individuals or Rs.10 lakhs, whichever is less. In respect of banks each having deposits exceeding Rs.10 crores from individuals, the ceiling limit for purchase of consumer durables would be 2 per cent of deposits raised from individuals or Rs.30 lakhs, whichever is less.

3.14 **प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा अग्रिम :** –प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा अल्पावधि ऋणों पर लगायी जाने वाली ब्याज दर नाबार्ड ने 16 नवंबर 1983 से 5,000 रुपये से अधिक और 10,000 रुपये तक के ऋणों के लिए 14 प्रतिशत से घटाकर 12.50 प्रतिशत कर दी। मध्यावधि कृषि ऋणों के लिए लागू वर्तमान ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अल्पावधि और मध्यावधि ऋण के लिए सहकारी ढांचे के विभिन्न स्तरों पर ली जाने वाली ब्याज दर की राज्यवार सारणी क्रमशः 3.2 और 3.3 में दी गयी है।

3.14 *Advances by Primary Agricultural Credit Societies :* The rates of interest on advances to be charged by the PACS for short-term agricultural lending were lowered by NABARD in respect of loans over Rs.5,000 and upto Rs.10,000 from 14 per cent per annum to 12.50 per cent per annum with effect from November 16, 1983. There was no change in the existing interest rates structure applicable to medium-term agricultural lending. State-wise data on the rates of interest charged at various levels of co-operative structure for short-term and medium-term loans are given in Tables 3.2 and 3.3, respectively.

निधियों के स्रोत और उपयोग

नाबार्ड के संसाधन

3.15 अपने ऋण कार्यक्रमों तथा अन्य वायदों के वित्त पोषण के लिए नाबार्ड के पास शुद्ध संसाधन नीचे दर्शाये अनुसार 1982-83 के 632 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान 842 करोड़ रुपये थे।

Sources and uses of funds

Resources of NABARD

3.15 Aggregate net resources available to NABARD for financing its lending programme and meeting its other commitments during 1983-84 (July-June) amounted to Rs.842 crores as compared to Rs.632 crores in 1982-83 as shown on succeeding pages.

नाबार्ड द्वारा संग्रहीत संसाधन (शुद्ध)*

(करोड़ रुपये)

	1982-83	1983-84
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	227.00	425.00**
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरिकरण) निधि	83.00	85.00
बांड और डिबेंचर	30.00	30.25
भारत सरकार से उधार (विदेशी सहायता)	114.00	167.00
भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार	178.00	135.00
कुल..	632.00	842.25

* ये प्रारक्षित निधियों और अधिशेष राशियों तथा अन्य देयताओं के अतिरिक्त हैं।

** इसमें निधि में से 30 सितंबर 1984 को निकाले गये और दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किये गये 100 करोड़ रुपये शामिल हैं।

Resources (net) Mobilised by NABARD†

(Rs. in crores)

	1982-83	1983-84
NRC (LTO) Fund	227.00	425.00 *
NRC (Stabilisation) Fund	83.00	85.00
Bonds and Debentures	30.00	30.25
Borrowings from GOI (External assistance)	114.00	167.00
Borrowings from RBI	178.00	135.00
Total	632.00	842.25

† These are exclusive of reserves and surplus, deposits and other liabilities.

* Inclusive of Rs.100 crores released on September 30, 1983 out of the fund and invested in long-term government securities.

3.16 रिज़र्व बैंक ने नाबार्ड को उसकी राष्ट्रीय ग्रामीण-ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि के लिए 225 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि के लिए 75 करोड़ रुपये प्रदान किये तथा इन निधियों के लिए रिज़र्व बैंक के पास रखी 631 करोड़ रुपये की विशेष जमाराशियों से 100 करोड़ रुपये निकाले। नाबार्ड ने वर्ष 1983-84 के अपने लाभ में से उपर्युक्त निधियों के लिए क्रमशः 100 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये अंतरित किये। विदेशी सहायता द्वारा समर्थित विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत वितरित की गयी राशि की प्रतिपूर्ति द्वारा केन्द्र सरकार से ली गयी उधार राशियां पिछले वर्ष के 114 करोड़ रुपये की तुलना में 167 करोड़ रुपये रहीं। इसके अतिरिक्त नाबार्ड ने कुल 38.5 करोड़ रुपये की राशि की अपनी दूसरी सीरीज के बंध-पत्रों द्वारा खुले बाजार से संसाधन जुटाये। वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के

3.16 The Reserve Bank provided to NABARD Rs.225 crores for its NRC (LTO) Fund and Rs.75 crores for NRC (Stabilisation) Fund and released Rs.100 crores out of special deposits of Rs.631 crores with the Reserve Bank in respect of these Funds. NABARD transferred out of its profits for the year 1983-84, Rs. 100 crores and Rs. 10 crores, respectively to the above Funds. Borrowings from Government of India by way of reimbursements against amount disbursed under the various projects supported by external aid, amounted to Rs.167 crores as against Rs.114 crores in the previous year. Besides, NABARD raised resources from the open market through its second series of bonds for an aggregate amount of Rs.38.5 crores. After redemption of erstwhile ARDC bonds amounting to Rs.8.25 crores during the year (in the previous year bonds of

सारणी : 3.2 सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें

(अल्पावधि कृषि ऋण)

राज्य/संघशासित क्षेत्र	शिखर बैंक	मध्यवर्ती सहकारी बैंक	प्राथमिक कृषि ऋण समीतियां	निम्नलिखित तारीख से लागू
	1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	9.50/12.00	@	11.50/14.00	12.11.83
आंध्र प्रदेश	7.50	9.00/9.50/10.50	11.50/12.50/14.00	16.11.83
असम	12.00	@	11.50/14.00	12.11.83
बिहार	7.75	9.75	11.50/14.00	1.4.83
गुजरात	7.50	8.00/11.00	11.50/12.50/14.00	..
हरियाणा	7.25	9.00	11.50	1.9.83
हिमाचल प्रदेश	7.60	10.00	12.50	1.4.83
जम्मू और कश्मीर	7.50	9.35/10.35/11.85	11.50/12.50/14.00	16.11.83
कर्नाटक	7.50/8.15	9.00/10.00/11.00	11.50/12.50/14.00	16.11.83
केरल	7.50/7.75	9.00/9.50	11.50/12.50	1.9.83
मध्य प्रदेश	7.50/8.00	9.00/11.00	11.50/14.00	1.4.83
महाराष्ट्र	7.25	9.00	11.50/14.00	1.4.83
मणिपुर	10.00/11.00	@	11.50/12.50	12.11.83
मेघालय	..	..	..	..
नागालैण्ड	10.00/11.00/12.50	@	11.50/12.50/14.00	12.11.83
उड़ीसा	7.50	10.00	12.50	..
पंजाब	7.30	9.00	11.50	1.4.83
राजस्थान	7.75	9.00/10.50	11.50/14.00	1.4.83
तमिलनाडु	7.66	9.00/10.00	11.50/12.50	1.4.83
त्रिपुरा	..	..	..	..
उत्तर प्रदेश	7.25	8.75/9.75	11.50/12.50/14.00	16.11.83
पश्चिम बंगाल	..	..	..	..
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	..	..	..	..
चंडीगढ़	10.50/12.50	@	11.50/14.00	1.4.83
दिल्ली	9.50/12.00	@	11.50/12.50/14.00	16.11.83
गोवा, दमण और दीव	9.00	@	11.00	..
पांडिचेरी	9.25/9.50/9.75	@	11.25/12.00/12.50	16.11.83

टिप्पणी : जहां एक से अधिक ब्याज दरें दी गयी हैं, वहां वे भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए हैं।

@ इन क्षेत्रों में कोई मध्यवर्ती सहकारी बैंक नहीं है।

.. अनुपलब्ध

स्रोत : नाबार्ड

TABLE 3.2 : RATES OF INTEREST CHARGED AT VARIOUS LEVELS OF THE CO-OPERATIVE STRUCTURE
(Short-term agricultural loans)

(Per cent per annum)

States/Union Territories	Apex Banks	Central Co-operative Banks	Primary Agricultural Credit Societies	Effective from
	1	2	3	4
Arunachal Pradesh	9.50/12.00	@	11.50/14.00	12.11.83
Andhra Pradesh	7.50	9.00/9.50/10.50	11.50/12.50/14.00	16.11.83
Assam	12.00	@	11.50/14.00	12.11.83
Bihar	7.75	9.75	11.50/14.00	1.4.83
Gujarat	7.50	8.00/11.00	11.50/12.50/14.00	..
Haryana	7.25	9.00	11.50	1.9.83
Himachal Pradesh	7.60	10.00	12.50	1.4.83
Jammu & Kashmir	7.50	9.35/10.35/11.85	11.50/12.50/14.00	16.11.83
Karnataka	7.50/8.15	9.00/10.00/11.00	11.50/12.50/14.00	16.11.83
Kerala	7.50/7.75	9.00/9.50	11.50/12.50	1.9.83
Madhya Pradesh	7.50/8.00	9.00/11.00	11.50/14.00	1.4.83
Maharashtra	7.25	9.00	11.50/14.00	1.4.83
Manipur	10.00/11.00	@	11.50/12.50	12.11.83
Meghalaya	..	..	..	..
Nagaland	10.00/11.00/12.50	@	11.50/12.50/14.00	12.11.83
Orissa	7.50	10.00	12.50	..
Punjab	7.30	9.00	11.50	1.4.83
Rajasthan	7.75	9.00/10.50	11.50/14.00	1.4.83
Tamil Nadu	7.66	9.00/10.00	11.50/12.50	1.4.83
Tripura		..	..	..
Uttar Pradesh	7.25	8.75/9.75	11.50/12.50/14.00	16.11.83
West Bengal	..	..	..	..
Andaman & Nicobar Islands	..	..	..	..
Chandigarh	10.50/12.50	@	11.50/14.00	1.4.83
Delhi	9.50/12.00	@	11.50/12.50/14.00	16.11.83
Goa, Daman & Diu	9.00	@	11.00	..
Pondicherry	9.25/9.50/9.75	@	11.25/12.00/12.50	16.11.83

@ There are no CCBs in these areas. .. Not available.

Note: Where more than one interest rates are indicated they are on the basis of the size of the loans.

Source : NABARD.

सारणी 3.3 : सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें

(अल्पावधि कृषि ऋण)

राज्य/संघशासित क्षेत्र	शिखर बैंक	मध्यवर्ती सहकारी बैंक	प्राथमिक कृषि ऋण समीतियां	निम्नलिखित तारीख से लागू
	1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	8.25/10.50	@	10.25/12.50	12.11.83
आंध्र प्रदेश	7.50	9.00/9.50	10.25/12.50	16.11.83
असम	9.00/10.50	@	10.25/12.50	12.11.83
बिहार	7.50/8.50	8.50/9.00/9.50	10.25/12.50	1.4.83
गुजरात	..	8.00	10.00	..
हरियाणा	..	..	..	..
हिमाचल प्रदेश	..	10.50	13.00	1.4.83
जम्मू और कश्मीर	7.70	10.00	12.50	16.11.83
कर्नाटक	7.50/7.75	8.75/10.00	10.25/12.50	16.11.83
केरल	7.50/7.75	8.25/9.50	10.25/12.50	1.9.83
मध्य प्रदेश	7.50	8.25/9.50	10.25/12.50	1.4.83
महाराष्ट्र	7.25	9.00	12.00	..
मणिपुर	8.50/10.50	@	10.25/12.50	12.11.83
मेघालय	..	..	..	..
नागालैण्ड	9.50/9.25/11.00	@	10.25/12.50	12.11.83
उड़ीसा	..	..	..	..
पंजाब	7.30	9.00	11.50	1.4.83
राजस्थान	7.25	8.25/10.00	10.25/12.50	1.4.83
तमिलनाडु	7.25/7.66	8.25/10.00	10.25/12.50	1.4.83
त्रिपुरा	..	..	..	..
उत्तर प्रदेश	7.20	8.75/10.00	10.25/12.50	16.11.83
पश्चिम बंगाल	..	..	..	..
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	..	..	..	..
चंडीगढ़	9.25/11.50	@	10.25/12.50	1.4.83
दिल्ली	..	@	10.25/12.50	16.11.83
गोवा, दमण और दीव	11.00	@	13.00	..
पांडिचेरी	9.00/9.50	@	10.25/12.00	16.11.83

@ इन क्षेत्रों में कोई मध्यवर्ती सहकारी बैंक नहीं है ।

टिप्पणी : जहां एक से अधिक ब्याज दरें दी गयी हैं, वहां वे भिन्न-भिन्न प्रयोजन के लिए हैं ।

.. अनुपलब्ध : **स्रोत : नाबार्ड**

TABLE 3.3 : RATES OF INTEREST CHARGED AT VARIOUS LEVELS OF THE CO-OPERATIVE STRUCTURE
(Medium-term agricultural loans)

(Per cent per annum)

States/Union Territories	Apex Banks	Central Co-operative Banks	Primary Agricultural Credit Societies	Effective from
	1	2	3	4
Arunachal Pradesh	8.25/10.50	@	10.25/12.50	12.11.83
Andhra Pradesh	7.50	9.00/9.50	10.25/12.50	16.11.83
Assam	9.00/10.50	@	10.25/12.50	12.11.83
Bihar	7.50/8.50	8.50/9.00/9.50	10.25/12.50	1.4.83
Gujarat	..	8.00	10.00	..
Haryana	..	..	..	..
Himachal Pradesh	..	10.50	13.00	1.4.83
Jammu & Kashmir	7.70	10.00	12.50	16.11.83
Karnataka	7.50/7.75	8.75/10.00	10.25/12.50	16.11.83
Kerala	7.50/7.75	8.25/9.50	10.25/12.50	1.9.83
Madhya Pradesh	7.50	8.25/9.50	10.25/12.50	1.4.83
Maharashtra	7.25	9.00	12.00	..
Manipur	8.50/10.50	@	10.25/12.50	12.11.83
Meghalaya	..	..	..	..
Nagaland	9.50/9.25/11.00	@	10.25/12.50	12.11.83
Orissa	..	..	..	..
Punjab	7.30	9.00	11.50	1.4.83
Rajasthan	7.25	8.25/10.00	10.25/12.50	1.4.83
Tamil Nadu	7.25/7.66	8.25/10.00	10.25/12.50	1.4.83
Tripura	..	..	..	..
Uttar Pradesh	7.20	8.75/10.00	10.25/12.50	16.11.83
West Bengal	..	..	..	..
Andaman & Nicobar Islands	..	..	..	..
Chandigarh	9.25/11.50	@	10.25/12.50	1.4.83
Delhi	..	@	10.25/12.50	16.11.83
Goa, Daman & Diu	11.00	@	13.00	..
Pondicherry	9.00/9.50	@	10.25/12.00	16.11.83

@ There are no CCBs in these areas. .. Not available.

Note : Where more than one interest rates are indicated they are for different purposes.

Source : NABARD.

8.25 करोड़ रुपये के बंद पत्रों के शोधन के पश्चात (पिछले वर्ष 8.5 करोड़ रुपये के बंधपत्र शोधित हुए थे) बाजार से ली हुई उधार राशियों के द्वारा प्राप्त शुद्ध संसाधन वर्ष 1983-84 के दौरान वर्ष 1982-83 के 30 करोड़ रुपये के मुकाबले 30.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गये। रिज़र्व बैंक ने नाबार्ड को पिछले वर्ष के 178 करोड़ रुपये की तुलना में 135 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता (शुद्ध) प्रदान की। यह सहायता राशि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 ((4ई) के अंतर्गत वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकृत 1,300 करोड़ रुपये की सामान्य ऋण सुविधा में से थी। जून 1984 के अंत में, इस ऋण सीमा के अंतर्गत बकाया ऋण राशि 1,039 करोड़ रुपये रही।

Rs.8.5 crores were redeemed), the net resources mobilised through market borrowings amounted to Rs.30.25 crores during 1983-84 as against Rs.30 crores in 1982-83. The Reserve Bank provided financial accommodation (net) to NABARD to the extent of Rs.135 crores as against Rs.178 crores in the previous year. These loans were from the General Line of Credit of Rs.1,300 crores sanctioned for the year 1983-84 under Section 17(4E) of the Reserve Bank of India Act, 1934. As at the end of June 1984, the borrowings outstanding under this line of credit stood at Rs.1,039 crores.

3.17 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, विदेशी सहायता से 41 परियोजनाओं में नाबार्ड के सहयोग का उल्लेख किया गया है। परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक समूह तथा अन्य अभिदाता देशों/अभिकरणों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत नाबार्ड के माध्यम से वितरित कुल ऋण राशि एक वर्ष पूर्व के 2,0780 लाख अमरीकी डालर की तुलना में जून 1984 तक 2,1370 लाख अमरीकी डालर थी। वर्ष 1983-84 के दौरान तीन अभिदाता देशों/अभिकरणों अर्थात यूरोपीय आर्थिक समुदाय से 217 लाख ईसीयू, स्विटजरलैंड से 300 लाख स्विस फ्रांक और नीदरलैंड से 332 लाख डीएफएल ऋण का समझौता, सामूहिक रूप से कुल 47.3 करोड़ रुपये के बराबर की राशि के लिए हुआ, जबकि वर्ष 1982-83 के दौरान 5 देशों से किये गये समझौतों की सहायता राशि 13.3 करोड़ अमरीकी डालर (133 करोड़ रुपये) थी। वर्ष के दौरान, 40.0 करोड़ अमरीकी डालर की ऋण सहायता के लिए नाबार्ड द्वारा विश्व बैंक को प्रस्तुत नाबार्ड की प्रथम ऋण परियोजना विचाराधीन है।

3.17 A reference was made in the last year's Report about NABARD's association with the implementation of 41 projects with external aid. The total credit routed through NABARD under the projects sanctioned by the World Bank group and other donor countries/agencies aggregated US $2,137 million till June 1984 as against US $ 2,078 million a year ago. During 1983-84, credits from 3 donor countries/agencies, viz., EEC credit for ECU 21.7 million, Swiss Credit for SW.fr.30 million and Netherlands credit for DFL 33.2 million were negotiated for total amount collectively equivalent to Rs.473 million as against aid negotiated from 5 countries during 1982-83 aggregating US $ 133 million (Rs.133 crores). The first NABARD credit project for credit assistance of US $ 400 million was submitted by NABARD to the World Bank during the year under review.

कृषि के लिए नाबार्ड की सहायता

अल्पावधि ऋण

3.18 **मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त;** मौसमी कृषि कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को स्वीकृत अल्पावधि ऋण की राशि 1982-83 (जुलाई-जून) के 1,120 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान 1,245 करोड़ रुपये थी, जबकि बकाया राशि जून 1983 के अंत के 573 करोड़ रुपये की तुलना में 584 करोड़ रुपये थी। नाबार्ड ने खरीफ और रबी फसलों के वित्तपोषण के लिए राज्यों को अलग से ऋण सीमाएं स्वीकृत करना जारी रखा, जहां रबी फसलों का अंश अधिक रहा। नाबार्ड द्वारा कृषि तथा अन्य प्रयोजनों जैसे फसलों का विपणन, उर्वरकों का वितरण, हथकरघा बुनकर समितियां इत्यादि को दी गयी वित्तीय सहायता सारणी 3.4 में दर्शायी गयी है।

3.19 **उर्वरकों के वितरण के लिए ऋण सीमाएं:** कैलेंडर वर्ष 1983 के दौरान इस प्रयोजन के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की राशि 25 करोड़ रुपये थी, जबकि 1982 में मात्र 5 करोड़ रुपये की सीमाएं मंजूर की गयी थीं।

3.20 **हथकरघा बुनकर समितियों के लिए ऋण सीमाएं:** हथकरघा बुनकर समितियों के उत्पादन और विपणन कार्यों के लिए स्वीकृत ऋण सीमाएं 1982-83 के 145 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1983-84 (अप्रैल-मार्च) के लिए 189 करोड़ रुपये कर दी गयीं।

मध्यावधि ऋण

3.21 **ऋण सीमाएं:** नाबार्ड ने वर्ष 1984 के लिए अनुमोदित कृषि प्रयोजनों के लिए मध्यावधि ऋण वर्ष

NABARD's Assistance for Agriculture

Short-term Credit

3.18 *Financing of Seasonal Agricultural Operations :* The short-term credit limits sanctioned by NABARD to SCBs during 1983-84 (July-June) for financing seasonal agricultural operations amounted to Rs.1,245 crores as against Rs.1,120 crores in 1982-83 (July-June) while the outstandings stood at Rs.584 crores as against Rs.573 crores at end-June 1983. NABARD continued to sanction separate credit limits for financing kharif and rabi crops to the States, where rabi crops are predominant. The details of financial accommodation provided by NABARD for agriculture and other purposes like marketing of crops, distribution of fertilizers, handloom weavers' societies, are given in Table 3.4.

3.19 *Credit limits for distribution of fertilizers :* The credit limits sanctioned for purchase/distribution of fertilisers during the calendar year 1983 aggregated Rs.25 crores as against only Rs.5 crores in 1982.

3.20 *Credit limits to Handloom Weavers' Societies :* The credit limits sanctioned for production and marketing activities of handloom weavers' societies increased to Rs.189 crores in 1983-84 (April-March) from Rs.145 crores in 1982-83.

Medium-term Credit

3.21 *Credit limits :* NABARD's policy for sanctioning of medium-term credit limits for

सारणी 3.4 : नाबार्ड द्वारा सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों को 1982-83 और 1983-84 में दिये गये ऋण

(करोड़ रुपये)

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा	अवधिवार/प्रयोजनवार वित्त	अवधि जिसके लिए सीमाएं मंजूर की गयीं	1982-83				1983-84			
			मंजूर की गयी सीमाएं	निकाली गयी राशियां	चुकायी गयी राशियां	बकाया राशियां	मंजूर की गयी सीमाएं	निकाली गयी राशियां	चुकायी गयी राशियां	बकाया राशियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. अल्पावधि	**जोड़**	**1,462**	**2,844**	**2,762**	**719**	**1,609**	**2,637**	**2,610**	**746**
21(1)(i)/2(i) 21(1)(i)/3(क) 21(1)(i)/3(ख)	i) मौसमी कृषि कार्य (मार्च 1978 से बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर)*	जुलाई-जून	1,120	1,938	1,892	573	1,245	1,991	1,980	584
	ii) रुई और कपास को छोड़कर अन्य फसलों का विपणन (जून 1978 से बैंक दर पर)									
21(1)(i)/3(ख)	iii) रुई की एकाधिकार वसूली-सहित रुई और कपास का विपणन (जून 1978 से बैंक दर पर)	जुलाई-जून	29	24	20	4	21	60	64	–
21(1)(ii)/3(ख)	iv) उर्वरकों की खरीद और वितरण (जून 1978 से बैंक दर से 1 प्रतिशत अधिक दर पर)	जनवरी-दिसंबर	5	12	12	4	25	8	7	5
21(1)(v)/3(क)	v) हथकरघे कुटीर और लघु का उत्पादन और विपणन (मार्च 1978 से बैंक दर से 2½ प्रतिशत कम दर पर)	अप्रैल-मार्च	145	706	647	116	189	473	444	145
12(1)(v)/3(क)	vi) अन्य कुटीर और लघु उद्योग का वित्त पोषण (मार्च 1978 से बैंक दर से 2¼ प्रतिशत कम दर पर)	अप्रैल-मार्च	38	78	121	6	9	5	6	5
21(1)(iv)/4	vii) सूत की खरीद और बिक्री (बैंक दर पर)	अप्रैल-मार्च	9	9	8	1	10	6	5	2
	viii) चीनी की गिरवी पर (बैंक दर से 5 प्रतिशत अधिक दर पर)	जुलाई-जून	108	72	62	10	107	88	98	–
21(1)(iii)/21(2)(i)	ix) मध्यावधि रुपांतर ऋणों (बैंक दर) में राज्य सहकारी बैंक शेयर के लिए कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत निर्धारित प्रतिभूतियों की गिरवी पर	जुलाई-जून	7	4	–	4	3	6	5	5
(21)(1)(iii)/21(3)(क)	x) जंगल के छोटे-मोटे उत्पाद एकत्र करना और उन्हें बेचना (बैंक दर)	जुलाई-जून	1	1	–	1	–	–	1	–

TABLE 3.4 : NABARD CREDIT TO CO-OPERATIVES AND GOVERNMENTS

During 1982-83 and 1983-84

(Rupees crores)

Section of the NABARD Act, 1981	Term-wise/Purpose-wise Finance	Period for which limits are sanctioned	1982-83				1983-84			
			Limits sanctioned	Drawals	Repayments	Outstandings	Limits sanctioned	Drawals	Repayments	Outstandings
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Short-term	**Total**	**1,462**	**2,844**	**2,762**	**719**	**1,609**	**2,637**	**2,610**	**746**
21(1)(i)/2(i) 21(1)(i)/3(a) 21(1)(i)/3(b)	i) Seasonal agricultural operations (at 3% below Bank Rate from March 1978)*	July-June	1,120	1,938	1,892	573	1,245	1,991	1,980	584
	ii) Marketing of crops other than cotton and kapas (at Bank Rate from June 1978)	July-June (ii and iii)	29	24	20	4	21	60	64	—
21(1)(i)/3(b)	iii) Marketing of cotton and kapas including monopoly procurement of cotton (at Bank Rate from June 1978)									
21(1)(ii)/3(b)	iv) Purchase and distribution of fertilisers (at 1% above Bank Rate from June 1978)	January-December	5	12	12	4	25	8	7	5
21(1)(v)/3(a)	v) Production and marketing of handloom products (at 2½% Bank Rate from March 1978)	April-March	145	706	647	116	189	473	444	145
21(1)(v)/3(a)	vi) Financing of other cottage and small-scale industries (at 2½% below Bank Rate from March 1978) £	April-March	38	78	121	6	9	5	6	5
21(1)(iv)/21(4)	vii) Purchase and sale of yarn (at Bank Rate)	April-March	9	9	8	1	10	6	5	2
	viii) Against pledge of sugar (at 5% above Bank Rate)	July-June	108	72	62	10	107	88	98	—

सारणी 3.4 : नाबार्ड द्वारा सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों को 1982-83 और 1983-84 में दिये गये ऋण

(करोड़ रुपये)

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा	अवधिवार/प्रयोजनवार वित्त	अवधि जिसके लिए सीमाएं मंजूर की गयीं	1982-83				1983-84			
			मंजूर की गयी सीमाएं	निकाली गयी राशियां	चुकायी गयी राशियां	बकाया राशियां	मंजूर की गयी सीमाएं	निकाली गयी राशियां	चुकायी गयी राशियां	बकाया राशियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	II. मध्यावधि	**जोड़**	**202**	**108**	**71**	**159**	**87**	**74**	**75**	**158**
24	कृषि प्रयोजनों के लिए (पहली जनवरी 1979 से बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर)	जनवरी-दिसंबर	28	17	18	36	31	19	18	37
22	अभावग्रस्तक्षेत्रों में अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों की आवधिकता और चुकौती कार्यक्रम में परिवर्तन शामिल है (जनवरी 1979 से बैंक दर से 3 प्रशित कम दर पर)	जुलाई-जून	174	91	53	123	56	55	57	121
	III. दीर्घावधि	**जोड़**	**13**	**13**	**8**	**128**	**11**	**8**	**21**	**115**
27	सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को दिये गये ऋण (6 प्रतिशत वार्षिक की दर पर)	अप्रैल-मार्च	13	13	8	128	11	8	21	115
	कुल ऋण (I + II + III)		1,677	2,965	2,841	1,006	1,707	2,719	2,706	1,019

* संबद्ध करने की योजना के अनुसार 1½ प्रतिशत के अतिरिक्त ब्याज वसूल करने की शर्त पर।

वर्ष 1982-83 के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों और वर्ष 1983-84 के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों सहित

स्रोत : नाबार्ड – कुछ नहीं अथवा नगण्य

TABLE 3.4 : NABARD CREDIT TO CO-OPERATIVES AND GOVERNMENTS (Concld.)

During 1982-83 and 1983-84

(Rupees crores)

Section of the NABARD Act, 1981	Term-wise/Purpose-wise Finance	Period for which limits are sanctioned	1982-83				1983-84			
			Limits sanctioned	Drawals	Repayments	Outstandings	Limits sanctioned	Drawals	Repayments	Outstandings
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21(1)(iii)/21(2)(i)	ix) Against pledge of securities earmarked under Rural Credit Stabilisation Fund for meeting SCB share in M. T. conversion loans (Bank Rate)	July-June	7	4	—	4	3	6	5	5
21(1)(iii)/21(3)(a)	x) Collection and marketing of minor forest produce (Bank Rate)	July-June	1	1	—	1	—	—	1	—
	II. Medium-term	**Total**	**202**	**108**	**71**	**159**	**87**	**74**	**75**	**158**
24	i) Agricultural purposes (at 3% below Bank Rate from January 1, 1979)	January-December	28	17	18	36	31	19	18	37
22	ii) Conversion of short-term loans into medium-term loans in scarcity affected areas including rephasement and reschedulement (at 3% below Bank Rate from January 1979)	July-June	174	91	53	123	56	55	57	121
	III. Long-term	**Total**	**13**	**13**	**8**	**128**	**11**	**8**	**21**	**115**
27	Loans to State Governments for contribution to share capital of co-operative credit institutions (at 6% per annum)	April-March	13	13	8	128	11	8	21	115
	TOTAL CREDIT (I+II+III)		**1,677**	**2,965**	**2,841**	**1,006**	**1,707**	**2,719**	**2,706**	**1,019**

* Subject to recovery of an additional interest of 1½% as per linking scheme.

£ Inclusive of CCBs and urban co-operative banks for 1982-83 and only CCBs for 1983-84.

— Nil or Negligible.

Source : NABARD.

1984 (केवल जुन तक) सीमायें यथावत रखीं। कैलेण्डर वर्ष में स्वीकृत ऋण सीमाओं की राशि 1983 की तदनुरूपी अवधि के 30 करोड़ रुपये की तुलना में 20 करोड़ रुपये थी। कैलेंडर वर्ष 1983 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों के लिए स्वीकृत की गयी और उनके द्वारा सीमाओं में से आहरण की गयी राशि क्रमशः 31 करोड़ रुपये और 19 करोड़ रुपये थी (1982 में क्रमशः 28 करोड़ रुपये और 17 करोड़ रुपये)।

approved agricultural purposes for the year 1984 remained unchanged. For the calendar year 1984 (upto June), credit limits sanctioned amounted to Rs.20 crores as against Rs.30 crores in the corresponding period of 1983. During the calendar year 1983, credit limits sanctioned to SCBs and drawals made by them were Rs.31 crores and Rs.19 crores, respectively (Rs.28 crores and Rs.17 crores, respectively, in 1982).

3.22 **परिवर्तन ऋण** - वर्ष 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त किसानों के अल्पावधि कृषि ऋणों (ऋणों के पुनःचरणबद्ध करने और उनकी चुकौती का कार्यक्रम पुनः निर्धारित करने सहित) को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि से नाबार्ड द्वारा 56 करोड़ रुपये की सीमा के ऋण स्वीकृत किये गये, जबकि 1982-83 में 174 करोड़ रुपये की सीमा के ऋण स्वीकृत किये गये थे। वर्ष 1983-84 के दौरान इन ऋण सीमाओं की तुलना में आहरण की राशि 55 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि 91 करोड़ रुपये थी।

3.22 *Conversion loans :* The limits sanctioned by NABARD during 1983-84 (July-June) from the NRC (Stabilisation) Fund to enable SCBs/CCBs to convert short-term agricultural loans (including rephasing and rescheduling of loans) granted to farmers affected by natural calamities into medium-term loans, stood at Rs.56 crores as compared with Rs.174 crores in 1982-83. The drawals against these limits during 1983-84 amounted to Rs.55 crores compared to Rs.91 crores during the previous year.

दीर्घावधि ऋण

3.23 वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए राज्य सरकारों को 11 करोड रुपये की ऋण सीमाओं की मंजूरी दी गयी, जबकि 1982-83 में यह राशि 13 करोड रुपये थी। इन ऋण सीमाओं की तुलना में आहरण की राशि कम- 8 करोड रुपये (1982-83 में 13 करोड़ रुपये) थी। मार्च 1984 के अंत तक इन ऋणों की बकाया राशि एक वर्ष पूर्व के 128 करोड़ रुपये से घट कर 115 करोड़ रुपये रह गयी।

Long-term Credit

3.23 During the financial year 1983-84, loan limits amounting to Rs.11 crores were sanctioned to State Governments for contribution towards the share capital of co-operative credit institutions as against Rs.13 crores in 1982-83. The drawals against these limits were lower at Rs.8 crores (Rs.13 crores in 1982-83). The amount outstanding against these loans declined to Rs.115 crores as at the end of March 1984 from Rs.128 crores a year ago.

महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन

अल्पावधि ऋण

3.24 **नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कमजोर वर्गों को वित्त प्रदान करना** – जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा गया है, नाबार्ड ने यह सुनिश्चित करना जारी रखा कि बैंक फसल ऋणों के लिए ऋण सीमा का न्यूनतम निर्धारित अंश (साधारणतः 20 प्रतिशत) नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों तथा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रखें।

3.25 **प्राथमिक कृषि-ऋण समितियों के नये और ऋण अदा करने में चूक न करने वाले सदस्यों को वित्त प्रदान करना** – पिछले वर्ष की रिपोर्ट में नाबार्ड के इस निर्णय का उल्लेख किया गया था कि नाबार्ड प्राथमिक समितियों के नये और ऋण अदा करने में चूक न करनेवाले सदस्यों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को भी ऋण मंजूर करेगा जो इसके पात्र नहीं थे तथा पात्र मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को मौसमी कृषि कार्यों तथा अन्य अनुमोदित प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त अल्पावधि ऋण मंजूर करेगा। इसके अतिरिक्त नाबार्ड ने जून 1983 में राज्य सहकारी बैंकों को इस प्रयोजन हेतु पुनर्वित्त सुविधा की सहमति दी, बशर्ते राज्य सहकारी बैंक अपने द्वारा निर्णीत किसी विशेष व्यवस्था के अंतर्गत पात्र प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सीधे वित्त प्रदान करने का उत्तरदायित्व लें।

3.26 **कमान क्षेत्रों में चूककर्ताओं को वित्त प्रदान करना :** कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उत्पादन की जरूरतों के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध हों इस बात को सुनिश्चित करने के

Important Policy Changes

Short-term Credit

3.24 *Financing of Weaker Sections under the New 20-Point Programme :* As mentioned in the last year's Report, NABARD continued to ensure that at least a stipulated minimum proportion of the credit limit for crop loans (usually 20 per cent) was earmarked by banks for financing small and marginal farmers and other economically weaker sections under the New 20-Point Programme.

3.25 *Financing of New and Non-defaulting Members of PACS :* Mention was made in the previous Report of NABARD's decision to sanction credit to ineligible CCBs for meeting needs of new and non-defaulting members of PACS and to eligible CCBs for meeting additional short-term credit needs for seasonal agricultural operations and other approved purposes. Besides this, NABARD agreed in June 1983 to consider refinance facilities to the SCBs for this purpose if the SCBs undertake to finance eligible PACS directly under any special arrangement they decide upon.

3.26 *Financing of Defaulters in Command Areas :* With a view to ensuring provision of adequate credit for production needs in the areas covered by the Command Area Development (CAD) projects, NABARD in Janu-

उद्देश्य से नाबार्ड ने जनवरी 1984 में यह सहमति दी कि कमान क्षेत्र में हिताधिकारियों के अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण सहित कुल ऋणों की 1,500 रुपये (पहले के 1,000 रुपये की सीमा की तुलना में) तक की अतिदेय राशि को 5 से 7 वर्ष तक की अवधि के लिए परिवर्तित किया जाये या उनकी चुकौती का कार्यक्रम निर्धारित किया जाये और इस तरह के हिताधिकारियों को कुछ निश्चित शर्तों के अधीन फार्म विकास और उनके फसल उत्पादन की आवश्यकताओं दोनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। इसके अतिरिक्त, मई 1984 में नाबार्ड ने यह निर्णय किया कि 1,500 रुपये प्रति हिताधिकारी की उच्चतम सीमा सिर्फ अल्पावधि कृषि ऋणों के मामले में लगायी जाये।

ary 1984 agreed that the overdue amounts of beneficiaries in the command areas upto Rs.1,500 (as against the earlier limit of Rs.1,000) in respect of their aggregate borrowings, inclusive of short, medium and long-term loans may be converted/rescheduled for a period of 5 to 7 years and such beneficiaries may be provided with financial assistance both for on farm developments and their crop production requirements, subject to certain conditions. Further, NABARD decided in May 1984 to relate the ceiling of Rs.1,500 per beneficiary to the overdues in respect of only short-term agricultural loans.

मध्यावधि ऋण :

3.27 वर्ष के दौरान, राज्य सहकारी बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि कैलेन्डर वर्ष के दौरान मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये मध्यावधि ऋणों का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों के लिए दिया जाये। अक्तूबर 1983 में राज्य सहकारी बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे अल्पावधि कृषि ऋण के सादृश्य अपने अंतरिम संसाधनों से ऐसे मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करें जो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को उनके नये और चूक न करनेवाले सदस्यों के वित्तपोषण के लिए मध्यावधि ऋण स्वीकृत करने के पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त नाबार्ड ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण सीमायें स्वीकार करते समय, कम राशि की चूक करनेवाले लघु/सीमांत किसानों को मध्यावधि कृषि ऋण प्रदान करने में राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संलग्नता को उनके संसाधनों पर वैध प्रभार के रूप में माना है।

Medium-term Credit

3.27 During the year, the SCBs were advised to ensure that at least 50 per cent of the medium-term loans issued by the CCBs during the calendar year are for financing small and marginal farmers. On the analogy of short-term agricultural loans, in October 1983, the SCBs were permitted to utilise their internal resources to provide finance to CCBs, which were ineligible for grant of medium-term loans to PACS for financing their new and non-defaulting members. Further, NABARD agreed to treat the involvement of SCBs/CCBs in financing medium-term agricultural loans to small/marginal farmers in defaults involving small amounts as a legitimate charge on their resources while sanctioning credit limits for various purposes.

2.28 सहकारी अभिसंस्करण समितियों के शेयर खरीदने हेतु किसानों को समर्थ बनाने के लिए प्रदान किये जाने वाले मध्यावधि ऋण के प्रावधानों से संबंधित समग्र नीति यथावत् रही किंतु सहकारी चीनी कारखानों के शेयरों की खरीद के लिए व्यक्तिगत ऋण की सीमा सितंबर 1983 से औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्रों में 2,250 रुपयों से बढ़ाकर 3,750 रुपये तथा कम विकसित/पिछड़े क्षेत्रों में 2,700 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दी गयी। इसके अतिरिक्त गन्ने की प्रति एकड़ खेती पर एक हजार रुपयों के एक शेयर के हिसाब से निर्धारित 3 शेयर (अर्थात प्रति ऋणकर्ता 3,000 रुपये) की उच्चतम सीमा बढ़ाकर गन्ने की प्रति एकड़ खेती के लिए एक-एक हजार रुपये के दो शेयर और अधिकतम 3 एकड़ गन्ने की खेती पर 5 शेयर प्रति ऋणकर्ता (अर्थात् 2,000 रुपये प्रति एकड़ या 5,000 प्रति ऋणकर्ता, जो भी कम हो) कर दी गयी।

3.28 While the overall policy in regard to provision of medium-term credit for enabling agriculturists to purchase shares in co-operative processing societies remained unchanged, the ceiling on individual loans for purchase of shares in co-operative sugar factories was raised in September 1983 from Rs.2,250 to Rs.3,750 in industrially developed areas and from Rs.2,700 to Rs.4,500 in less developed/backward areas. Further, the ceiling of share holding per borrower was raised from one share of Rs.1,000 for each acre of land under sugarcane cultivation subject to a maximum of 3 shares (i.e., Rs.3,000 per borrower) to two shares of Rs.1,000 each per acre of land under sugarcane cultivation subject to a maximum of 3 acres of land and 5 shares per borrower (i.e., Rs.2,000 per acre or Rs.5,000 per borrower, whichever is less).

दीर्घावधि ऋण

3.29 **भूमि विकास बैंक के अतिदेय :** भूमि विकास बैंकों के अतिदेय की स्थिति के संबंध में नाबार्ड द्वारा किये गये अध्ययनों से यह पता चला था कि ऋण-कर्ता को आवश्यक राहत सहायता स्वीकृत करने के कारण अतिदेयों की बढ़ोतरी प्रकट हुई। कुल मिलाकर अवधि के दौरान ऋण नीतियों और प्रक्रिया में कमियों की प्रवृत्ति से भूमि विकास बैंकों के स्तर पर "मांग" और "अतिदेय" की गलत स्थिति परिलक्षित हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, अप्रतिबंधित ऋण के लिए पात्र प्राथमिक इकाइयों की संख्या में काफी कमी आयी, जिसका विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्पादन बढ़ाने वाले ऋण की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अतः नाबार्ड ने चूककर्ता- ऋणी के प्रत्येक मामले के विश्लेषण के आधार पर स्थिति के नियमन हेतु उचित कार्रवाई करने और योग्य मामलों में उचित सहायता प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये।

Long-term Credit

3.29 *Overdues in LDBs* : Several studies conducted by NABARD regarding overdues position of Land Development Banks (LDBs), had revealed that an inflated picture of overdues had emerged because necessary reliefs were not granted to the borrowers. Cumulatively, over a period, deficiencies in the lending policies and procedures had tended to reflect an incorrect position of 'demand' and 'overdues' at the level of LDBs. As a result, the number of primary units eligible for unrestricted lending had been considerably reduced, which has adversely affected the flow of credit for stepping up production under various development programmes. Hence, NABARD issued guidelines for taking corrective steps for regularising the position, on a case by case analysis, of each category of defaulter-borrower and providing necessary relief in deserving cases.

3.30 **भूमि सुधार बैंकों द्वारा अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालनाः-** सभी संबंधित तथ्यों पर अच्छी तरह विचार करने के बाद नाबार्ड ने यह निर्णय किया कि भूमि विकास बैंकों को निश्चित शर्तों के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों को अलग करने तथा उन्हें मांग, वसूली और शेष रजिस्टर से अलग रखने की अनुमति दी जाये। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भूमि विकास बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे प्रत्येक मामले के विश्लेषण के आधार पर तथा उनके कार्यों के सामान्य अंग के रूप में कतिपय सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए अपने अशोध्य ऋणों को अपने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रारक्षित निधि में बट्टे खाते डाल सकते हैं।

3.30 *Writing off bad debts by LDBs :* After due consideration of all relevant factors, NABARD decided to allow the LDBs to segregate the bad and doubtful debts and take them out of the Demand, Collection and Balance (DCB) register, subject to certain conditions. In extreme circumstances, based on a case by case analysis and as a normal part of their operations, LDBs were allowed to write off their bad debts out of their Bad and Doubtful Debt Reserves, subject to certain safeguards.

3.31 **ऋण घटक के रूप में पूर्व निवेश लागत को शामिल करनाः** सभी राज्य भूमि विकास बैंकों को यह सूचित किया गया कि डेयरी विकास योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा दुधारू पशु कार्यक्रम जैसे कार्यों के लिए दिये गये वित्त के संबंध में सभी के लिए बीमा पॉलिसी से संबंधित बीमे की किस्त को भी पूर्व निवेश लागत का एक हिस्सा समझा जाये तथा इस तरह के खर्चों, मूल्यांकन शुल्क इत्यदि के मामलों में भी ऋण-कर्ता को ऋण सहायता दी जाये।

3.31 *Inclusion of pre-investment cost as a loan component :* All SLDBs were advised that insurance premium in respect of blanket insurance policy, covering activities such as milch cattle financed by the bank under the dairy development schemes, may also be treated as a part of pre-investment cost and loan assistance may be given to borrowers covering such expenditure also as in the case of evaluation fees, etc.

3.32 **भूमि विकास बैंकों के ऋण कार्यक्रम और उनके संसाधन :** वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋण देने से संबंधित कार्यक्रम के लिए 490 करोड़ रुपये की उच्च राशि निर्धारित की गयी थी, जबकि वर्ष 1982-83 के दौरान यह राशि 419 करोड़ रुपये रखी गयी थी (सारणी 3.5)। नाबार्ड को विशेष डिबेंचर (392 करोड़ रुपये) जारी कर, सामान्य डिबेंचर (95 करोड़ रुपये) जारी कर तथा अंतिम संसाधनों (3 करोड़ रुपये) द्वारा इस कार्यक्रम के

3.32 *Lending Programme and Resources of SLDBs:* The lending programme of SLDBs, for the financial year 1983-84, was fixed higher at Rs.490 crores as against Rs.419 crores during 1982-83 (Table 3.5). The resources for this programme were raised by issue of special debentures to NABARD (Rs.392 crores), issue of ordinary debentures (Rs.95 crores) and internal resources (Rs.3 crores), the corresponding figures for 1982-83 being Rs.320 crores, Rs.95 crores and

लिए साधन जुटाये गये थे। 1982-83 में तदनुरूपी आंकड़े क्रमशः 320 करोड़ रुपये, 95 करोड़ रुपये तथा 4 करोड़ रुपये थे। वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों का ऋण कार्यक्रम अस्थाई रूप से 550 करोड़ रुपये नियत किया गया है। 451 करोड़ रुपये के विशेष डिबेंचर और 97 करोड़ रुपये के सामान्य डिबेंचर जारी करके मुख्य रूप से यह वित्त पोषण किया जायेगा।

3.33 वर्ष 1983-84 के लिए 95 करोड़ रुपये के सामान्य डिबेंचर जारी करने का लक्ष्य था, इसकी तुलना में भूमि विकास बैंक 90 करोड़ रुपये जुटा सके, जो मुख्य रूप से पारस्परिक समर्थन और स्वयं सहायता (अर्थात 27 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 22 करोड़ रुपये) के कारण था। वर्ष 1984-85 के लिए साधारण डिबेंचर कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा विभिन्न संस्थाओं से मिलने वाली अपेक्षित सहायता सारणी 3.5 मे दर्शायी गयी है।

सारणी 3.5 : भूमि विकास बैंकों के संसाधन

(करोड़ रुपये में)

	1982-83 (उपलब्धि)	1983-84	1984-85 (लक्ष्य)
ऋण कार्यक्रम	419	490	550
संसाधन :			
(क) नाबार्ड विशेष डिबेंचर	320	392	451
(ख) आंतरिक संसाधन	4	3	2
(ग) सामान्य डिबेंचर	95	95	97
(i) ग में से वास्तव में जारी कियेगये	95	90	97
(ii) संस्थाओं द्वारा अनुदान			
केन्द्र और राज्य सरकारें	8	8	8
भारतीय जीवन बीमा निगम	35	35	35
भारतीय स्टेट बैंक समूह	15	15	15
वाणिज्य बैंक (भारतीय बैंक संघ के माध्यम से)	10	10	10
आपसी समर्थन और स्वयं सहायता	27	22	29

स्रोत : नाबार्ड

Rs.4 crores respectively. The lending programme of SLDBs for the financial year 1984-85 has been tentatively fixed at Rs.550 crores, which would be mainly financed by issue of special debentures of Rs.451 crores and ordinary debentures of Rs.97 crores.

3.33 As against the targeted floatation of ordinary debentures amounting to Rs.95 crores during 1983-84, the LDBs could actually raise an amount of Rs.90 crores due mainly to the shortfall in mutual support and self-help (i.e. Rs.22 crores as against the target of Rs.27 crores). The support expected to be received from the Central and State Governments and various institutions under the ordinary debenture programme for 1984-85 is indicated in Table 3.5.

Table 3.5 : Resources of Land Development Banks

(Rupees Crores)

	1982-83 (Achievement)	1983-84	1984-85 (Target)
Lending programme	419	490	550
Resources :			
(a) NABARD special debentures	320	392	451
(b) Internal resources	4	3	2
(c) Ordinary debentures	95	95	97
i) Out of (c) actual floatations	95	90	97
ii) Contribution by institutions:			
Central and State Governments	8	8	8
Life Insurance Corporation of India	35	35	35
State Bank of India Group	15	15	15
Commercial Banks (through IBA)	10	10	10
Mutual support and self-help	27	22	29

Source : NABARD

3.34 **ग्रामीण डिबेंचर जारी करना :** 1975-76 के बाद स्वैच्छिक आधार पर आरंभ की गयी ग्रामीण डिबेंचर योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य भूमि विकास बैंक ने ग्रामीण डिबेंचर जारी नहीं किये ।

3.34 *Floatation of rural debentures :* None of the SLDBs floated rural debentures under this scheme of rural debentures which is placed on a voluntary basis since 1975-76.

योजना बद्ध ऋण के अंतर्गत पुनर्वित्त सहायता :

3.35 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान नाबार्ड ने 4,961 योजनाएं स्वीकृत कीं, जिनके लिए 1,170 करोड़ रुपये के वायदे किये गये, जबकि पिछले वर्ष 4,957 योजनाओं के लिए 1,019 करोड़ रुपये के वायदे किये गये थे । वितरण की राशि एक वर्ष पूर्व के 703 करोड़ की तुलना में वर्ष 1983-84 में 892 करोड़ रुपये थी । जून 1984 के अंत तक नाबार्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं की संचयी संख्या 29,276 हो गयी थी और इस संबंध में किये गये वायदों तथा वितरण की राशि क्रमशः 6,753 करोड़ रुपये तथा 4,376 करोड़ रुपये थी (सारणी 3.6) ।

Refinance Assistance under Schematic Lending :

3.35 During 1983-84 (July-June), NABARD sanctioned 4,961 schemes involving commitments of Rs.1,170 crores as against 4,957 schemes with commitments of Rs.1,019 crores in the previous year. Disbursement amounted to Rs.892 crores in 1983-84 as against Rs.703 crores a year before. The cumulative number of schemes sanctioned upto the end of June 1984 by NABARD stood at 29,276 with commitments and disbursements amounting to Rs.6,753 crores and Rs.4,376 crores, respectively (Table 3.6).

सारणी 3.6 : 1982-83 और 1983-84 के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रयोजनवार मंजूरियां तथा वितरित राशि

(करोड़ रुपये)

प्रयोजन	1982-83			1983-84			30 जून 1984 को संचयी स्थिति		
	स्वीकृत योजनाओं की सं.	वायदे	वितरित राशि	स्वीकृत योजनाओं की सं.*	वायदे	वितरित राशि	स्वीकृत योजनाओं की सं	वायदे	वितरित राशि @
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
लघु सिंचाई	1,843	357	244	1,923	427	312	11,719	3,332	2,203
भूमि विकास/सीएडी	111	45	21	95	20	29	944	298	139
कृषि मशीनीकरण	1099	187	147	1,116	233	204	5,119	999	868
वृक्षारोपण/बागवानी	445	72	27	579	90	38	2,966	484	184
मुर्गी पालन/ भेड़ पालन/सूअर पालन	279	17	10	296	21	13	1,899	112	69
मत्स्य पालन	209	34	6	184	22	7	1,303	143	62
डेयरी विकास	351	29	14	279	21	13	2,282	169	88
भंडारण/मंडियां	80	8	12	71	9	9	1,326	188	153
अन्य	540	270	222	418	327	267	1,718	1,028	610
कुल	**4,957**	**1019**	**703**	**4,961**	**1,170**	**892**	**29,276**	**6,753**	**4,376**

* इसी वर्ष के दौरान स्वीकृत और बंद की गयी योजनाओं को छोड़कर

@ एस-टी-विन को छोड़कर

स्रोत : नाबार्ड

3.36 वर्ष 1983-84 के दौरान नाबार्ड ने 1923 योजनाएं लघु सिंचाई के वास्ते तथा 3,038 योजनाएं विभिन्न प्रयोजनों के वास्ते (अर्थात लघु सिंचाई को छोड़कर) स्वीकृत की थीं। वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए कुल वायदों की राशि 743 करोड़ रुपये थी। विभिन्न स्वीकृत योजनाओं, वायदों और ऋण वितरण के विवरण सारणी 3.6 में दिये गये हैं।

3.36 During 1983-84, NABARD sanctioned 1,923 schemes for minor irrigation and 3,038 schemes for diversified purposes@ (i.e. other than minor irrigation). The total commitment for diversified purposes was Rs.743 crores in 1983-84. The details of various schemes sanctioned, commitments and disbursements of loans are given in Table 3.6

3.37 वर्ष 1983-84 के दौरान नाबार्ड के कुल वितरण में वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), राज्य भूमि विकास बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का एजेंसी-वार हिस्सा क्रमशः 537 करोड़ रुपये (60 प्रतिशत), 314 करोड़ रुपये

3.37 Agency-wise, the share of commercial banks (including RRBs), SLDBs and SCBs in total NABARD disbursements stood at Rs.537 crores (60 per cent), Rs.314 crores (35 per cent) and Rs.41 crores (5 per cent),

* इसमें भूमि विकास, फार्म मशीनीकरण, बागवानी, मुर्गी पालन, डेयरी/भेड़पालन, मत्स्यपालन, बाजार अहातों का विकास इत्यादि शामिल है।

@ These include land development, farm mechanisation, plantation, poultry, dairying/sheep breeding, fisheries, development of market yards, etc.

TABLE 3.6 : PURPOSE-WISE SANCTIONS AND DISBURSEMENTS BY NABARD DURING 1982-83 & 1983-84

(July-June) (Rupees crores)

Purpose	1982-83			1983-84			Cumulative position as on June.30, 1984		
	No. of Schemes Sanctioned	Commitments	Disbursements	No. of Schemes Sanctioned*	Commitments	Disbursements	No. of Schemes Sanctioned	Commitments	Disbursements @
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Minor Irrigation	1,843	357	244	1,923	427	312	11,719	3,332	2,203
Land Development/CAD	111	45	21	95	20	29	944	298	139
Farm Mechanisation	1,099	187	147	1,116	233	204	5,119	999	868
Plantation/Horticulture	445	72	27	579	90	38	2,966	484	184
Poultry/Sheep breeding/Piggery	279	17	10	296	21	13	1,899	112	69
Fisheries	209	34	6	184	22	7	1,303	143	62
Dairy Development	351	29	14	279	21	13	2,282	169	88
Storage/Market yards	80	8	12	71	9	9	1,326	188	153
Others	540	270	222	418	327	267	1,718	1,028	610
Total	**4,957**	**1,019**	**703**	**4,961**	**1,170**	**892**	**29,276**	**6,753**	**4,376**

* Excludes schemes sanctioned and withdrawn during the same year.

@ Excludes S.T. finance.

Source: NABARD.

(35 प्रतिशत), 41 करोड़ रुपये (5 प्रतिशत) रहा, जबकि पिछले वर्ष यह हिस्सा क्रमशः 423 करोड़ रुपये (60 प्रतिशत), 235 रुपये करोड़ (34 प्रतिशत) और 45 करोड़ रुपये (6 प्रतिशत) था। (सारणी 3.7)।

respectively during 1983-84 as against their respective shares of Rs.423 crores (60 per cent), Rs.235 crores (34 per cent) and Rs.45 crores (6 per cent) in the previous year (Table 3.7).

3.38 क्षेत्रवार, जबकि पश्चिम क्षेत्र का हिस्सा कुल वितरण में 1982-83 के 11.4 प्रतिशत से बढ़कर 1983-84 में 14.3 प्रतिशत हो गया, उत्तरी, मध्य तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के हिस्से क्रमशः लगभग 27 प्रतिशत, 21 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के रूप में अपरिवर्तित रहे। दक्षिणी और पूर्वी

3.38 Region-wise, while the share of the western region in the total disbursements increased from 11.4 per cent in 1982-83 to 14.3 per cent in 1983-84, the shares of northern, central and north-eastern regions remained unchanged around 27 per cent, 21 per

सारणी 3.7 : 1982-83 और 1983-84 के दौरान नाबार्ड द्वारा एजेंसीवार स्वीकृतियां

(जुलाई-जून) (करोड़ रुपये)

एजेंसी	योजनाओं की सं.*		वित्तीय सहायता		नाबार्ड के वायदे		नाबार्ड द्वारा वितरण		30 जून 1984 को संचयी स्थिति			
	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84	योजनाओं की सं.	एजेंसियों द्वारा वित्तीय सहायता	नाबार्ड के वायदे	नाबार्ड द्वारा वितरित राशि@
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. राज्य भूमि विकास बैंक	1,816	1,461	394	451	351	401	235	314	8,587	3,247	2,859	1,947
2. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,100	3,379	827	939	626	719	423	537	20,146	4,708	3,688	2,306
3. राज्य सहकारी बैंक	41	121	47	57	42	50	45	41	543	233	206	123
कुल	**4,957**	**4,961**	**1,268**	**1,447**	**1,019**	**1,170**	**703**	**892**	**29,276**	**8,188**	**6,753**	**4,376**

* एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाओं को छोड़कर

@ एस-टी-वित्त को छोड़कर

स्रोत : नाबार्ड

क्षेत्रों के शेयरों का प्रतिशत कुल वितरण में 1983-84 में कम होकर क्रमशः 25.4 और 10.8 रहा जबकि पिछले वर्ष उनका प्रतिशत क्रमशः 26.2 और 12.8 रहा । (सारणी 3.8) ।

cent and 1 per cent, respectively. In the case of the southern and eastern regions their percentage shares in the total disbursements stood lower at 25.4 and 10.8, respectively during 1983-84, as compared with 26.2 and 12.8, respectively in the preceding year (Table 3.8).

3.39 नाबार्ड ने कम विकसित और/या कम बैंक सुविधावाले राज्यों में कृषि निवेशों में वृद्धि करने तथा उन्हें प्रोत्साहन देने के अपने प्रयास जारी रखे । इन क्षेत्रों में 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान वितरित राशि बढ़कर 357 करोड़ रुपये हो गयी, जबकि 1982-83 (जुलाई-जून) में यह राशि 297 करोड़ रुपये थी (सारणी 3.9) । कुल मिलाकर देखा जाये तो जून 1984 के अंत तक इन क्षेत्रों में वितरित की गई कुल राशि 1,772 करोड़ रुपये थी ।

3.39 The development and promotion of agricultural investments in the less developed and/or underbanked States continued to engage the attention of NABARD. The disbursements in these areas increased to Rs.357 crores in 1983-84 (July-June), as against Rs.297 crores in 1982-83 (Table 3.9). On a cumulative basis, till the end of June 1984, total disbursements in these areas amounted to Rs.1,772 crores.

TABLE 3.7 : AGENCY-WISE SANCTIONS BY NABARD DURING 1982-83 AND 1983-84

(July — June) (Rupees crores)

Agency	Number of Schemes*		Financial Assistance		NABARD Commitments		Disbursements by NABARD		Cumulative position as on June 30 1984			
	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84	No. of Schemes	Financial Assistance by Agencies	NABARD's Commitments	Disbursement by NABARD @
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. State Land Development Banks	1,816	1,461	394	451	351	401	235	314	8,587	3,247	2,859	1,947
2. Scheduled Commercial Banks	3,100	3,379	827	939	626	719	423	537	20,146	4,708	3,688	2,306
3. State Co-operative Banks	41	121	47	57	42	50	45	41	543	233	206	123
Total	**4,957**	**4,961**	**1,268**	**1,447**	**1,019**	**1,170**	**703**	**892**	**29,276**	**8,188**	**6,753**	**4,376**

* Excludes IRDP Plans.

@ Excludes S.T. Finance.

Source: NABARD.

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वितरण-

3.40 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जून 1984 के अंत में नाबार्ड द्वारा किये गये वायदों की राशि 799 करोड़ रुपये थी । इन वायदों पर 533 करोड़ रुपये पुनर्वित्त के रूप में वितरित किये गये थे । वर्ष 1983-84 के दौरान 233 करोड़ रुपये का वितरण किया गया, जबकि 1982-83 में यह राशि 185 करोड़ रुपये थी । वर्ष के दौरान कुल वितरण में सबसे बड़ा हिस्सा वाणिज्य बैंकों (48.1 प्रतिशत) का था; उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (33.0 प्रतिशत), राज्य सहकारी बैंकों (12.9 प्रतिशत) और राज्य भूमि विकास बैंकों (6.0 प्रतिशत) का स्थान था । वर्ष 1983-84 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग, सेवा और व्यवसाय घटक के लिए कुल वितरण से 52 करोड़ रुपये की राशि दी गई, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 15 करोड़ रुपये थी ।

Disbursements under IRD Programme

3.40 As at the end of June 1984, the commitments of NABARD under IRDP amounted to Rs.799 crores against which disbursements by way of refinance amounted to Rs.533 crores. Disbursements during the year 1983-84 stood at Rs.233 crores against Rs.185 crores in 1982-83. The highest share during the year in total disbursements was that of commercial banks (48.1 per cent), followed by RRBs (33.0 per cent), SCBs (12.9 per cent) and SLDBs (6.0 per cent). The industry, service and business (ISB) component of the IRD Programme accounted for Rs.52 crores of the total disbursements during 1983-84 as against Rs.15 crores in the preceding year.

सारणी 3.8 – नाबार्ड द्वारा क्षेत्रवार राशि वितरण

(जुलाई-जून)

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र@	1981-82	1982-83	1983-84
उत्तरी	144 (24.0)	190 (27.9)	242 (27.1)
उत्तरी-पूर्वी	7 (1.2)	8 (1.1)	9 (1.0)
पूर्वी	90 (15.0)	90 (12.8)	96 (10.8)
मध्यवर्ती क्षेत्र	132 (22.0)	151 (21.5)	190 (21.3)
पश्चिमी	82 (13.6)	80 (11.4)	128 (14.3)
दक्षिणी	145 (24.2)	184 (26.2)	227 (25.5)
जोड़	600 (100.0)	703 (100.0)	892 (100.0)

@उत्तरी क्षेत्र में चण्डीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं: उत्तर-पूर्वी में– असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा अजर मणिपुर: पूर्वी क्षेत्र में– बिहार, उड़ीसा, और पश्चि बंगाल, मध्यवर्ती क्षेत्र में– मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश: पश्चिमी क्षेत्र में– गोवा, दमण और दीव, गुजरात और महाराष्ट्र दक्षिणी क्षेत्र में– आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु

नोट : कोष्टक में दिये गये आंकडे जोड़ में प्रतिशत दर्शाते हैं ।

पुनर्वित्त सुविधाओं संबंधी नीति में परिवर्तन

3.41 लघु एवं सीमांत कृषकों को भारी सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम : कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को भारी सहायता देने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा शुरू किये गये राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के काम को नाबार्ड ने उच्चतम प्राथमिकता दी है । चूँकि कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए ऋण आवश्यंक है, अतः नाबार्ड ने पुनर्वित्त प्रदान करने

Refinance Facilities: Policy Changes

3.41 *National Programme of Massive Assistance to Small and Marginal Farmers :* The NABARD has accorded top priority for providing credit support for the implementation of the National Programme of Massive Assistance to Small and Marginal Farmers launched by Government of India for increasing agricultural production. Since credit is one

TABLE 3.8 : REGION-WISE DISBURSEMENTS BY NABARD

(July-June)

(Rs. crores)

Region @	1981-82	1982-83	1983-84
Northern	144 (24.0)	190 (27.C)	242 (27.1)
North-Eastern	7 (1.2)	8 (1.1)	9 (1.0)
Eastern	90 (15.0)	90 (12.8)	96 (10.8)
Central	132 (22.0)	151 (21.5)	190 (21.3)
Western	82 (13.6)	80 (11.4)	128 (14.3)
Southern	145 (24.2)	184 (26.2)	227 (25.5)
Total	600 (100.0)	703 (100.0)	892 (100.0)

@ **Northern Region** comprises Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab and Rajasthan; **North-Eastern Region** — Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura and Manipur; **Eastern Region** Bihar, Orissa and West Bengal; **Central Region** — Madhya Pradesh and Uttar Pradesh; **Western Region** — Goa, Daman & Diu, Gujarat and Maharashtra; **Southern Region** — Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Pondicherry and Tamil Nadu.

Note : Figures in brackets are percentages to total.

Source : NABARD.

में शीघ्रता की दृष्टि से बैंकों की संबंधित प्रक्रिया को सरल कर दिया, जिसके अंतर्गत बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे तीन महीने में एक बार अथवा एक कैलेण्डर माह में एक बार पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, जिसके साथ अपेक्षित सूचना हो और इस आशय का एक प्रमाणपत्र हो कि नाबार्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ऋण-वितरण किया गया है ।

of the key inputs for successful implementation of the programme, NABARD in the interest of expeditious release of refinance to banks, simplified the relevant procedures under which banks are allowed to submit once in a quarter, or even once in a calendar month, an application for refinance together with the required information and a certificate that the disbursements had been made according to the norms prescribed by it.

3.42 **भैंस की पड़िया तैयार करने के लिए योजनाएं :** स्थान की कमी, तबेला मालिकों के पास पर्याप्त धन न होने तथा पड़िया तैयार करने के लिए उन्हें खूंटे पर बांध कर खिलाने का खर्च बहुत अधिक होने के कारण शहरों के डेयरी मालिकों द्वारा अच्छी नस्ल की भैंस की पड़ियां की प्रायः उपेक्षा की जाती है। परिणामस्वरूप ऐसी पड़िया प्रायः भूख से मर जाती है या उन्हें कम दामों पर बेच दिया जाता है। ऐसी पड़ियों की हानि को रोकने का एक संभव उपाय यह है कि शहरों से हटाकर उनका पालन ग्रामीण इलाकों में किया जाये, जहां पर पशुओं का चारा सस्ता होता है और चरने की सुविधा भी होती है। तदनुसार नाबार्ड ने यह निर्णय किया है कि वह ऐसे बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेगा जो दुग्ध-उत्पादन बढ़ाने के लिए शहरों में पैदा हुई अच्छी नस्ल की पड़ियों का ग्रामीण इलाकों में पालन करने के लिए योजना तैयार करते हैं।

3.42 *Schemes for rearing of female buffalo calves :* Good quality female buffalo calves raised by the dairy owners in cities are often neglected due to paucity of space, inadequacy of funds with the stable owners and the high cost of stall feeding for the rearing of heifers. As a result, such calves are often starved to death or sold away at low prices. A possible remedy to avert the loss of such heifers is to have them salvaged and reared in rural areas, where fodder is cheaper and grazing facilities are available. NABARD has accordingly decided to provide refinance assistance to banks, which prepare schemes for the rearing of city-born good quality female buffalo calves in rural areas, for increasing milk production.

सारणी 3.9 कम विकसित और/या बैंकों द्वारा अल्प सुविधा प्राप्त राज्यों को नाबार्ड द्वारा वितरित राशि

(जुलाई-जून)

(योजनाबद्ध ऋण वितरण)

(लाख रुपये)

राज्य	1982-83	1983-84
1. उत्तर प्रदेश	106,30	130,41
2. मध्य प्रदेश	44,60	59,59
3. बिहार	47,40	49,56
4. उड़ीसा	33,92	30,02
5. पश्चिम बंगाल	8,31	16,26
6. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1	6
7. असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य	8,08	9,27
8. राजस्थान	43,54	51,60
9. जम्मू और कश्मीर	2,41	6,52
10. हिमाचल प्रदेश	2,23	345
11. वितरित राशि (1 से 10 तक)	296,80	356,74
	(42.2)	(40.0)
कुल वितरित राशि (पूरे भारत में)	**702,69**	**892,44**

नोट : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल वितरित राशि में उस राज्य विशेष में वितरित राशि का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : नाबार्ड

3.43 **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम केअंतर्गत पुनर्वित्त प्रदान करना :** सहभागी बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन अग्रिमों, जिनका अनुमोदन नाबार्ड द्वारा किया गया हो, के संबंध में मूल्यांकन शुल्क में छूट देने (निवेश की लागत के 0.5 प्रतिशत की दर से) पर विचार करें।

3.43 *Refinance under IRDP :* The participating banks were advised to consider waiving evaluation fee (at the rate of 0.5 per cent of the cost of investment) in respect of advances made under IRDP for which the banks have the approval of NABARD.

लघु सिंचाई को प्रोत्साहन देनेवाली योजनाओं के लिए पुनर्वित्त :

3.44 सिंचाई के पानी का संरक्षण तथा इसे निकालने के लिए अपेक्षित शक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितना की नये सिंचाई कार्यों का विकास। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते

3.44 *Refinance for schemes encouraging Minor Irrigation*

Conservation of irrigation water and energy required for its pumping are as important as the development of new irrigation works. With this end in view, it was decided to extend the scope of NABARD's refinance

TABLE 3.9 : DISBURSEMENTS BY NABARD TO LESS DEVELOPED AND/OR UNDER-BANKED STATES

(July-June)

(Schematic Lending)

(Rupees Lakhs)

States	1982-83	1983-84
1. Uttar Pradesh	106,30	1,30,41
2. Madhya Pradesh	44,60	59,59
3. Bihar	47,40	49,56
4. Orissa	33,92	30,02
5. West Bengal	8,31	16,26
6. Andaman & Nicobar Islands	1	6
7. Assam & Other North-Eastern States	8,08	9,27
8. Rajasthan	43,54	51,60
9. Jammu & Kashmir	2,41	6,52
10. Himachal Pradesh	2,23	3,45
Disbursements (1 to 10)	296,80 (42.2)	356,74 (40.0)
Total Disbursements (All-India)	702,69	892,44

Note :- Figures in brackets indicate percentage disbursements in the specified States to total disbursements.

Source : NABARD.

हुए यह निर्णय किया गया था कि नाबार्ड के पुनर्वित्त संबंधी क्षेत्र में विस्तार किया जाये और उसमें भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अनुसरण में बनायी गयी योजनाओं के अंतर्गत स्प्रिंकलर, ड्रिपसिस्टम, सोलर पंप, विंडमिल पंप, हाईड्राम, जल टर्बाइन और आदमी तथा पशुओं द्वारा चलनेवाले पंपों को खरीदने के कार्य को शामिल किया जाये ।

to include the purchase of sprinklers, drip system, solar pumps, wind mill pumps, hydrams, water turbines, man and animal-operated pumps under the schemes formulated in pursuance of the programmes sponsored by the Government of India.

औद्योगिक सहकारिता

नीतिगत परिवर्तन

3.45 **हथकरघा बुनकर समितियों को पुनर्वित्त:** हथकरघा संबंधी कार्यदल द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड ने दिसंबर 1983 में यह निश्चय किया कि करघों के आधुनिकीकरण/अभिग्रहण, कार्यस्थलों के निर्माण तथा नये करघे लगाने के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाये । इस योजना के अंतर्गत (i) मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से संबंधित समितियों के माध्यम से हथकरघा बुनकर समितियों के सदस्यों अथवा, प्राथमिक कृषि ऋण समिति/कृषक सेवा समिति/वृहदाकार आदिवासी बहुउददेश्यीय समिति के सदस्यों को दिये गये ऋण के संबंध में तथा (ii) नये हथकरघा वाणिज्य केन्द्र की स्थापना अथवा वर्तमान हथकरघा वाणिज्य केन्द्र के नवीकरण के लिए शीर्ष/क्षेत्रीय बुनकर समितियों को सावधि ऋण स्वीकृत करने के उद्देश्य से राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जायेगी । इस योजना के अंतर्गत नाबार्ड पुनर्वित्त सहायता के ब्याज की अदायगी सहित पुनर्वित्त सहायता की चुकौती के लिए संबंधित राज्य सरकार की गारंटी पर पुनर्वित्त प्रदान करेगा ।

Industrial Co-operatives

Policy Changes

3.45 *Refinance to Handloom Weavers' Societies :* Based on the recommendations of the Task Force on Handlooms, NABARD decided in December 1983 to provide refinance assistance for modernisation/acquisition of looms, construction of worksheds and installation of new looms. Under this Scheme, refinance assistance will be provided to the SCBs on behalf of the CCBs (i) in respect of the loans advanced to members of handloom weavers' societies or to the members of the PACS/FSS/LAMPS through the concerned societies and also (ii) for the purpose of granting term loans to apex/regional weavers' societies for the establishment of new handloom emporia or renovation of the existing ones. Refinance under the scheme would be provided by the NABARD against the guarantee of the concerned State Government for repayment of the refinance assistance including payment of interest on such refinance.

3.46 **उपभोक्ता किस्म की सहकारी बुनाई मिलों के शेयर की खरीद के लिए पुनर्वित्त :** विद्युतचालित करघों के मालिकों को उपभोक्ता किस्म की सहकारी बुनाई मिलों के शेयरों की खरीद के लिएभारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जो सुविधा 1975 में प्रदान की गयी उसे नाबार्ड ने जारी रखा । हथकरघा संबंधी कार्यदल द्वारा की गयी सिफारिशों

3.46 *Refinance for purchase of shares in consumer type of Co-operative Spinning Mills :* The facility of medium-term loans, which was extended by the Reserve Bank in 1975 to powerloom owners for purchase of shares in the consumer type of co-operative spinning mills, was continued by NABARD. On the basis of the recommendations of the

के आधार पर निश्चय किया गया कि नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करेगा, ताकि वह देश में स्थापित किये जाने वाले उपभोक्ता किस्म की सहकारी बुनाई मिलों के शेयरों की खरीद के लिए राज्य सरकार की गारंटी पर हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के सदस्यों को मध्यावधि ऋण प्रदान करें। ये उपभोक्ता किस्म की सहकारी बुनाई मिलें वे हैं, जो अपने कुल सूत का कम से कम 75 प्रतिशत लच्छों के रूप में उत्पादन करते हैं अथवा उत्पादन करने का उनका कार्यक्रम है।

Task Force on Handlooms, it was decided that NABARD would provide refinance to SCBs for advancing medium-term loans through the CCBs/societies to members of handloom weavers' co-operative societies against the guarantee of the State Government for purchase of shares in consumer type of co-operative spinning mills organised/to be organised in the country, which are producing or which have programmes to produce at least 75 per cent of their total yarn in hank form.

हथकरघा पर तैयार शुद्ध रेशमी कपड़ों के लिए वित्त की मात्रा

3.47 हथकरघों पर बुने जानेवाले रेशमी कपड़ों से संबंधित वित्त की मात्रा की पर्याप्तता अथवा अन्य बातों पर विचार करने के लिए नाबार्ड द्वारा किये गये अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर दिसंबर 1983 से प्रति करघा वित्त की मात्रा 3,500 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गयी। वर्ष के दौरान नवगठित प्राथमिक बुनकर समितियों अथवा निष्क्रिय समितियों के संबंध में जो कि हथकरघे/विद्युतचालित करघे पर विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार करती हैं, प्रथम दो वर्ष के लिए ऋण आवश्यकताओं का निर्धारण प्रति करघा वित्तके आधार पर नाबार्ड द्वारा किया जायेगा। इसे नीचे दर्शाया गया है:

3.47 *Scale of finance for pure silk cloth produced on handlooms :* On the basis of the findings of the studies undertaken by the NABARD to consider the adequacy or otherwise of the scale of finance relating to pure silk cloth produced on handlooms, the per loom scale of finance was raised from Rs.3,500 to Rs.6,000 from December 1983. Credit requirements for the first two years in respect of newly organised primary weavers' societies or dormant societies producing different varieties of cloth on handlooms/powerlooms would be assessed by the NABARD on the basis of per loom scale of finance indicated below:

किस्में	वित्त की मात्रा प्रति करघा (रु)
1. हथकरघे पर तैयार सूती कपड़े	2,000
2. पलंग की चद्दर, परदों आदि के कपड़े, जैकार्ड टेरी तौलिये तथा निर्यात किस्म के कपड़ों की विशेष किस्में	3,000
3. हथकरघे पर तैयार ऊनी वस्त्र	3,000
4. बिजलीचालित करघे	5,000
5. हथकरघे पर तैयार शुद्ध रेशमी कपड़े	6,000
6. हथकरघे पर तैयार पोलिएस्टर कपड़े	10,000
7. विद्युतचालित करघों पर तैयार शुद्ध रेशमी कपड़े	20,000

Variety	Per loom scale of finance Rs.
1. Cotton on handlooms	2,000
2. Special varieties of cotton cloth like bed spreads, furnishing materials, jacquard terry towels and export varieties of cloth	3,000
3. Woollen on handlooms	3,000
4. Powerlooms	5,000
5. Pure silk cloth on handlooms	6,000
6. Polyester on handlooms	10,000
7. Pure silk cloth on powerlooms	20,000

अन्य औद्योगिक सहकारी समितियां

3.48 **संघटित पूंजी के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं :** नाबार्ड, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को ब्याज की रियायती दर पर पुनर्वित्त सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि राज्य सहकारी बैंक निम्नलिखित को कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान कर सकें- (।) लघु और कुटीर उद्योगों के 22 बड़े समूहों से संबंधित औद्योगिक सहकारी समितियाँ (बुनकर समितियों के अलावा) तथा (।।) बुनकर और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बड़े आकारवाली आदिवासी बहुउद्देश्यीय समितियों/कृषक सेवा समितियों के ग्रामीण कारीगर सदस्य। किन्तु राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों को दिये जानेवाले संघटित पूंजी ऋण से संबंधित पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नाबार्ड द्वारा गठित खादी और ग्रामोद्योग संबंधी कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड ने औद्योगिक सहकारी समितियों तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बड़े आकारवाली आदिवासी बहुउद्देश्यीय समितियों तथा कृषक सहकारी समितियों के सभी ग्रामीण कारीगर सदस्यों को सरकार की गारंटी पर संगटित पूंजी वित्त उपलब्ध कराने के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है।

Other industrial co-operatives

3.48 *Refinance Facilities for Block Capital :* NABARD has been providing refinance assistance at concessional rate of interest to SCBs on behalf of CCBs for enabling the latter to provide working capital finance to (i) industrial co-operatives (other than weavers' societies) covered by the 22 broad groups of cottage and small-scale industries and (ii) weavers and rural artisan members of PACS/LAMPS/FSS. Refinance facility was, however, not available in respect of the block capital loan provided by SCBs/CCBs to the industrial co-operatives. Based on the recommendations of the Task Force on the Khadi and Village Industries constituted by NABARD, it has evolved a scheme for extending refinance assistance to the SCBs, on behalf of the CCBs, to enable the latter to provide block capital finance to industrial co-operative societies and individual rural artisan members of PACS/LAMPS and FSS against Government guarantee.

3.49 **योजना की मुख्य विशेषताएं.**

(1) राज्य सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए गये ऋणों के 90 प्रतिशत की सीमा तक मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान किया जायेगा, ताकि वे केवल उपकरणों तथा औजारों में संघटित पूंजी निवेश के लिए औद्योगिक समितियों,और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/बड़े आकार वाली आदिवासी बहुउद्देश्यीय समितियों तथा कृषक सेवा समितियों

3.49 The salient features of the scheme are: (i) refinance will be provided to the extent of 90 per cent of the loans advanced by SCBs to CCBs for grant of term loans to industrial co-operatives and individual artisan members of primary industrial societies, PACS/LAMPS and FSS for block capital investment in equipments and tools only; (2) the refinance will be provided to SCBs by NABARD at the rate of interest of 6.5 per cent per annum, provided the rate of interest

के सभी ग्रामीण कारीगर सदस्यों को सावधि ऋण स्वीकृत कर सकें। (2) नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को 6.5 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से पुनर्वित्त प्रदान किया जायेगा, बशर्ते ब्याज की दर (क) औद्योगिक समितियों तथा (ख) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/बड़े आकारवाली आदिवासी बहुउद्देशीय समितियों/कृषक सेवा समितियों के प्रत्येक सदस्य से क्रमशः 9 और 10 प्रतिशत सालाना से अधिक न ली जाये, (3) पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम ऋण पात्रता प्रति औद्योगिक समिति के लिए 5 लाख रुपये तथा प्रत्येक कारीगर के लिए 10,000 रुपये निर्धारित की गयी है; (4) संघटित पूंजी ऋण की न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्रमशः 3 वर्ष और 10 वर्ष होगी तथा (5) नाबार्ड द्वारा दिये जानेवाले पुनर्वित्त का उपयोग राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा जिला औद्योगिक सहकारी बैंकों द्वारा उन औद्योगिक समितियों के वित्तपोषण के लिए किया जायेगा, जिन्होंने उसी प्रकार की पुनर्वित्त सुविधाएं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त नहीं की हैं।

charged to (a) industrial societies and (b) individual members of PACS/LAMPS/FSS does not exceed 9 and 10 per cent per annum, respectively; (3) the maximum loan eligibility under the refinance scheme is fixed at Rs.5 lakhs per industrial society and Rs.10,000 per individual artisan; (4) the minimum and maximum period of block capital loans shall be 3 years and 10 years, respectively; and (5) the term-loan refinance from NABARD shall be utilised by SCBs/CCBs and district industrial co-operative banks for financing only those industrial societies which have not availed of similar refinance facilities from the IDBI.

3.50 **रेशम उद्योग विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं :** बैंकों द्वारा शहतूत वाले क्षेत्रों में रेशम उद्योग संबंधी कार्यों के वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के पुनर्वित्त की वर्तमान शर्तों में संशोधन किया गया है, ताकि इस-तरह के अधिक से अधिक कार्यों को नाबार्ड की पुनर्वित्त सीमा में लाया जा सके। अतः शहतूत न होनेवाले क्षेत्रों में भी एरी, टसर और मूंगा जैसे रेशम के उत्पादन के लिए पुनर्वित्त सहायता दी गयी, ताकि उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों, साथ ही बिहार, उड़ीसा आदि में रेशम उद्योग संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन मिले।

3.50 *Refinance facilities for sericulture development :* To enlarge the scope for financing sericultural activities by banks in the mulberry sector, the existing terms and conditions of such refinance were modified so as to bring more such activities within the scope of NABARD's refinance. Thus, refinance facilities were extended for production of silk like eri, tasar and muga in the non-mulberry sector so as to promote sericulture activity in North-Eastern region as well as in Bihar, Orissa, etc.

3.51 कीड़ा पालन की लागत के लिए एक बार में 500 रुपये प्रति व्यक्ति पुनर्वित्त के रूप में, दिया जायेगा, परंतु रेशम उत्पादन करने वालों को अम्बर चरखा जैसे लपेटने के उपकरणों को लगाने के लिए भी सहायता दी जायेगी। इकाई लागत की दर वर्तमान में

3.51 While refinance for the cost of rearing at Rs.500 per person will be given as a one time measure, the sericulturists will also be assisted for setting up reeling equipments viz., Ambar Charkhas. The unit cost is presently fixed at Rs.2,000 and down payment

2,000 रुपये है तथा नाबार्ड की शर्तों के अनुसार ऋणकर्ताओं द्वारा लघु, मध्यम और दूसरे कृषकों द्वारा तत्काल अदायगी के लिए दिया जानेवाला अंशदान उपकरणों की लागत का क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत होगा। ऋण की अवधि 5 वर्षों की होगी। वित्त प्रदान करने वाले पात्र बैंकों को नाबार्ड द्वारा दिये गये पुनर्वित्त पर ब्याज की दर छोटे कृषकों के मामले में 6.5 प्रतिशत तथा दूसरों के मामले में 8.0 प्रतिशत होगी। उधार की अंतिम दर, लघु कृषकों के लिए 10 प्रतिशत तथा दूसरों के लिए 12.5 प्रतिशत होगी। योजना के अंतर्गत, जहां राज्य सरकारी बैंक और बाणिज्य बैंक नाबार्ड के 80 प्रतिशत पुनर्वित्त के पात्र हैं, वहां राज्य भूमि विकास बैंक 95 प्रतिशत पुनर्वित्त के पात्र हैं।

3.52 **नारियल जटा के प्रदर्शन कक्षों/विक्रय डिपो की स्थापना के लिए पुनर्वित्त :** नारियल जटा से बनी वस्तुओं की आंतरिक बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से किराये के आधार पर प्रदर्शन कक्षों/विक्रय डिपो की स्थापना के लिए केरल राज्य सहकारी नारियल जटा विपणन संघ तथा केरल राज्य नारियल जटा निगम द्वारा पुनर्वित्त की सुविधाएं प्रदान की गयीं। नाबार्ड के पुनर्वित्त की मात्रा बैंकों द्वारा वितरित राशि में 90 प्रतिशत होगी, बशर्ते इस योजना की कुल लागत में उधारकर्ता ने कम से कम 25 प्रतिशत लगाया हो। इस उद्देश्य के लिए दिये जाने वाले पुनर्वित्त पर ब्याज की दर 8 प्रतिशत होगी। यह ऋण मूल की चुकौती के लिए 2 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि के साथ 6 वर्षों की अवधि में चुकाना होगा।

सहकारी श्रमिक ठेका समितियों को अग्रिम

3.53 राज्य सहकारी बैंकों तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा श्रमिक ठेका-समितियों के दिये जाने वाले निर्बंध नकदी ऋण के लिए नाबार्ड ने कुछ मानदंड निर्धारित किये हैं। अपनी निधियों के बराबर की निर्बंध नकदी ऋण सीमा

to be contributed by borrowers as per NABARD's norms for small, medium and other farmers will be 5, 10 and 15 per cent of the cost of the equipment, respectively. The period of loan will be 5 years. The rate of interest on NABARD's refinance to eligible financing banks will be 6.5 per cent in respect of small farmers and 8.0 per cent for others. The ultimate lending rate for small farmers will be 10 per cent and for others 12.5 per cent. Under the Scheme, while SCBs and commercial banks are eligible for 80 per cent refinance from NABARD, the SLDBs are eligible for 95 per cent refinance.

3.52 *Refinance for setting up of coir show rooms/sales depots :* With a view to improving the internal sales of coir products, refinance facilities were extended for setting up of show-rooms/sales depots on hire basis by the Kerala State Co-operative Coir Marketing Federation and the Kerala State Coir Corporation. NABARD's refinance will be 90 per cent of the amount disbursed by the banks, provided the borrower's involvement was at least 25 per cent of the total cost of the scheme. The rate of interest on refinance for this purpose will be 8 per cent. The loan will be repayable within a period of 6 years, with a moratorium of 2 years for repayment of principal.

3.53 *Advances to Co-operative Labour Contract Societies :* NABARD has prescribed certain norms for sanction of clean cash credit accommodation by SCBs and CCBs to labour contract societies. Clean Cash credit limit will be sanctioned equal to owned funds withuot Government guarantee and

सरकार की गारंटी के बगैर ही स्वीकृत की जायेगी, किंतु अपनी निधियों से तीन गुना अधिक के लिए सरकार की गारंटी अपेक्षित है । इसके अलावा, सरकारी/अर्ध सरकारी निकायों के पक्ष में निष्पादित संविदाओं के 70 प्रतिशत तक तथा उनके अनिर्णीत बिलों पर ऋण सहायता स्वीकृत की जा सकती है, बशर्ते इस प्रकार के बिल तीन महीने से अधिक पुराने न हों ।

three times their owned funds with Government guarantee. In addition, sanction of credit accommodation upto 70 per cent of the executed contracts and pending bills therefor in favour of Government/quasi Government bodies can be granted, provided such bills are not pending for more than three months.

कृषि से संबंधित गतिविधियां

3.54 नाबार्ड ने यह निर्णय किया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भार ढोने वाले पशुओं यथा गधे, खच्चर, टट्टू की खरीद को नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 24 के अंतर्गत मध्यावधि ऋण की स्वीकृति के लिए अनुमोदित प्रयोजन के रूप में विचार किया जाये । ऋण की चुकौती की अवधि ऋणकर्ता की चुकौती क्षमता के अनुसार पांच वर्ष तक होगी ।

3.54 *Allied agricultural activities*
NABARD has decided to consider purchase of pack animals viz., donkeys, mules, and ponies in hilly areas as an 'approved purpose' for sanction of medium-term loans under Section 24 of the NABARD Act, 1981. Loans would be allowed for a period upto 5 years depending upon the repaying capacity of the borrower.

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक :

3.55 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा गया था, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के कार्यों के निरीक्षण का कार्य रिज़र्व बैंक के अधीन रहा । वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक में एक अलग विभाग — शहरी बैंक विभाग की स्थापना फरवरी 1984 में हुई, जिसका कार्य शहरी सहकारी बैंकों के विकास को सही तरीके से नियमित करना और उसका निरीक्षण करना है । यह उल्लेखनीय है कि मौजूदा/नये बैंकों तथा शाखाओं को लाइसेंस प्रदान करना, शहरी बैंकों की ओर से लघु उद्योग इकाइयों का वित्तपोषण करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त के रूप में ऋण सीमाएं स्वीकृत करना, शहरी सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकार के ऋण आवेदन पत्रों की जांच करना और नाबार्ड को उनकी सिफारिश करना, साथ ही उनका सांविधिक निरीक्षण करना रिज़र्व बैंक की जिम्मेदारियां हैं ।

3.55 *Primary (Urban) Co-operative Banks :*
As stated in the previous Report, the function of overseeing the working of primary (urban) co-operative banks remained with the Reserve Bank. During the year, a separate department viz., Urban Banks Department was set-up in the Reserve Bank in February 1984 to monitor and regulate the growth of urban co-operative banks on sound lines. It may be mentioned that Reserve Bank is responsible for licensing existing/new banks and branches, sanctioning of credit limits to SCBs by way of refinance on behalf of urban banks for financing the SSI units, processing and recommending to NABARD the loan applications of State Governments for contribution to share capital of urban co-operative banks as well as conducting their statutory inspections.

लाइसेंस जारी करना और निरीक्षण कार्य :

3.56 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक ने देश में नये कार्यालय खोलने के लिए विभिन्न प्राथमिक सहकारी बैंकों को 156 लाइसेंस जारी किये । 1982-83 में मौजूदा तथा 13 नये प्राथमिक सहकारी बैंकों को जारी किये गये 22 लाइसेंसों की तुलना में वर्ष के दौरान 27 मौजूदा तथा 25 नये प्राथमिक सहकारी बैंकों को बैंकिंग कारोबार चलाते रहने अथवा शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी किये गये । जून 1984 के अंत में लाइसेंसप्राप्त कुल प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या 393 हो गयी । 1983-84 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा 397 प्राथमिक सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया गया और 451 बैंकों की निरीक्षण रिपोर्टें जारी की गयीं ।

3.56 *Issue of licences and inspections* During 1983-84 (July-June), 156 licences were issued to various PCBs by the Reserve Bank for opening new offices in the country. Licences to carry on or commence banking business were issued to 27 existing and 25 new PCBs during the year as against 22 licences issued to existing and 13 new PCBs during 1982-83. The number of total licensed PCBs, as at the end of June 1984, stood at 393. During 1983-84, inspections of 397 PCBs were conducted by the Reserve Bank and inspection reports on 451 banks were issued.

3.57 **अल्पावधि ऋण सीमा :** वर्ष 1983-84 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 101 शहरी सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को 56.4 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमाएं प्रदान की गयीं, ताकि वे ब्याज की रियायती दर अर्थात बैंक दर से 2.5 प्रतिशत कम दर पर कुटीर तथा लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान कर सकें । इन ऋण सीमाओं के अंतर्गत 31 मार्च 1984 को बकाया ऋणों की राशि 48 करोड़ रुपये थी ।

3.57 *Short-term credit limits :* During the year 1983-84 (April-March), short-term credit limits aggregating Rs.56.4 crores were sanctioned to SCBs on behalf of 101 urban co-operative banks for financing cottage and small-scale industrial units at a concessional rate of interest i.e., 2.5 per cent below the Bank Rate. The outstanding borrowings under these limits amounted to Rs.48 crores as on March 31, 1984.

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण :

3.58 सितम्बर 1983 में सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने कुल अग्रिमों का 60 प्रतिशत (वाणिज्य बैंकों के लिए 40 प्रतिशत की तुलना में) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देने का लक्ष्य 30 जून 1985 तक प्राप्त करें, जिसका 25 प्रतिशत (अथवा कुल ऋणों और अग्रिमों का 15 प्रतिशत) कमजोर वर्गों के लिए होना चाहिए । जिन प्राथमिक सहकारी बैंकों का प्राथमिकताप्राप्त

3.58 *Priority sector lendings :* All the urban co-operative banks were advised in September 1983 to achieve by June 30, 1985 the target of 60 per cent of their total advances towards priority sector lendings (as against 40 per cent for commercial banks) of which at least 25 per cent (or 15 per cent of the total loans and advances) should be to weaker sections. The PCBs, with priority sector lendings at less than 40 per cent of their total

क्षेत्र को ऋण 30 जून 1983 को अपने कुल अग्रिमों का 40 प्रतिशत से कम था, उन्हें सूचित किया गया कि वे आगामी दो वर्षों में ऐसे अग्रिमों के स्तरों में 10 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि करें ।

advances as on June 30, 1983, were advised to raise the level of such advances by 10 per cent each year over the next two years.

आवास वित्त :

3.59 प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा आवास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत सितंबर 1983 में जारी किये गये, जिनमें ऋणकर्ताओं और योजनाओं तथा किसी एक ऋणकर्ता के लिए ऋण की कुल मात्रा (50,000 रुपये से अधिक नहीं) के संबंध में पात्रता मानदंड दर्शाये गये थे । प्राथमिक सहकारी बैंकों को यह भी अनुमति दी गयी कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा निम्न आय वर्गों के ऋणकर्ताओं को संपत्ति के मूल्य के 80 प्रतिशत तक का वित्त प्रदान करें । तथापि राज्य आवास बोर्डों, स्थानीय निकायों जैसी संस्थाओं को दिये जाने वाले वित्त को कम किया जाये और वह परियोजना की लागत के 40 प्रतिशत से अधिक न हो । आवास ऋणों के लिए ब्याज 15 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होना था । ऋण सामान्यतः 10 वर्ष की अवधि में चुकाये जायें, यद्यपि जब कभी आवश्यक समझा जाये यह अवधि 15 वर्ष तक भी बढ़ायी जा सकती है । किंतु प्राथमिक सहकारी बैंक अपने कुल जमा संसाधनों का केवल 10 प्रतिशत अथवा अपने शुद्ध प्रयोज्य सावधि संसाधनों का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का उपयोग आवास ऋण तथा साथ ही लघु उद्योगों को संगठित पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए कर सकता है ।

3.59 *Housing Finance :* Revised guidelines for financing of housing schemes by PCBs were issued in September 1983, outlining the eligibility criteria as regards borrowers as well as schemes and the total quantum of loans for an individual borrower (not more than Rs.50,000). The PCBs were also permitted to extend the finance upto 80 per cent of the value of the property in respect of borrowers belonging to scheduled castes/ tribes and lower income groups. The finance to be extended to the institutions like state housing boards, local bodies, etc. has, however, to be restricted to not exceeding 40 per cent of the cost of the project. The interest on housing loans was not to exceed 15 per cent per annum. The loans should be repayable normally within 10 years, though the period can be extended even upto 15 years wherever considered necessary. A PCB can, however, utilise only upto 10 per cent of its total deposit resources or 25 per cent of its net disposable long-term resources, whichever is more, for providing housing loans as well as block capital loans to SSI units.

3.60 **शेयरों को ऋण के साथ जोड़ना :** रिज़र्व बैंक ने, बैंकों की कुछ श्रेणियों के मामले में शेयरों को ऋण से जोड़ने के मानदंडों में कुछ रियायतें लागू की हैं । तदनुसार, सहकारी समितियों के पंजीयकों (रजिस्ट्रारों) को यह सूचित किया गया कि वे एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी एवं प्रारक्षित निधि वाले

3.60 *Linking of share holdings to Borrowings :* The Reserve Bank effected certain relaxations in the norms for linking share holding to borrowings in the cases of certain categories of banks. Accordingly, the Registrars of co-operative societies were advised to allow reduced share linking of one per

प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये रक्षित ऋणों के मामले में एक प्रतिशत शेयरों को ऋण राशि से जोड़ें परंतु ऐसा कतिपय शर्तों के अधीन किया जाना चाहिए, जैसे कि, अधिकतम ऋण सीमा का स्वाधिकृत निधियों के 25 गुने तक निधारिण, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए उचित प्रावधान, बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के 20 प्रतिशत से अतिदेय का अधिक न होना, आदि।

cent to borrowings in the case of secured loans provided by the PCBs with paid-up share capital and reserves of rupees one crore and above, subject to certain conditions like fixation of maximum borrowing power at 25 times of the owned funds, adequate provision for bad and doubtful debts, overdues not to exceed 20 per cent of outstanding loans and advances, etc. of such banks.

3.61 **लघु उद्योग इकाइयों के वित्तपोषण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त** : वर्ष के दौरान, लघु उद्योग इकाइयों के वित्तपोषण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जानेवाली पुनर्वित्त सहायता को नियंत्रित करनेवाली नीति में संशोधन किया गया। संशोधित नीति के अनुसार, प्राथमिक सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को बैंक दर से 2.5 प्रतिशत कम की दर पर रियायती पुनर्वित्त सामान्यतः उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि प्राथमिक सहकारी बैंक ऐसी नयी लघु उद्योग इकाइयों की अथवा उनकी जो सात वर्षों से अधिक अवधि से अस्तित्व में है, उत्पादन कर रहे हैं, वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किये जाने वाले रियायती पुनर्वित्त का उपयोग, प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा ऐसी लघु और अतिलघु इकाइयों के लिए किया जाएगा, जो सभी संसाधनों से दो लाख रुपये तक ऋण सीमा का लाभ उठाते हैं, इनके अस्तित्व की अवधि/उत्पादन इत्यादि चाहे कुछ भी हो।

3.61 *Refinance from RBI for financing SSI units :* The policy governing refinance assistance from the Reserve Bank for financing SSI units was modified during the year. In terms of the modified policy, the concessional refinance at 2.5 per cent below the Bank Rate to the SCBs would normally be available in respect of their financing PCBs for lending to new SSI units or those which are in existence/under production for not more than seven years to meet their genuine credit needs. The concessional refinance from the Reserve Bank may be utilised by the PCBs for lending to small and tiny units enjoying credit limits upto Rs.2 lakhs from all sources, irrespective of the period of their existence/production.

3.62 **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से मीयादी ऋण पुनर्वित्त** : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अगस्त 1983 से दस राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में मध्यवर्ती तथा प्राथमिक सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को मीयादी ऋण पुनर्वित सुविधा प्रदान कर रहा

3.62 *Term-Loan Refinance from IDBI :* The IDBI has been extending since August 1983 term-loan refinance facilities to the SCBs on behalf of the central and primary co-operative banks in ten States viz., Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu,

है, ताकि वे लघु उद्योग इकाइयों की संघटित पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मीयादी ऋण दे सकें । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की यह सुविधा उन प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए सीमित है, जो अद्यतन सांविधिक लेखा परीक्षा वर्गीकरण के अधीन "ए" अथवा "बी" श्रेणी में आते हैं तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से गारंटी रक्षा राशि का लाभ उठाने के लिए अनुमोदित संस्थाएं भी हैं ।

Uttar Pradesh and West Bengal to enable them to give term loans to meet the block capital requirements of SSI units. This facility of IDBI is restricted to the PCBs falling within either 'A' or 'B' category under the latest statutory audit classification and which are also approved institutions for the purpose of availing of the guarantee cover from DICGC.

3.63 **नये शहरी सहकारी बैंकों की शाखाओं को लाइसेंस देने की नीतिः** शहरी सहकारी बैंकों के लिए गठित स्थायी सलाहकार समिति द्वारा किये गये सुझावों के अनुसार रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन क्षेत्र से संबंधित मानदंडों में ढील दी है, ताकि वे अपने आसपास के क्षेत्रों को निकटतम कस्बे/शहर की सीमा में शामिल कर सकें, चाहे वह क्षेत्र शहरी समूह का भाग हो या न हो । इसी प्रकार बैंक के मुख्यालय के निकटतम अन्य शहरी/अर्धशहरी केन्द्रों को इनके परिचालन के क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाये बशर्ते कि इस तरह के केन्द्रों में शहरी सहकारी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध न हों तथा बैंक की अर्थ क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रों को शामिल करना आवश्यक समझा जाता हो । परिचालन के क्षेत्र से संबंधित रियायतें पात्र मामलों में उन क्षेत्रों के बैंकों को प्रदान की जायेंगी, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य कमजोर वर्ग बाहुमूल्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं अथवा स्त्रियों के लाभ के लिए कार्य करते हैं । तथापि रिज़र्व बैंक ने शहर/महानगर/पत्तन शहर केन्द्रों में व्यापार के नये स्थान खोलने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति प्रदान करने के संबंध में बहुत चयनात्मक और प्रतिबंधी रुख अपनाना जारी रखा है ।

3.63 *Licensing policy of new urban co-operative banks/branches :* In pursuance of the suggestions made by the Standing Advisory Committee for urban co-operative banks, the Reserve Bank relaxed the norms relating to area of operation of new urban co-operative banks so as to facilitate inclusion of the peripheral area in the immediate vicinity of an urban town/city, irrespective of its being part of an urban agglomeration or not. Similarly, other urban/semi-urban centres in close proximity of the head quarters of the bank may be included in its area of operations, provided that no urban co-operative banking facilities are available at such centres and inclusion of the area is considered necessary to ensure viability of the bank. Concessions regarding the area of operations would also be extended in deserving cases to banks organised in areas inhabited predominantly by scheduled castes/tribes or other weaker sections or for the benefit of women. However, the Reserve Bank continued to follow a highly selective and restrictive approach in granting permission to urban co-operative banks in opening new places of business in urban/metropolitan/port-town centres.

3.64 **ऋण प्राधिकरण योजना :** वर्ष 1983-84 के दौरान 22 शहरी सहकारी बैंकों की ओर से कुल

3.64 *Credit Authorisation Scheme :* During 1983-84, 120 proposals from 22 urban co-

114 करोड़ रुपये की राशि के 120 ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें अलग-अलग पार्टी के लिए अग्रिमों की उच्चतम सीमा के निदेशों की परिधि से छूट के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन मांगा गया था । इनमें से 18 बैंकों के 78 करोड़ रुपये की कुल राशि के 86 प्रस्तावों को रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन दिया गया था । इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में 5 शहरी बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे महाराष्ट्र सरकार की कपास की एकाधिकार वसूली योजना के अंतर्गत 1983-84 के मौसम में कपास की वसूली के लिए 11.5 करोड़ रुपये की सीमा तक महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ को सहायता संघीय वित्त प्रदान करने में सहभागी हों । वैसे ही, दो शहरी सहकारी बैंकों को प्राधिकृत किया गया कि वे 31 मार्च 1985 तक महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ को 37.5 करोड़ रुपये की पैकिंग ऋण सुविधा का नवीकरण करें ।

operative banks for an aggregate amount of Rs.114 crores seeking Reserve Bank's approval for exemption from the purview of the directive of maximum limit on advances to individual parties were received. Of these, 86 proposals involving 18 banks for an aggregate amount of Rs.78 crores were approved by the Reserve Bank. Further, 5 urban banks in Maharashtra were allowed to participate in consortium finance to the Maharashtra State Co-operative Marketing Federation (MSCMF) to the extent of Rs.11.5 crores for procurement of cotton under the Monopoly Cotton Procurement Scheme of the Government of Maharashtra during the 1983-84 season. Similarly, two urban co-operative banks were authorised to renew the packing credit facility amounting to Rs.37.5 crores to the MSCMF upto March 31, 1985.

लघु उद्योग इकाइयों को वित्त प्रदान करने के लिए निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम योजना :

3.65 लघु उद्योग इकाइयों के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत आनेवाले शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या जून 1984 के अंत में बढ़कर 560 हो गयी, जबकि जून 1983 के अंत में यह संख्या 507 थी । संख्या में वृद्धि का कारण मुख्य रूप से उन 47 नवगठित शहरी सहकारी बैंकों का शामिल किया जाना है, जिन्हें वर्ष के दौरान बैंकिंग कारोबार शुरू करने/चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है । इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने 6 और लाइसेंस-रहित शहरी सहकारी बैंकों की सिफारिश निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से की है कि वह लघु ऋण लघु उद्योग गारंटी योजना 1981 का लाभ उठाने के लिए उन्हें पात्र ऋण संस्थाओं की सूची में शामिल करें । वर्ष के दौरान, लाइसेंस रद्द होने से, एक शहरी सहकारी बैंक को पात्र संस्थाओं की सूची से हटा दिया गया ।

DICGC Scheme for financing SSI units

3.65 The total number of urban co-operative banks covered by the credit guarantee scheme of DICGC for financing SSI units increased from 507 as at end-June 1983 to to 560 as at end-June 1984. The increase in the number was due mainly to inclusion of 47 newly organised urban co-operative banks, which were granted licences to commence/carry on banking business during the year. Besides, 6 more unlicensed urban co-operative banks were recommended by the Reserve Bank to the DICGC for inclusion in the list of eligible credit institutions for availing of the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981. During the year, one urban co-operative bank was deleted from the list of eligible institutions following cancellation of its licence.

विदेशी मुद्रा का कारोबार चलाने की अनुमति

3.66 जून 1984 के अंत में दो शहरी सहकारी बैंकों अर्थात बंबई मर्कंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि. तथा सारस्वत को. ऑपरेटिव बैंक लि. को विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया गया। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय किया कि सिद्धांततः चयनात्मक आधार पर शहरी सहकारी बैंकों को, अनिवासी रुपया (बाह्य) (सामान्य)) खाता खोलने की अनुमति प्रदान की जाये।

Permission to Conduct Foreign Exchange Business

3.66 There were two urban co-operative banks viz., Bombay Mercantile Co-operative Bank Ltd. and Saraswat Co-operative Bank Ltd. authorised to deal in foreign exchange at the end of June 1984. During the year, the Reserve Bank decided, in principle, to grant permission for opening Non-resident Rupees (External)/(ordinary) Accounts to the urban co-operative banks on a selective basis.

सहकारी विन्यास को मजबूत बनाना तथा उसका भावी विकास

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पुनर्गठन

3.67 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पुनर्गठन का कार्यक्रम गत दो दशकों से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अनुसार प्राथमिक कृषि समितियों की संख्या जून 1981 के अंत तक घटाकर 90,000 करने का लक्ष्य था। लेकिन जून 1983 के अंत में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या 94,089 थी। तीन राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर शेष सभी राज्यों में पुनर्गठन कार्यक्रम करीब-करीब पूरा हो चुका है।

Strengthening and Future Development of Co-operative Structure

Reorganisation of PACS

3.67 According to the reorganisation programme of PACS, which is under implementation for the past two decades, the number of PACS was targeted to come down to 90,000 by the end of June 1981. However, the number of PACS stood at 94,089 as at the end of June 1983. The reorganisation programme has been more or less completed in all the States except Gujarat, Maharashtra and Jammu & Kashmir.

पुनर्गठित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का भावी विकास

3.68 पुनर्गठित कृषि ऋण समितियों के गहन विकास का कार्यक्रम 1982-83 से चलाया जा रहा है। देश में 5,000 पुनर्गठित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के वास्तविक बहुउद्देशीय सेवा संस्थाओं के रूप में गहन विकास के प्रथम वर्ष से लक्ष्य के मुकाबले जून 1983 के अंत तक 14 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में केवल 2,978 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पता लगाया गया।

Future Development of reorganised PACS

3.68 The programme of intensive development of reorganised PACS has been in operation since 1982-83. As against the first year's target of intensive development of 5,000 reorganised PACS into truly multipurpose service institutions in the country, only 2,978 PACS had been identified in 14 States/Union Territories upto end-June 1983.

कार्यमूलक समन्वय

3.69 ग्रामीण ऋणकर्ताओं की ऋण संबंधी समस्त

Functional Co-ordination

3.69 With a view to enabling rural borrowers

आवश्यकताओं की पूर्ति एक ही सम्पर्क स्थल पर हो सके, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सहकारी ऋण विन्यास के मध्य कार्यमूलक समन्वय की परिकल्पना की गयी है। ग्राम स्तर पर काम कर रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ऋण प्रार्थनापत्रों के इकट्ठा करने, ऋणों के वितरण तथा उनकी वसूली के मामले में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों के एजेंट रूप में काम करेंगी। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में अपना कार्य आरंभ करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चयन का कार्य पूरा हो गया है। योजना की कार्यान्वियन रूपात्मकता (जैसे कि, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा किये जानेवाले कार्य की विशिष्ट मदें तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा किये जानेवाले कार्य की विशिष्ट मदें तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किया जाने वाला एजेंसी कमीशन) तय की जा रही है।

to obtain all their credit needs at a single contact point, functional co-ordination between the short-term and long-term co-operative credit structures has been envisaged. PACS operating at the village level would act as agents of PLDBs/branches of SLDBs in the matter of collection of loan applications, disbursement of loans and recovery thereof. In the States of Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan and West Bengal, the selection of PACS to undertake these functions has been completed. The modalities for the implementation of the scheme (e.g. the specific items of work to be undertaken by PACS and the agency commission to be provided by LDBs) are being worked out.

मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों का पुनर्वास

Rehabilitation of CCBs/SCBs

3.70 देश में 338 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल कमजोर बैंकों की संख्या जून 1981 के अंत में 127 थी, जो घटकर जून 1982 के अंत में 118 रह गयी। सबसे अधिक कमजोर बैंक(28) बिहार में थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश (19), कर्नाटक (11) और मध्य प्रदेश (10) का स्थान था। पुनर्वास कार्यक्रम में उन क्षेत्रों के 8 राज्य सहकारी बैंक भी शामिल हैं, जिनमें द्विस्तरीय विन्यास है। कुछ चुने हुए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संबंध में पुनर्वास कार्यक्रम के कार्यान्वियन का अध्ययन भी किया जा रहा है। आठ मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संबंध में अध्ययन पूरे हो चुके हैं और सहकारिता के माध्यम से मीयादी ऋण देने से संबंधित समिति के परामर्श से उपयुक्त कार्रवाई संबंधी कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

3.70 Out of a total of 338 CCBs, the number of weak banks in the country covered by the programme of rehabilitation was reduced from 127 at the end of June 1981 to 118 at end-June 1982. The largest number of weak banks were in Bihar (28), followed by Uttar Pradesh (19), Karnataka (11) and Madhya Pradesh (10). The programme of rehabilitation also covers 8 SCBs in the areas where two-tier structure exists. Evaluation studies on implementation of the programme of rehabilitation of a few selected weak banks are being carried out. The studies in respect of 8 CCBs have been completed and a suitable action programme is being finalised in consultation with the Committee on Term Lending through Co-operatives (COTELCOOP).

राज्य भूमि विकास बैंकों का पुनर्वास कार्यक्रम

3.71 कमजोर राज्य भूमि विकास बैंकों की संगठनात्मक और प्रबंधकीय कार्य कुशलता की ओर नाबार्ड ध्यान देता रहा है। छ राज्यों अर्थात बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के राज्य भूमि विकास बैंकों के संबंध में पुनर्वास कार्यक्रम इस समय लागू किया जा रहा है। इस संबंध में, प्रगति की आवधिक समीक्षा भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा की जाती रही है। कार्रवाई की जिस योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है उसके अनुसार यह निर्णय किया गया है कि पुनर्वास कार्यक्रम के कतिपय पहलुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जैसे कि अलग-अलग मामले के आधार पर अतिदेय राशियों का विश्लेषण, शाखाओं/प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के कार्य का मूल्यांकन और हिताधिकारियों के संबंध में रूपरेखा लागू करना। इसके अलावा राज्य भूमि विकास बैंकों को बकाया अतिदेय राशियों का विश्लेषण करने और उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए भी कहा गया है, (i) संरचनात्मक निवेश, (ii) अपूर्ण निवेश, (iii) प्राकृतिक आपदायें, (iv) जानबूझ कर चुकौती न करना आदि।यह संकेत किया गया है कि बकाया अतिदेय राशियों वाले खातों की जांच करके उन्हें इनमें से किसी श्रेणी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए ताकि सुधारात्मक उपाय तुरंत किये जा सकें। इन प्राथमिक मदों के कार्यान्वयन की निगरानी नाबार्ड द्वारा लगातार की जा रही है।

Rehabilitation Programme of SLDBs

3.71 The improvement of organisational and managerial efficiency of weak SLDBs has been engaging the attention of NABARD. The rehabilitation programme in respect of SLDBs of six States viz., Bihar, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu is presently under implementation. The progress in this regard is being periodically reviewed by the Government of India and NABARD. According to the plan of action finalised, it has been decided that certain aspects of rehabilitation programme have to be attended to on a priority basis such as, the analysis of overdues on a case by case basis, performance evaluation of branches/PLDBs and introduction of beneficiary profiles. Further, the SLDBs have been advised to analyse and classify outstanding overdues broadly into following categories viz., (i) infructuous investment, (ii) incomplete investment, (iii) natural calamities, (iv) wilful non-repayment, etc. It has been indicated that the outstanding overdues accounts after a case by case examination should be brought under one of these categories so that remedial action could be initiated immediately. In the implementation of these priority items, the progress is continuously monitored by NABARD.

अनुसंधान और विकास निधि

3.72 वर्ष के दौरान नाबार्ड ने अपनी अनुसंधान और विकास निधि से दो और राज्य भूमि विकास बैंकों (गुजरात और मध्यप्रदेश) को सहायता प्रदान की ताकि वे अपने तकनीकी, निगरानी और मूल्यांकन कक्षों को

Research and Development Fund (R & D)

3.72 During the year, assistance was provided by NABARD from its R & D Fund to two more SLDBs (Gujarat and Madhya Pradesh) for establishing/strengthening their Technical, Monitoring and Evaluation (TME)

स्थापना कर सकें अथवा उन्हें सुदृढ़ कर सके। निधि से इस प्रकार की सहायता जिन राज्य भूमि विकास बैंकों को स्वीकृत की गयी है उनकी संख्या जून 1984 तक 11 हो गयी। राज्य भूमि विकास बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों में नियुक्ति के लिए अनुमोदित महत्वपूर्ण कर्मचारियों की संख्या जून 1983 में 84 थी जो बढ़कर जून 1984 में 111 हो गयी और स्वीकृत अनुदान की राशि 20.9 लाख रुपये से बढ़कर 26.2 लाख रुपये हो गयी। वर्ष के दौरान 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी तकनीकी निगरानी और मूल्यांकन कक्षों की स्थापना के लिए निधि से सहायता स्वीकृत की गयी। वर्ष 1983-84 में नाबार्ड ने विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और व्यक्तियों को 64 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के 21 प्रस्ताव अनुमोदित किये। कृषि वित्त निगम द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सामर्थ्य संबंधी विशेष अध्ययन के लिए भी निधियां प्रदान की गयीं।

Cells. The total number of SLDBs sanctioned such assistance from the Fund stood at 11 by June 1984. The number of key personnel approved for appointment in the SLDBs and SCBs had gone up from 84 in June 1983 to 111 in June 1984 and the grants sanctioned increased from Rs.20.9 lakhs to Rs.26.2 lakhs. Assistance from the Fund was also sanctioned during the year to 3 RRBs for setting up TME Cells. NABARD approved during 1983-84, 21 proposals involving financial assistance of Rs.64 lakhs to various research institutions, universities and individuals. Funds were also allocated for a special study on the viability of RRBs by the Agricultural Finance Corporation (AFC).

अन्य गतिविधियां

3.73 **ऋण प्राधिकरण योजना :** राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संबंध में ऋण प्राधिकरण योजना संबंधी कार्य नाबार्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से करना जारी रखा। राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले संवेदनशील पण्यों के संबंध में ऋण सीमाएं स्वीकृत करने पर नियंत्रण रखने के इस उद्देश्य से नाबार्ड को सूचित किया गया है कि वह इस प्रकार के पण्यों पर 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले प्रस्तावों के संबंध में रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर ले। 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान कुल 48 करोड़ रुपये का संघटित पूंजी वित्त प्रदान किया गया था, जबकि 1982-83 में यह 72 करोड़ रुपये था। कार्यकारी पूंजी के लिए कुल 1243 करोड़ रुपये का प्राधिकार दिया गया था जबकि 1982-83 में यह 1,347 करोड़ रुपये था। ऋण प्राधिकरण योजना में इस वर्ष किये गये परिवर्तन आगे दिये गये हैं :-

Other Developments

3.73 *Credit Authorisation Scheme :* The work relating to Credit Authorisation Scheme (CAS) in respect of SCBs/CCBs continued to be handled by NABARD on behalf of the Reserve Bank. With a view to exercising control over the sanction of credit limits by SCBs/CCBs in respect of sensitive commodities subject to selective credit control, NABARD has been advised to obtain prior approval of the Reserve Bank in respect of proposals covering such commodities involving amounts exceeding Rs.5 crores. During 1983-84 (July-June), credit authorisation for block capital finance was granted for an aggregate amount of Rs.48 crores as against Rs.72 crores in 1982-83; authorisation for working capital finance was granted for a total amount of Rs.1,243 crores as against Rs.1,347 crores in 1982-83. Changes made *in the CAS during the year are indicated* on the next page.

3.74 **सहकारी चीनी कारखानों के लिए कार्यकारी पूंजी सीमाएं** : राज्य सहकारी बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे नाबार्ड से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना सहकारी चीनी कारखानों को चीनी का स्टॉक रेहन रखने पर कार्यकारी पूंजी सीमायें स्वीकृत कर सकते हैं। ये सीमायें वर्ष 1983-84 के चीनी के मौसम के लिए पिछले मौसम में जो अधिकतम राशि (अस्थायी रूप से आहरित अधिक राशि छोड़कर) ली गयी थी उसके सौ प्रतिशत के बराबर हो सकती थी। यदि कोई चीनी कारखाना ऊपर उल्लिखित सीमा से अधिक रेहन सीमाओं की अपेक्षा करे तो नाबार्ड से पूर्वप्राधिकरण आवश्यक होगा। नाबार्ड से पूर्वप्राधिकरण लिये बिना कोई अलग से निर्गम/दृष्टि बंधक सीमा किसी भी चीनी कारखाने को मंजूर नहीं की जायेगी। चूंकि यह छूट केवल राज्य सहकारी बैंकों के लिए ही थी इसलिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने सहकारी चीनी कारखानों की कार्यकारी पूंजी सीमाओं के लिए 150 लाख रुपये से अधिक की सीमा के लिए नाबार्ड से पूर्व प्राधिकरण लेना जारी रखा।

3.74 *Working capital limits to co-operative sugar factories :* The SCBs were permitted to sanction, without prior authorisation from NABARD, working capital limits against pledge of stocks of sugar to co-operative sugar factories for the 1983-84 sugar season to the extent of 100 per cent of the maximum amount availed of by them during the previous season (excluding temporary excess drawings). The SCBs would have to obtain prior authorisation from NABARD if any of the sugar factories requires additional pledge limits beyond the limits indicated above. No separate clean/hypothecation limit would generally be sanctioned to sugar factories without prior authorisation from NABARD. Since this relaxation has been made applicable to SCBs only, CCBs would continue to obtain prior authorisation from NABARD for working capital limits to co-operative sugar factories in excess of the limit of Rs.150 lakhs.

3.75 **सुरक्षित भंडार रखने के लिए चीनी उद्योग को अग्रिम** : सभी राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को नवंबर 1983 में भारत सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया गया कि वे सुरक्षित भंडार में 5 लाख टन खुली बिक्री वाली चीनी और बढ़ायें, जिससे कि वर्तमान सुरक्षित भंडार 10 लाख टन हो जाये। इसके परिणामस्वरूप 100 प्रतिशत सुरक्षित भंडार के वित्तपोषण के लिए बढ़ी हुई सहायता प्रदान करने हेतु वित्तपोषक राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को प्राधिकरण जारी किये गये।

3.75 *Advances to sugar industry for holding buffer stock :* All the SCBs and CCBs were advised in November 1983 of the Government of India's decision to add 5 lakh tonnes of free sale sugar to buffer stock, thereby increasing the existing level of buffer stock to 10 lakh tonnes. Consequently, authorisations for grant of increased accommodation to finance 100 per cent of the buffer stock were issued to financing SCBs/CCBs.

3.76 **सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना** : जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख

3.76 *Licensing of Co-operative Banks :* As stated in last year's Report, the work relat-

किया गया है, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (यथा सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 22 और 23 के अंतर्गत सहकारी बैंकों (प्राथमिक सहकारी बैंकों सहित) को बैंकिंग कारोबार करते रहने और नये कारोबारी स्थान खोलने तथा वर्तमान कारोबार के स्थान को बदलने के लिए लाइसेंस जारी करने से संबंधित कार्य रिज़र्व बैंक के जिम्मे है। 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (यथा सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 22(2) के अंतर्गत बैंकिंग कारोबार करते रहने अथवा शुरू करने के लिए दो मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और 52 प्राथमिक सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किये गये। लाइसेंस प्राप्त सहकारी बैंकों की संख्या पिछले वर्ष 382 थी जो बढ़कर जून 1984 के अंत में 436 हो गयी (जिसमें 8 राज्य सहकारी बैंक, 35 मध्यवर्ती सहकारी बैंक और 393 प्राथमिक सहकारी बैंक हैं।) 1983-84 में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत 19 नये कार्यालय खोलने के लिए 6 राज्य सहकारी बैंकों और विभिन्न प्राथमिक सहकारी बैंकों के 156 कार्यालय खोलने के लिए भी लाइसेंस दिये गये जबकि 1982-83 में पांच राज्य सहकारी बैंकों और 78 प्राथमिक सहकारी बैंकों को ये लाइसेंस दिये गये थे।

ing to issue of licences to co-operative banks (including PCBs) under Sections 22 and 23 of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to co-operative societies) to commence/carry on banking business and to open new places of business and to shift existing place of business is the responsibility of the Reserve Bank. During 1983-84 (July-June), licences to carry on or commence banking business under Section 22(2) of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to co-operative societies) were issued to 2 CCBs and 52 PCBs. The total number of licensed co-operative banks as at end-June 1984 rose to 436 (comprising 8 SCBs, 35 CCBs and 393 PCBs) from 382 in the preceding year. Licences were also issued during 1983-84 to 6 SCBs for opening 19 new offices and 156 offices of various PCBs under Section 23 of the Banking Regulation Act, 1949 as against 5 SCBs and 78 PCBs during 1982-83.

बैंकों का निरीक्षण

3.77 मध्यवर्ती और राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व नाबार्ड को सौंपा गया है। राज्य भूमि विकास बैंकों तथा अन्य महासंघों/सहकारी संस्थाओं के निरीक्षण स्वैच्छिक आधार पर किये जाते हैं। 1983-84 के दौरान 143 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, 12 राज्य सहकारी बैंकों, 8 राज्य भूमि विकास बैंकों, 7 अन्य संस्थाओं तथा 57 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निरीक्षण किये गये।

Inspection of Banks

3.77 NABARD has been entrusted with the responsibility of inspecting Central and State Co-operative Banks and Regional Rural Banks. The inspections of SLDBs and other Federations/Corporations are undertaken on a voluntary basis. During 1983-84, inspections of 143 CCBs, 12 SCBs, 8 SLDBs, 7 other institutions and 57 RRBs were conducted.

फसल बीमा

3.78 साधारण बीमा निगम ने चुनी हुई नौ* राज्य सरकारों के सहयोग से 1979 से प्रायोगिक फसल बीमा योजना चला रखी है। 1982-83 में 70,194 हेक्टेयर के लिए 50,854 किसानों को फसल बीमा का लाभ प्रदान किया गया था, जबकि 1981-82 में 24,553 हेक्टेयर के लिए 24,831 किसानों को यह लाभ दिया गया था। इसके कार्यान्वयन के समय से ही पायी गयी कमियों को ध्यान में रखकर योजना में अनेक परिवर्तन किये गये। इनमें से सबसे ममहत्वपूर्ण था फसल ऋण के 150 प्रतिशत तक की बीमा रक्षा प्रदान करना। पहले यह सीमा 100 प्रतिशत थी। ये सीमा सिंचित क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति 10,000 रुपये तक और असिंचित क्षेत्रों में 5,000 रुपये तक है। अब यह प्रस्ताव है कि मौजूदा प्रायोगिक योजना में अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों (कम और मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों। के अलावा) में लागू की जाये तथा, कृषकों द्वारा अदा किया जानेवाला पूरा प्रीमियम तथा अधिक जोखिमवाले क्षेत्रों में अन्य कृषकों द्वारा 7.5 प्रतिशत से अधिक अदा किये जानेवाले प्रीमियम की राशि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से अदा की जाये। इस योजना में 1979 से हुई प्रगति नीचे दी गयी है।

सारणी : फसल बीमा योजना की प्रगति

वर्ष	राज्यों की संख्या	सम्मिलित क्षेत्र (हेक्टेयर)	कृषकों की सं.	प्राप्त प्रीमियम (लाख रु.)	अदा किये गये दावे (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6
1979-80	3	13,181	16,268	5.53	5.29
1980-81	3	18,703	23,442	6.94	3.27
1981-82	8	24,553	24,831	7.58	7.30
1982-83	9	70,194	50,854	15.65	उपलब्ध नहीं

*आंध्रप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

Crop Insurance

3.78 The Pilot Crop Insurance Scheme, undertaken by the GIC in collaboration with the selected nine* State Governments since 1979, made further progress. The benefit of crop insurance was made available to 50,854 farmers covering 70,194 hectares during 1982-83 as compared with 24,831 farmers covering 24,553 hectares in 1981-82. With a view to overcoming the shortcomings noticed since its implementation, a number of changes were made in the Scheme. The most important among them was the raising of the insurance cover to 150 per cent of the crop loan from the earlier limit of 100 per cent subject to a limit of Rs.10,000 per person in irrigated areas and Rs.5,000 in unirrigated areas. It is now proposed to include high risk areas (in addition to low and medium risk areas) in the existing pilot scheme. Further, the proposal for subsidising the entire premium payable by small and marginal farmers in all areas and the premium in excess of 7.5 per cent payable by other farmers in high risk areas, jointly by the Central and State Governments, is under consideration. The progress of the Scheme since 1979 is indicated below :

Table : Progress of Crop Insurance Scheme

Year	No. of States	Area covered (in hectares)	No. of farmers	Premium collected (Rs. lakhs)	Claims paid (Rs. lakhs)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1979-80	3	13,181	16,268	5.53	5.29
1980-81	3	18,703	23,442	6.94	3.27
1981-82	8	24,553	24,831	7.58	7.30
1982-83	9	70,194	50,854	15.65	N.A.

* Andhra Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa, Tamil Nadu and West Bengal.

अध्ययन दल/समितियां

3.79 **शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी परामर्शदात्री समिति :** शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी परामर्शदात्री समिति ने जनवरी 1984 में हुई अपनी दूसरी बैठक में सामान्यतः प्राथमिक सहकारी बैंकों की परिचालनगत कुशलता की गिरती हुई हालत पर चिंता व्यक्त की। यह गिरती हुई हालत इस बात से स्पष्ट है कि कमजोर माने गये उन बैंकों की संख्या बढ़ रही है, जिनके लिए पुनर्वास की आवश्यकता है। समिति ने सुझाव दिया है कि इसके लिए कुछ कारगर कदम उठाये जाने चाहिए, जिनमें शहरी सहकारी बैंकों की स्थिति में तेजी से सुधार लाने के लिए समयबद्ध पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करना, राज्य स्तरीय समीक्षा समिति द्वारा सुझायी गयी कार्रवाई को ध्यान में रखकर उनकी वित्तीय स्थिति और परिचालनगत कुशलता सुधारना और उनके कार्य का मूल्यांकन करना शामिल है। स्थायी परामर्शदात्री समिति ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4)(ग) के साथ पठित धारा 17(2) खख के अंतर्गत लघु कुटीर उद्योग इकाइयों के वित्तपोषण के लिए शहरी सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित नीति में कतिपय मूलभूत परिवर्तन करने का भी सुझाव दिया है। संशोधित नीति के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा उन नयी लघु उद्योग इकाइयों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है, जो 7 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हैं। यह सहायता 7 लाख रुपये तक की ऋण सीमा लेनेवाली अति लघु इकाइयों के लिए भी उपलब्ध है।

राज्य हथकरघा विकास निगम की समस्याओं के अध्ययन के लिए कार्यकारी दल

3.80 राज्य हथकरघा विकास निगमों की परिचालनगत समस्याओं का अध्ययन करने तथा सहकारिता से बाहर हथकरघा बुनकर समितियों के लिए

Study Teams/ Committees

3.79 *Standing Advisory Committee for Urban Co-operative Banks :* At its second meeting held in January 1984, the Standing Advisory Committee (SAC) for urban co-operative banks viewed with concern the deteriorating level of operational efficiency in the PCBs in general, as reflected in the increasing number of banks identified as weak banks requiring rehabilitation. The Committee suggested that positive steps should be taken, including drawing up of time bound rehabilitation programme to bring a rapid improvement in the urban co-operative banks' financial position and operational efficiency and evaluation of their performance in the light of action programmes suggested by the State Level Review Committee. The SAC also suggested certain basic changes in the policy relating to provision of financial accommodation under *Section 17(2)bb read with Section 17(4)(c)* of the RBI Act, 1934 to urban co-operative banks for financing small-scale cottage industrial units. Under the modified policy, the refinance facility is to be made available to urban banks for financing new SSI units, which are in existence for not more than 7 years as also tiny units enjoying credit limits upto Rs.7 lakhs.

Working Group to study the problems of State Handloom Development Corporations

3.80 The Reserve Bank appointed a Working Group in June 1984 to study the operational problems of State Handloom Development Corporations and to ascertain their

बैंकों से ऋण और कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं का पता करने के लिए रिज़र्व बैंक ने जून 1984 में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया। कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं: (I) राज्य हथकरघा विकास निगमों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपायों की जांच करना, ताकि ये निगम हथकरघा बुनकरों को वित्त प्रदान करने में कारगर भूमिका निभा सकें, (II) धागे की आपूर्ति तथा अन्य आवश्यकताएं पूरी करते हुए और हथकरघा बुनकरों से प्राप्त कपड़े के कुशल विपणन से संयोजित करते हुए ये निगम बुनकरों को अधिक अच्छे ढंग से वित्तीय सहायता किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं, इसका अध्ययन करना और (III) उपर्युक्त विचारार्थ विषयों से संबद्ध और प्रासंगिक बातों के बारे में सिफारिश करना।

loan and working capital needs from banks for assisting handloom weavers outside the co-operative fold. The terms of reference of the Working Group are : (i) to examine the measures necessary to strengthen State Handloom Development Corporations so that they may play an effective role in financing handloom weavers; (ii) to study how best the Corporations could finance the weavers in clusters, with necessary linkages for supply of yarn and other requirements and efficient marketing of the cloth obtained from handloom weavers; and (iii) to make recommendations which are related to and incidental to the above terms of reference.

सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मीयादी ऋण देने से संबंधित स्थायी समिति

3.81 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि रिज़र्व बैंक द्वारा गठित सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मीयादी ऋण देने से संबंधित समिति नाबार्ड द्वारा गठित समिति के रूप में कार्य करती रहेगी। वर्ष 1983-84 में इस समिति ने नाबार्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में दो बैठकें कीं और छः भूमि विकास बैंकों के पुनर्वास कार्यक्रम के कार्यान्वयन और सभी भूमि विकास बैंकों के वसूली कार्य में हुई प्रगति की समीक्षा की।

Standing Committee on Term Lending through Co-operatives (COTELCOOP)

3.81 It was mentioned in the last year's Report that the Committee on Term Lending through Co-operatives (COTELCOOP) set up by RBI would continue to function as if constituted by NABARD. The Committee headed by the Chairman of NABARD met twice during 1983-84 and reviewed the progress in the implementation of the rehabilitation programme of six LDBs and the recovery performance of all LDBs.

कृषि ऋण के लिए सहकारी बैंक संसाधन संबंधी अध्ययन दल

3.82 कृषि ऋण में राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संसाधनों की संलग्नता के लिए मानदंडों का सुझाव देने के लिए नाबार्ड ने जून 1983 में

Study Group on Co-operative Bank Resources for Agricultural Lending

3.82 NABARD had constituted a Study Group in June 1983 to recommend norms for involvement of resources by the SCBs/CCBs in agricultural lending. The Group had

एक अध्ययन दल गठित किया था । इस दल से कहा गया कि वह अल्पकालिक कृषि कार्यों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए वित्त प्रदान करने में राज्य सहकारी बैंकों, नाबार्ड और रिज़र्व बैंक की भूमिका की जांच करे और उसे पारिभाषित करे: नाबार्ड से उधार ली जानेवाली राशियों को मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा जुटाये गये साधनों से संयोजित करने की योजना की जांच करे और इस योजना में संशोधन करने के लिए सुझाव दे, ताकि यह और अधिक कारगर हो सकें । अध्ययन दल से यह भी कहा गया कि वह राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की प्रयोजनवार वर्तमान संलग्नता की जांच करे और इस बात का अध्ययन करे कि कृषि से इतर ऋण देने में वर्तमान संलग्नता के किस भाग को वैध कारोबार माना जाये । इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो नाबार्ड के विचाराधीन है ।

राज्य भूमि विकास बैंक के संगठन और प्रबंध का अध्ययन

3.83 विशेषज्ञ दल द्वारा बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु के राज्य भूमि विकास बैंकों के संबंध में संगठन और प्रबंध संबंधी अध्ययनों के अलावा इस प्रकार के और अध्ययन भी किये गये जिनमें असम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा और पांडिचेरी के राज्य भूमि विकास बैंक शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के संबंध में रिपोर्टों तथा सिफारिशों पर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मीयादी ऋण से संबंधित स्थायी समिति ने विचार किया और संगठन एवं प्रबंध संबंधी अध्ययनों के आधार पर नाबार्ड द्वारा बताये गये सुधारात्मक उपाय संबंधित राज्य सरकारों और राज्य भूमि विकास बैंकों को बताये गये। जिन सात राज्य भूमि विकास बैंकों के अध्ययन पूरे हो चुके हैं, उनके संबंध में सिफारिशों पर अभी उक्त समिति को विचार करना है । शेष राज्य भूमि विकास बैंकों के संबंध में इसी तरह के अध्ययन शीघ्र ही करने का प्रस्ताव है ।

been asked to examine and define the role to be played by SCBs, CCBs, NABARD and the Reserve Bank in financing short-term agricultural operations and other purposes; to examine the applicability of the scheme of linking borrowings from NABARD with efforts at deposit mobilisation by CCBs and suggest modifications in the scheme so as to make it more effective; and examine the present involvement of SCBs/CCBs purpose-wise and study which part of the present involvement in the non-agricultural lendings can be treated as the legitimate business. The Study Group has since submitted its Report, which is under consideration of NABARD.

Organisation and Management Studies of SLDBs

3.83 Apart from the organisation and management (O & M) studies conducted by Expert Groups in respect of SLDBs in Bihar, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh and Tamil Nadu, further such studies have been completed covering SLDBs in Assam, Himachal Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Jammu and Kashmir, Tripura and Pondicherry. The reports and the recommendations in respect of Himachal Pradesh and West Bengal were considered by the COTELCOOP and the measures for improvement drawn by NABARD based on O & M studies have been communicated to the concerned State Governments and the SLDBs. Recommendations in respect of the 7 SLDBs for which studies have been completed, are yet to be considered by COTELCOOP. Similar studies in respect of the remaining SLDBs are proposed to be taken up shortly.

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबधि कार्यकारी दल

3.84 नाबार्ड ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहकारी संस्थाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया है ।

3.84 *Working Group on IRDP*

A Working Group to recommend steps for increasing the participation of co-operatives in implementation of IRDP has been set up by NABARD.

स्थिरीकरण निधि व्यवस्थाओं से संबधित अध्ययन

3.85 नाबार्ड ने अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेनेवालों के लिए स्थिरीकरण सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड सुझाने, परिवर्तनों की संभावित आवश्यकताओं और स्थिरीकरण निधि के उच्चतम स्तर, स्थिरीकरण निधि में भारत सरकार, राज्य सरकारों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के हिस्से का निर्धारण करने के लिए सिद्धांतों, स्थिरीकरण निधि में अंशदान करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के लिए क्रियाविधि का सुझाव देने और स्थिरीकरण सहायता प्राप्त करने के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया है ।

3.85 *Study Group on Stabilisation Fund Arrangements*

NABARD has constituted a Study Group for suggesting, among others, the criteria for determining the eligibility of stabilisation assistance for borrowers from short-term co-operative credit structure and RRBs, estimated likely requirements of conversions and optimum level of stabilisation funds at various levels, principles for determining the share of Government of India, State Governments, SCBs and CCBs in the stabilisation assistance, procedures for Government of India, State Governments and sponsor banks for making contributions to the Stabilisation Funds and for review of arrangements for availing stabilisation assistance.

अध्याय 4
अन्य वित्तीय संस्थाएँ

इस अध्याय में 1983-84 के दौरान रिज़र्व बैंक के और अखिल भारतीय तथा राज्य स्तर पर अन्य वित्तीय संस्थाओं के औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में परिचालन कार्यों का पुनरीक्षण किया गया है । 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से पात्र वित्तीय संस्थाओं, जैसे- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, निर्यात-आयात बैंक तथा राज्य वित्तीय निगमों को रिज़र्व बैंक की वित्तीय सहायता पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक थी । वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान अखिल भारतीय मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं ने भी अपनी सहायता राशि में वृद्धि की । प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्यस्तरीय अभिकरणों और बैंकों के माध्यम से परोक्ष वित्तीय सहायता भी प्रदान करनेवाले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक न वर्ष के दौरान संपूर्ण अर्थ में उद्योग क्षेत्र के लिए अपनी सहायता में उच्चतम वृद्धि दर्ज की । वर्ष में भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने भी अपने यूनिटों की बिक्री में पर्याप्त वृद्धि की । औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में वर्ष के दौरान पायी गयी एक मुख्य विशेषता थी उपकरण पट्टे पर देने वाली कंपनियों की भारी संख्या में स्थापना ।

वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय सहायता

4.2 रिज़र्व बैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 के तहत दीर्घकालीन ऋण और मध्यावधि/अल्पावधि ऋण सुविधाएँ प्रदान करता है । 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन) प्रवर्तन निधि से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मंजूर की गयी दीर्घकालीन ऋण राशि 260 करोड़ रुपये थी, जबकि 1982-83 में यह राशि 245 करोड रुपये थी (सारणी 4.1)

CHAPTER 4
OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS

In this Chapter, the operations during 1983-84 of the Reserve Bank and those of other financial institutions at the all-India and the State levels in the sphere of industrial finance are reviewed. The Reserve Bank's assistance from the National Industrial Credit (Long Term Operations) [NIC(LTO)] Fund to the eligible financial institutions viz.,the IDBI, IFCI, ICICI, Exim Bank and SFCs during 1983-84 was of a larger magnitude than in the previous year. The all-India term lending institutions also stepped up their assistance during the financial year 1983-84. The IDBI, which in addition to direct assistance provides indirect assistance through State-level agencies and banks, recorded the largest increase in its assistance to the industry in absolute terms during the year. The UTI also recorded a sizeable growth in sales of its units during the year. The spate in establishment of equipment leasing companies noticed during the year was an important development in the field of industrial finance.

RBI assistance to Financial Institutions

4.2 The Reserve Bank provides long-term loans as well as medium/short term credit facilities to financial institutions notified by the Central Government under Section 17 of the RBI Act, 1934. During 1983-84 (July-June) long-term credits sanctioned to the IDBI from the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund amounted to Rs.260 crores as compared to Rs.245 crores during 1982-83 (Table 4.1). During the year, the IDBI utilised the entire amount sanctioned and repaid an amount of Rs.3

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास रखी निधि और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दोनों संगठनों को वास्तविक संवितरण में विद्यमान अंतर को दूर करने के लिए ही मंजूर 160 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इस सीमा का भा. औ. वि. बैंक द्वारा पूर्णतः उपयोग किया गया तथा 30 जून 1984 को बकाया रकम 150 करोड़ रुपये थी। लेकिन, भा. औ. वि. बैंक को संसाधनों के तात्कालिक संकट से उबारने के लिए मंजूर की गयी 50 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमा का उपयोग वर्ष के दौरान नहीं किया गया।

isations. This limit was fully utilised by IDBI and the amount of Rs.150 crores was outstanding as on June 30, 1984. The short-term credit limit of Rs.50 crores sanctioned to IDBI to tide over temporary resource constraints was, however, not availed of by it during the year.

4.4 भारतीय निर्यात-आयात बैंक को राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीकाप्र) निधि में से मंजूर दीर्घावधि ऋणों की राशि 1983-84 के दौरान 55 करोड़ रुपये थी, जबकि 1982-83 में यह राशि 45 करोड़ रुपये थी। निर्यात-आयात बैंक ने वर्ष के दौरान इस संपूर्ण राशि का उपयोग किया और इससे बकाया राशि बढ़कर 30 जून 1984 को 125 करोड़ रुपये हो गयी।

4.4 Long-term loans out of NIC(LTO) Fund sanctioned to Export-Import Bank of India amounted to Rs.55 crores during1983-84 as against Rs.45 crores during 1982-83. The Exim Bank utilised the entire amount during the year, raising the outstanding amount to Rs.125 crores as on June 30, 1984.

4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को मंजूर 3 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमा (18 जून 1984 से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गयी) को दिसम्बर 1984 तक एक वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने नकदी ऋण सुविधा के रूप में इसका उपयोग किया और 30 जून 1984 को इस सीमा में कोई राशि बकाया नहीं थी।

4.5 The RBI renewed the short-term borrowing limit of Rs.3 crores (raised to Rs.10 crores with effect from June 18, 1984) sanctioned to the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) for a further period of one year upto December 1984. The IFCI utilised it as cash credit facility and there were no outstandings as on June 30,1984 against this limit.

4.6 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को अगस्त 1983 में एक वर्ष के लिए मंजूर की गयी 10 करोड़ रुपये की ऋण सीमा अक्तूबर 1984 में समाप्त होगी। भाऔऋनिनि उपयुक्त सीमा में थोड़ी-थोड़ी अवधि के लिए आवधिक रूप से ऋण प्राप्त करता रहा है। 30 जून 1984 को इस ऋण सीमा के सम्बंध में बकाया रकम 9 करोड़ रुपये थी।

4.6 A credit limit of Rs.10 crores sanctioned to ICICI in August 1983 for a period of one year is due to expire in October 1984. The ICICI availed of loans periodically from the above limit for short durations. As on June 30, 1984 outstanding amount in respect of this credit limit was Rs.9 crores.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वर्ष के दौरान स्वीकृत संपूर्ण राशि का उपयोग किया और 3 करोड़ रुपये की राशि की चुकौती की। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से उधार ली गयी राशि में से बकाया राशि 30 जून 1984 को 2,085 करोड़ रुपये थी।

4.3 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 1982-83 के दौरान मंजूर 125 करोड़ रुपये की अल्पावधि-ऋण सीमाएं 30 सितम्बर 1983 तक के लिए बढ़ा दी

crores. The outstanding of the amount borrowed by the IDBI from NIC (LTO) Fund, as on June 30, 1984, aggregated Rs.2,085 crores.

4.3 The short-term credit limit amounting to Rs.125 crores sanctioned to IDBI during 1982-83 was extended upto September 30, 1983; out of this Rs.7 crores were

सारणी 4.1 : वित्तीय संस्थाओं को भा. रि. बैंक द्वारा स्वीकृत सहायता

(जूलाई-जून)

(करोड़ रुपये)

सहायता का प्रकार	1982-83	1983-84	30 जून 1984 को बकाया राशि
दीर्घावधि ऋण (रा. औ. ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि			
भा. औ. वि. बैंक	245	260	2,084.8
	(245)	(260)	
निर्यात-आयात बैंक	45	55	125.0
	(45)	(55)	
मध्यावधि/अल्पावधि ऋण सीमाएं			
भा. औ. वि. बैंक	225	200	150.0
	(43.3)	(156.8) $	
भा. औ. वि. नि.	3	10 £	–
	(*)	(*)	
भा. औ. ऋण नि. नि.	10	10	9.0
	(*)	(*)	
राज्य वित्त निगम	30.00**	52.8@	4.5
	(*)	(*)	

* सीमाओं का उपयोग नकदी ऋण सुविधा की तरह किया जा रहा है।

** इसमें 9.6 करोड़ रुपये की वे ऋण सीमाएं शामिल हैं, जो मूलतः स्वीकृत अवधि के बाद तक के लिए बढ़ाई गयी है।

$ इसमें 1982-83 के दौरान स्वीकृत 125 करोड़ रुपये की सीमा में से प्रयुक्त 6.8 करोड़ रुपये की राशि शामिल है: इस सीमा को 30 सितम्बर 1983 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

£ 18 जून 1984 से 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया। @ इसमें 16.8 करोड़ रुपये की वे ऋण सीमाएं शामिल है, जिन्हें मूलतः स्वीकृत अवधि के बाद तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

नोट : कोष्ठकों के आंकडे उपयोग दर्शाते हैं।

गयीं। इनमें से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1983-84 के दौरान 7 करोड़ रुपये निकाले। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उसके द्वारा पुनर्भाजित बिलों पर 1983-84 के दौरान 200 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमाएं भी मंजूर की गयीं। इन सीमाओं में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बिल पुनर्भुनाई योजना के माध्यम से राज्य सड़क परिवहन निगमों और राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता में वृद्धि के लिए जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाओं जैसी निवेश संस्थाओं द्वारा

availed of by IDBI during 1983-84. The IDBI was also sanctioned short-term credit limits of Rs.200 crores during 1983-84, against bills rediscounted by it. These were inclusive of a limit of Rs.150 crores sanctioned exclusively for meeting the mismatch between the funds placed at the disposal of the IDBI by investment institutions like LIC, GIC and its subsidiaries for enlarging assistance to State Electricity Boards and State Road Transport Corporations through IDBI's bills rediscounting scheme and IDBI's actual disbursements to the two organ-

Table 4.1 — ASSISTANCE SANCTIONED BY RBI TO FINANCIAL INSTITUTIONS (JULY-JUNE)

(Rs. Crores)

Type of Assistance	1982-83	1983-84	Amount Outstanding as on June 30, 1984
Long-term Credits (NIC (LTO) Fund)			
IDBI	245 (245)	260 (260)	2,084.8
Exim Bank	45 (45)	55 (55)	125.0
Medium/Short-term Credit Limits			
IDBI	225 (43.3)	200 (156.8)$	150.0
IFCI	3 (*)	10£ (*)	—
ICICI	10 (*)	10 (*)	9.0
SFCs	30.0** (*)	52.8@ (*)	4.5

* Limits are being utilised like cash credit facility.

** Includes borrowing limits amounting to Rs. 9.6 crores extended beyond the originally sanctioned period.

$ Includes Rs. 6.8 crores utilised from the limit of Rs. 125 crores sanctioned during 1982-83 which was extended upto September 30, 1983.

£ Enhanced from Rs. 3 crores to Rs. 10 crores with effect from June 18, 1984.

@ Includes borrowing limits amounting to Rs. 16.8 crores extended beyond the originally sanctioned period.

Note: Figures in brackets indicate utilisation.

4.7 मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली अखिल भारतीय संस्थाओं के अलावा राज्य वित्तीय निगम भी सरकारी प्रतिभूतियों पर 90 दिनों की अवधि के लिए और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारण्टीकृत तदर्थ बांडों पर 18 महीनों से अनधिक अवधि के लिए रिज़र्व बैंक से उधार लेने के पात्र हैं। पहली जुलाई 1983 से 30 जून 1984 के दौरान 10 राज्य वित्तीय निगमों को संबंधित राज्य सरकारों के गारंटीकृत तदर्थ बाण्डों पर 36 करोड़ रुपये तक की नयी ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं। रिज़र्व बैंक ने उसी अवधि में 6 राज्य वित्तीय निगमों के सम्बंध में भी (17 करोड़ रुपये) उधार की अवधि बढ़ायी। इन सीमाओं पर बकाया रकम 30 जून 1984 को 4.5 करोड़ रुपये थी।

मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं के कार्य

4.8 वर्ष 1983-84 के वित्तीय वर्ष के दौरान मीयादी वित्त प्रदान करनेवाली अखिल भारतीय संस्थाओं (अर्थात भा. औ. वि. बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भाऔपुनि, भायूट्रस्ट, जीबीनि और साबीनि और उसकी सहायक संस्थायें) द्वारा मंजूर और संवितरित वित्तीय सहायता क्रमशः 3,766 करोड़ रुपये और 2,675 करोड़ रुपये थी, जबकि वर्ष 1982-83 के दौरान यह क्रमशः 2,955 करोड़ रुपये और 2,179 करोड़ रुपये थी। मंजूरियाँ और संवितरण पिछले वर्ष से क्रमशः 27.5 प्रतिशत और 22.8 प्रतिशत अधिक थे (सारणी 4.2)।

4.9 संस्थाओं द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान मंजूर कुल ऋण 3,370 करोड़ रुपये था और हामीदारी एवं शेयरों और डिबेंचरों के लिए प्रत्यक्ष अभिदान की सहायता राशि 397 करोड़ रुपये थी। पिछले वर्ष की तुलना में मंजूर ऋण 658 करोड़ रुपये और हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान 154 करोड़ रुपये अधिक थे। कुल ऋण संवितरण 2,411 करोड़ रुपये का हुआ,

4.7 Besides the all-India term-lending *institutions*, the State Financial Corporations (SFCs) are also eligible to borrow from the Reserve Bank against Government Securities for a period of 90 days and against *ad hoc* bonds guaranteed by respective State Governments for a period not exceeding 18 months. Fresh borrowing limits to the extent of Rs.36 crores were sanctioned to 10 SFCs during July 1, 1983 to June 30, 1984 against *ad hoc* bonds guaranteed by the respective State Governments. The Reserve Bank also extended the period of borrowing limits (amounting to Rs.17 crores) in respect of 6 SFCs during the same period. The amount outstanding against these limits as on June 30, 1984 stood at Rs.4.5 crores.

Operations of Term Lending Institutions

4.8 Financial assistance sanctioned and disbursed by all-India term financing institutions (i.e., the IDBI, IFCI, ICICI, IRCI, UTI, LIC and GIC and its subsidiaries) during the financial year 1983-84 aggregated Rs.3,768 crores and Rs.2,673 crores, respectively, compared with Rs.2,955 crores and Rs.2,175 crores, respectively, during 1982-83. Sanctions increased by 27.5 per cent and disbursements by 22.9 per cent over the previous year (Table 4.2).

4.9 The total sanctions during 1983-84 by the institutions comprised loans of Rs.3,371 crores and assistance amounting to Rs.397 crores by way of underwriting and direct subscriptions to shares and debentures. Sanctions of loans were higher by Rs.659 crores and underwriting and direct subscriptions by Rs. 154 crores than in the previous

जो 1982-83 से 392 करोड़ रुपये अधिक रहा। हामीदारी तथा प्रत्यक्ष अभिदान के मामले में 264 करोड़ रुपये का संवितरण हुआ, जो 1982-83 से 105 करोड़ रुपये अधिक था।

year. Disbursements of loans at Rs. 2,409 crores were higher by Rs. 394 crores than in 1982-83. Disbursements on account of underwriting and direct subscriptions at Rs. 264 crores were also higher by Rs. 105 crores than in 1982-83.

4.10 1983-84 के दौरान सभी संस्थाओं के मामले में संवितरित सहायता 1982-83 से अधिक थी। संपूर्ण अर्थ में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गयी, जिसकी मंजूरियों में 531 करोड़ रुपये और संवितरणों में 280 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

4.10 Assistance disbursed during 1983-84 was higher than in 1982-83 in case of all the institutions. In absolute terms, the largest increase was recorded by IDBI; its sanctions and disbursements rose by Rs.532 crores and Rs.282 crores, respectively.

4.11 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसी मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं ने अपने द्वारा दी जानेवाली सहायता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों की स्थिति मजबूत की। इस प्रकार इन संस्थाओं के रुपया संसाधनों में सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पूंजी में अंशदान तथा दूसरों को ऋण देने से, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिन प्रवर्तन) निधि के अंतर्गत सहायता देने और बाजार से उधार लेने से वृद्धि हुई, वहीं विदेशी मुद्रा संसाधनों में, जो परम्परागत रूप से विश्व बैंक तथा अन्य विकास वित्त अभिकरणों और बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सहायता द्वारा प्रदान किये जाते हैं, हाल ही के वर्षों में विश्व पूंजी बाजार से ऋण लेने से वृद्धि हुई है। वर्ष 1983-84 (अप्रैल-मार्च) में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 3 करोड़ अमरीकी डालर का संघीय मुद्रा यूरोपीय ऋण और 50 लाख पौंड का निर्यात ऋण जुटाया, जो इंग्लैंड के निर्यात ऋण गारंटी विभाग द्वारा समर्थित था। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने वर्ष के दौरान एक करोड़ स्विस फ्रांक के स्विस फ्रेम ऋण के लिए भी करार किया है।

4.11 The term-lending institutions viz., IDBI, ICICI and IFCI have been strengthening their resources position to meet the increasing demand for loan assistance provided by them. Thus, while the rupee resources of the institutions are augmented by the Government contributions to capital of IDBI and loans to others, RBI assistance under NIC (LTO) Fund and through market borrowings, foreign currency resources, which are traditionally provided by the World Bank, other development finance agencies and multilateral and bilateral aid, have been augmented by borrowings from the world capital markets in recent years. During 1983-84 (April-March), IDBI raised a syndicated currency Euro-loan of US $ 30 million and raised an export credit of £ 5 million backed by the Export Credits Guarantee Department of the UK. The ICICI also entered into an agreement for a Swiss Frame Credit of SF 10 million during the year.

सारणी 4.2 : मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं द्वारा सहायता 1982-83 और 1983-84

(अप्रैल-मार्च)

(करोड़ रुपये)

संस्थाएं	ऋण				शेयरों और डिबेंचरों में हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान				कुल			
	1982-83		1983-84		1982-83		1983-84		1982-83		1983-84	
	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भा. औ. वि. बैं. + £	1929.02	1426.45	2408.57	1738.29	32.37	41.99	84.56	12.02	1961.39	1468.44	2493.13	1750.31
											(+27.0)	(+19.0)
भा. औ. वि. वि. नि. +	214.88	188.55	300.06	218.54	15.34	7.55	29.92	5.91	230.22	196.10	329.98	224.45
											(+43.3)	(+14.5)
भा. औ. ऋण. नि. वि. +	322.03	258.31	404.74	282.37	26.60	12.84	33.76	12.61	348.63	271.15	438.50	294.98
											(+25.8)	(+8.8)
भा. औ. पु. नि.	57.92	36.07	64.93	38.16	–	–	–	–	57.92	36.07	64.93	38.17
											(+12.1)	(+5.8)
जीवन बीमा निगम ++	87.71	52.21	87.46	67.71	48.81	34.39	79.35	73.19	136.53	86.60	166.81	140.90
											(+22.2)	(+62.7)
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	70.28 $	38.41 $	62.54 $	47.21 $	57.18	33.28	103.25	92.13	127.46	71.69	165.79	139.34
											(+30.1)	(+94.4)
साबीनिससं	30.23	15.33	42.78	16.54	62.47	29.37	65.71	68.00	92.70	44.70	108.49	84.54
											(+17.0)	(+89.1)
जोड़	**2712.07**	**2015.33**	**3371.08**	**2408.82**	**242.77**	**159.42**	**396.55**	**263.86**	**2954.85**	**2174.75**	**3767.63**	**2672.69**
											(+27.5)	**(+22.8)**

\+ गारंटियां शामिल हैं।

\+ £ अखिल भारतीय वितीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में किये गये अभिदानों को छोड़कर सभी तरह की सहायता शामिल हैं।

++ अल्पावधि ऋण शामिल नहीं हैं।

$ निजी रूप से रखे गये डिबेंचर।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित संस्थाओं से प्राप्त सूचना।

TABLE 4.2: ASSISTANCE BY TERM-LENDING INSTITUTIONS DURING 1982-83 AND 1983-84 (APRIL-MARCH)

(Rs. crores)

Institutions	Loans				Underwriting and direct subscription to shares and debentures				Total			
	1982-83		1983-84		1982-83		1983-84		1982-83		1983-84	
	Sanctioned	Disbursed	Sanctioned	Disbursed	Sanctioned	Disbursed	Sanctioned	Disbursed	Sanctioned	Disbursed	Sanctioned	Disbursed
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IDBI + £	1929.02	1426.45	2408.57	1738.29	32.37	41.99	84.56	12.02	1961.39	1468.44	2493.13 (+27.0)	1750.31 (+19.0)
IFCI +	214.88	188.55	300.06	218.54	15.34	7.55	29.92	5.91	230.22	196.10	329.98 (+43.3)	224.45 (+14.5)
ICICI +	322.03	258.31	404.74	282.37	26.60	12.84	33.76	12.61	348.63	271.15	438.50 (+25.8)	294.98 (+ 8.8)
IRCI	57.92	36.07	64.93	38.16	—	—	—	—	57.92	36.07	64.93 (+12.1)	38.17 (+ 5.8)
LIC ++	87.71	52.21	87.46	67.71	48.81	34.39	79.35	73.19	136.53	86.60	166.81 (+22.2)	140.90 (+62.7)
UTI	70.28$	38.41$	62.54$	47.21$	57.18	33.28	103.25	92.13	127.46	71.69	165.79 (+30.1)	139.34 (+94.4)
GIC and its subsidiaries	30.23	15.33	42.78	16.54	62.47	29.37	65.71	68.00	92.70	44.70	108.49 (+17.0)	84.54 (+89.1)
Total	**2712.07**	**2015.33**	**3371.08**	**2408.82**	**242.77**	**159.42**	**396.55**	**263.86**	**2954.85**	**2174.75**	**3767.63 (+27.5)**	**2672.69 (+22.8)**

£ Includes all types of assistance with the exception of subscription to shares and bonds of all-India financial institutions.

$ Privately placed debentures.

\+ Includes guarantees.

++ Excludes short-term loans.

Note: Figures in brackets indicate percentage variations over the previous year.

Source: Information received from respective institutions.

4.12 वर्ष के दौरान औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में एक नयी बात थी निजी क्षेत्र के प्रवर्तकों द्वारा उपकरण पट्टे पर देनेवाली कंपनियों की भारी संख्या में स्थापना। इस बीच मीयादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं, जैसे भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने अपने कार्यकलाप का विशाखन करके उपकरण पट्टे पर देना शुरू किया और अब बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 1983 बैंकों को भी उपकरण पट्टे पर देने की अनुमति देता है। भारत में उपकरण पट्टे पर देने की परिकल्पना अपेक्षाकृत नयी है: दो/तीन वर्ष पहले इस कार्य में बहुत ही कम कम्पनियां लगी हुई थीं। लेकिन निगमित क्षेत्र, वित्तीय संस्थाओं और अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम जैसी अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों ने जो दिलचस्पी दिखायी है, उसे ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि उपकरण पट्टे पर देना औद्योगिक वित्त के लिए एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में पर्याप्त आशाप्रद कार्य है।

4.12 A new development in the sphere of industrial finance during the year was the establishment of a large number of equipment leasing companies by private sector promoters. Besides, some of the term-lending institutions e.g., ICICI and IRCI have also diversified their activities into equipment leasing and now the Banking Laws (Amendment) Act, 1983 also enables the banks to undertake equipment leasing. The concept of equipment leasing is relatively new in India, as about two/three years ago there were very few companies engaged in equipment leasing. However, in view of the interest being shown by the corporate sector, financial institutions and international agencies like International Finance Corporation, leasing holds a high promise as an additional source of industrial finance.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

4.13 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 1983-84 (अप्रैल-मार्च) के दौरान मंजूर वित्तीय सहायता (गारंटियों को छोड़कर, लेकिन वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बाण्डों के लिए अभिदानों को मिलाकर) 2,497 करोड़ रुपये थी, जो 1982-83 के दौरान मंजूर 1,972 करोड़ रुपये से 26.6 प्रतिशत अधिक थी। वर्षके दौरान संवितरित कुल 1,777 करोड़ रुपये की राशि भी पिछले वर्ष के दौरान के 1,494 करोड़ रुपये से 18.9 प्रतिशत अधिक थी (सारणी 4.3)। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना से मार्च 1984 के अंत तक मंजूर तथा संवितरित संचयी सहायता क्रमशः 11,951 करोड़ रुपये और 8,661 करोड़ रुपये थी।

Industrial Development Bank of India

4.13 The aggregate financial assistance sanctioned (excluding guarantees but including subscriptions to shares and bonds of financial institutions) by the IDBI during 1983-84 (April-March) at Rs.2,497 crores was 26.6 per cent higher than Rs.1,972 crores sanctioned during 1982-83. Total disbursements during the year, at Rs.1,777 crores, were also 18.9 per cent higher than Rs. 1,494 crores in the previous year (Table 4.3). The cumulative assistance sanctioned and disbursed by IDBI since its inception up to the end of March 1984 stood at Rs.11,951 crores and Rs.8,661 crores, respectively.

4.14 1983-84 के दौरान सामान्य ऋणों, सुलभ ऋणों, तकनीकी विकास निधि और हामीदारी तथा शेयरों और डिबेंचरों में प्रत्यक्ष अभिदानों के माध्यम से प्रत्यक्ष औद्योगिक सहायता कुल 749 करोड़ रुपये थी, जो 1982-83 में 516 करोड़ रुपये की कुल सहायता से काफी अधिक थी और वह कुल सहायता की 30 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष 26.2 प्रतिशत ही थी। लेकिन प्रत्यक्ष सहायता का संवितरण 473 करोड़ रुपये का हुआ, जो 13 करोड़ रुपये की थोड़ी-सी वृद्धि दर्शाता है और कुल संवितरित रकम का 26.6 प्रतिशत है (1982-83 में 30.8 प्रतिशत था)। 1983-84 के दौरान परोक्ष सहायता (औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त और बिलों की पुनर्भुनाई की योजनाओं के अंतर्गत) की मंजूरी और संवितरण क्रमशः कुल 1,662 करोड़ रुपये और 1,231 करोड़ रुपये थे। 1983-84 के दौरान मंजूरियों में गत-वर्ष के मुकाबले 19.0 प्रतिशत और संवितरणों में 26.0 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी। वर्ष के दौरान परोक्ष सहायता कुल मंजूरियों का 66.6 प्रतिशत थी (1982-83 में 70.7 प्रतिशत थी) और कुल संवितरण का 69.2 प्रतिशत (1982-83 में 65.5 प्रतिशत) थी।

4.14 During 1983-84, direct industrial assistance through normal loans, soft-loans, Technical Development Fund and underwriting and direct subscriptions to shares and debentures aggregated Rs.749 crores, which was substantially higher than Rs.516 crores during 1982-83, and formed 30.0 per cent of the total assistance as against 26.2 per cent in the last year. However, disbursements of direct assistance at Rs.473 crores, increased marginally by Rs.13 crores and formed 26.6 per cent of the total amount disbursed (30.8 per cent in 1982-83). Sanctions and disbursements of indirect assistance (under the schemes of refinance of industrial loans and rediscounting of bills) during 1983-84 aggregated Rs.1,662 crores and Rs.1,231 crores, respectively. Sanctions during 1983-84 showed a rise of 19.0 per cent and disbursements of 26.0 per cent over the previous year. Indirect assistance during the year constituted 66.6 per cent of total sanctions (70.7 per cent in 1982-83) and 69.2 per cent of total disbursements (65.5 per cent in 1982-83).

4.15 1983-84 के दौरान सभी योजनाओं के अंतर्गत मंजूरियां पिछले वर्ष से ज्यादा थीं। जहां बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत मंजूरियाँ 429 करोड़ रुपये से बढ़कर 664 करोड़ रुपये हो गयीं, वहीं सुलभ ऋण योजना के अंतर्गत मंजूरियाँ 32 करोड़ रुपये से बहुत बढ़कर 59 करोड़ रुपये हो गयीं। परियोजना वित्त (ऋण और हामीदारी) के अंतर्गत मंजूरियाँ 468 करोड़ रुपये से बढ़कर 672 करोड़ रुपये हो गयीं तथा तकनीकी विकास निधि के अंतर्गत मंजूरियां 16 करोड़ रुपये से बढ़कर 18 करोड़ रुपये हो गयीं। परियोजना वित्त (ऋण और हामीदारी) संबंधी संवितरण 385 करोड़ रुपये से बढ़कर 420 करोड़ रुपये हो गये। औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त के अंतर्गत संवितरण 661 करोड़ रुपये से बढ़कर 731

4.15 During 1983-84, sanctions under all the schemes were higher than those during the previous year. Sanctions under the bills rediscounting scheme rose from Rs.428 crores to Rs.664 crores, while those under the soft loans scheme increased sharply from Rs.32 crores to Rs.59 crores. Sanctions under project finance (loans and underwriting) increased from Rs.468 crores to Rs.672 crores and those under the Technical Development Fund rose from Rs.16 crores to Rs.18 crores. Disbursements in respect of project finance (loans and underwriting) increased from Rs.385 crores to Rs.420 crores, refinance of industrial loans from Rs.661 crores to Rs.731 crores and bills rediscounting scheme from Rs.318 crores to

सारणी 4.3 : 1982-83 तथा 1983-84 (अप्रैल-मार्च) के दौरान तथा शुरुआत से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत तथा सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग की गयी वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपये में)

सहायता के प्रकार	मंजूरियां 1982-83	मंजूरियां 1983-84	स्थापना से लेकर मार्च 1984 के अंत तक संचयी मंजूरियां	संवितरण 1982-83	संवितरण 1983-84	स्थापना से लेकर मार्च 1984 के अंत तक संवितरण
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रत्यक्ष औद्योगिक सहायता	516.1	749.1	3866.3	459.9	472.7	2624.5
	(26.2)	(30.0)	(32.4)	(30.8)	(26.6)	(30.3)
(क) औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्रत्यक्ष ऋण	483.8	664.5	3501.4	417.9	460.7	2489.0
) सामान्य	435.8	587.2	2932.4	343.0	408.1	269.4
) सुलभ ऋण सहायता	32.3	59.1	488.6	62.6	41.6	358.3
) तकनीकी विकास निधि	15.7	18.2	80.4	12.3	11.0	61.2
(ख) औद्योगिक संस्थाओं के शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी और उनमें प्रत्यक्ष अभिदान	32.3	84.6	364.9	42.0	12.0	135.2
2. औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	965.8	997.9	4967.6	660.5	730.8	3579.0
	(49.0)	(40.0)	(41.6)	(44.2)	(41.1)	(41.3)
3. बिलों की पुनर्भुनाई	428.4	663.7	2637.8	317.9	499.8	2005.7
	(21.7)	(26.6)	(22.1)	(21.3)	(28.1)	(23.2)
4. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान	53.3	75.0	452.4	52.3	66.3	437.0
	(2.7)	(3.0)	(3.8)	(3.5)	(3.7)	(5.0)
5. प्रारंभिक पूंजी	8.0	10.9	26.9	3.7	7.4	14.9
	(1.4)	(0.4)	(0.2)	(0.2)	(0.4)	(0.2)
जोड़ 1 से 5	**1971.6**	**2496.6**	**11951.0**	**1494.3**	**1777.0**	**8661.2**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**
6. ऋणों और आस्थगित भुगतानों के लिए गारंटियां	15.8	22.7	91.9	4.2	0.1	23.9

टिप्पणी : 1. 1983-84 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठों के आंकड़े जोड़ में प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक।

TABLE 4.3 : ASSISTANCE SANCTIONED BY THE IDBI AND UTILISED BY THE ASSISTED CONCERNS DURING 1982-83 AND 1983-84 (APRIL-MARCH) AND SINCE INCEPTION

(Rs. Crores)

Type of Assistance	Sanctions (Effective) 1982-83	Sanctions (Effective) 1983-84	Cumulative sanctions since inception upto end-March 1984	Disbursements 1982-83	Disbursements 1983-84	Cumulative disbursements since inception upto end-March 1984
1	2	3	4	5	6	7
1. Direct Industrial Assistance	516.1 (26.2)	749.1 (30.0)	3866.3 (32.4)	459.9 (30.8)	472.7 (26.6)	2624.5 (30.3)
a) Direct loans to industrial concerns	483.8	664.5	3501.4	417.9	460.7	2489.0
i) Normal	435.8	587.2	2932.4	343.0	408.1	2069.4
ii) Soft loan assistance	32.3	59.1	488.6	62.6	41.6	358.3
iii) Technical Development Fund	15.7	18.2	80.4	12.3	11.0	61.3
b) Underwriting of and direct subscriptions to shares and debentures of industrial concerns	32.3	84.6	364.9	42.0	12.0	135.5
2. Refinance of industrial loans	965.8 (49.0)	997.9 (40.0)	4967.6 (41.6)	660.5 (44.2)	730.8 (41.1)	3579.0 (41.3)
3. Rediscounting of bills	428.4 (21.7)	663.7 (26.6)	2637.8 (22.1)	317.9 (21.3)	499.8 (28.1)	2005.7 (23.2)
4. Subscriptions to shares and bonds of financial institutions	53.3 (2.7)	75.0 (3.0)	452.4 (3.8)	52.3 (3.5)	66.3 (3.7)	437.0 (5.0)
5. Seed capital	8.0 (0.4)	10.9 (0.4)	26.9 (0.2)	3.7 (0.2)	7.4 (0.4)	14.9 (0.2)
Total (1 to 5)	**1971.6** **(100.0)**	**2496.6** **(100.0)**	**11951.0** **(100.0)**	**1494.3** **(100.0)**	**1777.0** **(100.0)**	**8661.2** **(100.0)**
6. Guarantees for loans and deferred payments	15.8	22.7	91.9	4.2	0.1	23.9

Note : (1) 1983-84 data are provisional.

(2) Figures in brackets are percentages to total.

Source : Industrial Development Bank of India.

करोड़ रुपये तथा बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत संवितरण 318 करोड़ रुपये से बढ़कर 500 करोड़ रुपये हो गये। लेकिन सुलभ ऋण योजना और तकनीकी विकास निधि के मामले में संवितरण घटकर क्रमशः 63 करोड़ रुपये से 42 करोड़ रुपये तथा 12 करोड़ रुपये से 11 करोड़ रुपये रह गये।

Rs.500 crores. In the case of Soft Loan Scheme and Technical Development Fund, however, disbursements declined from Rs.63 crores to Rs.42 crores and from Rs.12 crores to Rs.11 crores, respectively.

4.16 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने परियोजना वित्त योजना के अंतर्गत पहली बार तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम लि. को 164 लाख रुपये की रकम मंजूर की, ताकि वह लघु औषध निर्माण इकाइयों के उपयोग के लिए औद्योगिक एस्टेट स्थापित कर सके।

4.16 For the first time, IDBI sanctioned a sum of Rs.164 lakhs under project finance scheme to Tamil Nadu Small Industries Development Corporation Ltd., enabling it to set up industrial estate for use by small pharmaceutical units.

राज्य वित्तीय निगम

4.17 राज्य वित्तीय निगम छोटे और मझोले उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। 1983-84 (अप्रैल-मार्च) के दौरान इन निगमों ने मंजूरियों में 2.9 प्रतिशत और संवितरणों में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जिन 18 राज्य वित्तीय निगमों* के आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके द्वारा मंजूर कुल सहायता 1983-84 के दौरान 655 करोड़ रुपये थी, जो 1982-83 के दौरान 637 करोड़ रुपये थी और संवितरण 1982-83 के 406 करोड़ रुपये की तुलना में 434 करोड़ रुपये थे (सारणी 4.4)। मार्च 1984 के अंत में कुल बकाया सहायता 1,824 करोड़ रुपये थी। 18 राज्य वित्तीय निगमों में से 9 की मंजूरियों में वृद्धि हुई और 10 के संवितरणों में वृद्धि हुई।

State Financial Corporations

4.17 State Financial Corporations (SFCs), which extend long-term financial assistance to small and medium-scale industries, recorded a rise of 2.9 per cent in sanctions and 6.9 per cent in disbursements during 1983-84 (April-March). The aggregate assistance sanctioned by 18 SFCs.* amounted to Rs.655 crores during 1983-84, compared with Rs.637 crores during 1982-83, and disbursements to Rs.434 crores as against Rs.406 crores in 1982-83 (Table 4.4). Total assistance outstanding at the end of March 1984 stood at Rs.1,824 crores. Nine of the 18 SFCs recorded rise in sanctions, while 10 SFCs recorded rise in disbursements during 1983-84.

* तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि. को मिलाकर

* Including Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd.

सारणी : 4.4 राज्य वित्तीय निगमों के कार्य (अप्रैल मार्च)

(करोड़ रुपये)

	1982-83	1983-84 अ
मंजूर सहायता	636.8	655.1
संवितरित सहायता	405.6	433.6
* मार्च के अन्त में बकाया ऋण	1503.4	1824.2

अ : अनन्तिम

स्रोत : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

4.18 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी। ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 330 करोड़ रुपये के यूनिटों की बिक्री पिछले वर्ष की 167 करोड़ रुपये की बिक्री से 98 प्रतिशत थी (सारणी 4.5)। आलोच्य वर्ष के दौरान यूनिटों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं- 1982-83 के लिए उच्चतर लाभांश दर की घोषणा, मासिक आय यूनिट योजना (एमआइएस) (2)-83)को पुनः लागू करना और पूंजी लाभ यूनिट योजना (सीजीएस-83) नामक नयी योजना लागू करना। कुल 330 करोड़ रुपये की बिक्री मौजूदा तीन योजनाओं अर्थात यूनिट योजना 1964, यूनिट योजना, 1971 और सीआरटीएस योजना** 1981 के अंतर्गत बिक्री 193 करोड़ रुपये थी और शेष 137 करोड़ रुपये नयी योजनाओं अर्थात 1983 में पुनः लागू मासिक आय यूनिट योजना (एमआइएस) (2)-83 तथा पूंजी लाभ यूनिट योजना (सीजीएस-83) से सम्बन्धित हैं। 1983-84 में पुनः खरीद 15.7 करोड़ रुपये की थी, जो 1982-83 की 15.4 करोड़ रुपये की खरीद से केवल 3 करोड़ रुपये ही अधिक थी।

** धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों एवं पंजीकृत समितियों के लिए यूनिट योजना

TABLE : 4.4 Operations of State Financial Corporations (April - March)

(Rupees Crores)

	1982-83	1983-84 P
Assistance sanctioned	636.8	655.1
Assistance disbursed	405.6	433.6
Loans outstanding as at the end of March	1,503.4	1,824.2

P : Provisional

Source : Industrial Development Bank of India.

Unit Trust of India

4.18 During 1983-84 (July-June), the operations of the Unit Trust of India (UTI) recorded a significant growth. The aggregate sales of units under the Trust's various schemes, at Rs.330 crores, registered an appreciable increase of 98 per cent over the last year's sale of Rs.167 crores (Table 4.5). The declaration of higher rate of dividend for 1982-83, the reintroduction of the Monthly Income Unit Scheme (MIS(2)-83) and the introduction of a new scheme *viz.*, Capital Gains Unit Scheme (CGS-83) largely contributed to the significant growth in sales of units during the year under review. The three existing schemes *viz.*, Unit Scheme 1964, Unit Scheme 1971 and CRTS** Scheme 1981 accounted for Rs.193 crores of the total sales of Rs.330 crores and the balance Rs.137 crores was in respect of the two new schemes *viz.*, Monthly Income Unit Scheme reintroduced in 1983 (MIS(2)-83) and the Capital Gains Unit Scheme (CGS-83). Repurchases during 1983-84 were fractionally higher at Rs.15.7* crores than Rs.15.4 crores in 1982-83.

* *Unit Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies.

सारणी 4.5 : भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा योजनावार बिक्री और पुनः खरीद

(करोड़ रुपये)

योजना	बिक्री		पुनः खरीद		30 जून को बकाया	
	1982-83	1983-84@	1982-83	1983-84@	1983	1984@
	1	2	3	4	5	6
यूनिट योजना 1964	75.8	161.2	12.5	10.5	496.4	647.1
यूनिट योजना 1971 (यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी)	21.4*	25.7*	2.5	4.8	64.4	85.4
धर्मार्थ और धार्मिक न्यास तथा पंजीकृत समितियां योजना 1982	7.2	6.3	–	–	16.3	22.6
आय यूनिट योजना 198 2	–	–	0.4**	••	67.2	67.1
मासिक आय यूनिट योजना 1983	49.0	0.5@@	–	0.3**	49.0	49.2
वृद्धि और आय यूनिट योजना 1982	13.5	–	–	0.1	13.5	13.4
मासिक आय यूनिट योजना (2) 1983	–	33.6	–	••	–	33.6
पूंजीगत लाभ यूनिट योजना 1983	–	102.9	–	–	–	102.9
जोड़	**166.9**	**330.2**	**15.4**	**15.7**	**706.9**	**1021.3**

@ अनंतिम ⊙ 1983-84 के दौरान आपत्तियां दूर करने पर लाभांश 0.12 लाख रुपये की बिक्रियां की गयी

** इसमें अवधि पूर्ण होने से पहले निकाली गयी वे राशियां शामिल हैं, जिनकी अनुमति यूनिटधारी की मृत्यु और तकनीकी आधार पर अस्वीकृति के मामले में दी गयी है ।

•• पांच लाख से कम राशि @@ आपत्तियां दूर करने पर की गयी बिक्रियां

* इसमें नये सदस्यों के अभिदानों से बिक्री की राशियां, वर्तमान सदस्यों से नवीकृत अभिदान राशियां तथा वर्तमान सदस्यों को देय लाभांश शामिल हैं ।

स्रोत : भारतीय यूनिट ट्रस्ट

4.19 यूनिट योजना, 1964 तथा यूनिट योजना, 1971 के तहत लाभांश लगातार पांचवें वर्ष भी बढ़ाये गये, जबकि सी आर टी एस योजना, 1981 के लिए लाभांश लगातार तीसरे वर्ष बढ़ाये गये । यूनिट योजना, 1964 के तहत लाभांश-दर 1982-83 के 13.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1983-84 में 14.0 प्रतिशत यूनिट योजना, 1971 के अन्तर्गत 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत तथा यूनिट योजना, 1981 के तहत 12.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.0 प्रतिशत की गयी । मासिक आय यूनिट योजना (एमआइएस) (2) -83) को पुनः लागू करने पर दो महीनों (नवम्बर और दिसम्बर 1983) के दौरान 16,696 आवेदन पत्रों पर 34 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई । एक नयी योजना-पूंजी लाभ यूनिट योजना (सीजीएस-83) दिसम्बर 1983 में शुरू की गयी, जिससे कि निर्धारितियों को दीर्घकालीन पूंजीगत परिसम्पतियों के अन्तरण के परिणामस्वरूप उपचित अथवा उपचित निवल प्रतिफल

4.19 Dividends under the Unit Scheme, 1964 and the Unit Scheme 1971 were stepped up for the fifth year in succession while for CRTS Scheme 1981 dividend was raised for the third year in succession. The rate of dividend was raised from 13.5 per cent in 1982-83 to 14.0 per cent in 1983-84 under Unit Scheme 1964, from 10.5 per cent to 11.5 per cent under the Unit Scheme 1971 and from 12.7 per cent to 13.0 per cent under Scheme 1981. The reintroduction of Monthly Income Unit Scheme (MIS(2)-83) during two months (November and December 1983) netted Rs.34 crores under 16,696 applications. A new scheme – the Capital Gains Unit Scheme (CGS-83) was launched in December 1983, to enable the assessees to invest the net consideration received or accrued as a result of transfer of long-term capital assets or part thereof in the units for claiming tax exemption under the amended section 54E(1)(C)(ii) of the Income Tax

TABLE 4.5 : SCHEME-WISE SALES AND REPURCHASES BY UTI

(Rs. Crores)

Schemes	Sales		Repurchases		Outstanding (as on June 30)	
	1982-83	1983-84@	1982-83	1983-84@	1983	1984@
	1	2	3	4	5	6
Unit Scheme 1964	75.8	161.2	12.5	10.5	496.4	647.1
Unit Scheme 1971 (ULIP)	21.4*	25.7*	2.5	4.8	64.4	85.4
CRTS Scheme 1981	7.2	6.3	—	—	16.3	22.6
Income Unit Scheme 1982	—	⊙	0.4**	..	67.2	67.1
Monthly Income Unit Scheme 1983	49.0	0.5@@	—	0.3**	49.0	49.2
Growth and Income Unit Scheme 1983	13.5	—	—	0.1	13.5	13.4
Monthly Income Unit Scheme(2) 1983	—	33.6	—	..	—	33.6
Capital Gains Unit Scheme 1983	—	102.9	—	—	—	102.9
Total	166.9	330.2	15.4	15.7	706.9	1021.3

* Represents sales from contributions from new members, renewal contributions from existing members and dividend payable to existing members.

@ Provisional. ⊙ Sales effected during 1983-84 for Rs. 0.12 lakh on clearance of objections.

** Includes premature withdrawals allowed in case of death of units holders and rejections on technical grounds.

.. Amount less than Rs. five lakhs.

Source: Unit Trust of India. @@ Sales effected on clearance of objections.

की राशि अथवा उसके अंश आयकर अधिनियम, 1961 की संशोधित धारा 54 ई (I) (सी) (II) के तहत कर में छूट के दावे के लिए यूनिटों में निवेश करने में सहायता मिले। इस योजना के तहत यूनिटों की बिक्री की राशि 103 करोड़ रुपये हो गयी।

Act, 1961. Sales of units under this scheme amounted to Rs.103 crores.

4.20 ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अंतर्गत कुल यूनिट पूंजी 30 जून 1983 को 707 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 30 जून 1984 को 1,021 करोड़ रुपये हो गयी। 30 जून 1984 को ट्रस्ट की कुल निवेश योग्य निधि 1,262 करोड़ रुपये हो चुकी थी, जो 30 जून 1983 को 870 करोड़ रुपये थी। कुल निवेश योग्य निधि में से 215 करोड़ रुपये (17.0 प्रतिशत) ईक्विटी शेयरों में, 12 करोड़ रुपये (0.9 प्रतिशत) अधिमान

4.20 The aggregate unit capital of the Trust under all the schemes put together increased from Rs.707 crores as on June 30, 1983 to Rs.1,021 crores as on June 30, 1984. The total investible funds of the Trust as on June 30, 1984 aggregated Rs.1,262 crores, as against Rs.870 crores as on June 30, 1983. Out of the total investible funds, Rs.215 crores (17.0 per cent) were invested in equity shares, Rs.12 crores (0.9 per cent) in

शेयरों में, 488 करोड़ रुपये (38.7 प्रतिशत) डिबेंचरों में और शेष 547 करोड़ रुपये (43.4 प्रतिशत) मुख्यतः निवेश वायदों के लिए अग्रिम जमा, मीयादी जमा, पूरक जमा, पूरक वित्त एवं मांग और अल्प सूचना पर देय अग्रिम जमाराशियों में रखे गये ।

preference shares, Rs.488 crores (38.7 per cent) in debentures and the balance amount Rs.547 crores (43.4 per cent) was invested mainly in advance deposits against investment. commitments, fixed deposits, bridge finance and money at call and short notice.

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम

4.21 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम (निबीप्रगानि) ने अपने दोहरे उद्देश्य- (क) बैंकों में कम राशि जमा करने वालों को बीमा रक्षा प्रदान करना और (ख) कतिपय श्रेणियों के छोटे ऋणकर्ताओं, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के ऋणकर्ताओं को ऋण देने वाली पात्र ऋण संस्थाओं द्वारा दी गयी ऋण सुविधा को गारण्टी समर्थन देना- को पूरा करना जारी रखा ।

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

4.21 The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) continued to pursue its twin objectives of (a) giving insurance protection to small depositors in banks and (b) guarantee support to credit facilities extended by eligible credit institutions to certain categories of small borrowers, particularly those belonging to the weaker sections of the society.

निक्षेप बीमा कार्य

4.22 बीमाकृत बैंकों की संख्या जून 1983 के अन्त में 1,718 थी, जो बढ़कर जून 1984 के अन्त तक 1,773 हो गयी, जिनमें 84 वाणिज्य बैंक, 159 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1,530 सहकारी बैंक (कुल 1,594 सहकारी बैंकों में से) थे । जून 1984 के अन्त तक इस योजना में 14 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा तीन संघशासित क्षेत्रों, अर्थात दिल्ली, गोवा, दमण और दीव तथा पाण्डिचेरी के सहकारी बैंक शामिल हो चुके थे ।

Deposit Insurance Function

4.22 The number of insured banks increased from 1,718 at the end of June 1983 to 1,773 by the end of June 1984, comprising 84 commercial banks, 159 regional rural banks and 1,530 co-operative banks (out of a total of 1,594 co-operative banks). By the end of June 1984, the Scheme covered co-operative banks in 14 States viz., Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal and three Union Territories viz., Delhi, Goa, Daman & Diu and Pondicherry.

4.23 बीमा रक्षा की सीमा 30,000 रुपये प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक और बीमा प्रीमियम की दर प्रति सौ रुपये पर 4 पैसा प्रति वर्ष अपरिवर्तित रही । निर्धारणीय जमाराशियां, जून 1982 के अन्त में 42,360 करोड़ रुपये थीं, वे जून 1983 के अन्त में बढ़कर 50,797

4.23 The limit of insurance cover and the rate of insurance premium remained unchanged at Rs.30,000 per depositor per bank and at 4 paise per Rs.100 per annum, respectively. The amount of assessable deposits increased from Rs.42,360 crores at the end

करोड़ रुपये हो गयी: जिससे प्रीमियम से होने वाली आय में 20.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 20.66 करोड़ रुपये से बढ़कर 24.86 करोड़ रुपये हो गयी। परिणामस्वरूप जमा बीमा निधि में दिसंबर 1983 तक 23 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वह 177 करोड़ रुपये हो गयी। अब निधि में कुल निर्धारणीय जमा राशि का 0.35 प्रतिशत और कुल बीमाकृत जमाराशि का 0.47 प्रतिशत शामिल है।

of June 1982 to Rs.50,797 crores at the end of June 1983, bringing about a rise of 20.3 per cent in the premium income from Rs.20.66 crores to Rs.24.86 crores. Consequently, the Deposit Insurance Fund increased over the year by Rs.23 crores to Rs.177 crores by the end of December 1983. The Fund now constitutes 0.35 per cent of the total assessable deposits and 0.47 per cent of the aggregate insured deposits.

4.24 जून 1983 के अन्त में कुल जमा खातों में से 98.3 प्रतिशत खाते पूर्णतया रक्षित थे और कुल निर्धारणीय जमाराशियों में बीमाकृत जमाराशियां 74.3 प्रतिशत थीं। योजना की शुरुआत से जून 1984 के अन्त तक 14 वाणिज्य बैंकों और 12 सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में प्रदत्त जमा बीमा दावों की कुल रकम क्रमशः 1.1 करोड़ रुपये और 2.1 करोड़ रुपये थी। निगम ने वाणिज्य/सहकारी बैंकों से चुकौती के रूप में 1.1 करोड़ रुपये प्राप्त किये।

4.24 As at the end of June 1983, fully protected accounts formed 98.3 per cent of the total number of deposit accounts and insured deposits 74.3 per cent of the total assessable deposits. Total amount of deposit insurance claims paid or provided for since inception of the Scheme upto the end of June 1984 in respect of 14 commercial banks and 12 co-operative banks aggregated Rs.1.1 crores and Rs.2.1 crores, respectively. The Corporation has received from the commercial/co-operative banks Rs.1.1 crores towards repayment.

ऋण गारण्टी योजना
गैर-औद्योगिक क्षेत्र

4.25 जून 1984 के अन्त में 217 ऋण संस्थाएँ (75 वाणिज्य बैंक और 148 में से 142 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) निगम की लघु गारण्टी योजना, 1971 में सहभागी थीं। कुल गारण्टीकृत अग्रिमों में से 99.3 प्रतिशत इस योजना के अन्तर्गत थे। लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारण्टी योजना, 1971 में सहभागी ऋण संस्थाओं की संख्या 18 ही बनी रही। सेवा सहकारी समितियां गारंटी योजना, 1971 में सहभागी ऋण संस्थाओं की संख्या जून 1984 के अंत में 164 थी, जिनमें 61 वाणिज्य बैंक, 66 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 37 सहकारी बैंक शामिल थे।

Credit Guarantee Functions
Non-industrial Sector

4.25 At the end of June 1984, 217 credit institutions (75 commercial banks and 142 out of 148 regional rural banks) were participating in the Corporation's Small Loans Guarantee Scheme, 1971. This Scheme accounted for 99.3 per cent of total guaranteed advances. The number of credit institutions participating in the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 remained unchanged at 18. The number of credit institutions participating in the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971 stood at 164 at the end of June 1984, comprising 61 commercial banks, 66 regional rural banks and 37 co-operative banks.

सारणी 4.6 : निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्रवार ब्योरे

(करोड़ रुपये)

जून के अंत में स्थिति

योजना/उधारकर्ताओं की श्रेणी	1972	1980	1981	1982	1983	1984
अ. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	**205.7**	**2789.1**	**3546.2**	**4819.8**	**5736.4**	**6074.2**
	(98.7)	**(99.6)**	**(99.7)**	**(99.6)**	**(99.4)**	**(99.3)**
किसान तथा कृषिकर्मी	134.7	1796.1	2267.5	3041.6	3594.8	3737.4
	(64.6)	(64.2)	(63.7)	(62.8)	(62.3)	(61.1)
परिवहन चालक	28.3	368.5	477.6	731.3	937.7	1023.7
	(13.6)	(13.2)	(13.4)	(15.1)	(16.2)	(16.7)
खुदरा व्यापारी	28.3	316.7	398.9	511.8	574.8	625.1
	(13.6)	(11.3)	(11.2)	(10.6)	(9.9)	(10.2)
व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति	9.1	127.1	165.7	199.1	240.8	261.0
	(4.4)	(4.5)	(4.7)	(4.1)	(4.2)	(4.3)
कारोबारी उद्यम	5.3	116.6	150.1	209.7	239.6	271.0
	(2.5)	(4.2)	(4.2)	(4.3)	(4.2)	(4.4)
विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं की शेष श्रेणी	–	64.2	86.6	126.2	148.7	155.9
		(2.3)	(2.4)	(2.6)	(2.6)	(2.5)
आ. लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971	**2.6**	**10.2**	**10.9**	**18.6**	**35.6**	**38.5**
	(1.2)	**(0.4)**	**(0.3)**	**(0.4)**	**(0.6)**	**(0.6)**
परिवहन चालक	2.4	9.6	10.3	18.4	35.4	38.2
	(1.1)	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(0.6)	(0.6)
	0.2	0.6	0.6	0.2	0.2	0.3
	(0.1)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
इ. सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971						
सेवा सहकारी समितियां	0.1	0.4	1.3	1.5	1.8	1.8
	(0.1)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
जोड़ (अ आ इ)	208.4	2799.7	3558.5	4839.9	5773.8	6114.5
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
ई. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981			**3716.4***	3822.1	4153.7	

– शून्य या नगण्य

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ में प्रतिशत दर्शाते हैं।

* 31 मार्च 1981 को।

स्रोत : निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

TABLE 4.6 : SECTOR-WISE DETAILS OF DICGC'S GUARANTEED ADVANCES

(Rupees crores)

Scheme/category of borrowers	As at the end of June					
	1972	1980	1981	1982	1983	1984
A. **Small Loans Guarantee Scheme, 1971**	**205.7** (98.7)	**2789.1** (99.6)	**3546.2** (99.7)	**4819.8** (99.6)	**5736.4** (99.4)	**6074.2** (99.3)
Farmers and agriculturists	134.7 (64.6)	1796.1 (64.2)	2267.5 (63.7)	3041.6 (62.8)	3594.8 (62.3)	3737.4 (61.1)
Transport Operators	28.3 (13.6)	368.5 (13.2)	477.6 (13.4)	731.3 (15.1)	937.7 (16.2)	1023.7 (16.7)
Retail Traders	28.3 (13.6)	316.7 (11.3)	398.9 (11.2)	511.8 (10.6)	574.8 (9.9)	625.1 (10.2)
Professional and self-employed persons	9.1 (4.4)	127.1 (4.5)	165.7 (4.7)	199.1 (4.1)	240.8 (4.2)	261.0 (4.3)
Business enterprises	5.3 (2.5)	116.6 (4.2)	150.1 (4.2)	209.7 (4.3)	239.6 (4.2)	271.1 (4.4)
Residual category of borrowers under the DRI Scheme	—	64.2 (2.3)	86.6 (2.4)	126.2 (2.6)	148.7 (2.6)	155.9 (2.5)
B. **Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971**	**2.6** (1.2)	**10.2** (0.4)	**10.9** (0.3)	**18.6** (0.4)	**35.6** (0.6)	**38.5** (0.6)
Transport Operators	2.4 (1.1)	9.6 (0.3)	10.3 (0.3)	18.4 (0.4)	35.4 (0.6)	38.2 (0.6)
Business enterprises	0.2 (0.1)	0.6 (—)	0.6 (—)	0.2 (—)	0.2 (—)	0.3 (—)
C. **Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971**						
Service Co-operative Societies	0.1 (0.1)	0.4 (—)	1.3 (—)	1.5 (—)	1.8 (—)	1.8 (—)
TOTAL (A + B + C)	**208.4** (100.0)	**2799.7** (100.0)	**3558.5** (100.0)	**4839.9** (100.0)	**5773.8** (100.0)	**6114.5** (100.0)
D. **Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981**			3716.4*	3822.1	4153.7	

* As on March 31, 1981.

— Nil or negligible.

Note: Figures in brackets are percentages to total.

Source: Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

4.26 इन योजनाओं के अंतर्गत गारण्टीकृत अग्रिमों की कुल राशि जून 1983 के अंत में 5,774 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1984 के अंत में 6,115 करोड़ रुपये हो गयी, जो पिछले वर्ष से 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है (सारणी 4.6)। समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण की प्राप्ति में वृद्धि (1972 से लगभग 29 गुना) का प्रमुख कारण गारण्टी रक्षा प्रदान करना है। किसानों और कृषकों को दिये गये अग्रिम लगातार एक बड़ा हिस्सा बने रहे, जो गैर-औद्योगिक क्षेत्र को दिये गये गारंटीकृत अग्रिमों का 61.1 प्रतिशत थे, उसके बाद परिवहन परिचालकों को ऋण (17.4 प्रतिशत), खुदरा व्यापारियों (10.2 प्रतिशत) व्यावसायिक तथा स्वनियोजित व्यक्तियों (4.3 प्रतिशत), कारोबारी उद्यमियों (4.4 प्रतिशत) को दिये गये और विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋणकर्ताओं के बाकी वर्ग (2.6 प्रतिशत) को दिये गये ऋणों का स्थान था।

4.26 The total amount of advances guaranteed under these schemes increased from Rs.5,774 crores at the end of June 1983 to Rs.6,115 crores at the end of June 1984 recording a rise of 5.9 per cent over the previous year (Table 4.6). The extension of guarantee cover is a prime factor contributing to the substantial increase (nearly 29 fold since 1972) in the flow of institutional credit to weaker sections of the society. Advances to farmers and agriculturists continued to constitute a major portion accounting for 61.1 per cent of the guaranteed advances to non-industrial sector, followed by credit to transport operators (17.4 per cent), retail traders (10.2 per cent), professional and self-employed persons (4.3 per cent), business enterprises (4.4 per cent) and residual category of borrowers under the DRI Scheme (2.6 per cent).

4.27 जुलाई-जून 1984 की अवधि में 34.2 करोड़ रुपये के 1,47,452 गारण्टी दावे प्रस्तुत किये गये। योजनाओं की शुरुआत से लेकर जून 1984 के अन्त तक 134.4 करोड़ रुपये के 6,65,357 दावे प्राप्त हुए और वे जून 1984 के अंत में 6,115 करोड़ रुपये के कुल गारण्टीकृत अग्रिमों के 2.2 प्रतिशत थे। शुरुआत से लेकर जून 1984 तक 80.4 करोड़ रुपये के कुल 5,12,354 दावे निपटाये गये, जिनमें से 27.3 करोड़ रुपये के 1,95,419 दावे जुलाई 1983-जून 1984 के दौरान निपटाये गये थे।

4.27 Guarantee claims preferred during the period July 1983 – June 1984 numbered 1,47,452 for Rs.34.2 crores. Claims received since inception of schemes upto the end of June 1984 numbered 6,65,357 for Rs.134.4 crores and formed 2.2 per cent of total guaranteed advances at Rs.6,115 crores at the end of June 1984. During July 1983-June 1984, 1,95,419 claims for Rs.27.3 crores were disposed of, taking the cumulative claims disposed of since inception till June 1984 to 5,12,354 for Rs.80.4 crores.

लघु उद्योग

4.28 निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में सहभागी संस्थाओं की संख्या जून 1983 के अन्त की 339 से बढ़कर जून 1984 तक 387 हो गयी, जिसमें 72 वाणिज्य बैंक, 110 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 16 राज्य वित्तीय निगम, 7 अन्य राज्य विकास एजेंसियां और 182 सहकारी बैंक थे। इसके अलावा, एक वाणिज्य बैंक, एक राज्य वित्तीय निगम

Small-Scale Industries

4.28 The number of institutions participating in the Corporation's Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 rose from 339 as at the end of June 1983 to 387 by the end of June 1984, comprising 72 commercial banks, 110 regional rural banks, 16 State Financial Corporations, 7 other State development agencies and 182 co-operative banks. Besides, one commercial

और 6 सहकारी बैंकों ने योजना में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की ।

bank, one State Financial Corporation and 6 co-operative banks have expressed their willingness to join the scheme.

4.29 लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये कुल गारण्टीकृत अग्रिम जून 1982 के अंत के 3,822 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1983 के अंत में 4.154 करोड़ रुपये हो गये, जो पिछले वर्ष से 8.7 प्रतिशत अधिक थे । इस योजना के तहत जुलाई 1983 से जून 1984 की अवधि में 43.6 करोड़ रुपये के 15,751 दावे प्राप्त हुए । इस अवधि में निगम ने 17.9 करोड़ रुपये के 10,001 दावे निपटाये ।

4.29 The total guaranteed advances to small-scale industrial sector rose from Rs.3,822 crores at the end of June 1982 to Rs.4,154 crores at the end of June 1983, recording a rise of 8.7 per cent over the previous year. Under this scheme, during the period July 1983-June 1984, 15,751 claims for Rs.43.6 crores were received. The Corporation disposed of 10,001 claims for Rs.17.9 crores during the same period.

4.30 जहाँ तक 31 मार्च 1981 को रद्द हुई सरकारी योजना (जिसमें निगम अवशेष कार्यों को निपटाने के लिए एक अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है) का संबंध है. निगम ने पहली अप्रैल 1981 को 98 करोड़ रुपये के 30,826 दावे हाथ में लिये थे और पहली अप्रैल 1981 से जून 1984 के बीच 71 करोड़ रुपये के 35,965 दावे और प्राप्त किये । जून 1984 के अन्त तक निगम 77 करोड़ रुपये के 56,539 दावे निपटा चुका था । ऐसे दावों के लिए पहली अप्रैल 1981 से जून 1984 के अंत तक 42 करोड़ रुपये संवितरित किये गये ।

4.30 As regards the Government Scheme cancelled on March 31, 1981 (where the Corporation has been acting as an agent for the discharge of residual functions), the Corporation had taken over 30,826 claims for Rs.98 crores as on April 1, 1981 and had received further 35,965 claims for Rs.71 crores between April 1, 1981 and June 30, 1984. Till end-June 1984, the Corporation had disposed of 56,539 claims for Rs.77 crores. During the period April 1, 1981 to end-June 1984, Rs.42 crores were disbursed against such claims.

सहकारी क्षेत्र

4.31 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए प्राथमिक स्तर पर सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जानेवाले अग्रिमों को गारंटी रक्षा प्रदान करने के लिए लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982 तैयार की गयी है । प्रारंभ में कुछ चुनी हुई पात्र प्राकृऋस और प्राभूवि बैंक/राभूवि बैंकों की शाखाओं को पहली जनवरी 1983 से योजना में शामिल

Co-operative Sector

4.31 Mention was made in the last year's Report of the scheme formulated by the Corporation viz., the Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982 to extend guarantee cover for advances to be granted by co-operative credit institutions at the primary level for agricultural and allied activities. To start with, certain select eligible PACS and PLDBs/branches of SLDBs were invited to join the scheme

होने के लिए आमंत्रित किया गया। पिछली रिपोर्ट में एक और विचाराधीन योजना अर्थात लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 का भी उल्लेख किया गया था, जिसका उद्देश्य प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को उनके द्वारा दिये जाने वाले गैर-औद्योगिक, गैर-कृषि अग्रिमों को गारण्टी रक्षा प्रदान करना है। तदनुसार निगम ने पात्र प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को पहली जुलाई 1984 से इस योजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। पहली योजना में देय गारण्टी शुल्क की दर 0.65 प्रतिशत प्रतिवर्ष है, जबकि दूसरी योजना के लिए गारंटी शुल्क दर वही है जो अन्य योजनाओं के मामले में है, अर्थात छोटे ऋणकर्ता के लिए 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष और दूसरों के लिए 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष।

from January 1, 1983 onwards. Also, a reference was made in the previous Report to another scheme under consideration viz., the Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 to extend guarantee cover to advances granted by primary (urban) co-operative banks for their non-industrial, non-agricultural advances. Accordingly, the Corporation has invited eligible primary (urban) co-operative banks to join this scheme from July 1, 1984 onwards. The rate of guarantee fee payable in the former scheme is 0.65 per cent per annum, while for the latter scheme the rate of guarantee fee is the same as in the case of other schemes i.e., 0.5 per cent per annum for small borrowers and 0.75 per cent per annum for others.

कार्य प्रणालियों में परिवर्तन

4.32 कार्य के परिमाण में वृद्धि को देखकर और अपनी समग्र क्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से निगम ने अपनी कार्य प्रणालियों में कतिपय परिवर्तन किये हैं और सितंबर 1983 से कुछ चुने हुए कार्यों के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। प्रारंभ में गैर-औद्योगिक दावों की छानबीन कम्प्यूटर द्वारा विश्लेषण से की जा रही है। कतिपय अन्य क्षेत्रों में भी कम्प्यूटर का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई हो रही है, जैसे (i) जमा बीमा प्रीमियम और ऋण गारंटी शुल्क का संग्रह करना और हिसाब-किताब रखना, (ii) लघु उद्योग संबंधी दावों का विश्लेषण और उस संबंध में प्रबंध सूचना प्रणाली का संकलन और (iii) जिन खातों के दावे अदा कर दिये गये हैं, उनके बारे में अनुवर्ती कार्रवाई और अदा किये गये दावों के खातों में की गयी वसूलियों में से आनुपातिक अंश का संग्रह करना। अदा किये गये दावों के खातों और ऋण संस्थाओं से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण के लिए उचित तंत्र की भी व्यवस्था की जा रही है। इन उपायों से न केवल दावों का शीघ्र निपटान हो सकेगा, बल्कि निगम के प्रतिस्थापन अधिकार द्वारा अदा किये गये दावों के खातों से वसूली भी शीघ्र हो सकेगी।

Changes in Work Systems

4.32 For coping with the increasing volume of work and to improve its overall efficiency, the Corporation has introduced certain changes in its work systems and computerised certain select functions since September 1983. Initially, non-industrial claims are being processed with computer-aided analysis. Computerisation in other areas is also progressing viz., (i) collection and accounting of deposit insurance premia and credit guarantee fee, (ii) analysis of SSI claims and compilation of management information system in that regard and (iii) follow-up of claim paid accounts and collection of proportionate share from recoveries effected by the credit institutions in claim paid accounts. A suitable machinery for inspection of claim paid accounts and relative records of credit institutions is also being organised. These steps are likely to facilitate not only a more speedy settlement of claims but also collection of recoveries in claim paid accounts by virtue of Corporation's subrogation right.

अन्य उल्लेखनीय गतिविधियाँ

4.33 निगम ने इस बात की जांच की है कि नये 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका की जांच करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न श्रेणियों के ऋणकर्ताओं की जो परिभाषाएं दी हैं, क्या वे परिभाषाएं लघु ऋण गारण्टी योजना, 1971 में अभिकल्पित परिभाषाओं के अनुसार ही हैं ? की गयी सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में, उक्त योजना के प्रावधानों में पहली जनवरी 1984 से आवश्यक संशोधन किये गये हैं। योजना के पैरा 11 के अंतर्गत दी जानेवाली गारंटी रक्षा खुदरा व्यापारियों, जो मुख्य रूप से सब तरह के माल (उर्वरक, खनिज तेल अथवा कीटनाशक दवाओं) की खरीद और बिक्री में लगे हों, को दी जानेवाली ऋण सुविधाओं के संबंध में भी गारंटी रक्षा प्रदान की गयी है। यह गारंटी रक्षा उक्त योजना में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। साथ ही योजना के पैरा15आ में उल्लिखित दो अथवा अधिक प्रयोजनों के लिए ऋण कर्ताओं की उपभोग संबंधी जरूरतों के लिए पहली जनवरी 1984 से दी गयी ऋण सुविधाओं के संबंध में 500 रुपये की उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी है।

4.34 लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 और लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में भाग लेने वाले भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की सरकार की योजना (सितम्बर 1983 से शुरू) के अंतर्गत ऋण कर्ताओं को उत्पादक कार्यों के लिए सीधे दिये गये अग्रिम प्रथम- दृष्टया सेवा और रोजगार संबंधी कार्यों के संबंध में पहली योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गारंटी रक्षा के पात्र होंगे और उद्योग (अर्थात ग्रामीण कारीगर, और विकेन्द्रित क्षेत्रों में कुटीर व अति लघु उद्योग संबंधी कार्यों के लिए) दूसरी योजना के अंतर्गत गारंटी रक्षा के पात्र होंगे। ये गारंटी रक्षा अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित ऋण गारंटी योजना के विभिन्न उपबंधों के अधीन होगी।

Other Significant Developments

4.33 The question as to whether the definitions of various categories of priority sector borrowers as modified by the Working Group constituted by the Reserve Bank to examine the role of banks in implementation of the New 20-Point Programme were consistent with the definitions of such borrowers envisaged in Small Loans Guarantee Scheme, 1971 was examined by the Corporation. In the light of recommendations, necessary amendments have been made to the provisions of the above scheme with effect from January 1, 1984. Guarantee cover under para 11 of the Scheme has been extended in respect of credit facilities granted to retail traders engaged primarily in buying and selling of all kinds of goods (including fertilisers, mineral oils or pesticides), subject to conditions enumerated therein. Further, an overall ceiling of Rs.500 has been prescribed in respect of credit facilities granted from January 1, 1984 onwards for consumption needs of borrowers for two or more purposes mentioned in para 15 B of the Scheme.

4.34 The Indian scheduled commercial banks participating in Small Loans Guarantee Scheme, 1971 and Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 have been advised that advances for productive activities granted directly to borrowers under Government's Scheme for providing self-employment to educated unemployed youth (introduced from September 1983) would *prima facie* be eligible for guarantee cover under the former scheme in respect of ventures in service and business and under the latter scheme in respect of ventures in industry (i.e. village artisans, cottage and tiny industry in the decentralised sector) by Government, subject *inter alia* to the compliance of the various provisions of the respective credit guarantee scheme.

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

4.35 'भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने पहली मार्च 1982 से कार्य शुरू किया था। यह बैंक अर्थव्यवस्था के निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निधिक और गैर-निधिक सहायता प्रदान करता है। निधिक सहायता में निर्यातकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता समुद्रपारीय निवेश वित्तपोषण, तकनीक और परामर्शदात्री सेवाओं के निर्यात के लिए वित्तपोषण, पोतलदान से पूर्व ऋण और निर्यात बिल पुनर्भुनाई तथा विदेश स्थित बैंकों को पुनः ऋण देने की सुविधा शामिल है। उक्त बैंक द्वारा दी गयी गैर-निधिक सहायता गारंटियों के रूप में है, जैसे कि बोली बांड (बिड बांड), अग्रिम अदायगी और निष्पादन गारंटियां, प्रतिधारण राशि गारंटियां और विदेश में वित्त जुटाने के लिए गारंटियां। निर्यात-आयात बैंक भारत से इंजीनियरिंग और पूंजीगत वस्तुओं और संबंधित सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न ऋण कार्यक्रम चलाता है। प्रतिस्पर्धात्मक ऋण शर्तों पर निधिक वित्तीय सहायता भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कार्य करने के लिए दी जाती है।

4.36 1983 में निर्यात-आयात बैंक ने निर्यात-आयात संघीय सुविधा के नाम से एक नयी सुविधा लागू की, जो विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए भारत में प्राधिकृत वाणिज्य बैंकों को निर्यात ऋण में और अधिक भाग लेने के लिए आकर्षित करने के लिए है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात-आयात बैंक किसी निर्यात प्रस्ताव के लिए निधि प्रदान करता है और वाणिज्य बैंक सम्मिलित रूप से ऋण जोखिम उठाते हैं। इसके बदले में ये बैंक निर्यात-आयात बैंक से कमीशन के रूप में 0.5 प्रतिशत वार्षिक प्राप्त करते हैं। बैंकों ने अल्जीरिया और मलयेशिया में दो परियोजनाओं में इस सुविधा का लाभ उठाया भी है।

4.37 जनवरी-दिसंबर 1983 के दौरान निर्यात-आयात बैंक की निधिक सहायता के अंतर्गत प्रस्ताव (सैद्धांतिक

Export- Import Bank of India

4.35 The Export-Import Bank of India, which commenced operations from March 1, 1982, extends both funded and non-funded assistance for promotion of the export sector of the economy. Funded assistance consists of direct financial assistance to exporters; overseas investment financing, financing exports of technology and consultancy services, pre-shipment credit, overseas buyers' credit, lines of credit, refinance of export credit, export bills rediscounting and re-lending facility to banks abroad. Non-funded assistance extended by the Bank is in the form of guarantees, such as bid bonds, advance payment and performance guarantees, retention money guarantees and guarantees for raising finance abroad. Exim Bank operates various lending programmes for promotion of exports of engineering and capital goods and related services from India. Funded financial assistance on competitive credit terms is extended to enable Indian exporters to operate in international markets.

4.36 In 1983, Exim Bank introduced a new facility called the Exim Syndication Facility to attract greater participation in export credit by commercial banks in India, who are authorised dealers in foreign exchange. Under this scheme, Exim Bank provides funds for an export proposal and syndicates the credit risks with commercial banks; the banks, in turn, earn 0.5 per cent per annum by way of commission from Exim Bank, for assuming such credit risks. This facility has already been availed of by banks in two projects in Algeria and Malaysia.

4.37 During January-December 1983, Exim Bank's approvals (commitments in

वायदे) 314 करोड़ रुपये के थे। इनमें से मंजूरियों और उपयोग की राशि क्रमशः 287 करोड़ रुपये और 206 करोड़ रुपये थी, जबकि मार्च-दिसंबर 1982 में निधिक सहायता के अनुमोदन 293 करोड़ रुपये के थे, जिनमें से मंजूरियों और उपयोग की राशि क्रमशः 236 करोड़ रुपये और 179 करोड़ रुपये थी (सारणी 4.7)। गैर-निधिक सुविधाओं (गारंटियों) से संबंधित अनुमोदन 392 करोड़ रुपये के थे। जनवरी-दिसंबर 1983 में 75 करोड़ रुपये की निर्यात गारंटियां निष्पादित की गयीं, जबकि मार्च-दिसंबर 1982 में ये 102 करोड़ रुपये की थीं। निधिक और गैर-निधिक सहायता के अंतर्गत बकाया राशि दिसम्बर 1983 के अंत में क्रमशः 293 करोड़ और 452 करोड़ रुपये थी जबकि दिसंबर 1982 के अंत में क्रमशः 220 करोड़ रुपये और 399 करोड़ रुपये थी।

principle) under funded assistance aggregated Rs.314 crores, of which sanctions and utilisations amounted to Rs.287 crores and Rs.206 crores, respectively, compared with the approvals of funded assistance of Rs.293 crores during March-December 1982, of which sanctions and utilisations amounted to Rs.236 crores and Rs.179 crores (Table 4.7). Approvals on account of non-funded (guarantees) facilities aggregated Rs.392 crores. Export guarantees of Rs.75 crores were executed during January-December 1983, compared with Rs.102 crores during March-December 1982. Outstandings at the end of December 1983, under funded and non-funded assistance amounted to Rs.293 crores and Rs.452 crores, respectively, compared with Rs.220 crores and Rs.399 crores, respectively, as at the end of December 1982.

सारणी 4.7 : निर्यात-आयात बैंक के कार्य

(करोड़ रुपये)

उधार संबंधी कार्यक्रम	मार्च-दिसंबर 1982			जनवरी-दिसंबर 1983		
	स्वीकृतियां	उपयोग	बकाया	स्वीकृतियां	उपयोग	बकाया
अ. निधिक						
क्रेता ऋण	11.9	0.4	15.6	8.9	13.5	26.9
प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता †	38.7	30.0	84.0	54.5	36.4	105.1
निर्यात बिल पुनर्भुनाई	122.1	111.0	18.4	124.4	124.4	45.9
निर्यात ऋण पुनर्वित्त	6.7	14.1	30.7	17.5	7.0	24.1
ऋण माध्यम	42.0	16.6	59.8	44.0	22.5	81.4
समुद्र पारीये निवेश वित्त	0.4	6.4	10.4	2.9	1.9	9.6
पोतलदान पूर्व ऋण	–	–	1.0	35.0	–	–
पुनः ऋण देने संबंधी सुविधाएं	14.2	–	–	35.0	–	–
जोड़-निधिक	**236.0**	**178.5**	**219.9**	**287.2**	**205.7**	**293.0**
आ. गैर-निधिक (निर्यात गारंटियां)	**101.9**	**56.4***	**398.6***	**75.3**	**71.***	**451.5**

* निष्पादित गारंटियां

** वही मूल्य पर 30 दिसम्बर 1982 को चालू विनिमय दर पर पुनर्मूल्यांकन किये जाने पर गैर-निधिक बकाया राशियां 467.7 करोड़ रुपये थीं।

स्रोत : निर्यात-आयात बैंक

4.38 विभिन्न निधिक कार्यक्रमों (निर्यात बिल पुनर्भुनाई को छोड़कर) के अतंर्गत स्वीकृत सहायता का 90 प्रतिशत सामग्री उठाने-रखने संबंधी उपकरणों, रज्जु मार्गों, वातानुकूलन एवं प्रशीतन उपकरणों, पंपिंग उपकरणों, खाद्य सामग्री के अभिसंस्करण संयंत्र, जूट-मशीनों, चीनी संयंत्रों, परिवहन उपकरण और निर्माण सामग्री के लिए थी। निधिक सहायता के उपयोग में 82 प्रतिशत भाग सीमेंट और चीनी संयंत्र की मशीनों, बिजली उत्पादन और वितरण संबंधी उपकरणों, परिवहन उपकरण, पंपसेटों, इलेक्ट्रीकल हार्डवेयर और इन्सुलेटर तथा अन्य इंजीनियरींग संयंत्रों के लिए था। मंजूर की गयी गैर-निधिक सहायता में सबसे बड़ा भाग (86 प्रतिशत) निर्माण उद्योग का था।

4.38 Material handling equipment, rope ways, air conditioning and refrigeration equipment, pumping equipment, food processing plant, jute-machinery, sugar plants, transport equipment and construction goods accounted for 90 per cent of the sanctioned assistance under the various funded programmes (excluding export bills rediscounting). In the utilisation of funded assistance, the share of cement and sugar plant machinery, power generation and distribution equipment, transport equipment, pumpsets, electrical hardware and insulators and other engineering plants was 82 per cent. Of the total non-funded assistance sanctioned, the construction industry claimed the largest share (86 per cent).

TABLE 4.7: OPERATIONS OF EXIM BANK

(Rs. Crores)

Lending Programmes	March-December 1982			January-December 1983		
	Sanctions	Utilisations	Outstandings	Sanctions	Utilisations	Outstandings
A. **Funded**						
Buyers' Credit	11.9	0.4	15.6	8.9	13.5	26.9
Direct Financial Assistance †	38.7	30.0	84.0	54.5	36.4	105.1
Export Bills Rediscounting	122.1	111.0	18.4	124.4	124.4	45.9
Export Credit Refinance	6.7	14.1	30.7	17.5	7.0	24.1
Lines of Credit	42.0	16.6	59.8	44.0	22.5	81.4
Overseas Investment Finance	0.4	6.4	10.4	2.9	1.9	9.6
Pre-shipment Credit	—	—	1.0	—	—	—
Relending Facility	14.2	—	—	35.0	—	—
Total — Funded	**236.0**	**178.5**	**219.9**	**287.2**	**205.7**	**293.0**
B. **Non-Funded (Export Guarantees)**	101.9	56.4*	398.6**	75.3	71.2*	451.5

* Guarantees issued. † Suppliers' Credit.

** At book value. When revalued at exchange rates prevailing on December 30, 1982, non-funded outstandings amount to Rs. 467.7 crores.

Source: Exim Bank.

4.39 वर्ष के दौरान निधिक ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रवार अनुमोदनों के लगभग आधे दक्षिण-पूर्व एशिया को निर्यात के लिए थे: मार्च-दिसंबर 1982 में ये लगभग दो तिहाई थे। 1983 में निधिक अनुमोदनों के लिए 94 प्रतिशत दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अफ्रीका- दो क्षेत्रों के लिए थे जबकि पिछले वर्ष ये 93 प्रतिशत थे। गैर-निधिक अनुमोदनों में से पश्चिम एशिया में परियोजनाओं का हिस्सा सबसे अधिक (42 प्रतिशत) था। उसके बाद अफ्रीका (33 प्रतिशत) और दक्षिण पूर्व एशिया (25 प्रतिशत) का स्थान था। पिछले वर्ष के दौरान पश्चिम एशिया का हिस्सा 66 प्रतिशत, अफ्रीका का 22 प्रतिशत और दक्षिण-पूर्व एशिया का 12 प्रतिशत था।

4.39 Region-wise, about half of the approvals under funded lending programmes during the year were for exports to South-East Asia; it was nearly two-third during March-December 1982. The two regions—South-East Asia and Africa—accounted for 94 per cent of funded approvals during 1983 as compared to 93 per cent in the previous year. Of the non-funded approvals, projects in West Asia received the largest share (42 per cent), followed by Africa (33 per cent) and South East Asia (25 per cent). During the preceding year, West Asia had accounted for 66 per cent, Africa 22 per cent and South-East Asia 12 per cent.

4.40 31 दिसंबर 1983 की स्थिति के अनुसार निर्यात-आयात बैंक के साधन कुल 540 करोड़ रुपये थे, जिनमें 100 करोड़ रुपये चुकता पूंजी, 45 करोड़ रुपये के भारत सरकार से दीर्घावधि ऋण और 125 करोड़ रुपये रिज़र्व बैंक से दीर्घावधि ऋण, 12 करोड़ रुपये की प्रारक्षित निधियां और भा. औ. वि. बैं. से निर्यात ऋणों के अंतरण के कारण भा. औ. वि. बैं. को देय 155 करोड़ रुपये हैं। 1983 के दौरान निर्यात-आयात बैंक ने देश के पूंजी बाजार में अपने पहले बांड निर्गम से 53 करोड़ रुपये जुटाये। इसने वर्ष के दौरान अपने विदेशी मुद्रा संसाधनों को बढ़ाने के लिए पांच करोड़ अमरीकी डालर के दो यूरो-डालर ऋण भी प्राप्त किये और 10 करोड़ फ्रेंच फ्रांक की फ्रांसीसी निर्यात ऋण सुविधा को अंतिम रूप दिया।

4.40 Exim-Bank's resources as on December 31, 1983 aggregated Rs.540 crores, comprising paid-up capital of Rs.100 crores, long-term loans of Rs.45 crores from Government of India and Rs.125 crores from Reserve Bank, reserves of Rs.12 crores and Rs.155 crores due to IDBI on account of transfer of export loans from IDBI. During 1983, Exim Bank raised Rs.53 crores out of its maiden bond issue in the domestic capital market. It also raised two Euro-dollar loans aggregating US $ 50 million to augment its foreign currency resources and finalised a line of French export credit for 100 million French Francs during the year.